छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **त्रयोदश सत्र**

मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2022

(चैत्र 01, शक सम्वत् 1944)

[अंक 10]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2022

(चैत्र 1, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके आदेशों का पूरा पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपको धन्यवाद। एडवांस में धन्यवाद।

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

<u>विधानसभा क्षेत्र पंडरिया में लघु सिंचाई योजनांर्गत स्वीकृत राशि</u>

[कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी]

1. (*क्र. 624) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र पंडरिया में लघु सिंचाई योजना अंतर्गत वर्ष 2020 -21 एवं 2021-22 में किस - किस मद में कितनी राशि स्वीकृत की गई हैं ? **(ख)** इनमें से कितने कार्य पूर्ण एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में विधानसभा क्षेत्र पण्डरिया में लघु सिचांई योजनांतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा वर्षवार, मदवार, कार्यवार स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्र.	**वर्ष**	**मद**	**योजना का नाम**	**राशि (रू. लाख में)**
1	2020-21	निरंक		
1	2021-22	75/4702 नाबार्ड	चिल्फी जलाशय शीर्ष कार्य एवं नहर लाईनिंग कार्य।	135.16
2		45/4702 गैर आदिवासी	मोहपार जलाशय के दांयी एवं बांयी तट नहर का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य।	290.20

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

3		45/4702 गैर आदिवासी	कोदवा किलकिला व्यपवर्तन योजना के सुदृढ़ीकरण कार्य।	252.61

(ख)प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित समस्त कार्य वर्तमान में अपूर्ण है।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से सिंचाई विभाग में लघु सिंचाई के सम्बन्ध प्रश्न था, उसमें जवाब तो मिल गया है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 से सम्बन्धित प्रश्न था। मैं इसलिए असंतुष्ट हूं क्योंकि बहुत ही कम कामों को स्वीकृति मिली है। जिसकी स्वीकृति मिली है, वह कब तक पूर्ण होगा। क्या वह आगे योजना में शामिल होगा ? यह मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है जो कार्य स्वीकृत है, वह कब तक पूरा होगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आदरणीया विधायक जी ने कृषि विभाग को प्रश्न किया और पूरक प्रश्न सिंचाई विभाग की कर रहे हैं। विधानसभा से कृषि विभाग को प्रश्न चला भी गया था। सिंचाई विभाग का उत्तर देना है। जो 3 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, वह मैंने आपको बता दिया हूं। तीनों योजना लगभग टेण्डर की स्थिति में है। टेण्डर हो जायेगा तो उसको जल्दी पूरा कर लेंगे। उसके आगे कोई बात हो तो कहें।

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों विभाग के तो मंत्री हैं। कृषि विभाग के मंत्री हैं और और सिंचाई विभाग के भी मंत्री हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- जी। अध्यक्ष जी, मैं दोनों विभाग का मंत्री हूं। लेकिन जब यहां से प्रश्न जाता है तो सीधे विभाग को जाता है। कृषि विभाग से प्रश्न किया गया है तो विधानसभा से प्रश्न कृषि विभाग से चला गया और कृषि विभाग से निरंक उत्तर आया है। लेकिन यह जल संसाधन विभाग का प्रश्न है। इसलिए उनको इजाजत है, वह प्रश्न करें। तीन योजना, उन्होंने जिसके के बारे में कहा कि कब तक पूरा हो जायेगा, तो अब टेण्डर हो रहा है, पूरा हो जायेगा। प्रशासकीय स्वीकृति हो गई है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद। अनिता योगेन्द्र शर्मा।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि आपसे सब संतुष्ट रहते हैं।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए माननीय मंत्री जी के पास मंत्रालय में कार्ययोजना प्रस्तावित होकर जा चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि यह बहुत ही पुरानी मांग है और यह किसानों के लिए बहुत ही जरूरी है। हाफ नदी में व्यपवर्तन योजना है, उसी में क्रांति जलाशय का विस्तार होना है, जो मैं विधानसभा में रख चुकी हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि वह इस सदन में उस कार्य को स्वीकृति के लिए घोषणा करेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, इसमें घोषणा जैसी बात नहीं है। आगर-हाफ बहुत दिन से प्रस्तावित योजना है। लेकिन आप जिस जलाशय की बात कर रहे हैं, वह आलरेडी बजटेड है। उसमें

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रशासकीय स्वीकृति होना है। वित्त विभाग से उसकी स्वीकृति भी करायेंगे और काम भी करायेंगे और उसमें सिंचाई भी प्रारंभ करायेंगे।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में कह देते तो किसानों को ज्यादा खुशी होती। पूरा कार्य हो चुका है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैं सदन में ही तो बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, आप मुझे बताईये सदन में और कैसे बोलना चाहिए।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका सरंक्षण चाहिए। क्योंकि पूरा कार्य हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय :- आज मुझे 25 प्रश्न पूरा लेना है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, आपने एक योजना की बात कही, हम उसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेंगे।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चौबे जी, आज मुझे 25 प्रश्न तक जाना है।

श्री रविन्द्र चौबे :- 25 प्रश्न तक जाना है।

रायपुर एवम बलौदाबाजार जिले में पिछले 2 वर्ष में हुए निर्माण कार्य

[आयाकट]

2. (*क्र. 1271) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर एवम बलौदाबाजार जिले में पिछले 2 वर्ष में क्या-क्या निर्माण कार्य हुए हैं? कितने पूर्ण हैं एवम कितने अपूर्ण हैं? **(ख)** क्या निर्माण कार्य हुए हैं उन के सम्बंध में क्या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है? अगर हॉ तो क्या कार्यवाही की गई अगर नहीं तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) रायपुर एवम बलौदाबाजार जिले में प्रश्नावधि में कुल 75 निर्माण कार्य हुये है। पूर्ण एवं अपूर्ण कार्य के संबंध में कार्यवार एवं वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र**[1] **अनुसार है। (ख)** जी नहीं, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रश्नांश की जानकारी निरंक मानी जावे।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रश्न का जवाब आ गया है। लेकिन प्रश्नांश 'ख' में जानकारी मांगी थी कि क्या निमार्ण कार्य हुए हैं उसके सम्बन्ध में क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? क्या इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है ? माननीय मंत्री जी, वहां निर्माण कार्य तो हुए हैं। वहां पर जो भी निर्माण कार्य हुआ, उसमें गांव

[1] परिशिष्ट “एक”

वालों की तरफ से शिकायत आई थी कि कार्य गुणवत्तहीन है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं उस समय अधिकारियों से भी बात की थी और मैं समझाई थी कि इसमें गुणवत्ताहीन काम ना हो, अच्छे से काम करो। लेकिन अधिकारी कोई बात नहीं सुने और वैसे ही काम बना हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि अधिकारी लोग ऐसे गुणवत्ताहीन काम कर रहे हैं, सिंचाई विभाग में जितने नहर-नाली के काम हुए हैं, उसमें ऐसा है कि यदि हाथ से रगड़ोगे तो सीमेन्ट बाहर आ जाये, ऐसी स्थिति बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आप मंत्री जी को लिखित में शिकायत कर दीजिये, वह जांच करा देंगे।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जांच करवायेंगे, लेकिन मैं निवेदन करती हूँ कि कुछ जगह और है, जहां पर चिन्हित कर देती हूं । जैसे भाटापारा शाखा नहर के दायीं ओर नहर, खपरी और केसला माईनर का निर्माण कार्य हुआ, वैसे ही भाटापारा शाखा नहर, भेजरीडीह लाईन एवं सी.सी. का कार्य, जो गुणवत्ताविहीन है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इसमें कुछ जांच करवायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखित रूप से शिकायत करिये, निश्चित रूप से मंत्री जी जांच करायेंगे ।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि ...।

अध्यक्ष महोदय :- जांच करायेंगे ।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- इस विषय में आप ..।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, प्रश्न बहुत विस्तृत है । पूरे भाटापारा, बलौदाबाजार और रायपुर जिले के सारी सिंचाई योजनाओं, लगभग 75 सिंचाई योजनाओं के बारे में है । पर्टिकूलर एक नहर के बारे में आदरणीय विधायक जी कह रही है, बहुत बिलो स्टैण्डर्ड काम हो रहा है, गुणवत्ताविहीन काम हो रहा है, प्रश्नावधि में कोई शिकायत नहीं है । उस नहर के बारे में 5 शिकायतें आई थी । विभाग ने जांच भी कराया है । उसके बाद भी अगर आप चाहेंगे तो माननीय अध्यक्ष जी उसका जांच करा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक्यू । लालजीत सिंह जी ।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि संबंधित ई.ई. के द्वारा वहां जो काम करवाये जा रहे हैं, वह बहुत ही गुणवत्ताविहीन है । मैं निवेदन करती हूँ कि उसमें जांच हो और ऐसे अधिकारियों के ऊपर, मैं कार्यवाही चाहती हूँ । मैं सदन में पहली बार ऐसा कुछ मांग कर रही हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करती हूँ, कृपया मुझे संरक्षण दें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य कह रही है कि पहली बार जांच की मांग कर रही है, मैंने तो कहा है कि जांच करायेंगे । कौन से ई.ई. के बारे में, कौन से कार्यकाल के बारे में, किस नहर के बारे में, मैं अपने चीफ इंजिनियर को भेज दूंगा । आदरणीय जी, आपके साथ जाकर वह इन्क्वारी कर लेंगे । किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं बख्शा जायेगा । अगर वह स्टैण्डर्ड मैंटेन नहीं किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, चाहे वह कोई हो । आपको सूचित करके, आपको लेकर, चीफ इंजिनियर से जांच करायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- लालजीत सिंह राठिया ।

<u>धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भू -संरक्षण हेतु कराए गए कार्य</u>

[कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी]

3. (*क्र. 1233) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2019 से जनवरी, 2022 की स्थिति में भू- संरक्षण हेतु कितनी- कितनी संख्या में किन-किन पंचायतों में चेक डैम ,स्टॉप डेम एनीकट का निर्माण कराया गया है, स्थान वार, लागत वार जानकारी देवें? **(ख)** कितने कार्य पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं, कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे? **(ग)** उक्त निर्माण कार्य से कितने हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई का रकबा बढ़ा है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क)कृषि विभाग द्वारा स्टापडेम एवं एनीकट का निर्माण नहीं कराया जाता है। धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखंड धरमजयगढ़ एवं घरघोड़ा में वर्ष 2019 से जनवरी, 2022 तक 05 चेकडेम निर्मित किये गये है। जिनकी वर्षवार, स्थानवार, लागतवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र[2] अनुसार है।(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित समस्त कार्य पूर्ण हो चुके है। **(ग)** प्रश्नांश 'क'अनुसार निर्मित चेकडेम से कुल 72.692 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कितने कार्यों की स्वीकृति दी गई थी, उसके बारे में जानकारी मांगी है । माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब आ गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या जल स्तर बढ़ाये जाने हेतु माननीय मंत्री जी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- श्रीमान, वह तो एग्रीकल्चर सॉयल कंजरवेशन का जो काम होता है, आर.के.यू.आई. के तहत काम होता है, उसका प्रश्न था । उसकी जानकारी दे दिया हूँ । उसमें जल स्तर

[2] परिशिष्ट "दो"

बढ़ने का है और सिंचाई होने का है । उसके अलावा आदरणीय विधायक जी चाहते हैं, और उनके पास प्रपोजल होगा, चाहे इरिगेशन में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, आप दे दीजिएगा, दिखवा भी लेंगे, स्वीकृत भी कर देंगे ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इरिगेशन का था । हमारे यहां कुमरता और सखेलता, जो निर्मित है, वहां नहर कार्य के लिए प्रस्ताव मैंने पहले आपको दिया था । आपके विभाग को भी और आपको भी मैंने लिखा था, सर ।

नहर में पानी नहीं आ पा रहा है, उसको करायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- करायेंगे, करायेंगे । रामकुमार यादव जी ।

श्री रविन्द्र चौबे :- जी हां ।

<u>सर्वे वर्ष 2002 एवं 2011 के कारण लंबित पेंशन व अन्य योजना के लंबित प्रकरण</u>

[समाज कल्याण]

4. (*क्र. 1386) श्री रामकुमार यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सत्र 2019-2020 से जनवरी, 2022 की अवधि तक समाज कल्याण विभाग के द्वारा किन-किन योजनाओ से क्या -क्या लाभ दिया जा रहा है ? विभाग के पास उक्त अवधि में ग्रामीणों से कितने आवेदन व किस कार्य हेतु प्राप्त हुये ? कितने हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया है ? योजनानुसार विकासखंड वार जानकारी देवें। **(ख)** वर्ष 2002 व 2011 की सर्वे सूची के कारण प्राप्त आवेदनों में पेंशन एवं अन्य आवश्यक लाभकारी योजनाओं के कितने प्रकरण लंबित हैं, जिन पर ग्रामीणों को लाभ नही दिया जा सका है? प्रकरणों का विस्तृत विवरण, योजना एवं विकासखंड वार देवें। **(ग)** क्या ग्रामीण किसान ,मजदूर वर्ग के लोगों के लिए 2002 व 2011की सर्वे सूची आवश्यक है? क्या इस सूची को आधार न मानकर गरीब ग्रामीणों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है ? विवरण देवें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र[3] अनुसार है। (ख) कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। जी नहीं।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, मोला माननीय मंत्री जी बताहीं कि मोर क्षेत्र मा वर्ष 2019-2020 से जनवरी 2022 तक समाज कल्याण विभाग हा कोन-कोन से योजना चलाथे, अऊ कतका लंबित हे ? मैं माननीय मंत्री जी ले जानना चाहथंव ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत लंबा प्रश्न पूछ रहे हैं । इतने लंबे-चौड़े प्रश्न का जवाब कहां से देंगे ?

[3] परिशिष्ट "तीन"

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-2020 की योजनाओं का पूरा डिटेल्स दे दिया गया है । अभी लंबित प्रकरण कोई नहीं है ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मोर निवेदन हे, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन, ए सब अंतिम छोर के गरीब आदमी मन के रथे, जब जाथन हमन, त बोलथे कि 2011-2012 में नाम नई हे, गरीब आदमी वंचित रइ जथे, मोर मंत्री जी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत के जो बॉडी हे, महात्मा गांधी जी जो कहे रहिसे, ऊंहा से प्रस्ताव ला मांग के गरीब आदमी मन के भला हो जाही, ए ला थोरिकन देख ले हव ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया:- अध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा का ही प्रस्ताव है, नियम प्रक्रिया में आते हैं तो उनको पेंशन मिलता है । जो सूची में नहीं है, मुख्यमंत्री पेंशन में नहीं है, उनके लिए भी नियम है कि पक्का मकान नहीं होना चाहिये, उसके पास मोटर सायकल नहीं होना चाहिये, अगर पात्रता में आ रहे हैं तो सब को पेंशन मिल रहा है । अगर ऐसा कोई आपके विधान सभा में होगा तो बता दें ।

श्री रामकुमार यादव :- मोरे विधानसभा के बात न होय। छत्तीसगढ़ में पेंशन के लिए 2002 व 2011 की सर्वे सूची को अनिवार्य कर देहे। अब गरीब आदमी विकलांग हो गये बेचारा हा, अब वो कैसे करे ? मोर आपसे निवेदन हे कि महात्मा जी के यही तो सपना रहिस हे न कि अंतिम छोर के गरीब व्यक्ति ला लाभ मिलै। आपसे निवेदन हे कि ग्राम पंचायत ला पावर दे देवौ और प्रस्ताव करके ओला मो जोड़ देही। एकर बर मैं आपसे कहना चाहत हौं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- इसके लिए फिर से नियम बनाना पड़ेगा। नियम प्रकिया पहले की पुरानी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करिये, केबिनेट में पास करके दे देंगे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विचार करेंगे, फिर से आपकी बात मंत्रिमंडल में रखी जाएगी।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, हमन ला तो सबसे बड़े आप हो, आप कह देहै तो सब हो जाही।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए तो बोला, मुख्यमंत्री ला लिख के देदे, वोहा कर देही।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं पूरा सदन के विधायक मन से निवेदन करिहौं कि एला हम सब मुख्यमंत्री से कहबो तो पूरा प्रदेश के गरीब मन के भला हो जाही।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विभाग को बिलासपुर जिले में अमानक बीज, खाद, कीटनाशक दवाई, की प्राप्त शिकायतें

[कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी]

5. (*क्र. 1440) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर संभाग में 2021-22 अवधि में जनवरी, 2022 अमानक बीज, खाद, कीटनाशक दवाई, की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार कितने सैम्पल लिए गए और कितनों की प्रयोगशाला में जाँच हुई ? **(ग)** कितने रासायनिक खाद ,बीज और कीटनाशक दवाई, अमानक /अप्रमाणिक पाए गए ? इन फर्मो और विक्रेताओं पर क्या -क्या कार्यवाही हुई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनवरी, 2022 तक बिलासपुर संभाग में बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाई के अमानक होने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' की अवधि में संचालनालय कृषि अंतर्गत बिलासपुर संभाग से बीज के 675, खाद के 908 एवं कीटनाशक दवाईयों के 119 नमूने लिए गए जिसमें से बीज के 642, खाद के 893 एवं कीटनाशक दवाईयों के 88 नमूनो की जॉच प्रयोगशाला से हुई। संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत बीज के 35 नमूने लिये जाकर प्रयोगशाला को जॉच हेतु भेजे गये है। **(ग)** प्रश्नांश ''ख' अनुसार संचालनालय कृषि द्वारा जांच हेतु रसायनिक उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक दवाईयों के लिये गये नमूनों में से रासायनिक खाद के 38 नमूना, बीज के 14 नमूना एवं कीटनाशक दवाई के 02 नमूना अमानक पाए गए। अमानक पाये गये नमूनो पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, बीज नियंत्रण आदेश 1966 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत् संबंधित कम्पनी/विक्रेता के विरूद्ध विक्रय प्रतिबंध एवं कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गयी। उद्यानिकी फसलों के बीज नमूनों के जांच परिणाम प्राप्त होने शेष है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर जिले में अमानक बीज, खाद, कीटनाशक दवाई के बारे में जानकारी चाही थी और विभाग ने इतनी लापरवाही पूर्वक जवाब दिया है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। पूरा क्षेत्र भूरा और माहो के प्रकोप से प्रभावित है। किसान थक गये हैं, 5-6 बार कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा कि इस पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है तो विभाग का कहना है कि कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। मैं खुद जिलाधिकारी से बैठ करके बात किया और ग्राम रहिटाटोर, कोकड़ी में भेजा कि आप वहां जाकर देखो कि वहां के किसान बहुत परेशान हैं, वह लोग फसल ले नहीं पा रहे हैं। उनके कुछ लोग गये और विभाग का जवाब आता है कि यहां पर हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किसानों के हित में यह प्रश्न का उत्तर कैसा है। क्या यह उचित उत्तर है ? मैंने तो पूरे संभाग का पूछा था। एक बार मेरे ही विधानसभा में जांच करा के देख लें कि किन किसानों ने 6-7 बार कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया, आपके भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्षेत्र में इतना भूरा, माहो का प्रकोप हुआ था। उसमें प्रश्न आता है कि यदि शिकायत करेंगे तो देखने जायेंगे। इनके कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखंड अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, वही आप बता दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि यह जो उत्तर है क्या वह उत्तर उचित है ? अध्यक्ष महोदय, आप ही बता दीजिए। एक तरफ किसानों के हितैषी बनते हैं और दूसरी तरफ किसानों के लिए ऐसी लापरवाही पूर्वक, भावनात्मक उत्तर आ रहा है। ऐसी शिकायतों के संदर्भ में इसको बता दीजिए क्या यह उत्तर उचित है ? क्या यह सही है या गलत है ?

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा में उत्तर आने का मतलब यह है कि आपकी लिखित की शिकायत नहीं पहुंची होगी, इसका मतलब है कि कोई शिकायत नहीं है। आपने व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर कार्यालय में और बड़े अधिकारियों से बात की होगी मगर लिखित में शिकायत नहीं की होगी, इसलिए उत्तर इस तरह से आया है। ऐसा मैं मानता हूं। माननीय मंत्री जी आप स्पष्ट कर दें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, शिकायत के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हम घटना के संदर्भ में जानकारी देते हैं। अगर कोई घटना होती है तो हम उसको शिकायत के लहजे में नहीं बोलते, हम एक जानकारी के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। अगर मैं अपने विधानसभा की शिकायत जानकारी के तौर पर अधिकारियों को प्रस्तुत कर रहा हूं तो अधिकारी का संज्ञान में लेने के लिए कर्तव्य बनता है। अधिकारी को संज्ञान लेने के बजाय उसको इस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। आप पूछ लीजिए क्या उस अधिकारी ने संज्ञान में लिया है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न केवल शिकायत पर है। अगर शिकायत लिखित में नहीं मिलेगी तो जो उत्तर में आया है तो स्वाभाविक है कि शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आदरणीय बांधी जी अगर यह कह देते कि क्या मैंने जानकारी जिला प्रशासन को दी थी तो मैं उसकी जानकारी मंगाकर आपको बता देता। यह पहली बात है। दूसरी बात आपने जिस एरिया की कही, पिछली बार भी आदरणीय सौरभ सिंह जी ने कुछ अमानक बीज एवं खाद की शिकायत की थी तब भी मैंने इस विधानसभा में कहा था कि अमानक होगी तो कार्यवाही की जायेगी। लेकिन उसका कोई आधार होना चाहिए। अगर उस एरिया के उत्पादन को आप देख लेंगे, माननीय अध्यक्ष जी बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, वहां के धान खरीदी के आंकड़ें भर आप मांग लेंगे तो आपको पता लग जायेगा कि जो प्रश्न था वह कितना सही था। मैंने तो पिछली बार भी सौरभ सिंह जी को कहा था और आज भी आदरणीय बांधी जी से कहना चाहता हूं कोई भी बिलो स्टैण्डर्ड चाहे सीड हो, फर्टिलाईजर हो, pesticides, insecticide हो, उसकी शिकायत आयेगी तो उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी। डॉक्टर साहब, आपने इतना विस्तृत प्रश्न पूरा बिलासपुर संभाग का कर दिया है कि टोटल कितनी जांच हुई, कितना अमानक पाया गया, कितने के

खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने के खिलाफ FIR हुआ ? वह तो उत्तर में दिया हुआ है। यदि आप particular किसी बात को पूछना चाहेंगे उसका उत्तर दिया जायेगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिय कितना सही और कितना अनुचित उत्तर आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। कि आपने standardize किया है कि किसान लोगों के द्वारा कितना धान बेचा गया ? मंत्री जी का कहना है, आपने 15 क्विंटल standard कर दिया, उनका शेष धान कहां जायेगा ? वह शेष धान को भी उसी में बेचा। तो हमको दिखता है कि हमने बहुत धान बेचा तो वह इसका standard नहीं है। दूसरा है, आप सौरभ जी का उत्तर दे रहे थे कि सौरभ जी के साथ अमानक पाया गया। तो मेरा तो प्रश्न ही यही है कि अमानक पाने वाले धान, जिसको आपने laboratory में टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद अमानक पाया तो क्या कार्रवाई की, आपने कब नोटिस भेजा, आपने कब करवाई की ? और ऐसे जिन लोगों के कारण किसानों को नुकसान हुआ है, आप उनकी क्या भरपाई करेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में ही बड़ा स्पष्ट है कि कितना जांच किया गया, किसानों के खेत में जाने से पहले और किसानों के खेत में जाने के बाद यदि जांच होती है, तो उसका भी अलग मापदण्ड है और इसमें बताया गया है कि जितने अमानक पाये गये, उनके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है। जो नियम है, वही कार्रवाई की जा रही है, किसी की दुकान लंबित की गयी, किसी का लाइसेंस लंबित किया गया, हमने तो एक FIR भी किया हुआ है। मैं आपको सारे आंकड़े प्रसतुत कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरम लाल कौशिक।

<u>ग्रीन हाउस व पाली निर्माण</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथाजैव प्रौद्योगिकी]

6. (*क्र. 1519) श्री विद्यारतन भसीन : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 01 जनवरी 2019 से जनवरी,2022 तक ग्रीन हाउस व पाली हाउस किस-किस फर्म द्वारा, किस दर पर, कुल कितनी राशि का, कब-कब बनाया गया है? वर्षवार व जिलेवार जानकारी देवें। **(ख)** इस संबंध में कब-कब, किसके द्वारा, क्या-क्या शिकायत की गई, किसने जांच की तथा जांच में क्या निष्कर्ष दिया गया व कौन दोषी पाया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में संचालनालय उद्यानिकी के अंतर्गत अधीनस्थ जिलों में ग्रीन हाउस का निर्माण इंडियन ग्रीन हाउस, एम.बी. इंटरप्राइजेस, महेन्द्र टॉप ग्रीन हाउस, फार्म मेकर, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि., सांई ग्रीन हाउस देवबिल्ड प्राईवेट

लिमि., साहू एग्रोटेक, शिवम एग्रोटेक, नेचर टच, श्रेया एग्रो, हितासू कार्पोरेशन से एवं पॉली हाउस का निर्माण जय गुरूदेव एग्रो, महालक्ष्मी पाली हाउस सर्विस, आर.डी.ट्रेडर्स से कराया गया है। ग्रीन हाउस व पॉली हाउस निर्माण करने वाली संस्थावार, निर्माण दर, निर्माण लागत की वर्षवार व जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में ग्रीन हाउस नेचुरल वैंटिलेटेड (पाली हाउस) पर अनुदान भुगतान में अनियमितता बरतने के संबंध में माननीय विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से दिनांक 04.06.2021 को शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जांच उपसंचालक उद्यान, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा की गई है। जांच अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में शिकायत सही नहीं पाई गई है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, रायपुर ग्रामीण विधायक के द्वारा जो शिकायतें की गयी थी।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न ?

श्री धरम लाल कौशिक :- यह अलग है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक - 06 विद्यारतन भसीन जी के द्वारा पूछे प्रश्न का जवाब।

श्री धरम लाल कौशिक :- भसीन जी का प्रश्न है।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो भसीन जी तो हमेशा शिवरतन शर्मा जी को अधिकृत करते थे, आज धरम लाल भैया जी को क्यों पूछ रहे हैं ? (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- आज वह हमारे नेता को अधिकृत किये हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अच्छा सेटिंग बिगड़ गयी।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, हमारे नेता को अधिकृत कर दिया, अब नेता को अधिकृत कर दिया मतलब नेता के अंडर में है।

श्री नारायण चंदेल :- शिवरतन ला अधिकृत करै-करै, उबता गै रहिस ऊ हा। (हंसी)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर ग्रामीण विधायक के द्वारा जो शिकायत की गयी थी। एक तो, उस शिकायत के प्रमुख बिन्दु क्या है, और क्या-क्या अनियमितता को लेकर के शिकायत की गयी थी, तथा उसका जांच अधिकारी कौन था तथा उसका प्रतिवेदन क्या है, उसका निष्कर्ष क्या आया ? कुल मिला कर के सत्तू भैया ने जो पूछा है, उसमें जांच का बिंदु, उसका अधिकारी और उसका निष्कर्ष ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, माननीय धरम भैया तो आसंदी में भी विराजमान रहे हैं। यह प्रश्न ग्रीन हाउस और पॉली हाउस से संबंधित है, सत्तू भैया की शिकायत विस्तृत शिकायत है। उसमें ग्रीन हाउस भी शामिल है, पॉली हाउस भी शामिल है, पैक हाउस भी शामिल है, वह यहां जो अधिकारी है उसके कुछ कृत्यों के बारे में भी है। तो सत्तू भैया की शिकायत पर पूरा प्रश्न नहीं है, यह केवल आपने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ग्रीन हाउस और पॉली हाउस के बारे में पूछा है। अगर आप माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की पूरी शिकायत के बारे में बताने को निर्देश करें तो मैं उसको भी पढ़ कर सुना देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपको जल्दी-जल्दी उत्तर देना है, आगे तक बढ़ना है।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, उसको पढ़कर मत सुनाईये। उसमें मुख्य रूप से यह है कि ग्रीन व पॉली हाउस निर्माण, एक तो उसको बनाने के लिये कंपनियों की चयन प्रक्रिया क्या है और किसान किससे निर्माण करायेगा, उसका क्या आधार बनाते है ? साथ ही महासमुंद में गरियाबंद की बहुत सारी शिकायतें ऐसी मिली है, क्योंकि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में थोड़ा-सा अंतर है, तो यह जो शिकायतें मिली है तो उसमें कौन-कौन सी कंपनी के द्वारा है, उसके नाम तो दिये गये हैं लेकिन कौन-सी कंपनी उसमें निर्धारित नहीं है, वह भी उसमें बनाये हैं तो जो महासमुंद का और गरियाबंद का और खैरागढ़ का है, एक बार उसको दिखवा लीजिये और इसमें जो मुख्य रूप से है वह मैं उसकी प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा था, कि उसकी चयन प्रक्रिया क्या है? क्योंकि इसमें सब्सिडी है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से आपकी सरकार बनी है, तब से हम लोगों ने DBT करना शुरू कर दिया है, किसान स्वयं बनाता है, तीनों में अलग-अलग प्रकार की सब्सिडी है, per unit cost के हिसाब से आधी सब्सिडी दी जाती है, किसान उसका चयन स्वयं करता है। आपने जो बात कही कि महासमुंद जिले में विशेष प्रकार की कोई शिकायत है, आप specific बता दीजिये, हम उसमें जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धन्यवाद्।

<u>बेमेतरा जिले में समाज कल्याण विभाग को शासन से प्राप्त राशि</u>

[समाज कल्याण]

7. (*क्र. 1505) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में बेमेतरा जिले में समाज कल्याण विभाग को शासन द्वारा किन किन मदों में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई तथा प्रदान की गई राशि का किस-किस मद में कितना-कितना , खर्च किया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : जानकारी संलग्न प्रपत्र[4] अनुसार है।

अध्यक्ष महोदय :- आप सीधे प्रश्न पर आयें।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में बेमेतरा जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा किन-किन मदों

[4] परिशिष्ट "चार"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में सरकार के माध्यम से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? इसमें माननीय मंत्री महोदया का उत्तर आया है। माननीय मंत्री जी मैं आपके माध्यम से एक बात और जानना चाहता हूँ कि आपके उत्तर में केवल पेंशन का उल्लेख है, भत्तों का उल्लेख है और तनख्वाह का उल्लेख है, लेकिन दिव्यांगजनों को जो सामग्री दी जाती है, उसका उल्लेख कहीं नहीं है। पिछले 2 वर्षों में बेमेतरा जिले में सरकार या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किसी भी दिव्यांगजन को कोई भी सामग्री का वितरण नहीं किया गया है क्या ? क्योंकि आपने इसमें सामग्री का कोई उल्लेख नहीं किया है।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बेमेतरा जिले में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से यह योजना हमारे यहां की जिला स्तरीय पर है, जिला कार्यालय, कलेक्टर की अध्यक्षता में खरीदी होती है और वह खरीदी की गई है। आपने यहां से समाज कल्याण विभाग का पूछा था इसलिए हम लोग यहां राज्य से जितनी राशि स्वीकृति देते हैं, आपको उस राशि का वर्णन दिया गया है। बाकी यहां पर कलेक्टर जिनके अध्यक्ष होते हैं, उनके माध्यम से जिला स्तर पर खरीदी हुई है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। माननीय मंत्री जी जिला स्तर पर खरीदी होती है, लेकिन सरकार से राशि आती होगी। सरकार के माध्यम से कलेक्टर को पैसा दिया जाता है, उसके बाद कलेक्टर के माध्यम से खरीदी की जाती होगी।

अध्यक्ष महोदय :- कलेक्टर ने दिव्यांग के लिए क्या खरीदा है ? इनको यहां कैसे पता लगेगा। जब तक आप विशेष रूप से नहीं पूछेंगे।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निराश्रित निधि से कलेक्टर को स्वयं 25 लाख रूपये तक खरीदने का अधिकार है, वह खरीदे हैं। डी.एम.एफ. फण्ड से जो कलेक्टर को खरीदने का अधिकार है, वह कलेक्टर के द्वारा खरीदा गया है।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे। आप जल्दी बोलिए।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है। यह दिव्यांगजनों से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि मैंने पिछली बार भी विधान में पूछा था। माननीय मंत्री जी, मैं इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। मैंने पिछली बार भी आरोप लगाया था। अभी भी आप बोलेंगे तो मेरे पास पूरे फोटाग्राप्स हैं, कॉपी है। दिव्यांगजनों को जो सामग्री वितरण की जा रही है, उसमें कहीं कोई मानक का ध्यान न रखते हुए, क्रय भण्डारण का जो नियम है, उसको ताक में रखकर, वहां खरीदी की जा रही है और वितरण किया जा रहा है। सामग्री की गुणवत्ता में भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। मेरा आपसे निवेदन है कि क्या आप उसकी जांच करायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखित में शिकायत करिये, वह जांच करायेंगी। यदि आप लिखित में शिकायत नहीं करेंगे तो कोई जांच नहीं होगी।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुंईगांव बिलारी में एनीकट निर्माण

[जल संसाधन]

8. (*क्र. 1405) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र पामगढ अंतर्गत ग्राम भुंईगांव, बिलारी में कितनी-कितनी लागत से एनीकट का निर्माण किया जा रहा है? कार्य पूर्ण-अपूर्ण की जानकारी देवें? **(ख)** उक्त निर्माण कार्य में घटिया निर्माण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भुईगांव में जमुनिया नाला पर रू.185.13 लाख की लागत से जमुनिया एनीकट तथा ग्राम बिलारी में कंजीनाला पर रू. 298.62 लाख की लागत से बिलारी एनीकट का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में दो**नों** एनीकट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। **(**ख) जी हां**,** उक्त एनीकट में घटिया निर्माण कार्य की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच करायी गई है। जांच मे पाया गया कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं मापदण्डों के अनुरूप है।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ अंतर्गत ग्राम भुईगांव, बिलारी में कितनी-कितनी लागत से एनीकट का निर्माण किया जा रहा है ? कार्य पूर्ण-अपूर्ण की जानकारी देवें ? और उक्त निर्माण कार्य में घटिया निर्माण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या शिकायतकर्त्ता के समक्ष जांच करायी गई और क्या शिकायतकर्त्ता को जांच की रिपोर्ट दी गई है और उस जांच में क्या पाया गया है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तीसरी बार विधान सभा में यह दोनों एनीकट की चर्चा हो रही है। शायद पिछली बार भी बजट की चर्चा में आदरणीय विधायक जी ने कहा था तो मैंने कहा था कि मैं इसकी जांच करा लूंगा। आपने दो एनीकट का प्रश्न किया हुआ है एक तो जमुनिया एनीकट और दूसरा बिलारी एनीकट का है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह आपकी स्पीड को नहीं जानती।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चौबे जी, आज वह प्रश्न नहीं पूछेंगे। वह केवल खड़े होंगे।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि मेरे समक्ष उसकी जांच करायी जाए। आप सदन में इसकी घोषणा कर दीजिए। आपने बजट सत्र में भी बोला था कि इसकी जांच हो चुकी है, लेकिन मैंने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा था कि मेरे समक्ष जांच की जाये और इसमें आपने जवाब दिया है कि गुणवत्तापूर्ण एवं मापदण्ड के अनुरूप

किया गया है। जबकि मैं जिम्मेदारी पूर्वक बोल सकती हूँ कि वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है और जो सामग्री उपयोग की गई है, वह बहुत ही स्तरहीन है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बजट की चर्चा में दो दिन पहले ही आदरणीय विधायक जी ने अपनी बात कही थी। दूसरा, उसमें अभी भी एक काम, लगभग दोनों काम अपूर्ण है, अभी काम चल रहा है। तीसरी बात यह है कि जब पहले आपने एक बार शिकायत की थी तो अधीक्षण यंत्री से जांच कराई गई थी, उसके बाद भी सदन का सम्मान है, आदरणीय विधायक जी, आपका भी पूरा सम्मान है। वहां काम अच्छा होना चाहिए। अगर आप चाहती हैं तो मैं अपने चीफ इंजीनियर को भेज दूंगा, आपके साथ, आपके समक्ष स्पॉट पर जाकर, उसकी पूरी जांच कर लेंगे।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

प्रदेश में रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

9. (*क्र. 1304) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में वर्ष 2021-21 में जनवरी, 2022 तक कुल कितने स्वसहायता समूहों के माध्यम से रेडी टू ईट (पूरक पोषण आहार) का निर्माण किया जा रहा है ? जिलेवार जानकारी देंवें? (ख) उक्त अवधि में रेडी टू ईट की गुणवत्ता की जांच हेतु विभाग के द्वारा कुल कितने सेम्पल लिये गये? जिलेवार जानकारी देंवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : प्रश्नांश (क) एवं (ख) की जानकारी संलग्न प्रपत्र[5] अनुसार है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसे संशोधित कर दिया गया है। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि पूरक पोषण आहार जो निर्माण किया जाता है, उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए आपने कितने सैंपल दिए हैं और कितने मानक हुए और कितने अमानक हुए ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 में 126 अमानक पाया गया। वर्ष 2020-21 में 156, वर्ष 2021-22 में 40, मतलब 322 मापदंड के अनुरूप नहीं पाए गए और मापदंड के अनुरूप 3,857 पाए गए।

[5] परिशिष्ट "पांच"

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ऐसे क्या कारण हुए जिसमें महिला समूह के हाथों से काम छीनकर आपने बीज निगम या अन्य पूंजीपतियों को दे दी।

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न बार-बार पूछा जा चुका है, इससे उसका कोई उत्तर नहीं है। यह गलत बात है। हर व्यक्ति उसमें बार कर चुके हैं, उसके बाद भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इसी से संबंधित है। इसका कारण यह भी है कि बीज निगम जिनको यह काम दे रहे हैं। अभी दो माह पहले दुर्ग भिलाई में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें 50-60 बच्चे बीज निगम ने आंगनबाड़ी केन्द्र में जो चिक्की और टिक्की बांटा है, उनसे 50-60 बच्चे बीमीर हुए और उन बच्चों को हॉस्पिटलाईज किया गया। यह समाचार पत्र की सुर्खियों में था, यह फिर उन चीजों को दोहरा रहे हैं। बीज निगम को फिर से काम दे रहे हैं और फिर से वही परिस्थितियां बनने वाली है। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाह रही हूं कि आपने 5 वर्ष का अनुबंध महिला समूह से किया है तो क्या आप उस अनुबंध को तोड़ रहे हैं तो क्या उसके एवज में महिला समूह को कुछ राशि देंगे ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, पहले समूह में नये नियम में तीन साल का है और 3 साल तक जिस समूह का अनुबंध है, उनको हम वितरण करने का काम दे रहे हैं। उनको हटाया नहीं जा रहा है।

अध्यध महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। आपने यह महिला समूह का अनुबंध 5 वर्ष से 3 वर्ष किया। यह अनुबंध के एवज में अधिकारी ने क्या कुछ राशि उन्होंने आपके महिला समूह से लिया है, क्या यह राशि उनको वापस करेंगे जब उनसे अनुबंध तोड़ेंगे ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, यह राशि किस चीज के लिए ली गयी है। आपने कैसे कह दिया, क्या राशि ली गयी है ?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, मैं कहती हूं कि महिला समूहों से जो अनुबंध किया है, उसमें कुछ राशि महिला समूह से ली गयी है। अब यदि उस अनुबंध को तोड़ा जा रहा है तो क्या महिला समूह को उनके अधिकार उनके हक का पैसा वापस मिलेगा ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, क्या है, आप लिखित में दे दें। कैसे हक का पैसा ? कौन सा पैसा लिये हैं ? यह बताईए न। अधिकारी उनसे क्यों पैसा लेगा, अनुबंध करने का पैसा लेगा ? यह बताईए न, क्या चीज का पैसा लिए हैं?

अध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा

महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के उपयोग हेतु प्रदत्त मोबाईल फोन

[महिला एवं बाल विकास]

10. (*क्र. 1389) श्री शिवरतन शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) इस्निप (पेदपच) योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के उपयोग हेतु किन-किन ब्राण्ड के, कौन-कौन से मॉडल के मोबाईल फोन कब-कब वितरित किए गए? (ख) विभिन्न ब्राण्ड के वितरित मॉडलों के स्पेसिफिकेशंस क्या-क्या हैं ? मॉडलवार बताऐ ? (ग) वितरित किए गए मोबाईल फोन की प्रति नग कीमत क्या है ? इसकी खरीदी हेतु शासन ने कौन सी प्रक्रिया को निर्धारित किया था और कितने लोगों/फर्मों ने भाग लिया था ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी संलग्न प्रपत्र[6] अनुसार है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, पहला निवेदन तो यह है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे प्रश्न को संशोधित किया गया है या टंकण त्रुटि से एक शब्द छूट गया। मैंने जो मूल प्रश्न किया था उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपयोग हेतु जो मोबाईल बांटा गया है, उस संबंध में प्रश्न था। इस्निप और सुपोषण योजना, इसमें खाली इस्निप शब्द का उपयोग हुआ है। सुपोषण योजना छूट गया है। पहला मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किस-किस योजना के अंतर्गत मोबाईल वितरित किया गया, आप यह बता दें ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, आपने इस्निप योजना का ही प्रश्न पूछा था, इसलिए आपको उसी का जवाब दिया गया है। अब बाद में जो कि सुपोषण अभियान में है, अभी तक हम लोगों ने उसमें खरीदी नहीं किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं दोनों प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने कहा न कि टंकण त्रुटि से छूटा है या संशोधित किया गया है, यह मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, संशोधित नहीं है, पहले उस स्कीम में चलता था, इसलिए उसी का जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- संशोधित हो गया होगा। लंबा प्रश्न है, विधानसभा से संशोधित हो गया होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने जो जवाब दिया है, विभाग ने सिर्फ एक ही योजना के अंतर्गत मोबाईल खरीदा है, दूसरी योजना के अंतर्गत मोबाईल नहीं खरीदा गया।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, मोबाईल खरीदी में क्या

[6] परिशिष्ट "छ:"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसी प्रकार की जांच विभाग ने कराई है, यदि विभाग ने जांच कराई है तो जांच अधिकारी कौन-कौन थे और क्या उनकी रिपोर्ट आ गयी है ? यह बता दीजिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के आदेश में वर्ष 2020 में जांच हेतु उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गयी थी। इसमें अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गयी है और जांच की रिपोर्ट आ गयी है और नोटिस भी दे दिया गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जांच की जो रिपोर्ट आई है, उसमें दोषी किसको पाया गया है और जो दोषी अधिकारी है, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, दोषी अधिकारियों को नोटिस दे दिया गया है। जांच रिपोर्ट आ गयी है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शैलेश पाण्डे जी।

<u>बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में प्रस्तावित अहिरन लिंक परियोजना व अन्य परियोजना</u>

[जल संसाधन]

11. (*क्र. 294) श्री शैलेश पांडे : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में प्रस्तावित अरिहन लिंक परियोजना और छपराटोला परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : अहिरन खारंग लिंक परियोजना (अहिरन से गाजरीनाला जल संवर्धन योजना) बिलासपुर नहीं अपितु कोरबा जिले के कटघोरा विकास खण्ड के ग्राम पोड़ी गोसाई के समीप अहिरन नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना वित्तीय वर्ष 2021-22 नवीन मद में शामिल है। छपराटोला परियोजना, गौरेला पेन्ड्रा मरवाही नहीं अपितु जिला बिलासपुर खोंगसरा के समीप प्रस्तावित है। परियोजना वित्तीय वर्ष 2021-22 नवीन मद में शामिल है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर संभाग आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री जी के द्वारा संरक्षित संभाग है । चूंकि पानी की समस्या हमेशा से एक बड़ा विषय रहा है और आज का जो प्रश्न है वह भी सर्वाधिक जनहित का प्रश्न है । मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप पाइंटेड प्रश्न पूछिए ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी । मेरा पाइंटेड प्रश्न है । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे दो प्रश्न एक-साथ पूछ लेता हूं । बिलासपुर में अमृत मिशन योजना को पिछली सरकार ने आधा-अधूरा प्रारंभ किया था और बड़ी-बड़ी घोषणायें की थी कि इसमें अहिरन-खारन लिंक परियोजना का सपना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दिखाया था लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया । हमारी सरकार ने बिलासपुर की जनता से जो वायदा किया है तो वहां पर अहिरन-खारन लिंक का काम कहां तक पूरा हो गया है और कब तक प्रारंभ होगा ? यह मेरा प्रश्न एक है । मेरा दूसरा प्रश्न है कि छपरा-टोला परियोजना जिसमें बिलासपुर और गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही जिला जुड़ा हुआ है तो यह परियोजना कितनी लागत की है और कब शुरू होगी और आगामी भविष्य में विभाग इसमें क्या करने वाला है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल अद्यतन स्थिति के बारे में आपने प्रश्न किया था लेकिन अब मिशन अमृत कितना पानी तो मैं थोड़ी जानकारी अवश्य दे देता हूं । हम लोगों ने इन दोनों योजनाओं का बजट में प्रावधान किया है । एफ.आई.सी. की बैठक में दोनों की स्वीकृति दे दी गयी है, प्रशासकीय स्वीकृति के लिये दोनों लंबित है, अहिरन-खारन परियोजना की जो अनुमानित लागत 720 करोड़ रूपये है । इसमें जो टोटल जल भराव क्षमता है वह 46 मिलियन घनमीटर 46 एम.सी.एम. और जिस बारे में आप प्रश्न करना चाह रहे थे कि बिलासपुर के लिये पेयजल हेतु 31 मिलियन घनमीटर 31 एम.सी.एम. और रतनपुर शहर के लिये लगभग 2 मिलियन यह इसमें आवंटित किया गया है उसी प्रकार छपरा-टोला जो फीडर जलाशय योजना है । हम लोग तो यह मानकर चल रहे हैं कि यह पर्यावरणीय जल बहाव हेतु अरपा के लिये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसमें तीनों प्रकार के काम होंगे । निस्तार का भी पानी इसमें मिलेगा, पेयजल के लिये भी पानी मिलेगा और जिस तरीके से योजना बनायी जा रही है कि पर्यावरण नदी में हमेशा बहाव बना रहे तो इसकी जो अनुमानित लागत है इसकी भी एफ.आई.सी. से स्वीकृति हो चुकी है, लगभग 968 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति के लिये यह भी लंबित है । अरपा नदी में जो जल भराव जो बांध बनेगा उसमें 30 मिलियन घनमीटर और माटी नाला में 37 मिलियन घनमीटर इस प्रकार टोटल मिलाकर 67.77 एम.सी.एम. पानी की क्षमता रहेगी ताकि अरपा में लगातार पानी का बहाव बना रहे और उस नदी को पुनर्जीवित किया जा सके । अब डी.पी.आर. बनाकर के प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया में है और हम उम्मीद करते हैं कि यह जल्दी पूरा हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने स्वयं कहा है कि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सबका संरक्षित जिला है । वे पूरा संरक्षण दे रहे हैं फिर क्या तकलीफ है ?

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक प्रश्न और करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी चूंकि यह सर्वाधिक जनहित का विषय है इसलिये इसकी कोई समय-सीमा कि हम इन दोनों परियोजनाओं को कब तक शुरू कर पायेंगे ? मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसा आश्वासन या कम से घोषणा कर दें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में आश्वासन तो नहीं दिया जा सकता । ये दोनों योजनाएं लगभग 1-1 हजार करोड़ के आसपास की योजनाएं हैं लेकिन हमारी प्राथमिकता में पेयजल भी, निस्तार भी और अरपा का जल भराव भी है इसीलिये आपने ही सदन में मांग की थी चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिलासपुर गये थे तो अरपा में, बिलासपुर में पानी रहे इसलिये 100 करोड़ के आपके दोनों बैराज स्वीकृत हुए हैं जिसका काम इस साल पूरा हो जाना है । अब प्रशासकीय स्वीकृति के बाद जैसे ही हमको बजट मिलेगा इसका काम हम लोग शीघ्र प्रारंभ कर देंगे ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें अहिरन नदी का नाम देखा है । हिरन नदी के बारे में इसमें कुछ जिक्र है तो उसमें कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस या वॉटर कमीशन की अनुमति वगैरह का कोई लफड़ा तो नहीं है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि जो आपने कहा तो शायद लफड़ा जैसा उसमें कोई शब्द नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं मतलब कोई व्यवधान, कोई परेशानी । मैंने उसको उर्दू का लफड़ा बोल दिया । व्यवधान, कोई रोक-टोक या अनुमति नहीं मिलने पर काम होना या मिलने पर काम होना ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक योजना केवल पेयजल के लिये है, दूसरा अरपा के बहाव के लिये है इसलिये सी.डब्ल्यू.सी. से दोनों में सहमति है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक ।

जिला कोंडागांव के उद्यान विभाग को आबंटन राशि

[कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी]

12. (*क्र. 682) श्री सन्त राम नेताम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला कोंडागांव के उद्यान विभाग को वर्ष 2020-21 से, 31 जनवरी, 2022 तक कितना आबंटन प्रदाय किया गया ? मदवार जानकारी देवें? **(ख)** प्राप्त आबंटन से क्या-क्या सामग्री किस-किस फर्म से क्रय की गयी है ? कितने किसानों को अनुदान दिया गया? विकासखंडवार जानकारी देंवे ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला कोंडागांव के उद्यान विभाग को विभिन्न योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 867.26 लाख एवं वर्ष 2021-22 (31 जनवरी, 2022 तक) में 298.36 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया है। योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(ख) प्रश्नांश क अनुसार प्राप्त आबंटन से वर्षवार, संस्थावार क्रय की गई सामग्री,, लाभान्वित कृषक संख्या एवं दिये गये अनुदान का विकासखण्डवार विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से उद्यान विभाग के संबंध में प्रश्न पूछा था। उनके उत्तर में आया है कि वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में कुल आबंटन राशि 11 करोड़ 65 लाख 61 हजार रूपये है। तो मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस नियम के तहत और छ.ग. भण्डार नियम का पालन किया गया है या नहीं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, बड़ा विस्तृत प्रश्न है। पूरे जिले में कितनी राशि मिली ? क्या-क्या खरीदा गया ? भंडार क्रय नियम के संदर्भ में कोई बातें नहीं थीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भंडार क्रय नियम का पालन किया गया है। अगर ऐसी इसके अतिरिक्त और कोई शिकायत होगी तो उसे दिखवा लिया जायेगा।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कोण्डागांव में उद्यान विभाग में जो काजू, लीची, शकरकंद, मिर्च बीज, गेंदा बीज, धनिया बीज पोषण बाड़ी विकास बहुत से कार्य 11 करोड़ के कराये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषकों को उसे अच्छे ढंग से फसल उत्पादन के लिए क्या उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है ? यदि दिया गया है तो कहां-कहां और किस तिथि को दिया गया है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, प्रशिक्षण संबंधी कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इसमें अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने अगर बीज दिया है तो किसान मैं ऐसा समझता हूं कि स्वयं इसका उत्पादन करते हैं।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मेरी चिंता ऐसी है कि हम पैसा लगा रहे हैं 11 करोड़ 21 लाख 65 हजार। पर वहां पर धरातल में उन किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रशिक्षण के नाम से वहां अधिकारी बंदरबांट कर रहे हैं। मेरा मूल प्रश्न यह है कि आने वाले समय में इस प्रकार का सुधार करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। मंत्री जी देख लेंगे और कर लेंगे। माननीय धरमलाल कौशिक जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अगर बंदरबांट जैसी कोई बात है तो भाई संतराम अगर आप दे देंगे तो बंदरबांट नहीं होने दिया जायेगा। स्पेसिफिक कोई शिकायत देंगे तो उसमें कार्यवाही भी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय धरमलाल कौशिक जी। प्रश्न क्रमांक 13.

श्री शिवरतन शर्मा :- बंदरबांट की वसूली करेंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- बंदरबांट की वसूली करेंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आपको भेज देंगे। (हंसी)

सामग्री प्रदायकर्ता कम्पनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड/डीवार/प्रतिबंधित किया जाना

[कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी]

13. (*क्र. 1419) श्री धरम लाल कौशिक : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कृषि विभाग व बीज निगम द्वारा 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक किन-किन सामग्री प्रदायकर्ता कम्पनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड/डीवार/प्रतिबंधित किन कारणों से कब व किसके आदेश से किया गया था ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार कम्पनियों में किन-किन कम्पनियों को कब-कब, किसके आदेश से व किस आधार पर ब्लैक लिस्ट/प्रतिबंध से हटाया गया, इस हेतु शासन से कब-कब अनुमोदन प्राप्त किया गया? क्या यह सही है कि त्रिमूर्ति साइंस प्लांट फर्म को ब्लैक लिस्ट/प्रतिबंधित करने के बाद ब्लैक लिस्ट सूची से हटाया गया था तथा प्रबंध संचालक, बीज निगम द्वारा पुनः ब्लैक लिस्टेड किया गया है ? यदि हॉ तो उक्तानुसार आदेश कब-कब, किसने जारी किये हैं ? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। ब्लैक लिस्ट/प्रतिबंधित अवधि में व उसके पश्चात इन कंपनियों को किस-किस सामग्री हेतु, कब-कब, कितनी-कितनी राशि का क्रय आदेश दिया गया? **(ग)** प्रश्नांश 'क' अवधि में हाईब्रीड धान/मक्का बीज के डीएनए/नमूनों का परीक्षण किस प्रयोगशाला में कब-कब कराया गया व क्या रिपोर्ट आयी ? फर्मवार, दिनांकवार, रिपोर्टवार जानकारी देवें। क्या यह प्रयोगशाला शासन द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला है ? यदि नहीं तो इनको इस अवधि में कितना भुगतान, किस आधार पर, किसके द्वारा, किन-किन फर्मों को किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा 01 जनवरी 2019 से दिनांक 31 जनवरी 2022 तक सामग्री प्रदायकर्ता कम्पनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड/डीबार/प्रतिबंधित से संबंधित **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है ।** संचालनालय कृषि द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी उर्वरक/बीज/कीटनाशक/कृषि यंत्र-उपकरण प्रदायकर्ता कम्पनी या फर्म को ब्लैक लिस्टेड/डीबार/प्रतिबंधित नहीं किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किसी भी कम्पनी को डिबार से नहीं हटाया गया है। यह सही नहीं है, कि त्रिमूर्ति प्लांट साइंस फर्म को डिबार/प्रतिबंधित करने के बाद डिबार सूची से हटाया गया है। त्रिमूर्ति प्लांट साइंस को आर.सी.ओ.-53 हाईब्रीड पैडी सीड - नोटिफाइड, वर्ष 2019-20 के अंतर्गत डिबार किया गया है। उक्त संस्था के अन्य आर.सी.ओ. यथा - आर.सी.ओ.-01 (हाईब्रिड वेजिटेबल सीड, वर्ष 2019-20) एवं आर.सी.ओ.-54 (हाईब्रिड मक्का बीज वर्ष 2019-20) में क्रय आदेश जारी किए गए है। क्रय आदेश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ अनुसार** है । **(ग)** बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों में मात्र प्रमाणित बीजों के अंकुरण क्षमता, भौतिक शुद्धता आदि के परीक्षण हेतु नमूने लेने एवं अधिकृत प्रयोगशालाओं में भेजने की प्रक्रिया का उल्लेख है।

जिसके प्रावधानों के अनुरूप ही विभागीय बीज निरीक्षकों द्वारा प्रमाणित बीजों के नमूने लेकर नियमानुसार राज्य शासन द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं। बीज अधिनियमों/नियमों/आदेशों में हाईब्रिड बीजों के नमूने लेने अथवा इनका परीक्षण कराने संबंधी प्रक्रिया/नियम का उल्लेख नहीं है। अतः हाईब्रिड बीजों के नमूने लेकर नहीं भेजे जाते। विभागीय योजनाओं में वितरित हाईब्रिड बीजों के गुणवत्ता का परीक्षण करने की दृष्टि मात्र से हाईब्रिड बीजों के नमूने लेकर इनका परीक्षण शासकीय कृषि विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में कराया गया है। बीज से संबंधित अधिनियम/नियम/आदेश में बीजों के डी.एन.ए. परीक्षण के संबंध में मौन होने के कारण उक्त प्रयोगशालाओं को नमूना परीक्षण हेतु भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है, अपितु संबंधित कंपनी/प्रदायक संस्था द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त विभागीय बीज निरीक्षकों द्वारा हाईब्रिड धान एवं हाईब्रिड मक्का बीज के नमूने अंकुरण क्षमता, भौतिक शुद्धता आदि के परीक्षण हेतु भी ''छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था' के अधीन संचालित बीज परीक्षण प्रयोगशाला को भेजे गए जो शासन द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला है। प्रश्नांश 'क'की अवधि में विभागीय योजनाओं में वितरित हाईब्रिड धान एवं हाईब्रिड मक्का बीज के डी.एन.ए. परीक्षण हेतु प्रेषित नमूनों की वर्षवार, फर्मवार, दिनांकवार, रिपोर्टवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब, स, द, इ अनुसार है।** साथ ही प्रश्नांश 'क' की अवधि में हाईब्रिड धान एवं हाईब्रिड मक्का बीज के सामान्य परीक्षण (अंकुरण क्षमता, भौतिक शुद्धता आदि) हेतु प्रेषित नमूनों की वर्षवार, फर्मवार, दिनांकवार, रिपोर्टवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र क, ख, ग, घ, अनुसार है।**

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये त्रिमूर्ति साइंस प्लांट और जिस प्रकार से गड़बड़ी की गयी। पूर्व में विधान सभा में इसे लगाया गया था और लगाने के बाद माननीय मंत्री जी के द्वारा उसे ब्लैक लिस्ट किया गया था और मंत्री जी द्वारा ब्लैक लिस्ट करने के बाद उसे पुन: भुगतान किया जाना, ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाला जाना और इस प्रकार से विधान सभा हाउस के अंदर मंत्री जी की घोषणा के आधार पर प्रबंध संचालक के द्वारा उसे ब्लैक लिस्ट किया जाना, उस पर बैन लगाया जाना और उसके बाद में उसका भुगतान किया जाना। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस विषय में थोड़ा सा बतायेंगे कि ब्लैक लिस्ट करने के बाद उसका भुगतान कैसे हुआ और किसके द्वारा किया गया ? किस आदेश पर किया गया ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, लगभग हर विधान सभा सत्र में इसकी चर्चा हुई है। विधान सभा में संभवत: ध्यानाकर्षण के उत्तर में इसके खिलाफ कार्यवाही करने का हम लोगों ने निर्देश दिया था। उसके राजसात करने का भी निर्देश दिया था। उसे पेमेंट रोकने का भी निर्देश दिया था। उसे डिबार करने का भी निर्देश दिया था। उसे विद इन टाइम अगर अपना रेप्रेजेंटेशन करना था तो किया जा सकता था। ऐसा प्रावधान है, लेकिन टाइम लिमिट के बाहर जाकर उन्होंने रेप्रेजेंटेशन किया और जो बातें आदरणीय

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड समाप्त करके उसका 2.61 करोड़ रूपये का भुगतान भी किया गया। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद यह उचित नहीं था। जानकारी में आयी तो उसे फिर से हम लोगों ने डिबार करने का आदेश जारी किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल उतना ही नहीं है। इसमें बहुत सारी और अनियमितताएं की गयी हैं और बहुत सारी अनियमितताओं में आपने जो सूची दी है, उसमें यह साफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि ये किसान का मामला है और किसान से जुड़ा हुआ मामला है। जिस प्रकार से लगातार ये अनियमितताएं की जा रही हैं, इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। उसे एक बार जब आपने डिबार किया और डिबार करने के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने मिली-भगत करके किया तो जो उसे बहाली किया है, उसके खिलाफ में कार्यवाही और दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर विषय है। लगातार हम इस विषय को उठा रहे हैं। आप सदन की कमेटी से जांच करवायेंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अब इतना गंभीर तो नहीं है कि सदन की कमेटी इसकी जांच करे, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, कुछ निश्चित रूप से सदन में चर्चा करने के पश्चात् जिस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की गयी थी, उसका भुगतान तो नहीं होना था। मैं इस सदन में स्वीकार करता हूं। उसके बावजूद भी अगर आप कहेंगे तो मैं उच्च स्तरीय जांच करा दूंगा।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वो मंत्री जी बोलते हैं न त्रेतायुग और द्वापर युग के लोग हैं तो त्रेतायुग और द्वापर युग के लोगों को उस युग में भी थे तो कलयुग में भी कार्यवाही करवाइए।

अध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि डीबार करने के बाद उसको रिस्टेट करके 2.61 का पेमेंट नहीं होना चाहिए था । आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं । जिस अधिकारी ने उसको डीबार लिस्ट से हटाकर 2.61 का पेमेंट किया, उसको निलंबित करके जांच कराएंगे क्या ? पहले उसको निलंबित कीजिए । आपके कहने के बाद डीबार हुआ, उसको लिस्ट से हटकर 2.61 का पेमेंट कर दिया । उस अधिकारी को निलंबित करके आप जांच कराएंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है । यहां निलंबन विलंबन जैसी कोई स्थिति नहीं है । उसका पेमेंट अभी भी बकाया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 2.61 का पेमेंट कर दिया गया, वह उचित नहीं है, जब अधिकारी ने नियम विपरीत जाकर उसको डीबार सूची से हटाया और हटाकर पेमेंट कर दिया, आप सब स्वीकार कर रहे हैं तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिए ? आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो उस अधिकारी के खिलाफ सदन में कार्रवाई की घोषणा करनी चाहिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने तो कहा कि पेमेंट हुआ है, वह गलत हुआ है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- गलत हुआ है तो निलंबित कीजिए ना ।

श्री सौरभ सिंह :- आपकी घोषणा के बाद जिस अधिकारी ने गलत किया, उसको संरक्षण क्यों दे रहे हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रमाणित है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सौरभ जी, कोई संरक्षण वंरक्षण की बात नहीं है । इस सदन में हमने कहा था कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई की थी ।

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी आपने कहा था कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद भी तो 2 करोड़ रूपया दे दिया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपकी कार्रवाई का असर यह हुआ कि उसको डीबार सूची से हटा दिया गया । सूची से हटकार पेमेंट कर दिया गया तो आप ऐसे अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा कीजिए ।

श्री सौरभ सिंह :- उस अधिकारी के खिलाफ घोषणा कीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, बहुत स्पष्ट प्रश्न है । स्वयं मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि उसको डीबार सूची से हटकार 2.61 का पेमेंट कर दिया गया और पेमेंट करना उचित नहीं है । जब मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो ऐसे गलत काम करने वाले अधिकारी को निलंबित करके जांच कराने में आपको क्या परेशानी है ?

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, चंद्राकर जी को पूछ लेने दीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भारी अनियमितता है और जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई है ..अजय जी पहले आप पूछ लें, फिर मैं पूछता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी ने मुझे दो दिन से बोलने से मना कर दिया था। आपने अनुमति दी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद् । कल भी चुप बैठा था, आज भी पालन कर रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे, कक्ष की बात बाहर नहीं की जाती ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय कृषि मंत्री जी, यह सौभाग्य है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े गर्व से बोल रहे थे कि हमने आज इतने लोगों को सस्पेंड किया है, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है । कलेक्टर की पोस्टिंग में कोई साबित करेगा तो मैं कार्रवाई कर दूंगा । आपकी उपस्थिति में जब यह साबित हो गया कि अनियमितता हुई है, आपने स्वीकार भी कर लिया । कल भी मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया था । कल आप थे, आप उस अधिकारी को हटाकर कब तक जांच करवाएंगे और यदि सदन की

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

समिति से जांच नहीं करवाते तो उस उच्च अधिकारी से जांच करवाकर रिपोर्ट को पटल पर रखेंगे क्या ? किससे करवाएंगे, कितनी अवधि में करवाएंगे और उसको सदन में अवगत करवाएंगे क्या, अवधि सहित ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर है । इतना गंभीर मामला होते हुए भी मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि किसानों के हित में आप निर्णय लें, ऐसे भ्रष्टाचारी को बचाना यानी अपने आपमें उनको संरक्षण और संलिप्तता को दर्शाना । इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी जांच आप सदन की समिति से या आपको जो उचित लगे, उच्च स्तरीय समिति से जांच की घोषणा कर दें । क्योंकि इसको करने के बाद बाकी जो मामले आ रहे हैं । सदन की कमेटी से जांच करा दें, बाकी जो मामले आ रहे हैं किसानों के हित में यह बड़ा निर्णय होगा और इस प्रकार से लापरवाही करने वालों पर रोक लगेगी । इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि किसानों के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा, नम्बर एक ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नम्बर दो में तो आप बख्श रहे हो ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन से यह शुरूआत हुई है और यहीं हमने कार्रवाई की थी । यह निलंबन और किसी अधिकारी से जांच नहीं । अध्यक्ष जी, आप चाहते हैं तो सदन में प्रश्न एवं संदर्भ समिति है या सदन की कमेटी आप बना दीजिए । जांच होनी चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं और कार्यवाही अगर गलत हुई है तो सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जांच की अवधि बताएंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- सदन की समिति ।

श्री नारायण चंदेल :- समयावधि बता दें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं तो सहमत हूं ना, मैं तो कह रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अधिकारी को निलंबित करने में क्या तकलीफ है सर आपको । उस अधिकारी को निलंबित करके जांच करवाओ ना, आपने स्वयं स्वीकार किया है कि 2.61 का भुगतान हुआ है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब आपने जांच की बात कही है तो जांच के उपरांत ही कार्रवाई होगी, मैं सहमति देता हूं, जांच कराई जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की जांच समिति से जांच कराने की घोषणा करता हूं (मेजो की थपथपाहट) ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- थैंक यू ।

छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी भवनों हेतु भवन व्यवस्था

[महिला एवं बाल विकास]

14. (*क्र. 823) श्री किस्मत लाल नन्द : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छत्तीसगढ़ में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में संचालित हैं? उक्त हेतु नवीन भवन कब तक निर्मित होंगे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : छत्तीसगढ़ में कुल 8089 आंगनबाड़ी केन्द्र किराए के मकान में संचालित हैं। उक्त हेतु नवीन भवन वित्तीय संसाधनों एवं स्थल की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से निर्मित हो रहे हैं। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री किस्मत लाल नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था, उसका जवाब मुझको मिल चुका है, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में 8089 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जो किराये के भवन में संचालित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार के तीन साल पूरे हो चुके हैं। उक्त हेतु नवीन भवन कब तक बनेंगे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- क्या बोले, फिर से पूछिये।

श्री किस्मत लाल नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछा था कि प्रदेश में ऐसे कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जो किराये के भवन में संचालित हैं? तो माननीय मंत्री जी का उसमें जवाब आया है कि प्रदेश में 8089 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जो किराये के भवन में संचालित हैं। सरकार के तीन साल पूरे हो चुके हैं। यह जो 8089 आंकड़ा दिया गया है, इसके लिए नवीन भवन कब तक बनेंगे?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हम लोगों ने भवन का सभी जिलों को राशि उपलब्ध होते जा रही है और राशि भेज रहे हैं, परंतु समय-सीमा बताना असंभव है।

अध्यक्ष महोदय :- जी। और कुछ? प्रश्न क्रमांक 15

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>कोरबा जिले मे गौठान अध्यक्षों की नियुक्ति</u>

[कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी]

15. (*क्र. 924) श्री ननकी राम कंवर : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह बात सही है कि कोरबा जिले के सभी पंचायतों के गौठानों में अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। यदि हॉ तो क्या ग्रामसभा में अध्यक्ष बनाने प्रस्ताव पारित कियाा गया था। यदि नहीं तो किस आधार पर अध्यक्षों की नियुक्ति की गयी? **(ख)** किन-किन गौठान अध्यक्षों को समय-समय पर बदलकर नाम परिवर्तित किया गया हैं? क्या इसके लिए ग्राम सभा का अनुमोदन लिया गया हैं? यदि हाँ तो ग्राम सभा की सूची उपलब्ध करावें।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) कोरबा जिला अंतर्गत 412 ग्राम पंचायतों में से 271 ग्राम पंचायतों में ग्राम गौठान प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। 271 ग्राम पंचायतों में ग्राम गौठान प्रबंधन समिति का गठन हेतु ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित किया गया। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत अध्यक्ष की नियुक्ति की कार्यवाही की गई है। **(ख)** जी नहीं। कोरबा जिला के किसी भी ग्राम गौठान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का नाम परिवर्तित नहीं किया गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री ननकी राम कंवर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ग्राम सभा के प्रस्ताव और पंचायत के प्रस्ताव, इन दोनों में अंतर है या नहीं?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न पंचायत मंत्री को ही पूछा जाना जाना चाहिये। पंचायती राज एक्ट में ग्राम सभा और पंचायत की बैठक का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं।

श्री ननकी राम कंवर :- चूंकि आपने कहा है कि ग्राम सभा से प्रस्ताव पास हुआ है। तो कहां से आपको इसकी जानकारी मिली? क्योंकि प्रभारी मंत्री जी ने गौठान का अध्यक्ष बनाया है, तो उसमें लिखा है कि ग्राम सभा से अनुमोदित है। अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि माननीय प्रभारी मंत्री ने जो अध्यक्ष बनाया है, वह किसी कांग्रेसी लीडर के कहने से रिपोर्ट देने के बाद किया है। मैंने एक शिकायत किया। वह आपके पास है या नहीं, मैं नहीं जानता कि जोगी पाली पंचायत में ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव को नकार करके प्रभारी मंत्री जी ने दूसरे को अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद मैंने शिकायत किया। शिकायत में सरपंच को बुला करके सी.ई.ओ. वहां पंचायत के प्रस्ताव में दस्तखत करा लिया। यह प्रस्ताव है और बदल दिया गया। इसी तरह से हर पंचायत में, हर गौठान में आपने अपने मनमर्जी से बनाया है, ग्राम सभा के अनुसार से नहीं बनाया है। यह बात सही है क्या?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न यह है कि यह काम पंचायती राज एक्ट के तहत पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 49 के अंतर्गत पशु पालन एवं पशु संवर्द्धन का कार्य ग्राम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पंचायतों का है। दूसरा, इस संदर्भ में गाइडलाईन पंचायत विभाग के द्वारा जारी किया गया है कि ग्राम पंचायत के निवासी जो ग्राम गौठान प्रबंध समिति के सदस्य बनने की इच्छा रखते हो, उनसे सहमति पत्र लेकर कम से कम चार गुना नामों की सूची ग्राम पंचायत द्वारा अपने ग्राम सभा में अनुशंसा के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेजेगा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नामों की सूची कलेक्टर को भेजेगा, कलेक्टर प्रभारी मंत्री से अनुमोदन करायेगा, तत्पश्चात् नियुक्ति की जायेगी, यह प्रावधान है। इसी के तहत किया गया है, ऐसी जानकारी है। उसके बावजूद भी आप इस सदन के बेहद वरिष्ठतम सदस्य हैं। जिस पंचायत का आज जिक्र कर रहे हैं, वहां ग्राम सभा में यदि बगैर नाम था और नियुक्ति अगर किसी और की हुई है, तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम कलेक्टर के माध्यम से उसकी जांच करा लेंग, दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री राजमन बेंजाम जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसके अलावा आप यदि कोई जानकारी देंगे। अध्यक्ष महोदय, लेकिन प्रावधान यही है कि पंचायती राज एक्ट के तहत ही जो प्रावधान किए गए हैं, सारी नामजदगियां उसी के तहत किया गया है।

श्री ननकी राम कंवर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही तो बतला रहा हूं कि आपने ...।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री ननकी राम कंवर :- एक मिनट भाई।

अध्यक्ष महोदय :- यह शाला और भाटो के बीच का है, उसको आप लोग निपट लेना।

श्री ननकी राम कंवर :- देखिये, शाला गलती करेगा तो भाटो का काम है सुधारना।

अध्यक्ष महोदय :- आप घर में निपट लीजियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- भाटो का काम है शाला को डांटना। ऐसा बोलो न।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आज सदन में ज्यादा क्योश्चन तक बढ़ना चाहता हूं इसलिए आप जल्दी प्रश्न पूछिये।

श्री ननकीराम कंवर :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि साले साहब ने गलत जानकारी दी औ जिसने भी जानकारी दी है उसके विरूद्ध में आप क्या कार्रवाई करेंगे? या तो साले साहब के ऊपर कार्रवाई कीजिए। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- यहां साले साहब ने नहीं, यहां मंत्री जी ने गलत जानकारी दी है। (हंसी)

श्री ननकीराम कंवर :- कोई बात नहीं, सॉरी, मैं वापस लेता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐ भाटो, माननीय चौबे जी, साले साहब ने गलत जानकारी दी है लेकिन बहिनी को अपने पास ही रखेंगे। आपकी गलती से छोड़ेंगे नहीं।

श्री ननकीराम कंवर :- उसकी बहिनी तो मेरे को डांटती रहती है। (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो।

श्री ननकीराम कंवर :- नहीं-नहीं, मेरा स्पेसिफीक प्रश्न है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अच्छा प्रश्न बचा है। ठीक है, ठीक है। ते बइठ तो यार डॉक्टर, ते बइठ।

श्री ननकीराम कंवर :- इन्होंने गलत जानकारी दी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप स्पेसिफीक प्रश्न कर लीजिए।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गलत जानकारी दी है कि ग्राम सभा के माध्यम से जो नाम दिया गया है आप उसकी जांच करवा लीजिए। मेरा कहना यह है कि सरपंच को दबाव डालकर के सी.ई.ओ. ने प्रस्ताव पास करवा लिया है। चलिये, यह सब तो रजिस्ट्रर में होगा। वह तो जांच का विषय हो सकता है और जांच में स्पष्ट हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने तो कहा है कि जांच करा लेंगे।

श्री ननकीराम कंवर :- नहीं, कहां कहा है ?

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने कहा है।

श्री ननकीराम कंवर :- चलिये, कहा है तो सी.ई.ओ. के विरूद्ध में कार्रवाई कर देंगे। आप यह भी कह दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे पहले तो यह विनती है कि उन्होंने कहा कि साले साहब ने गलत जानकारी दी है, आप उसको विलोपित करिये। (हंसी)

श्री ननकीराम कंवर :- मंत्री जी ने। चलिये मैं मान लेता हूं कि आपने गलत जानकारी दी है।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, अब बरोबर बोलेस भाटो तेहा। दूसरी बात यह है कि आपने पूरे जिले का प्रश्न किया है पूरे जिले का जांच संभव ही नहीं है और तीसरी बात यह है कि...।

श्री ननकीराम कंवर :- मैं रजिस्ट्रर लाकर बता दूंगा न। आपमें हिम्मत नहीं है। मैं रजिस्ट्रर बुलवा दूंगा। उसमें क्या है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं हिम्मत की बात। आप जो कहेंगे, हम वह करने का तैयार हैं लेकिन आप किसी पंचायत का तो जिक्र कर दीजिए न।

श्री ननकीराम कंवर :- मैं जिक्र तो कर रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो हम उसकी जांच करवा देंगे।

श्री ननकीराम कंवर :- नहीं-नहीं, मैं जोगीपाली का स्पष्ट बोला कि मैंने शिकायत किया है कि ग्रामसभा के द्वारा जो किया गया है उसका आप नाम बदल दिये। चलिये इसी में लीजिए और अगर सही है तो सी.ई.ओ. जनपद पंचायत और सी.ई.ओ. जिला पंचायत, आप दोनों को सस्पेंड कीजिए। (हंसी) नहीं उसमें क्या है ? गलती यही लोग किये हैं। यह हंसने की बात नहीं है। गलत किया गया है।

इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब मैं बोलूंगा तो फिर विषय वह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, विषय से मत भटकिये।

श्री ननकीराम कंवर :- नहीं-नहीं, लेकिन इसका जवाब आ जाए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बैठिये न। आप बैठिये। आप बैठेंगे तब तो मैं जवाब दूंगा। जिस जामपाली का आप उल्लेख कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जोगीपाली।

श्री रविन्द्र चौबे :- जोगीपाली।

श्री ननकीराम कंवर :- हां, जोगीपाली है।

श्री रविन्द्र चौबे :- चलो यहां भी जोगी जी हैं, कोई बात नहीं। आप जोगीपाली का जिक्र कर रहे हैं। मैं कलेक्टर को निर्देश दूंगा कि आपकी बातों को, आपने सदन में जो शिकायत की, उसकी वह जांच कर लेंगे।

श्री ननकीराम कंवर :- नहीं, अकेले जोगीपाली का नहीं है। मैंने बोला कि पूरे 271 का जांच करवा लीजिए न। आप रजिस्ट्रर बुलवा लीजिए और अगर आप नहीं बुलवा सकते हैं तो मैं बुलवा देता हूं। उसमें क्या दिक्कत है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बुलवा लीजिए। राजमन बेंजाम, प्लीज। आप जल्दी करें।

श्री ननकीराम कंवर :- वह बुलाएंगे। यह गलत किये हैं। पूरे पंचायत में गलत किये हैं। नियम के विरूद्ध कार्रवाई किये हैं।

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नहर और स्टॉप डेम के मरम्मत और उन्नयन कार्य

[जल संसाधन]

16. (*क्र. 1500) श्री राजमन बेंजाम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड तोकापाल के ग्राम मटकोट में निर्मित स्टॉप डेम और मटकोट से आरापुर क्षेत्र तक निर्मित नहर का निर्माण कब किया गया था? क्या निर्माण के बाद 1 जनवरी, 2022 तक नहर और स्टॉप डेम का मरम्मत और उन्नयन कार्य किया गया है? यदि नहीं तो मरम्मत और उन्नयन कार्य कब तक किया जावेगा?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड तोकापाल के ग्राम मटकोट में निर्मित मटकोट व्यपवर्तन योजना एवं मटकोट से आरापुर क्षेत्र तक नहर का निर्माण वर्ष 1983 में किया गया था। जी हाँ, नहर निर्माण के बाद वर्ष 2011-12 में मटकोट व्यपवर्तन योजना के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

शीर्ष कार्य की ऊंचाई बढ़ाने एवं उन्नयन का कार्य किया गया है। वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2020-21 में भी नहर मरम्मत कार्य किया गया है।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महत्वपूर्ण स्टाम डेम निर्माण के बारे में पूछा था। उसपर माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि यह डेम सन् 1983 में बना है और वर्ष 2011, 2012, 2017, 2018, 2020-21 में इसकी मरम्मत की गई है, ऐसी जानकारी आई है। मैं स्वयं जान रहा हूं कि वहां किसानों को पानी की बहुत जरूरत है और इस डेम के बनने से वहां हजारों हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगा और लगभग 8 गांव इससे लाभान्वित होंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि आपको यह जो स्टाप डेम और नहर की मरम्मत की जानकारी दी गई है, यह बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहता हूं कि इसकी मरम्मत की जाए और वहां के किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मटकोट व्यपवर्तन योजना बहुत पुरानी योजना है। आपने 8 गांव कहा। विभाग की जानकारी यह है कि लगभग 14 गांवां के 1235 हेक्टेयर जमीन में इसमें सिंचाई होगी। कैनाल डेमेज है, कुछ स्लूज वगैर: का काम इसमें बचा हुआ है। इस साल वर्ष 2021-22 के विभागीय बजट में इसको शामिल किया गया है। इसमें पूरे कैनाल का लाइनिंग काम भी शामिल है और जो डायवर्सन स्कीम है उसकी मरम्मत का काम भी इसमें शामिल है। अब इसका डी.पी.आर. बनाने का काम चल रहा है। बहुत जल्दी इसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेंगे। इसका काम प्रारंभ करेंगे।

श्री राजमन बेंजाम :- धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा ने अपने प्रश्न क्रमांक 10 में टंकण त्रुटि होने की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कराया था। मैंने मूल प्रश्न की सूचना जो माननीय सदस्य की ओर से प्राप्त हुई है उसका अवलोकन किय। प्रश्न में कोई भी टंकण त्रुटि नहीं है जिस संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न की सूचना दी है उसी रूप में मुद्रित हुआ है। माननीय धर्मजीत सिंह जी।

जिला मुंगेली अंतर्गत दिव्यांगों को प्रदत्त पेंशन

[समाज कल्याण]

17. (*क्र. 1348) श्री धर्मजीत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला मुंगेली क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने दिव्यांग हैं, विकासखंड़वार बतावें? (ख) कंडिका "क" के दिव्यांगों को पेंशन/ कृत्रिम उपकरण वितरण के लिए शासन के क्या-क्या नियम निर्देश हैं? (ग) कंडिका "क" के तहत कितने लोगों को पेंशन कृत्रिम उपकरण का विगत 03 वर्षों में वितरण किया गया, विकासखण्वार बतावें?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) जिला मुंगेली क्षेत्र अंतर्गत कुल 7,738 दिव्यांगजन हैं। कुल दिव्यांगजनों में से विकासखण्ड मुंगेली में - 2252, विकासखण्ड लोरमी में- 3669 एवं विकासखण्ड पथरिया में - 1817 दिव्यांगजन हैं। (ख) कंडिका "क" के दिव्यांगों को पेंशन/कृत्रिम उपकरण वितरण के लिए योजना अंतर्गत शासन के नियम निर्देश निम्नानुसार हैं- 1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर (एक प्रकार की दिव्यांगता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो) एवं बहु दिव्यांग व्यक्ति पात्र होंगे। 2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 6-17 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे, जिसमें 6-14 आयुवर्ग के दिव्यांग बच्चे जो अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता नहीं होगी। 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य दिव्यांग व्यक्ति एवं बौने व्यक्ति पात्र होंगे। 3. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के तहत 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को जिनकी आय सीमा राशि रूपये 5000/- प्रतिमाह तक निःशुल्क तथा राशि रूपये 5001/- से राशि रूपये 8000/- प्रतिमाह तक कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण की 50 प्रतिशत तक का मूल्य जमा कर प्रदाय करने का नियम है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र[7] अनुसार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दिव्यांगजनों का मामला है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि मुंगेली जिले में 7738 दिव्यांगजन हैं, उसमें से सबसे ज्यादा लोरमी में 3669 दिव्यांगजन हैं । आपने परिशिष्ट में जो जानकारी दी है, उसमें तीन सालों में आपने सिर्फ 4600 दिव्यांगजनों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया है और आपने पूरे मुंगेली जिले में तीन साल में कृत्रिम अंग और सहायक अंग सिर्फ 288 लोगों को दिया है और लोरमी में 133 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक अंग दिया है तो आपने 7738 दिव्यांग लोगों को अंग का इतना कम वितरण कैसे किया ? दूसरा, आपने इसमें नियम बना दिया है कि जिनकी आमदनी 5 हजार से ऊपर है, उनको 50 प्रतिशत राशि देनी है । कुल मिलाकर आप यह बता दीजिए कि क्या आप वहां कैम्प लगाकर दिव्यांगजनों को पेंशन और कृत्रिम अंग बाटेंगे ? आपने जवाब में लिखा है कि उनको 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होता है । इसको आप रिलैक्स करेंगे क्या, छूट देंगे ? क्योंकि वे गरीब लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता है और जब हम लोग दौरे में जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है । मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पूरे प्रदेश के दिव्यांगजनों के बारे में यह जो नियम बना है कि 50 प्रतिशत राशि देगा, 40 प्रतिशत राशि देगा, यह सब खतम करिए और आप ही घोषणा कर दीजिए कि सरकार की ओर से गरीबों को नि:शुल्क देंगे । ये मशीन, साईकिल, ट्रायसिकिल, कान, हाथ, पैर का, इसमें आपने लिखा है कि रूपए देने से होगा, उनको 50 प्रतिशत राशि देनी पड़ती

[7] परिशिष्ट "सात"

है । आप यही बता दीजिए ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो सब नि:शुल्क दिया जाता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं वही पढ़ रहा हूं । आपने इसमें लिखा है कि 5000 से 8000 तक की आमदनी होगी, उसको 50 प्रतिशत राशि देनी पड़ेगी । 8 हजार कमाने वाला क्या 50 प्रतिशत राशि देगा ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी आमदनी ज्यादा है, उनको तो देना ही पड़ेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 हजार रूपए की आमदनी कौन सी ज्यादा है ? 5001 रूपए से लेकर 8000 रूपए की आमदनी वालों को 50 प्रतिशत देनी पड़ेगी । मैं इसी में आपत्ति ले रहा हूं या इसी में आपसे आग्रह कर रहा हूं । मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं, जब सबको आप छूट दे रहे हैं तो दिव्यांगजनों को भी छूट दे दीजिए, पूरे प्रदेश में भला होगा । कम से कम उनको सुविधा मिलेगी और कैम्प भी करवाकर उनके लिए आयोजन कर दीजिए ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल, आपके विधान सभा क्षेत्र में कैम्प करा देंगे, आप निश्चिंत रहिए । हम लोग समय-समय पर प्रदेश में कैम्प कराते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन पैसे ही छूट तो करा दीजिए ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियम है, उस नियम के अनुसार ही छूट होगी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम बदल दीजिए न । नियम बनाना, बदलना आपके हाथ में है ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराने समय का नियम चल रहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसको बदल दीजिए न ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो जवाब दिया था कि मैं मंत्रिमण्डल की बैठक में बात रख दूंगी, आपकी भी बात रख दूंगी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगता है कि आपने विज्ञापन नहीं देखा है । एक विज्ञापन आता है कि सारे के सारे बल्ब बदल दूंगा । तो नियम आप भी बदल दीजिए । जब नरेन्द्र मोदी जी ने वहां एक हजार कानून बदल दिया तो इस कानून को आप भी बदल दीजिए न । मुख्यमंत्री जी, आप इसमें अभी बोल दीजिएगा ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजना तो मोदी जी की है तो मोदी जी को बोलिए कि इस नियम को बदल दें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बिना पैसे के भी दे सकती हो । आप मुफ्त में बिना पैसे के देंगी क्या ? मेरा प्रश्न है कि आप दिव्यांजगनों को मुफ्त में देंगी क्या ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष जी, नियम में है, वहां दे रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दिव्यांगजनों को मुफ्त में कृत्रिम अंग प्रदान करेंगी क्या ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां क्राईटेरिया में है, वहां हम शासन की ओर से कृत्रिम अंग मुफ्त में ही दे रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो फिर आपने मुझे उत्तर में लिखकर क्यों दिया ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां आमदनी बढ़ी है, वह हर चीज का रेट बढ़ा है, वह तो आप देख रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 हजार रूपए कोई आमदनी होता है क्या ? एक तो वैसे ही समाज कल्याण कंडम विभाग है, वहां पर कोई काम-धाम हो नहीं रहा है । थोड़ा बहुत कुछ कर दीजिए । (हंसी)

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जहां जरूरत है, वहां हम लोगों ने उनको बहुत ज्यादा मुफ्त में ही दिया है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी, इसको विलोपित कर दीजिए । कंडम कहना बहुत गलत बात है । विभाग कोई कंडम नहीं होता। धर्मजीत भैया हमारे पुराने सदस्य हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं कि इसमें आपके विभाग का ही ग्लैमर बढ़ेगा, आपके विभाग को लोग एप्रिशिएट करेंगे इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप उनको मुफ्त दीजिए । दिव्यांगजनों के बारे में कोई पूछता तो है नहीं ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर लोग 50 प्रतिशत राशि नहीं दे सक रहे हैं, वहां समाज कल्याण विभाग को आवेदन कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग फ्री भी वितरित कर रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हो सके तो यह 50 प्रतिशत पैसा देने का नियम है, उसको खतम करा दीजिए । नहीं तो आप बढ़ा दो, जितना बढ़ाना है, हमको क्या लेना-देना है ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पैसा दे सकते हैं, वे दे दें । 50 प्रतिशत राशि नहीं दे सकते, वे हमें आवेदन कर रहे हैं, हम उनको फ्री में दे रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जिला बस्तर में स्थापित गोठानों की संख्या, कार्यसंचालन एवं गोठानों में उत्पादित सामग्रियों का विक्रय एवं राशि भुगतान

[कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी]

18. (*क्र. 1411) श्री बघेल लखेश्वर : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या कृषि व पशुधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जिला बस्तर में इस समय कितने गोठान हैं तथा कितने क्रियाशील व कितने अक्रियाशील हैं? विकासखण्डवार जानकारी देंवे ? (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में क्रियाशील गोठानों में से कितने गोठान समूहों के द्वारा वर्मी कम्पोस्ट/जैविक खाद का उत्पादन व विक्रय का कार्य किया जा रहा है ? विकासखण्डवार जानकारी देंवे? (ग) प्रश्नां श ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में गोठानों को वर्मी कम्पोस्ट/जैविक खाद के विक्रय से कुल कितनी-कितनी राशि की प्राप्ति हुई है ? कृपया इसे वर्ष 2020-21 व 2021-22 का गोठानवार जानकारी देने का कष्ट करें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला बस्तर में फरवरी 2022 की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रो में 311गोठान तथा शहरी क्षेत्र में 06 गोबर खरीदी केन्द्र है, जिसमें से 208 गौठान (ग्रामीण) व 04 गोबर खरीदी केन्द्र (शहरी) क्रियाशील तथा 103 गौठान (ग्रामीण) व 02 गोबर खरीदी केन्द्र (शहरी) अक्रियाशील है। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न[8] प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश''क''के परिप्रेक्ष्य में क्रियाशील गोठानों में से 198 गौठान समूहो (ग्रामीण) व 04 गोबर खरीदी केन्द्र (शहरी) के द्वारा वर्मी कम्पोस्ट/जैविक खाद का उत्पादन किया जा रहा है तथा 193 गौठान समूहो (ग्रामीण) व 04 गोबर खरीदी केन्द्र (शहरी) के द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रश्नांश''ख''में क्रियाशील गौठानो के गौठान समितियो एवं स्व-सहायता समूहो को विक्रय की गई वर्मी कम्पोस्ट/जैविक खाद से प्राप्त राशि का गौठानवार-वर्षवार विवरणसंलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे गौठान स्व सहायता समूह को लगभग 50 लाख रूपए भुगतान करना है, वह भुगतान कब तक हो जाएगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, शीघ्र ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

[8] परिशिष्ट "आठ"

समय :

12.00 बजे **<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>**

<u>(1) वर्ष 2021-22 के बजट की तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2021-22 के बजट की तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समक्षा पटल पर रखता हूं।

<u>(2) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक)</u>

आदिमजाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) पटल पर रखता हूं।

<u>पृच्छा</u>

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना है। 25 जून, 1975 को पूरे देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। उस आंतरिक आपातकाल के दौरान पूरे देश में हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। छत्तीसगढ़ में भी सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए थे। जो मीसा बंदी थे, उन मीसा बन्दियों को पूर्ववर्ती सरकार ने लोकतान्त्रिक सेनानी मानकर उनके लिए पेंशन की एक राशि निर्धारित की थी। सरकार बदलने के बाद वह पेंशन की राशि रोक दी गई थी। अब हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि जो लोकतन्त्र के सेनानी हैं, रक्षा के सेनानी हैं, उनको सरकार पेंशन दें। उसके बाद भी यह सरकार मीसा बन्दियों को पेंशन देने का काम नहीं कर रही है। हम इसके लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लोकतन्त्र सेनानियों को, जिन्होंने लोकतन्त्र की रक्षा के लिए 19-19 महीने जेल में रहे हैं, ऐसे लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। आप सरकार को निर्देशित करें, यह हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं।

समय :

12.02 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चाम्पा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जितने भी मीसा बन्दी रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार उनको सम्मान निधि देती थी। उनको बाबू लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि हर महीने दिया जाता था। पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने सरकार को यह आदेशित किया है कि मीसा बन्दियों को पुन: सम्मान निधि दिया जाये। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक सरकार द्वारा उन मीसा बन्दियों को सम्मान निधि नहीं प्रदान दिया जा रहा है। हमने इस पर ध्यानाकर्षण दिया है। आप कृपा करके इस पर चर्चा करायें। हमने स्थगन भी दिया है, इस पर चर्चा करायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विषय और है, यह मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मेरे क्षेत्र में बहुत सारे बुनकर रहते हैं, बुनकरों की आबादी है, जो मेहनतकश हैं, लेकिन यह सरकार उनको बुनाई के लिए धागा नहीं दे रही है। जिसके कारण उनके सामने रोजीरोटी की समस्या पैदा हो गई है। बुनकरों का जो कर्जा है, वह भी माफ किया जाये। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सफेद सूट पहने माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी में बेहद आकर्षक लग रहे हैं और प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके पीछे एक कारण है कि देश में लोकतन्त्र है। मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा था कि हम असहमति का सम्मान करते हैं। मैंने कहा कि बड़े डेमोक्रेटिक आदमी हो गए, असहमति का सम्मान करते हैं तो शायद यदि आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो आपातकाल लगाने के लिए माफी मांग ले, हो सकता है यह भी घट सकता है। लेकिन मूल विषय यह है कि यदि मुख्यमंत्री जी असहमति का सम्मान करते हैं तो उस असहमति को कुचला गया और आपातकाल लगाया गया। उनको सब सरकारों ने, अलग-अलग सरकारों ने अपने ढंग से सम्मानित किया तो छत्तीसगढ़ ने भी एक योजना शुरू की थी। इसमें न्यायलयीन से चीजें क्लीयर हो चुकी है। इसलिए जो अहसमति का सम्मान करने वाले मुख्यमंत्री हैं, वह हमारे लिए गौरव का विषय है। हम चाहते हैं कि चर्चा करा लें, यदि इस सदन में चर्चा नहीं कराना चाहते तो घोषणा कर दें कि हम इसको इस तारीख से लागू कर रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलासपुर से मंडला राष्ट्रीय राजमार्ग में 13 किसानों के जमीनों का मुआवजा नहीं दिया गया था। उसका दोबारा पुन: सर्वे किया गया है। उस सर्वे से राष्ट्रीय राजमार्ग में आवागमन की सुविधा बाधित हो रही है। इसलिए उनको जल्दी मुआवजा दिया जाये। इसके लिए सर्वे हो चुका है, जांच हो चुकी है और शासन के सामने मुआवजा देना विचाराधीन है।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1975 में जो आपातकाल लगा था, उस आपातकाल में लोग जेल गये, प्रजातन्त्र को बचाने के लिए 19 महीने का कठोर कारावास सहा और आज

हम प्रजातन्त्र के पवित्र मन्दिर में यहां बैठे हैं, तो उन लोगों का विशेष योगदान है। पूरे भारत में उन लोगों को हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने पेंशन योजना लागू की थी, उस पेंशन योजना को राजनीतिक कारणों से बंद कर दिया गया । कोर्ट ने पुन: निर्णय दे दिया है, आपके माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुये पुन: जो मीसाबंदी थे, उनकी पेंशन योजना को लागू किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री रजनीश कुमार सिंह ।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1975 में जो आपातकाल लगा था, इसमें जो लोग जेल गये थे, कठिन यात्रायें सही थी, वह किसी पार्टी के नेता नहीं थे, उसमें पत्रकार भी थे, जिनका राजनीति से दूर-दूर तक संबंध नहीं था, ऐसे लोग भी थे । देश के हर क्षेत्र के लोगों को उसमें जेल जाना पड़ा था । ऐसे लोगों को सरकार ने पेंशन देने की योजना शुरू की थी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह संख्या भी कम है । वह कई ऐसे लोग हैं, जिनका सब कुछ जेल के दौरान तबाह हो गया है, बहुत आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हमने ध्यानाकर्षण दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि पेंशन के बारे में जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, उन्हें देने की कृपा करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1975 की यह जो घटना हुई है, यह घटना इतिहास में दर्ज है । जो हमारे मीसाबंदी के भाई बंधु थे, कुछ महिलायें भी थी, उनका यह हक और अधिकार बना कि न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है । सरकार को भी चाहिये कि बहुत सहज ह्दय दिखाकर अपने निर्णय को लें, इस विषय में हमने ध्यानाकर्षण दिया है । माननीय सभापति महोदय जी, दूसरा विषय यह है कि आजकल चोरी, डकैती की घटनायें लगातार बढ़ती जा रही है, धमतरी में दो बड़ी घटनाओं को एक साथ अंजाम दिया गया । दो बड़ी कालोनियां जहां पर चोरी की बड़ी घटनायें हुई है । पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरी बैठी है । वह खुद अक्षम होकर कार्य कर रही है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस नहीं होती तो आपातकाल नहीं लगता । वास्तव में जिस प्रकार से बेकसूर लोगों को जेल में बंद किया गया, जेल में ठूंसा गया । कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद में सबकी रिहाई हुई, उसके बाद जो सेनानी का सम्मान उन्हें दिया गया, यह केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में है । जहां-जहां आपातकाल में जो जेल गये हैं, ऐसे लोगों को सम्मान दिया गया है, सम्मान देने के बाद में जब कांग्रेस की यहां पर सरकार आई, कांग्रेस के सरकार आने के बाद में उसे यह कैसे सहन करेगी, उन्हींने तो उसको जेल में बंद किया था । इसके कारण उनके सम्मान निधि को बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय में गये, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है, आदेश पारित करने के बाद में इस सरकार को इसका सम्मान निधि ससम्मान देना चाहिये । इस सरकार की पता नहीं हठधर्मिता है कि मुख्यमंत्री जी की हठधर्मिता है, जो राशि उनकी है, कोर्ट के आदेश का पालन है, वह पालन करने के

बजाय, जो हीला-हवाला कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा कराई जाये या मुख्यमंत्री जी बैठे हुये हैं, कोर्ट के निर्णय का पालन है । मुझे लगता है कि इसमें सामान्य प्रक्रिया के तहत यदि घोषणा भी कर देते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया जायेगा तो उससे सदन का सम्मान ही बढ़गा, गरिमा बढ़ेगी, घटेगी नहीं । इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कराना चाहते हैं । मुख्यमंत्री जी बैठे हुये हैं, घोषणा कर दें । इस पर चर्चा कराई जाये । हम सारे तथ्यों के साथ उसको रखेंगे, उनका पूरा सम्मान निधि वापस हो । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे सैकड़ों लोगों का परिवार चल रहा है ..। (व्यवघान)

श्री सौरभ सिंह :- सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ..। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- न्यायालय का निर्णय भी आ चुका है ..। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- इसमें समाजवादी लोग हैं...।

श्री शिवरतन शर्मा :- हाईकोर्ट का निर्णय हो गया है, सरकार को घोषणा करना चाहिये...। (व्यवधान)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल में ...। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण विषय है । सरकार हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है..। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री बता दें कि लोकतंत्र में ...। (व्यवधान) राजशाही को पसंद करते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह तो माननीय न्यायालय का अपमान है ।

श्री सौरभ सिंह :- सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, पत्रकार हैं...। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आज की तारीख में आपकी पार्टी में भी मीशाबंदी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। आप लोगों की ध्यानाकर्षण की सूचना आ गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्य मंत्री या सदन के नेता को स्पष्ट कर देना चाहिए।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। आपने शून्यकाल में सूचना दी है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यायालय के निर्णय का सम्मान हो।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यायालय के आदेश का सम्मान करें। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। हम यह चाहते हैं कि सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करे। .. (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- जो न्यायालय ने आदेश दिया है, उसका सम्मान करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। वह न्यायालय के निर्णय का सम्मान करें।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

समय :
12.11 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 63 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधानसभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी । संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

पहले क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जावेगी। श्री धरमलाल कौशिक जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- सरकार को मीशाबंदियों को पेंशन देने का आदेश करना होगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- तानाशाही तो दिल्ली में चल रही है। मोदी जी तानाशाही चला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढें। चलिये, आप लोग बैठिये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ रहे हैं, आप लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? आप पढ़िये।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम चाहते हैं कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे।.. (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या आप लोग नेता प्रतिपक्ष जी का सम्मान नहीं करते हैं? यदि करते हैं तो आप बैठिये न। उनको अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ने दीजिए।.. (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- . माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान सरकार को करना है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान तो करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- हाईकोर्ट के आदेश का पालन करिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, कौशिक जी, आप अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़िये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(12.14 बजे से 12.20 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12.20 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुये)**

(1) बिलासपुर जिले के ग्राम अरईबंद के कृषकों की भूमि तथा शासकीय सुखरा नाले को भ- माफिया द्वारा समतल किया जाना।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

बिलासपुर के राजेश अग्रवाल व उनके साथियों के द्वारा ग्राम अरईबंद के कृषक गुड शेफर, अशोक गुप्ता, शरद गुप्ता व छोटे-छोटे 10-12 किसानों की उपयोगी कृषि भूमि को मात्र कुछ रूपये देकर उनकी सहमति व जानकारी के बिना रातों-रात मेढ़ काटकर समतल कर दिया गया है तथा बीच में स्थित प्राकृतिक शासकीय सुखरा नाला खसरा क्र. 689 जो कि ग्राम पीपरहट्टा, ग्राम खैरी, ग्राम अरईबंद, ग्राम जरोधा से आगे तखतपुर के अन्य ग्रामों में निकलता है, इसको भी समतल कर दिया गया है। भू-माफिया के द्वारा किसी भी किसान की भूमि पूर्ण रूप से नहीं दी गयी है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है तथा पंजीयन नहीं होने की दशा में भी उक्तानुसार भूमि का डायवर्सन, विकास अनुज्ञा व नक्शा पारित नहीं करवाया गया है तथा इसके बिना ही भूमि का अन्य लोगों से सौदा किया जा रहा है। ग्रामीणों की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

शिकायत पर तहसीलदार तखतपुर के निर्देश पर पटवारी ने भी कृषि भूमि व सुखरा नाला खसरा क्र. 689 को समतल करने की रिपोर्ट दी है, लेकिन तहसीलदार के द्वारा इस पर कार्यवाही न कर भू-माफिया को संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। किसानों के हितों का संरक्षण न कर भू-माफिया को संरक्षण देने व शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से किसानों में रोष व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- बिलासपुर जिले में तहसील तखतपुर ग्राम अरईबंद के नाले को पाटने एवं भूमि को समतल करने के संबंध में कृषक गुडशेफर, अशोक गुप्ता व छोटे-छोटे 10-12 किसानों की उपयोगी कृषि भूमि के मेड़ काटने के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन/शिकायत प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर अंतर्गत ग्राम अरईबंद प.ह.नं. 57 में खसरा नंबर 689 रकबा 0.308 हेक्टेयर में नाला को समतल करने के संबंध में तहसीलदार तखतपुर द्वारा स्वप्रेरणा से मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुये रा.प्र.क्र. 202200708000074/ब-121/2021-22 प्रकरण दर्ज किया गया एवं हल्का पटवारी से दिनांक 22/01/2022 प्रतिवेदन लिया जाकर पक्षकारों को आहूत किया गया। भूमि का समतलीकरण करने वाले प्रोपाईटर आलोक स्वर्णकार को अनावेदक बनाकर नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात तहसीलदार तखतपुर द्वारा दिनांक 25/01/2022 को स्थगन आदेश जारी कर समतलीकरण के कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका गया। प्रकरण में अनावेदक के बाहर रहने के कारण मौके पर उपस्थित देखरेख करने वाले चौकीदार को सूचना तामिल किया गया। दिनांक 12/03/2022 को अनावेदक आलोक स्वर्णकार स्वत: उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत किया । आवेदन में उनके द्वारा स्वयं को निजी कार्य से राज्य के बाहर होना बताया गया एवं किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नाला को पाटने और आसपास की जमीन को समतलीकरण करना बताया गया। साथ ही उनके द्वारा नाला को पुन: बनाने हेतु आवदेन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अनावेदक को समतलीकरण किये गये भूमि को पुन: वापस किये जाने एवं सूखरा नाला को पूर्ववत् स्थिति में करने का आदेश दिनांक 14/03/2022 को पारित किया। मौके पर जाकर राजस्व अमला के द्वारा नाला में डाली गयी मिट्टी हटाया गया, नाला को पूर्व की स्थिति में लाया गया। निस्तार पत्रक में खसरा नंबर 689 सड़क रास्ता और पगडंडिया तथा अन्य सुविधाएं सामयिक पगडंडी मद में दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में उक्त खसरा नंबर 689 शासकीय भूमि पानी के नीचे एवं कैफियत कॉलम में नाला दर्ज है। कृषि भूमि को मात्र कुछ रूपया देकर कृषकों से उनकी सहमति व जानकारी के बिना समतल कर देने एवं भू-माफिया द्वारा किसी भी किसान की भूमि रजिस्ट्री कराये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ। यह कहना सही नहीं है कि तहसीलदार द्वारा ग्रामीणों की शिकायत पर कोई कार्रवाई न कर भू-माफियाओं को संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है अपितु तहसीलदार द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये उक्त समतलीकरण पर स्थगन लगाते हुये पुन: समतल भूमि को नाला की पूर्व स्थिति में लाया गया है। इस प्रकार प्रकरण में तत्काल कार्रवाई होने से किसानों में किसी भी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से भू माफिया लगातार हावी है और किसानों को थोड़ी बहुत अग्रिम राशि देकर, बिना रजिस्ट्री कराये, उसकी बिना विधिवत् प्रक्रिया का पालन किये, अवैध कॉलोनियां बनायीं जातीं हैं। केवल अैवध कॉलोनियां ही नहीं, माननीय मंत्री जी, बल्कि पूरे प्रदेश में अवैध प्लाटिंग करके, बेचने का काम जोरशोर से चल रहा है। इसके बाद जो सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन को कैसे कब्जे में लिया जाए? मेरे पास उसकी फोटो भी है। मैं आपको फोटो दिखवा दूंगा और भिजवा दूंगा कि वह पहले नाला है और पुराना नाला है, वह पांच-छ: गांवों से निकलते हुए है, मतलब वह एक गांव का नाला नहीं है। उसको भी समतलीकरण करने का काम किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पटवारी का प्रतिवेदन तहसीलदार को कब प्राप्त हुआ ? और उसके बाद में उसमें तहसीलदार ने इस नाले को विधिवत् बनाने, निर्माण कार्य को रोकने, समतलीकरण को रोकने और नाला को पुन: पुनर्जीवित करने के लिए कब आदेश पारित किया गया ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाला जो कि खसरा नं. 689 भूमि स्वामी गुडशेफर द्वारा भागीदार आलोक स्वर्णकार की भूमि के बीच में सभी उथलाकार आकार गुजरते हैं जिससे पाटकर नाले को सीधे नहर जैसा बनाया गया था। इसमें मैंने पहले ही बताया कि जो नाले को पाटकर समतलीकरण किया गया है तो उसको पूर्व की भांति कर दिया गया है और तहसीलदार ने स्वमेव उसको लेकर, उसमें प्रकरण दर्ज किया गया। उस स्वर्णकार को नोटिस जारी की गई, वह उपस्थित नहीं था। उसके बाद उसने आकर कहा कि हम इसको वापस ठीक कर देंगे। वह ठीक कर दिया गया है। अगर उसके बाद भी आपको कोई शिकायत है तो बता दीजिए, मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो विषय है कि एक तो नाला को जो पाटा गया है, उसको केवल रेखांकित किया है अभी उसको नाला नहीं बनाया गया है। एक तो यह आदेश होना चाहिए कि नाला पूर्व की स्थिति में रहे और दूसरी बात उन किसानों की जमीन है, जो एडवांश राशि दी गई है, उसको समतलीकरण करने की तब तक कार्यवाही न करें, जब तक उसकी रजिस्ट्री न करा लें और रजिस्ट्री कराकर, विधिवत् उसकी अनुज्ञा न ले लें।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि कृषकों से शिकायत नहीं मिली है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप मुझे दे दें। मैं उसको दिखवा लूंगा और किसानों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अन्याय नहीं होगा, यह मेरी जवाबदारी है। इसके साथ तहसीलदार द्वारा मैंने पहले ही बताया कि नाला पाटने के संबंध में संज्ञान लेते हुए, राजस्व प्रकरण दर्ज कर, दिनांक 25.01.2022 को स्थगन आदेश जारी कर, समतलीकरण के कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका गया। उसके बाद उसको ठीक किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता जी हो तो गया। उसमें केवल जानकारी ले रहे हैं। एक प्रश्न कर लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको जो समतलीकरण कर रहे हैं इनका पैसा कब तक दिया जाएगा ? आप उसको एक बार स्पष्ट कर लें ? उसके बाद में बाकी कार्यवाही करें।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बताया कि किसानों की कोई शिकायत नहीं मिली है। आपने जानकारी में दिया है, मैं उसको दिखवा लूंगा। अगर किसी भी किसान का कोई लेन-देन हुआ है कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। किसी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा, अगर कोई लेनदेन हुआ होगा, कोई सौदा हुआ होगा तो उसको विधिवत् भुगतान मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

(2) बिलासपुर में अरपा नदी में अपशिष्ट जल निकासी के लिए नाला निर्माण नहीं होना।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-

राज्य शासन द्वारा बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी संवर्धन के लिए दो बैराज की स्वीकृति दी गई थी, जो निर्माणाधीन हैं, बिलासपुर में पेयजल का मुख्य स्त्रोत नदी का जल है, परन्तु नदी में अपशिष्ट जल ना जाये एवं नदी का जल शुद्ध रहे, उसके लिए दोनों ओर 5 कि.मी. लंबा नाला निर्माण कराना अति आवश्यक है, नाला निर्माण के बाद ही अरपा नदी का जल शुद्ध रहेगा। बिलासपुर के लोगों का जीवनदायिनी अरपा नदी से भावनात्मक रूप से लगाव है एवं राज्य गीत का पहला शब्द ही अरपा है। नदी में अपशिष्ट जल निकासी के लिए नाला निर्माण नहीं होने से जनता में रोष व्याप्त है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जी हां, यह सही है कि बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी के संवर्धन के लिए दो बैराज की स्वीकृति दी गई थी, जो कि निर्माणाधीन है। जिसे बिलासपुर नगर के पेयजल के स्त्रोत के रूप में उपयोग किया जायेगा। नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं स्मार्ट सिटी लिमिटेड बिलासपुर के द्वारा अरपा नदी में अशुद्ध जल के रोकथाम हेतु योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा नदी के दोनों किनारों पर 80 फीट चौड़ी फोरलेन सड़क एवं नाला (दाहिनी ओर 1.780 कि.मी. एवं बाई ओर 2.10 कि.मी.) का निर्माण किया जा रहा है। इससे दूषित जल सीवरेज नेटवर्क के माध्यम से एसटीपी में शोधन हेतु भेजा जाएगा।

इसी प्रकार कुदुदंड से देवरीखुर्द तक तथा सरकंडा से मोकपा तक नदी में मिलने वाले नालों के गंदे पानी को सीवरेज नेटवर्क से जोड़े जाने हेतु योजना का डीपीआर नगर पालिक निगम द्वारा तैयार किये जाने हेतु कंसल्टेंट चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मंगला क्षेत्र के नालों के दूषित जल हेतु, 4.70 किलोमीटर लंबा नाला निर्माण एवं एस.टी.पी. 30 एम.एल.डी. तथा कोनी क्षेत्र के नालों के दूषित जल हेतु 4.30 किलोमीटर लंबा नाला निर्माण एवं एस.टी.पी. 6 एम.एल.डी. की योजना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बिलासपुर के द्वारा तैयार की गयी है। इसका क्रियान्वयन स्मार्ट सिटी लिमिटेड बिलासपुर के द्वारा किया जाएगा।

नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा की जा रही कार्यवाही के कारण जनता में कोई रोष नहीं है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की चिंता बिलासपुर को लेकर, शुद्ध पेयजल को लेकर, अरपा को लेकर हमेशा रहती है और इसीलिए हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। माननीय मंत्री जी मेरा 4, 5 प्रश्न है, मैं एक ही बार में सभी प्रश्नों को बता देता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओला दे देबे, मे हा देख लेहूं।

श्री शैलेश पाण्डे :- जी, मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से बताना चाहता हूं। बिलासपुर में पानी का जो कंजम्शन है, वह लगभग-लगभग 8 एम.एल.डी. के आसपास है, 8 हजार पानी निकलता है और पीने के पाने को छोड़कर मान लिया जाए तो लगभग-लगभग 6 हजार लीटर पानी वेस्ट होता है और वह सभी नालों से निकलते हुए अरपा में रोज प्रवेश करता है। माननीय मंत्री जी, चिंता का विषय यह है कि दोनों बैराज बन रहे हैं, मैं समझता हूं कि दोनों बैराज दिसंबर तक बन जाएंगे। समस्या कहां आएगी, हम अभी जो काम कर रहे हैं, आपने अपने जवाब में 1.8 किलोमीटर का बताया कि उसमें 1.8 किलोमीटर का नाला बन रहा है और उसे पीछे जो कुदुदंड से मंगला वाला है, उसका 4.70 किलोमीटर नाला का काम प्रोसेस में है। लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। जब तक हम शनिचरी रपटा से लेकर दोमुहानी तक नाले को लेकर नहीं जाएंगे तब तक वह 8 हजार लीटर पानी रोज अरपा में जाएगा। माननीय जल संसाधन मंत्री भी बैठे हुए हैं, हमारे बैराज बन जाएंगे और उसके बाद भी अरपा में गंदा पानी प्रवेश करेगा। यह हमारे लिए चिंता का विषय रहेगा कि हम काम भी कर रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो बचा हुआ पोर्शन है, वह हम कब तक रेडी कर देंगे या उसकी डीपीआर कब तक बना देंगे और उसका काम कब शुरू हो पाएगा ? ताकि मंगला से लेकर दो मुहानी तक का जो नाला है, वह पूरा कम्प्लीट बन सके, मैं चाहता हूं कि आप इसकी घोषणा करें या मुझे जानकारी दें ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अऊ दूसरा प्रश्न, तीसरा और चौथा प्रश्न ला तक पूछ लेना।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैंने सभी प्रश्नों को मिला दिया है, अगर आपके जवाब में कुछ बचेगा तो मैं पूछ लूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब काम एक साथ नहीं कर पाएंगे, सब चरणबद्ध रूप से करेंगे। मैं माननीय सदस्य जी को जानकारी में बता देना चाहता हूं। पहले चरण का टेंडर हो गया है, अरपा किनारे 4.70 किलोमीटर रोड एवं नाला निर्माण मंगला से इंदिरा सेतु तक है, इसके लिए 19 करोड़ 64 लाख रूपए की स्वीकृति हुई है और इसका टेंडर भी हमने जारी कर दिया है और बहुत जल्दी टेंडर क्लीयर हो जाएगा और उसमें काम भी चालू हो जाएगा। दूसरा, अरपा किनारे 4.30 किलोमीटर रोड एवं नाला निर्माण कोनी से इंदिरा सेतु तक है, इसके लिए 19.77 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है, इसका भी टेंडर जारी हो गया है। एस.टी.पी. का 6 एम.एल.डी. का निर्माण कोनी में किया जाना है, इसके लिए 8 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे काम चरणबद्ध से करेंगे, वहां पर 15 साल कुछ काम हुआ नहीं है। सीवरेज का पूरा पानी अरपा में जाता था। पीने का पानी उस स्त्रोत में जाकर मिल जाता था। इसलिए बड़ी दिक्कत थी। वहां पर पेयजल के लिए अमृत मिशन योजना के तहत भी काम हो रहा है। उसके भी बहुत सारे काम हो गये हैं । आपकी जानकारी में है तो हमारी भी चिंता है और हमारे माननीय जल संसाधन मंत्री जी बैठे हैं उन्होंने भी वहां पर...।(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया है । वे आपसे पूरे 3 साल का हिसाब पूछ रहे हैं । वे बोल रहे हैं कि आपने 3 साल में कुछ नहीं किया।(व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं उसी को तो बता रहा हूं कि हमने 3 साल में काम किया है । (व्यवधान) आप लोगों ने 15 सालों में तो कुछ किया ही नहीं न । बिलासपुर को पूरा सीवरेज बनाकर रख दिया । उसको खोदापुर बना दिया । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी, आप ही बोल रहे हैं कि टेंडर की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है । उनको यह चिंता है कि 17 महीने बाद चुनाव है । (व्यवधान) टेंडर की प्रक्रिया तो चलती रहेगी । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग बैठिये । शर्मा जी, सौरभ भाई बैठिये । (व्यवधान) आपका प्रश्न नहीं है, वे उत्तर दे रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सौरभ तें तो पहिली हाथी में रहेच । ऐती आ गे, फेर ऐती आए के चक्कर में मत रह । तें चिंता मत कर । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- तें मोर चिंता ला मत करना, तें तोर विधायक के चिंता ला कर । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ जी, बैठिये ।

श्री सौरभ सिंह :- तें मोर चिंता ला मत करना, तें तोर विधायक के चिंता ला कर । तोर विधायक के चिंता ला कर कि ओ कइसे जीतही तेकर, मोर चिंता ला झन कर । मोर चिंता करे वाला बहुत हें । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं ओकर चिंता ला करत हंओं तेकरे सेती तो बतावत हंओं कि 15 साल में तुमन कछु नइ करे हओ । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- का है कि आप 3 साल में खुद कुछू नइ करा पाये तेकर बर ओहा चिंतित हे । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- तेकर बर चिंतित हे । 3 साल में कुछू नइ होए हे । टेंडर-टेंडर चलत हे । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप मन 15 साल में जो नइ करेओ, ओला हमन 3 साल में कर दे हन ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हओ, टेंडर करे के काम करे हओ । 3 साल मा बड़ा अच्छा काम करे हओ न ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठिये । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह स्वीकृत होकर पहले चरण का टेंडर हो गया है । (व्यवधान)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- पांडे जी, आप संघर्ष करो । हम आपके साथ हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया, वे संतुष्ट हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये हल्ला करने वाले कुछ करते ही नहीं हैं इसीलिये जनता ने इन लोगों को उधर बैठा दिया है ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय मंत्री जी, मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं । यह माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी घोषणा बिलासपुर की थी और चूंकि आप जानते हैं कि हमारे पास चिल्हांटी और दो मुहानी में एच.टी.पी. बने हुए हैं और लगभग 70 एम.एल.डी. का पानी उसमें जाना चाहिए लेकिन वहां पानी जाता ही नहीं है । वहां केवल पाइंट 5 (.5) एम.एल.डी. का पानी जा रहा है तो जो पानी का वेस्टेज हो रहा है, अरपा में जा रहा है उसके कारण बहुत समस्या है अगर हम जल्दी से जल्दी नाला बना देते हैं तो एन.टी.पी.सी. उस पानी को जो हम एच.टी.पी. से शुद्ध करेंगे उसको लेने के लिये तैयार है और उससे क्या है कि हमारा जो पानी है वह शुद्ध हो जायेगा और एन.टी.पी.सी. भी ले लेगा और हमारे बिलासपुर का जल स्तर भी बढ़ेगा । अरपा भी साफ-सुथरा रहेगा तो मैं इसमें आपका जो ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने नहीं किया । यह बात सही है कि आपने 1.8 किलोमीटर और 4.7 किलोमीटर कोनी मंगला से लेकर आपने किया है लेकिन बचा हुआ । (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आपने ध्यानाकर्षण क्यों लगाया है ? (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- आप ध्यानाकर्षण मत लगाओ न, यदि सरकार ने अच्छा काम किया है तो आप बोल दो कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है । शैलेश जी, अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो आप मंत्री जी को धन्यवाद दे दो और अगला ध्यानाकर्षण आ जायेगा ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय मंत्री जी, बचा हुआ जो 5 किलोमीटर का है उसको अगर हम शीघ्र करा देते हैं तो हमारा काम बैराज बनते-बनते पूर्ण हो जायेगा और उससे अरपा का एक शुद्धिकरण भी हो जायेगा और जनता के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वह पूरी हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बता दिया है कि हम चरणबद्ध रूप से करेंगे और इनकी चिंता के अनुसार हमने चूंकि इनको जानकारी नहीं होगी तब भी हमने स्वीकृत कर दिया है । टेंडर हो गये हैं बाकी काम चरणबद्ध तरीके से करेंगे ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम बात बोलना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी जरूर करवाया जाये ताकि अरपा नदी में जो गंदा पानी है वह न जाये, मैं आपसे इसकी मांग करूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, शिवरतन शर्मा ।

(3) हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी चौक, भिलाई की जमीन के विक्रय में अनियमितता की जाना

सर्वश्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा), श्री अजय चंद्राकर, श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है कि हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी चौक, भिलाई में प्राईम लोकेशन पर 7-8 करोड़ की जमीन को कांग्रेस विधायक के भाई को उपकृत करने हेतु आधे से भी कम कीमत 2 करोड़ 52 लाख 51 हजार रूपये में बेच दिया गया । छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल रायपुर द्वारा प्रकाशित ओपन टेंडर के माध्यम से रायपुर तथा रायपुर दुर्ग एवं बिलासपुर में व्यावसायिक भूखंडों को विक्रय करने का विज्ञापन प्रदेश के दो समाचार पत्रों में दिनांक 30.09.2021 को प्रकाशित किया गया भिलाई के भूखंड हेतु [xx] [9] श्री धर्मेन्द्र यादव का आफर हाउसिंग बोर्ड को दिनांक 2.11.2021 को प्राप्त हुआ जिसे उसी दिन आफरदाता के समक्ष खोला गया तथा उक्त आफर को स्वीकार कर जमीन उन्हें विक्रय कर दिया गया । नियमत: एक ही आफर आया था जिसे हाउसिंग बोर्ड को स्वीकार ना कर और विज्ञापन जारी करना था पर राजनैतिक दबाववश बिना प्रतिस्पर्धा के एक व्यक्ति को उक्त भूखंड 2 करोड़ 52 लाख 51 हजार रूपये पर विक्रय कर दिया गया । आश्चर्यजनक बात यह है कि

[9] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

08/11/20221 को ऑफर दाता का ऑफर स्वीकार किया गया तथा 2 माह के बाद उन्हें शेष राशि जमा करने का पत्र जारी किया गया। इसे धर्मेन्द्र यादव ने 12/11/2021 को प्राप्त किया, लेकिन धर्मेन्द्र यादव को पत्र प्राप्त हो इसके पहले ही छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा ऋण लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। 12/11/2021 को धर्मेन्द्र यादव ने विभाग को पत्र लिखकर अपने नाम के साथ भूखंड स्वामी में अपने भाई [XX][10] एवं उनकी पत्नी [XX] का नाम जोड़ने का आग्रह किया और विभाग ने उसका नाम भी जोड़ लिया। 03/12/2021 को समस्त राशि जमा होने पर उसी दिन आधिपत्य देने का पत्र भी जारी कर दिया, लेकिन लीज निष्पादित करने की तारीख पत्र में खाली रखी गयी। उक्त जमीन का पंजीयन 14/12/2021 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा धर्मेन्द्र यादव एवं श्रुतिका ताम्रकार के पक्ष में कराया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र 08/11/2021 को जारी की गयी। उसमें प्लाट की साइज 15171.60 स्क्वेयर फीट बतायी गयी, किंतु पंजीयन में प्लाट की साइज 19857.68 स्क्वेयर फीट दिखाया गया। इस पूरे प्रकरण में खरीददार कांग्रेस के संगठन का पदाधिकारी है और बाद में नाम जोड़ा गया। [XX] संपदा अधिकारी खरीददार का सगा भाई है। इस प्रकार 7-8 करोड़ की भूमि राजनैतिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी । (शेम-शेम की आवाज) शासन द्वारा व्यक्ति विशेष उपकृत किया गया, जिससे क्षेत्र की जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन बातों का उल्लेख ध्यानाकर्षण में किया गया है, मैं आपके ध्यान में कुछ बात लाना चाहता हूं। मैं माननीय नेता जी के भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक गलत परंपरा की शुरूआत हो रही है। इसके पहले माननीय नेता जी का एक ध्यानाकर्षण था, जैसे मैं एक लाइन पढ़कर आपको सुना देता हूं। उसमें लिखा है कि बिलासपुर के राजेश अग्रवाल और उनके साथियों द्वारा जो भी किया गया। आप यहां पर लिखते हैं..।

श्री शिवरतन शर्मा :- नेता जी का ध्यानाकर्षण मतलब?

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं, मतलब यह गलत परंपरा की शुरूआत है और मैं आपका और सबका सहयोग चाहता हूं कि ऐसा मत होने दें, नहीं तो आगे चलकर स्थिति बिगड़ेगी। उसके बाद फिर आपकी मर्जी। मैं आपको एक-एक बात का जवाब दूंगा। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। भूखंडों को विक्रय करने का विज्ञापन प्रदेश के दो समाचार पत्रों में दिनांक 30/09/2021 को प्रकाशित किया गया। भिलाई के भूखंड हेतु [XX] द्वारा ऑफर किया गया। तो ध्यानाकर्षण की सूचना यह होनी चाहिए थी। [XX]? धर्मेन्द्र यादव individual capacity में क्या वे बीड नहीं कर सकते ? दे नहीं सकते ? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले। मेरा यह कहना है कि इस प्रकार से यदि [XX] राजनीतिक उद्देश्य से ऐसे ध्यानाकर्षण लगेंगे तो अंतहीन हो जायेगा। विवादित स्थिति उत्पन्न होगी। अब आप बोलिए। मैं बोलता हूं क्या है।

---

[10] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- देखिए, हम लोगों को 7-8 लोगों का ध्यानाकर्षण लगा है। आप जिस विषय को बोल रहे हैं। अगर ध्यानाकर्षण में कोई विषय गलत आ गया तो secretariat को उसे सुधारने का अधिकार रहता है। secretariat उसे सुधारते रहता है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- secretariat सुधार देगा, लेकिन आपने ऐसी गलती क्यों की ? [XX] [11] ? [XX]? आप खुद सदस्य हैं। मान लीजिए आपके नाम से कोई लगाइएगा तो आप कैसे करेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- देखिए, ऐसा है ये नाम का उल्लेख इसलिए किया गया कि पूरे प्रदेश के मीडिया में ये विषय इसी प्रकार छप रहा है। आप पूरे समय के दुर्ग के समाचार पत्रों को उठाकर देख लें। माननीय मंत्री जी दुर्ग जिले से आते हैं। दुर्ग जिले में धर्मेन्द्र यादव जी का नाम [XX] आता है। [XX], यह समाचार पहले छपता है। तो प्रदेश में जो विषय जिस नाम से चर्चित है। तो हमारी राजनीतिक मजबूरी है कि जिस नाम से चर्चा है, उसका उल्लेख करें।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपको सोचना चाहिए। [XX]? आप यहां के इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। पर जब प्रदेश के समाचार पत्रों में लगातार छप रहा है तो क्या करें? [XX]..।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- समाचार पत्र में छप रहा है पर आपको सोचना चाहिए न।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट। [XX] नाम का जो उल्लेख हुआ, उसमें उल्लेख करने के पीछे कारण यह था कि बाद में रजिस्ट्री में जो नाम जोड़ा गया, उस रजिस्ट्री में नाम उनकी पत्नी [XX] का है। इसलिए [XX] नाम का उल्लेख करना पड़ा।

श्री धरमलाल कौशिक :- वह जो राजेश अग्रवाल वाली बात आपने की । संदर्भित लोगों के द्वारा सूचना दी गई पीड़ित पक्षकार के द्वारा ।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैंने इस मामले में केवल एक उदाहरण दिया कि एक विषय में केवल राजेश अग्रवाल का नाम है तो दूसरे विषय में फलां का भाई फलां । यह जो गलत है, मैंने कोई आरोपित नहीं किया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उसमें क्या लिखता, यह पूछ रहा हूं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं यह कह रहा हूं कि उसमें आपने जो लिखा था वह सही था । उमेश अग्रवाल का भाई, राजेश अग्रवाल ऐसा जोड़कर नहीं लिखा था आपने। जैसा इन लोगों ने किया है कि [XX] का भाई धर्मेन्द्र यादव, यह मेरा कहना है । आपने जो कहा था, वह उचित था । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट मंत्री जी ।

---

[11] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट रूको ना, पहले राजेश अग्रवाल वाली बात आ जाए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जो बोल रहे हो ना, मेरी ओर इशारा करके । अरे, यह हम सबने लिखा है भाई । यह मेरे अकेले का लिखा हुआ नहीं है, 7 लोगों के नाम से है यह ध्यानाकर्षण ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो इस ध्यानाकर्षण के पूर्व की बात कह रहा हूं । मेरा नाम आया है । मैं यह पूछ रहा हूं कि इसमें क्या लिखता ?

श्री मोहम्मद अकबर :- मैंने यह कहा कि आपने जो लिखा वह सही था । क्योंकि आपने ऐसा नहीं लिखा कि उमेश अग्रवाल का भाई राजेश अग्रवाल । मैं आपका उदाहरण दे रहा हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अच्छा । मैंने कुछ और सोचा ।

श्री मोहम्मद अकबर :- इसके सुधार के लिए मैं माननीय नेता जी का उदाहरण दे रहा हूं कि आपने सही कहा । आपने कोई संदर्भ जोड़कर नहीं कहा कि विधायक का भाई । यह गलत है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- उपाध्यक्ष जी, सदन के सभी सदस्यों का सम्पूर्ण सम्मान होना ही चाहिए । तभी लोकतंत्र है, तभी संसदीय परम्परा है। दूसरी बात, आप विज्ञापन का उल्लेख कर देते, नम्बर का उल्लेख कर देते, क्षेत्र का उल्लेख कर देते, तारीख का उल्लेख कर देते । कोई बहुत आवश्यक था कि समाचार पत्र में लिखा गया है इसलिए माननीय विधायक का नाम लिखना । तीसरा, उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं । हमारे सचिवालय को भी देखना चाहिए, बहुत सारे प्रश्नों में ध्यानाकर्षण में सबमें संशोधन हो जाता है और यदि इस तरीके से कोई बात आए तो चर्चा का विषय यहां बनाना चाहिए । यह कतई उचित नहीं है । मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, अनियमितता हुई या नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए । आलोचना लोकतंत्र का श्रंगार है, हम उसका सम्मान करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे । लेकिन व्यक्तिगत् रूप से किसी को अपमानित करने जैसा अगर कोई शब्द लिखा जाता है तो मैं समझता हूं कि यह सर्वथा अनुचित है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं माननीय अकबर साहब की बात से सहमत हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर्वसम्मति से उस नाम को विलोपित कर दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सचिवालय अभी संशोधित कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जहां जहां माननीय विधायक के नाम का उल्लेख हुआ है उसे विलोपित करके विषय पर चर्चा करें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- विषय पर चर्चा करें ना । 15 से 20 मिनट तक माननीय विधायक जी के नाम पर चर्चा हो गई । सारे नाम की चर्चा को विलोपित करिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय । यह उचित नहीं है । नाम कोई नहीं, इस चर्चा को ही विलापित करिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चर्चा विलोपित क्यों होगी ? आप विधायक जी के नाम को विलोपित कर दीजिए, हम उससे सहमत हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ध्यानाकर्षण से भी नाम विलोपित कर दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- कौन कह रहा है ध्यानाकर्षण को विलोपित करने के लिए ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप तो बोल रहे हैं ना ।

श्री रविन्द्र चौबे :- ध्यानाकर्षण को विलोपित करने नहीं बोल रहा हूं । लेकिन माननीय शिवरतन शर्मा जी ने जिस चर्चा की शुरूआत करते हुए माननीय विधायक जी का नाम लिया, बिल्कुल उचित नहीं है, सारी चर्चा विलोपित होनी चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जो कह रहे हैं, उसे ही मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने अपने ध्यानाकर्षण की सूचना को पढ़ा है । मेरी सूचना पढ़ने के बाद माननीय अकबर जी ने जो विषय रखा । मैं उससे सहमत हूं, उसमें से नाम को हटा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । उसमें कोई बात ही नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनका नाम ही नहीं लेंगे चर्चा में ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, विलोपित करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हटा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद् देना चाहूंगा कि एक सही विषय पर उन्होंने एक सही नीति अपनाई और सब नामों के विलोपन के लिए सहमति जताई, मैं आपको धन्यवाद् देना चाहता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधायक जी के नाम का ।

श्री आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- हां, विधायक जी के नाम का । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर पढ़कर सुना देता हूं ।

यह सही नहीं है कि हाऊसिंग बोर्ड कालीबाड़ी चौक भिलाई में प्राईम लोकेशन पर 7-8 करोड़ की जमीन को कांग्रेस विधायक के भाई को उपकृत करने हेतु आधे से भी कम कीमत 2 करोड़ 52 लाख 51 हजार में बेच दिया गया। अपितु सत्य यह है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रकाशित ऑफर के माध्यम से रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में व्यावसायिक भूखण्डों को विक्रय करने का विज्ञापन प्रदेश के दो समाचार पत्रों में दिनांक 30.09.2021 को प्रकाशित हुआ था एवं मण्डल बेबसाईट www.cghb.gov.in में भी प्रकाशित विज्ञापन अपलोड किया गया था।

प्रकाशित विज्ञापन के तहत प्रथम ऑफर आवेदक डॉ. श्रुतिका ताम्रकार यादव के द्वारा दिनांक 08.10.2021 को प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 08.10.2021 को ही खोला गया। लेकिन मुख्य संपदा अधिकारी के आदेश क्रमांक 1667, दिनांक 01.10.2021 के परिपालन अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रथम ऑफर निरस्त कर दिया गया था। ऑफर प्राप्त करने हेतु विज्ञापन निरंतन जारी था, इस तारतम्य में द्वितीय ऑफर आवेदक श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव के द्वारा दिनांक 02.11.2021 को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रस्तुत किया गया, जिसे नियमानुसार 4 बजे के पश्चात् खोला गया। ऑफर का विज्ञापन हुए एक माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका था एवं और अन्य किसी भी आवेदक के द्वारा ऑफर प्रस्तुत नहीं किया गया था जबकि विज्ञापन दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित होने के उपरांत वेबसाईट में निरंतर अपलोडेड था। प्राप्त द्वितीय ऑफर दिनांक 06.11.2021 को संपदा अधिकारी, दुर्ग द्वारा सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। जिसे ऑफसेट मूल्य से अधिक होने एवं पंजीयन का विज्ञापन हुए एक माह से अधिक होने की स्थिति में दिनांक 08.11.2021 को द्वितीय ऑफर स्वीकृत किया गया। यह सही नहीं है कि और विज्ञापन जारी करना था, क्योंकि विज्ञापन निरंतर जारी था, जिससे यह भी सही नहीं है कि राजनैतिक दबाववश बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही व्यक्ति को उक्त भूखण्ड दो करोड़ बावन लाख ईन्क्यावन हजार में विक्रय कर दिया गया। ऑफसेट मूल्य वर्तमान कलेक्टर गाइडलाईन के दर पर निर्धारित है एवं इसके निर्धारण हेतु मुख्य मार्ग पर स्थित भूमि का दर रू. 13,580.00 प्रति वर्गमीटर लिया गया है। प्रकाशित विज्ञापन में इस भूमि के समीप और एक व्यावसायिक भूखण्ड है, जिसका भी वर्तमान कलेक्टर गाइडलाईन दर पर रू. 13,650.00 प्रति वर्गमीटर के आधार पर 900.00 वर्गमीटर या 9,684.00 वर्गफीट है, जिसका ऑफसेट मूल्य रू. 1 करोड़ 47 लाख 04 हजार मात्र है, इसका भी विज्ञापन निरंतन जारी है, जिसमें अभी तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

यह कहना सही नहीं है कि आवेदक श्री धमेन्द्र सिंह यादव को ऋण लेने हेतु अनापत्ति पत्र, आबंटन पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही जारी कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल नियमानुसार श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव के द्वारा दिनांक 12.11.2021 को मण्डल को पत्र लिखकर डॉ. श्रुतिका ताम्रकार यादव का नाम जोड़ने का आग्रह किया गया जिसे मण्डल नियमानुसार द्वितीय नाम जोड़ा गया एवं समस्त राशि जमा किये जाने के उपरांत दिनांक 14.12.2021 को लीज डीड की रजिस्ट्री की गई एवं विधिवत दिनांक 31.12.2021 को आधिपत्य आदेश जारी किया गया। लीज अनुबंध की प्रक्रिया लीज डीड की रजिस्ट्री करने के पश्चात् कार्यालयीन रिकार्ड हेतु एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसे निश्चित अवधि तक आबंटी से करायी जाती है। इस प्रकरण में लीज अनुबंध की प्रक्रिया दिनांक 11.01.2022 को करा ली गई है, इसलिये आधिपत्य आदेश में लीज अनुबंध की दिनांक रिक्त दर्शित हो रहा है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि आवेदक से 30 वर्ष की लीज की राशि रजिस्ट्री पूर्व जमा करा ली गई है।

यह कहना सही नहीं है कि लीज रजिस्ट्री दस्तावेजों में दिनांक 08.11.2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्लाट का साईज 15171.60 वर्ग फीट से भिन्न 19857.68 वर्ग फीट दिखाया गया है, ऑफर में कोई भी इच्छुक व्यक्ति भाग ले सकता था, अत: यह कहना सही नहीं है कि व्यक्ति विशेष को उपकृत किया गया है। यह भी कहना सही नहीं है कि संपदा अधिकारी श्री श्रीराम ठाकुर खरीदार श्री

धर्मेन्द्र सिंह यादव का सगा भाई है, यह भी कहना सही नहीं है कि इस प्रकरण में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। यह भी कहना सही नहीं है कि क्षेत्र की जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने जवाब में प्रथम ऑफर डॉ. श्रुतिका ताम्रकर यादव से और द्वितीय ऑफर श्री धमेन्द्र यादव से प्राप्त होना बताया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह ऑफर करने के लिए कितना डिपॉजिट करना था और दोनों ने किस-किस बैंक का ड्रॉफ्ट या चेक जमा किया, उसका नंबर बता दे?

वनमंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इसमें डिपॉसिट करना था, व्यावसायिक संपति हेतु रूपये 1010072 प्लस 128 नियमानुसार जी.एस.टी. प्राप्त कर किया गया। धर्मेन्द्र सिंह यादव, दिनांक 28.10.2021।

श्री शिवरतन शर्मा :- बैक-बैंक और नंबर।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं आपको बैंक का नाम भी बता दूंगा, पंजाब नेशनल बैंक। बाकी...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या है कि इस प्लाट के विक्रय के पश्चात लगातार भिलाई में आंदोलन चल रहे हैं। बहुत से लोग लगातार धरने में बैठ रहे हैं और लोगों का सीधा-सीधा यह आरोप है कि वास्तव में एक ही आफर आया। यह मामला जब तुल पकड़ा तो इसको सेकेण्ड ऑफर आया करके मेन्यूप्लेट किया जा रहा है। मैंने इसलिए किस बैंक से ड्राफ्ट या चेंक जमा किया इसका नंबर आपसे पूछा है। दूसरा विषय, जो आपने अपने उत्तर में कहा है कि भाई आपने 15,171.60 फीट की रजिस्ट्री कराई है। यह सूचना के अधिकार के अंतर्गत उस ऑफिस से पेपर निकाले गये हैं। इसमें जो लोन के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया है। माननीय मंत्री जी, एन.ओ.सी. जारी की गई है उसमें स्टेण्डर साइज और प्लाट 15,171.60 square feet बताई गई है और रजिस्ट्री में जो नक्शा लगा है इस नक्शे में टोटल एरिया 1,410 square meter और 19,857.58 square feet। आप 15,000 feet का सर्टीफिकेट जारी कर रहे हो। आप उसमें रजिस्ट्री कर रहे हो, नक्शा लगा रहे हो 19,000 feet का, तो इसमें सच्चाई क्या है ? रजिस्ट्री में यह नक्शा लगा है कि नहीं लगा है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि वह नक्शा लगा है लेकिन सही यह है कि जो रजिस्ट्री हुई है वह 1410 वर्ग मीटर की हुई है और 1410 मीटर को 10.76 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 ही आता है। रजिस्ट्री में कहीं कोई त्रुटि नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- देखिये, यह तो मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि रजिस्ट्री में यह नक्शा लगा है और रजिस्ट्री में जो नक्शा लगा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 19,857.58 square meter। तो यह गलती हुई है। माननीय, दूसरा विषय, 08.10.2021 को धर्मेन्द्र यादव का सेकेण्ड ऑफर मिला है और धर्मेन्द्र यादव जी के ऑफर को आपने 08.10.2021 को ही स्वीकार किया है और 08.10.201 को उसको दो लेटर जारी हुए। एक लेटर उपायुक्त से उसका ऑफर स्वीकार करने का जारी हुआ और एक लेटर

08.10.2021 को ही स्टेट से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से जारी हुआ और 08.10.2021 को ही उसको एन.ओ.सी. जारी कर दी गई और उसका ऑफर स्वीकार कर लिया गया। इसका लेटर 12 तारीख को मिला है और 12 तारीख को उसकी रिसीव है। धमेन्द्र यादव जी ने जो ऑफर स्वीकार करने का लेटर रिसीव किया, वह 12 तारीख को किया। 08.10.2021 को ऑफर स्वीकार करना, उपायुक्त प्रदेश के रजिस्ट्रेशन कार्यालय से निकलना, दो और 08.10.2021 को ही एन.ओ.सी. जारी कर देना और उसके ऑफर का लेटर धर्मेन्द्र यादव जी का 12 तारीख को स्वीकार करना। बिना ऑफर लेटर स्वीकार किये एन.ओ.सी. जारी कर दी गई। एन.ओ.सी. जारी करने में इतनी जल्दी क्या थी ? आप यह बता दें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई है। जो आबंटन पत्र जारी होता है वह आटोमेटिक उसके साथ आबंटर पत्र के साथ एन.ओ.सी. भी जारी होती है। अब आबंटन पत्र जारी होने का उसको पत्र भेजा गया। वह 24 तारीख को प्राप्त किया लेकिन आबंटन के साथ ही एन.ओ.सी. आटोमेटिक जनरेट होता है। वह कम्प्यूटराइज सिस्टम है। आबंटन हुआ और साथ-साथ एन.ओ.सी. जनरेट हो गया। अब उसको आबंटन का जो पत्र गया, वह 24 तारीख को गया। तो बिल्कुल सही है। इसमें कहीं कोई गलती नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सामान्य एन.ओ.सी. नहीं है, यह एन.ओ.सी. बैंक से लोन लेने के लिए है।

श्री मोहम्मद अकबर :- जी हां, यह बैंक के लिए ही है। यह आबंटन के साथ आटोमेटिक जनरेट होता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया। उनको पूछने दो।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रथम ऑफर किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बहुत सारे लोग लगाये हों। सबको एक-एक मौका दिया जाएगा। श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रथम ऑफर डॉ. श्रुतिका ताम्रकार के द्वारा किया गया है और द्वितीय ऑफर श्री धर्मेन्द्र यादव के द्वारा किया गया है और बाद में धर्मेन्द्र यादव लिखकर के देते हैं कि उसमें श्रुतिका यादव का नाम जोड़ दिया जाये और विभाग उसको स्वीकार करके पंजीयन में उसके नाम को जोड़ लेता है । कुल मिलाकर यह मिलीभगत लगती है या नहीं ? क्योंकि प्रथम आफर और द्वितीय आफर करने वाले एक ही व्यक्ति थे । क्या नियम में नाम जोड़ने का अधिकार है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाम जोड़ने का पूरा अधिकार है । 6.7.2020 का परिपत्र है, उसमें लिखा है कि मण्डल द्वारा समस्त योजनाओं में आवंटित हस्तांतरण निष्पादित अनुबंध विक्रय/विलेख के अंतर्गत संयुक्त नाम करने एवं नाम हटाने हेतु परिपत्र में संशोधन करने बाबत् । यह आदेश है । बिल्कुल किया जा सकता है, कहीं कोई अनियमितता नहीं है । आप गलतफहमी के आधार पर प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न । इसमें धर्मेन्द्र यादव जी को एन.ओ.सी. जारी की गई तो धर्मेन्द्र यादव जी ने एन.ओ.सी. के लिए कब आवेदन किया था ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको अभी उत्तर में बताया कि एन.ओ.सी. के आवेदन की जरूरत नहीं है, आवंटन के साथ आटोमेटिक जनरेट होता है, कम्प्यूटराईज्ड सिस्टम है ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जमीन व्यावसायिक भू-खण्ड है । इस जमीन को बेचने के लिए इससे पहले और कभी 8.10 के पहले विज्ञापन दिया गया था क्या और यदि विज्ञापन दिया गया था तो दोनों भू-खण्ड का विज्ञापन दिया गया था या एक ही भू-खण्ड का विज्ञापन दिया गया था या पहली बार में ही आफर स्वीकार किया गया था ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विज्ञापन 30 तारीख को जारी किया गया, उसके दो महीने के बाद यह आफर आया । आप हाऊसिंग बोर्ड का एक सिस्टम समझ लीजिए । यह जो विज्ञापन होता है, वह निरंतर चलता है । बीच में किसी भी अवधि में, किसी भी तिथि में कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, लेकिन 15-15 दिन के आल्टरनेट में उसको खोला जाएगा, यह उसका नियम है । रही बात आफर की तो आफर जो है, जो आफसेट प्राईस होता है, सरकारी गाईड लाईन, जिसमें बेस प्राईस तय किया गया था, उससे अधिक राशि में बेची गयी है, कहीं कोई अनियमितता नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इसका विज्ञापन जारी हुआ और जब किसी भी व्यक्ति का आफर लेटर स्वीकार किया गया, वह ऑनलाईन था या लगातार चलता है या 15 दिन तक रहता है तो इस बीच में क्या किसी भी व्यक्ति ने और आवेदन किया या नहीं किया ? दूसरा, आफलाईन में पेपर में कौन-कौन से समाचार-पत्रों में उसका विज्ञापन दिया गया था और ऑनलाईन में जितने दिन तक वह चला, उसमें किसी व्यक्ति ने और आफर दिया या नहीं दिया ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दैनिक समाचार हरिभूमि एवं पत्रिका में विज्ञापन दिया गया था और ऑनलाईन में भी दिया गया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऑनलाईन में और किसी ने आफर दिया या नहीं दिया, वह जितनी अवधि तक चला हो ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने कोई आफर नहीं दिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सिर्फ दो लोगों ने आफर दिया ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हां, दो लोगों ने आफर दिया । एक बार एक, एक बार एक ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस बीच में किसी ने आफर नहीं दिया ?

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं दिया ।

(श्री देवेन्द्र यादव के खड़े होने पर)

उपाध्यक्ष महोदय :- यादव जी, आप बैठिए ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यादव जी, आप चिन्ता मत करो, मंत्री जी एकदम विद्वान हैं, सब मैनेज कर लेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यादव जी बोलना चाहते हैं तो बोलने दीजिए, क्या आपत्ति है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भूखण्ड का आफर दिया गया और फर्स्ट आफर के बाद में स्वीकार किया गया । ऐसे पहले भी मामले आये हैं और बाद में इसी प्रकार से जो मामले आएंगे, उसको स्वीकार किए जाएंगे क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर प्रकरण की परिस्थिति अलग होती है । यदि बेस प्राईस से अधिक में कोई आफर आया है तो उसको विभाग स्वीकार करता है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- उपाध्यक्ष जी, मैंने तो आपसे केवल सामान्य जानकारी पूछी कि इस जमीन के लिए अभी जो मामला आया है, ऐसा पहले भी आपने स्वीकार किया है और आगे भी करते रहेंगे क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर प्रकरण की परिस्थिति अलग होती है और चूंकि इस प्रकरण में बेस प्राईस अधिक आया है इसलिए इसको स्वीकार किया गया है ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चाम्पा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ भिलाई का विषय नहीं है, पूरे छत्तीसगढ प्रदेश में जमीन की अफरातफरी और घोटालों का काम चल रहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- जेमा प्रश्न चलत हे, ओमा कहां पूरा प्रदेश मा चल दे, यार।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह तो एक उदाहरण है, बाकी पूरा प्रदेश मा चलत हे।

श्री नारायण चंदेल :- का हे भिलाई तो मिनी भारत हे।

श्री रविन्द चौबे :- प्रश्न नहीं हे का ?

श्री नारायण चंदेल :- हावय, बहुत तगड़ा प्रश्न हावय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो वहीं पर उसी जमीन से लगे हुए जमीन की जो बिक्री हुई है, 2400 वर्गफीट जमीन करीब 96 लाख रूपये में बिका है।

श्री शिवरतन शर्मा :- रेसीडेन्सियल भूमि।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण में हाऊसिग बोर्ड को कितना नुकसान हुआ है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाऊसिंग बोर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हाऊसिंग बोर्ड की रजिस्ट्री होती है, इसमें 2 पत्र आ रहे हैं। जिसमें रजिस्ट्री हुई उसमें अलग स्क्वेयर फीट है और जो नक्शा लगा है, उसमें स्क्वेयर फीट अलग है। हाऊसिंग बोर्ड की रजिस्ट्री का एक प्रारूप होता है, जमीन का आधिपत्य दिया जाता है। मै आपसे जानना चाहता हूं कि आधिपत्य कितने स्क्वेयर फीट का दिया गया ?

श्री मोहम्मद अकबर :- उतने जमीन का ही आधिपत्य हुआ है, जितनी की रजिस्ट्री हुई है। 1410 गुणांक 10.76 मतलब 15 हजार स्क्वेयर फीट।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस अधिकारी ने यह अतिरिक्त स्क्वेयर फीट का नक्शा लगाया है, क्या आप उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे ? इस पूरे प्रकरण को जो बढ़ा रहा है, वह कौन अधिकारी है ? 19 हजार स्क्वेयर फीट का नक्शा कहां से आया ? और यह नक्शा उस रजिस्ट्री का पार्ट कैसे हुआ ? उस पर कार्रवाई करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रजिस्ट्री हुई है, 1410 का है, मेरे पास इस समय रजिस्ट्री की कापी मौजूद है। मैं माननीय सदस्य को दिखा दूंगा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नक्शा कैसे लगा ? नक्शा क्यों लगा ? 19 हजार स्क्वेयर फीट का नक्शा लग रहा है और आप 14 हजार स्क्वेयर फीट की कर रहे हैं, ठीक बात है। आप बोल रहे हैं कि आधिपत्य 14 हजार स्क्वेयर फीट का दे रहे हैं। 19 हजार स्क्वेयर फीट का नक्शा लग रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मामला यह है कि कल 19 हजार स्क्वेयर फीट जमीन का आधिपत्य का दिया जायेगा और उस नक्शे की कापी,19 हजार स्क्वेयर फीट को आधार बनाया जायेगा, यही विसंगति है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास आधिपत्य की प्रति भी है, 15 हजार स्क्वेयर फीट का ही आधिपत्य दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री बघेल लखेश्वर।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- सदन में वक्तव्य आने के बाद यह सारा प्रश्न नहीं होता है। चलिये, बैठिये, बैठिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि 19 हजार स्क्वेयर फीट का नक्शा किसने लगाया ? 19 हजार स्क्वेयर फीट का नक्शा कैसे लगा ? 19 हजार स्क्वेयर फीट का नक्शा क्यों लगाया गया ? रजिस्ट्री में 19 हजार स्क्वेयर फीट का नक्शा किसने लगाया और क्यों लगाया ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, यादव जी बोलिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे नाम का उल्लेख हुआ है, इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दे रहे हैं। उसके लिए आभार।

श्री अजय चन्द्राकर :- नाम विलोपित हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपका नाम विलोपित हो गया है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरी एक रणनीति थी, उस रणनीति के तहत इन पूरी चीजो को पेश किया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पहली बार सदन का सदस्य बना और पहली बार सदस्य बनने के बाद इन सारे लोगों को एकत्रित होकर प्लानिंग करके इस विषय को प्रोपेगेण्डा करने के लिए प्रस्तुत करना पड़ा। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि वैचारिक रूप से सेवा भाव से इस सदन के अंदर और राजनीतिक रूप से लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिए, लोकतन्त्र की मजबूती के लिए राजनीति करते हैं। व्यापार, व्यवसाय और भ्रष्टाचार के लिए राजनीति नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के मेरे सभी माननीय वरिष्ठों को यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह हमें इस भाव से ना देखें। इस भाव से ना देखें जिस भाव से देख रहे हैं। मैं आज देख रहा था कि बहुत धीरे-धीरे आवाज से बोल रहे थे। क्योंकि उनको भी इस बात का था कि गलत तरीके से इस विषय को उठाया जा रहा है। विपक्ष के लोग बहुत तेजी से बोलते हैं। आज बहुत तेज नहीं बोल रहे थे, बहुत धीरे बोल रहे थे। क्योंकि वह भी सच्चाई को जानते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन सब विषयों से मैं ना डरूंगा, ना दबूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया, बैठिये, बैठिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- जहां तक बात है, इसकी जितनी न्याय....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- यादव जी, आप बैठिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं आपको चुनौती देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- यादव जी, बैठिये। यादव जी, बैठिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं आपको चुनौती देता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम धीरे बोल रहे थे इसका मतलब यह मत समझो कि हम डर रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब नाम विलोपित हो गया है, तो नियमत: उनको नहीं बोलना चाहिए। आप उनको किस प्रक्रिया के तहत बुलवा रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए ? हम पूछे मत, इसलिए ? ऐसा थोड़ी ना होता है। ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, आप लोग बैठिये। हो गया, हो गया, बैठिये।

श्री सौरभ सिंह :- कौन अधिकारी है, जिसने 19 हजार स्क्वेयर फीट जमीन का कागज लगाया ? उस पर कार्रवाई करेंगे क्या ? 19 हजार स्क्वेयर फीट जमीन का कागज कैसे लगा ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, हो गया। बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब नाम विलोपित हो गया है तो नियम कानून को बोलना नहीं चाहिये । व्यवधान हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए । हम पूछे मत । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया । बैठ जायें । चन्द्राकर जी, हो गया बैठें । व्यवधान अमरभगत जी, आप बैठिये । हो गया । आप लोग बैठिये । भगत जी आप बैठिये । बस हो गया, बहुत हो गया । मैं बोल रहा हूँ । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि प्रजातंत्र को निपटाने के चक्कर में ये सारी चीजें नहीं होना चाहिये । हो गया, हो गया । शांत रहिये । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रजातंत्र को निपटाने के चक्कर में ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई किसी को नहीं निपटा रहा है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप बोलोगे तो सब सही है, दूसरे बोलेंगे तो गलत । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- यह आपको बोल रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- सब को अपनी बात कहने का अधिकार है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- हम उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बोलने का मौका दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- यह सब आसंदी से मना किया जा रहा है । (व्यवधान) आसंदी से सभी को मना किया जा रहा है । (व्यवधान) सब को हो रहा है । (व्यवधान) एक दूसरे को । (व्यवधान) चलिये । आप लोग बैठिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप कुछ भी बोलिये, सब सही है । (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- वह तो व्यक्तिगत लेने का नहीं है, काहे को व्यक्तिगत ले रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट । माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा ध्यानाकर्षण था । मंत्री जी ने उस विषय को रखा । हमने उसकी बात को सहजता से स्वीकार किया । आपने सर्वसम्मति से बात कही है । हमने उसी स्वीकार किया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देवेन्द्र यादव जी का यह कथन कि हमारी आवाज धीमी है, मंत्री जी जब पाइन्टेड उत्तर दे रहे हैं, पाइन्टेड उत्तर मिल रहा है तो पाइन्टेड प्रश्न किये जा रहे हैं । अगर पाइन्टेड उत्तर नहीं मिलते, मंत्री जी को जिस भाषा में बोलते हैं, उसी भाषा में मंत्री जी से बात करते । मंत्री जी, सब सीधा-सीधा जवाब दे रहे हैं तो क्यों ऐसे बात करें । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- खबर तो यहां तक है कि उसी आवाज में बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप बैठिये । बैठिये तो । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आपका आवाज बदल गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ । मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि रजिस्ट्री में जो नक्शा लगा है, वह 19 हजार स्क्वेयर फीट का है । पजेशन 15 हजार फीट का दिया गया है । 19 हजार स्क्वेयर फीट रजिस्ट्री में जो नक्शा लगा है, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करो ना। आखिर कहीं न कहीं तो गलती हुई है । आखिर नक्शे में 19 हजार स्क्वेयर फीट लिखा गया है । (व्यवधान)

श्री सौरभ शर्मा :- अगर उस विधायक की बात का हनन हुआ है तो 19 हजार स्क्वेयर फीट से ही बात चालू हुई है ना । किस अधिकारी ने 14 हजार स्क्वेयर फीट की रजिस्ट्री को 19 हजार स्क्वेयर फीट का नक्शा लगाया है, उस पर कार्यवाही की घोषणा करिये ना । अगर फसाद की जड़ है तो ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी ।

श्री मोहम्मद अकबर :- हालांकि ध्यानाकर्षण का पूरा खत्म हो चुका है । उसके बाद भी यदि यह पूछना चाहते हैं तो दोबारा बताता हूँ कि रजिस्ट्री 1410 वर्ग मीटर की हुई है । आधिपत्य भी उतने का दिया है । पैसा भी उतने का ही लिया गया है । इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- नक्शा कैसे गलत बन गया । नक्शा कैसे हुआ । नक्शा गलत लगाया, क्यों लगाया, किस अधिनियम के तहत लगाय...।

श्री शिवरतन शर्मा :- रजिस्ट्री में जो नक्शा लगा है...। (व्यवधान) 19857 स्क्वेयर फीट का नक्शा लगा है । यह गलती है कि नहीं है ?

श्री सौरभ शर्मा :- रजिस्ट्री की कापी लगी है । रजिस्ट्री का प्रतिरूप है । लगाया किसने, क्यों लगाया, नक्शा किसने लगाया.....।

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर रजिस्ट्री 15 हजार फीट की हुई...। (व्यवधान)

श्री सौरभ शर्मा :- त्रुटिपूर्ण नक्शा लगा है तो कार्यवाही कर दीजिए ।

श्री संतराम नेताम :- यह नक्शा आपको कहां से मिल गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- सूचना के अधिकार में सारी कापी निकली हुई है ।

श्री अमरजीत भगत :- इस नक्शे की विश्वसनीयता नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- अगर नक्शा गलत लगा है तो आप कार्यवाही कर दीजिए ना । किस अधिकारी ने गलत नक्शा लगाया ? क्यों गलत नक्शा लगाया ?

श्री रामकुमार यादव :- जब रजिस्ट्री होयेच नइ ये त काबर ...। (व्यवधान}

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, सौरभ सिंह जी ।

श्री सौरभ सिंह :- एक लाईन में बोल दीजिए कि नक्शा क्यों गलत लगा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलो, अजय भाई को बोलने दो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय रविन्द्र चौबे जी हों या माननीय मोहम्मद अकबर जी हों, । मैं शुरूवात में जिस परम्परा का उल्लेख किया, हम सब सहमत थे कि यह नहीं होना चाहिये । जितनी बार माननीय विधायक का नाम आया है, विलोपित कर देना चाहिये, अच्छी परम्परा है, अच्छी बात है, सब चीज अच्छी हुई । किस प्रक्रिया के तहत हमको आरोपित करते हुये उनका भाषण हुआ । किस प्रक्रिया के तहत वो और हम जितना जीतकर, जितना लोकतंत्र और जितनी बातें कही है ना, आवाज धीमी है और हम किसी के शह पर चलते हैं। यह सब गलत विषय है। ऐसा कभी भाषण नहीं होता, प्रक्रिया के बाहर है।

उपाध्यक्ष महोदय :- सबकी ओर से स्वीकार्यता हुई थी और उसके बाद सदस्य को भी मना किया गया। आप सब जानते हैं। पर मेरे कहने का मतलब यह है कि सदन का मान-सम्मान होना चाहिए। यह सदन आप लोगों के लिए ही है। इसके बाद यह सारी चीज आरोप-प्रत्यारोप गलत ढ़ंग से हो तो गलत बात है। श्री बघेल लखेश्वर।

(4) बस्तर क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होना।

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- बस्तर क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा विशेषज्ञ, चिकित्सकीय उपकरणों व टेक्निशियन आदि प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है लेकिन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति देखें तो सीनियर रेसिडेंसियल डॉक्टर नहीं है, शिशुरोग, स्त्री रोग, सर्जरी विभाग एवं अन्य विभागों में चिकित्सकों की कमी से हो रही कठिनाईयों को चिकित्सा महाविद्यालय ही नहीं वरन आज जनता भी झेल रही है। मेकॉज में इस समय 115 आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्थान पर मात्र 55-60 डॉक्टर्स ही हैं, जो डॉक्टर्स थे उन्हें पदोन्नति उपरांत मेकॉज में आवश्यकता होने के बावजूद अन्यत्र संस्थानों के लिए पदस्थापित कर दिया गया। जहां तक चिकित्सकीय जांच उपकरणों की बात करें जांच की मशीनें तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं, लेकिन या तो वे खराब हैं अथवा मशीनों के लिए पर्याप्त टेक्निशियन नहीं हैं। गरीब आम जनता को मजबूरी वश निजी जांच प्रयोगशालाओं की शरण लेना पड़ रहा है। इस बात को राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों ने अपने स्थानीय संस्करण में प्रमुखता से उठाया है। विभाग के द्वारा बस्तर को इस प्रकार से नजरअंदाज किये जाने से स्थानीय जनप्रतिनिधि व आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस्तर क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा विशेषज्ञों एवं चिकित्सकीय उपकरणों की आवश्यकता है, परन्तु यह कहना सही नहीं है कि चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में सीनियर रेसीडेंट चिकित्सक नहीं है अपितु वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में 10 सीनियर रेसीडेंट चिकित्सक कार्यरत हैं। साथ ही शिशु रोग विभाग में 09 चिकित्सक, स्त्री रोग विभाग में 04 एवं सर्जरी विभाग में भी 12 चिकित्सक कार्यरत हैं। अन्य विभाग जैसे मेडिसीन विभाग में 14, अस्थि रोग विभाग में 05, नेत्र रोग विभाग में 02 एवं नाक कान गला विभाग में 05, निश्चेतना विभाग में 08 एवं पैथोलॉजी विभाग में 13 चिकित्सक उपलब्ध हैं।

वर्तमान में केवल बस्तर ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश एवं साथ ही पूरे देश में ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी व्याप्त है। प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर नियमित भर्ती की कार्यवाही की जा रही है एवं साथ ही महाविद्यालय स्तर पर भी प्रतिमाह वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से संविदा आधार पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है। राज्य में सहायक प्राध्यायक के 156 पद एवं सीनियर रेसीडेंट के 386 पदों पर नियमित भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्व. बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में विषय विशेषज्ञ के 105 स्वीकृत पदों में 59 चिकित्सक, कल एक वॉक इन इंटरव्यू में भर्ती हुए हैं तो 60 चिकित्सक कार्यरत है। चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में चिकित्सकों को पदोन्नति उपरांत अन्यत्र सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत पदस्थापित किया गया है।

चिकित्सकीय जांच हेतु सी.टी. स्कैन मशीन, एक्स-रे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, सी.बी.सी. मशीन, ऑटो एनालाईजर, इलेक्ट्रो फोरेसिस जैसे अत्याधुनिक मशीनें स्थापित एवं संचालित है। उक्त मशीनों के संचालन हेतु महाविद्यालय में 41 पदों के विरूद्ध 32 टेक्निशियन कार्यरत है। अत: स्पष्ट है कि महाविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय में चिकित्सक एवं टेक्निशियन उपलब्ध है, जिसमें गरीबी रेखा से आने वाले परिवार को नि:शुल्क चिकित्सा एवं जांच की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही अन्य मरीजों को भी न्यूनतम दर पर ईलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है।

इस प्रकार बस्तर को नजरअंदाज करने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है। बस्तर के स्थानीय जनप्रतिनिधि व आम जनता में कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है।

समय :

1.20 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर चिकित्सा महाविद्यालय, संभागीय मुख्यालय मे स्थापित है और यह जब से बना है, तब से यहां चिकित्सकों की या अन्य कर्मचारियों की बहुत ज्यादा परेशानी है। परेशानियों के बावजूद भी, अभी वर्तमान में चिकित्सकों की पदोन्नति हुई, पदोन्नति होने के बाद सिर्फ बस्तर जिले के 10-12 शिक्षकों, चिकित्सकों को कांकेर में शिफ्ट किया गया, अन्य जिलों में लोगों को, जहां पद है वहीं पर ही रखा गया, सिर्फ बस्तर जिले के लोगों को कांकेर में शिफ्ट किया गया। हमको ऐसा लगता है हमारे बस्तर जिले के साथ भेद-भाव हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि अभी जितने भी चिकित्सक प्राध्यापक के पद रिक्त है, कब तक नियुक्ति होगी और कब तक पद भरे जायेंगे ? हमारे यहां सैकड़ों की संख्या में जितने भी पद रिक्त है। इस संबंध में हमारे चित्रकूट के माननीय विधायक जी ने और मैंने भी प्रश्न लगाया था, उसके बावजूद भी अनदेखा किया जा रहा है, इन रिक्त पदों की आपूर्ति कब तक हो जायेगी ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा, एक, बस्तर क्षेत्र के साथ कहीं भेद-भाव का प्रश्न ही नहीं उठता और आपने स्वयं कहा कि जो पदोन्नति हुई उनमें से अधिकांश चिकित्सकों को कांकेर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, जो कि बस्तर संभाग का ही है। स्थिति भी यही है, कि जो तीन नये मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुये, उनमें NMC की मंजूरी के लिये चिकित्सकों की उपस्थिति अनिवार्य थी। हमको कोरबा और महासमुंद में पहले राउंड में उपस्थिति नहीं मिली, इन्हीं कारणों से उपस्थिति नहीं मिली और कांकेर में भी हमको पहले साल की 100 सीटों की अनुमति मिली थी तो इसी शर्त पर मिली थी कि चिकित्सकों की उपस्थिति अनिवार्य है और हमारे विभाग के जो तात्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने NMC को यह वादा किया था, विश्वास दिलाया था, कि यह जो पदों की पूर्ति दिख रही है हम इसको पूरा कर देंगे और यही कारण है कि बस्तर से समीपस्थ, बस्तर संभाग में ही, जहां पर अनिवार्यता थी, 100 नये चिकित्सकों की सीटों की, पढ़ाई की पूर्ति के लिये, तो उनको वहां शिफ्ट किया गया है। साथ ही उनकी चिंता भी उचित है और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जितने डॉक्टर शिफ्ट किये गये हैं, आपके यहां, उनमें से कम से कम उतने ही और यदि संभव होगा तो उससे ज्यादा निकट भविष्य में पदस्थ हो जायेंगे। हाल ही में PSC के माध्यम से 113 चिकित्सकों का चयन हो गया है, उनकी पदस्थापना होगी। कभी-कभी यह दिक्कतें जरूर आती है कि दूरस्थ अंचलों में वह नहीं जाते हैं और ऐसी ही स्थिति हुई कि अभी 140 पदों का 31 मार्च 2021 को जिसका विज्ञापन निकला था, उसमें 88 ही लोग आयें और उनमें से 65 लोगों ने ही अपनी joining दी है, जो select भी हो गये थे उनमें से 23 लोगों ने joining नहीं दी। साथ ही एस.आर. के

386 पद, जे.आर. के 471 पद, सीनियर रजिस्ट्रार के 34 पद, रजिस्ट्रार के 52 पद, और डेमोंस्ट्रेटर के 238 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 156 पद, इनकी भी भर्ती की प्रक्रिया PSC में चल रही है और बहुत निकट भविष्य में जितने लोगों का चयन होगा, उस हिसाब से बस्तर क्षेत्र में और बस्तर के मेडिकल कॉलेज (विशेष) में डीपरा फॉल में पदस्थापना की जायेगी। आपको महसूस होगा कि हमारे साथ कहीं भी किसी प्रकार का अन्याय नहीं हुआ है।

श्री बघेल लखेश्वर :- धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धन्यवाद्।

अब मैं कार्यसूचि के पद 3 के उप पद (5) से (63) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुयी तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुये माने जायेंगे :-

5. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य

6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य

7. श्री नारायण चंदेल, श्री अजय चंद्राकर, सदस्य

10. श्री नारायण चंदेल, सदस्य

11. श्री अजय चंद्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य

12. श्री अजय चंद्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री शिवरतन शर्मा,

13. श्री अजय चंद्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री शिवरतन शर्मा,सदस्य

14. श्री अजय चंद्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य

15. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ।

16. श्री संतराम नेताम, सदस्य

17. श्री संतराम नेताम, सदस्य

19. श्री नारायण चंदेल, सदस्य

20. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य

21. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य

22. श्री धरमलाल कौशिक, श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य

23. डॉ. के.के. ध्रुव, सदस्य

24. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य

25. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

26. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य

27. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धरमलाल कौशिक, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

28. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सदस्य
29. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
30. श्री रामकुमार यादव, सदस्य
31. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
32. श्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, सदस्य
33. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
34. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
35. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य
36. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
37. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
38. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
39. श्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, सदस्य
40. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
41. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य
42. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
44. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
45. सर्वश्री ननकीराम कंवर, धरमलाल कौशिक, नारायण चंदेल, सदस्य
46. सर्वश्री धरमलाल कौशिक,रजनीश कुमार सिंह, श्री सौरभ सिंह, सदस्य
47. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
49. श्री संतराम नेताम, सदस्य
50. श्री आशीष कुमार छाबड़ा, सदस्य
51. श्री चंदन कश्यप, सदस्य
52. श्री अरूण वोरा, सदस्य
53. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
54. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
55. श्री संतराम नेताम, सदस्य
57. सर्वश्री धरमलाल कौशिक,रजनीश कुमार सिंह, श्री सौरभ सिंह, सदस्य
58. सर्वश्री धरमलाल कौशिक, श्री सौरभ सिंह, रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
59. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सदस्य
60. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

61. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
62. श्री शैलेश पाण्डेय, सदस्य
63. श्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, सदस्य

समय :

1.26 बजे **नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क"(2) को शिथिल कर आज दिनांक 22 मार्च, 2022 को मैंने सदन में 29 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उक्त सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा।

1. श्री प्रकाश नायक
2. श्री शैलेश पाण्डेय
3. श्री कुलदीप जुनेजा
4. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
5. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी
6. श्री सौरभ सिंह
7. श्री संतराम नेताम
8. डॉ. रमन सिंह
9. श्री अरूण वोरा
10. श्री चंदन कश्यप
11. श्री बघेल लखेश्वर
12. श्री पुन्नूलाल मोहले
13. श्री गुलाब कमरो
14. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
15. श्री दलेश्वर साहू
16. श्री रामकुमार यादव
17. श्री धरमलाल कौशिक
18. डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव
19. श्री ननकीराम कंवर
20. श्रीमती इन्दू बंजारे
21. डॉ. प्रीतम राम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

22. श्री अमितेष शुक्ल
23. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
24. श्री बृजमोहन अग्रवाल
25. श्री रजनीश कुमार सिंह
26. श्रीमती ममता चन्द्राकर
27. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
28. श्री नारायण चंदेल
29. श्री अजय चन्द्राकर

समय :
1.27 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री विनय कुमार भगत
2. श्री शैलेश पाण्डे

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारगणों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें।

समय :
1.28 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2022(क्रमांक 4 सन् 2022)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2022(क्रमांक 4 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विनियोग विधेयक 5.00 बजे तक पारित करने का नियम है। विनियोग विधेयक पर 14 सदस्यों के नाम हैं और मुख्यमंत्री जी का जवाब भी आना है। अत: मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया समय का ध्यान रखते हुए संक्षेप में अपनी बात कहें। माननीय अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद):- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपसे एक अनुरोध है कि जब प्रस्तुत करने में शिथिल किया गया तो पारित करने में भी थोड़ा बहुत शिथिल चलता है। आज तो आप उदार हैं। मैं विधेयक पर चर्चा कर लेता हूँ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- पहला वक्ता थोड़ा कम बोलेंगे तो 5.00 बजे तक खत्म हो जाएगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय जी के बोलने से पहले मैंने कल भी निवेदन किया था। अजय जी जब देखकर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।

अध्यक्ष महोदय :- तो आपके अनुरोध पर आज वह देखकर ही पढ़ेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह थोड़ा सा देखकर पढ़ लें। इतना शिथिल कर दें। क्योंकि जहां उनका हाथ खुलता है तो फिर पूरे विधान सभा के बाहर तक आवाज पहुंचती है। आप ऐसे ही मुस्कुरा कर बोलिएगा। ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, परंपरा तो कभी देखकर पढ़ने की रही नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अजय जी को देखकर पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। यह देखकर पढ़ने की अनुमति देने की शुरूआत दिल्ली में हुई थी और माननीय अटल जी ने सहजता से सहमति दी थी कि देखकर पढ़ने की अनुमति दे दें। आज तक वह देखकर ही पढ़ा जा रहा है। इसको स्वाभाविक रूप से बोलने दें तो ज्यादा अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय :- आपके पुर्खे ने ही दी है, उसका पालन करिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आराम से बोलने के लिए कहे। वास्तव में तो वह 20 साल, 25 साल से देख रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, अब यह ध्यानाकर्षण में आराम से बोले तो आरोप लग गया कि आवाज में दम नहीं था।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप विनियोग विधेयक को देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को या कांग्रेस पार्टी की सरकार को इतना बड़ा खजाना क्यों दिया जाए ? पूरे तीन पत्ते को पढ़ेंगे तो पूंजीगत व्यय आपको खोजने में एकात, दो, चार राजस्व व्यय के नीचे में मिलेगा। राजस्व व्यय के नीचे में मिलेगा तो राजस्व व्यय इतने बड़े अंकों में लिखा है और पूंजीगत व्यय इतना बड़ा-बड़ा लिखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इतने बड़े खजाने को देना है तो मुख्यमंत्री जी को या उस शासन को यह क्षमता दिखानी होगी, यह दृढ़ प्रतिज्ञता दिखानी होगी कि वह इसका सही उपयोग करेंगे, जनहित में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपयोग करेंगे। पर दुर्भाग्य है कि यह जनहित में उपयोग नहीं हो रहा है। यह आपका एक तथा कथित घोषणा पत्र है। उसको जिसको यह पहली सरकार है जिन्होंने आत्मसात करके शासकीय डॉक्यूमेंट बनाया है। उसको भी पूरा नहीं कर रही है। किसमें कर रहे हैं ? यहां कानून का शासन नहीं चल रहा है, मैं हमेशा इस सत्र में बोल रहा हूं। शासक का कानून चल रहा है। यजुर्वेद की रचना से मुख्यमंत्री जी ने बात की थी। कौन लिखकर दिया है ? मैं प्रभु चैतन्य की दो चार लाईन आपको सुनाता हूं।

"प्रजा सूखे सुखम राग्यसम, प्रजानम च हिते हितम न

न आत्म प्रियम हित तस्या, प्रजनम तू प्रियम हितम।।"

राजा का अपना सुख कुछ नहीं है। प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। प्रजा के हित में ही उसका हित है। राजा का अपना प्रिय और हित कुछ नहीं है, प्रजा का प्रिय और हित ही उसका प्रिय और उसका हित है। साहब, राजा के लक्षण तो ऐसे दिखते नहीं। अब दूसरी एक लाईन पढ़ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो दिन से आपके ही निर्देश पर चल रहा हूं। मैं तो आज आप ही की नजर मिलाकर बोलूंगा।

"आततायिन नृप: स्वैमैव स्वीजकात वसनाम

प्रात्नोंतति इस सतृष्य वातावरणम स्वसमेव भवति"

इसका हिंदी अर्थ यह है- अत्याचारी राजा स्वयं अपने अंत को प्राप्त होता है और ऐसी परिस्थितियां स्वत: ही बन जाती है और यह परिस्थितियों का निर्माण होना शुरू हो गया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, अभी मैं माननीय सत्यनारायण भैया को बुलाने भेजा हूं। आपके संस्कृत श्लोकम का जवाबम वही देंगे। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- संतराम जी, आप निश्चित रूप से प्रापर्टी हैं। दूसरी बार आए हैं, अच्छा बोलते हैं। मैं भी आपकी हौसला अफजाई कर देता हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने सत्यनारायण शर्मा की बात की।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आज ही दो बातें घटी। हमारे आलम साहब आलम गेर लॉड ऑफ छत्तीसगढ़, माननीय मोहम्मद अकबर जी बैठे हैं। नक्शे की हेराफेरी, बाकी नाम नहीं लेता। आप परम विद्वान, महापंडित राहुल सांकृत्यायन की तरह सबसे सीनियर विधायक में से एक हैं। सदन समिति की साढ़े तीन साल में पहली बार जांच की घोषणा हुई। यह आपके छोटे-छोटे उदाहरण हैं।

(श्री सत्यनारायण शर्मा जी सदन के अंदर आने पर)

श्री रविन्द्र चौबे :- संस्कृतम आ गये हैं, अभी बैठेंगे। (हंसी) सत्तू भैया जवाब देना जरूरी है, आप आईए, अभी 1, 2 श्लोक पढ़िए। अध्यक्ष जी, बात यह है कि साढ़े तीन साल में पहली बार विपक्ष हताशा से उठकर कोई ऐसा प्रश्न लगाया है जिसमें सदन समिति से जांच करने का आदेश करना पड़ा।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने देखा है, देवजी भाई पटेल के ध्यानाकर्षण में कितने लोग खड़े होते थे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, महाभारत में एक ने दुर्योधन से पूछा, ..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- यहां ते हा महाभारत पढ़े बर आए हस का। ते विनियोग के बात करे बर आए हस।

श्री अजय चंद्राकर :- आप बताएंगे, समय 5 बजे तक है और मुख्यमंत्री जी का आग्रह है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुछ भी शुरू कर देते हैं । यहां पर महाभारत शुरू कर दिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राहुल सांकृत्यायन तो ठीक है लेकिन अब आप दुर्योधन में कैसे आ गये ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भूमिका है तो दुर्योधन को किसी ने पूछा कि तुम अधर्म में ही क्यों डूबे रहते हो ? क्या धर्म को नहीं जानते हो तो दुर्योधन का जवाब था कि मैं धर्म-अधर्म सब जानता हूं लेकिन मेरी बुद्धि अधर्म में लगती है तो तुमको क्या आपत्ति है ? मेरी बुद्धि ही अधर्म में लगती है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमें 15 सालों तक कोई आपत्ति नहीं रही । जनता को जिसे जहां बैठाना था वहां बैठा दिया ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो बैठी है उसकी बुद्धि केवल अधर्म में लगती है । प्रजाहित से कोई मतलब नहीं है, स्वहित से ही मतलब है । जिसमें अब कुछ बातें हैं जिसके कारण ये खजाना मांग रहे हैं । आप बहुत अनुभवी हैं ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये महाभारत की बात कर रहे थे । दुर्योधन की बात कर रहे थे । अच्छा आप एक चीज बताईये कि भगवान ने अपना विराट स्वरूप सबसे पहले किसको दिखाया ?

श्री अजय चंद्राकर :- महाभारत के ज्ञाता आपके एसीएस भी हैं । भगवान ने 3 बार महाभारत में अपना विराट रूप दिखाया है । सबसे पहले शिशु वध में उसके बाद उन्होंने महर्षि उन्तक को दिखाया और कुरूक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिखाया ।

श्री भूपेश बघेल :- उसमें एक और जोड़िये कि जब दूत बनकर गये थे ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं, शिशुपाल वध के समय नहीं दिखाया । जब दुर्योधन ने उसको कैप्चर करने की कोशिश की तब उन्होंने दिखाया ।

श्री भूपेश बघेल :- कैप्चर नहीं, कैद करने की बात कही तो सबसे पहले उसको दिखाया । आप यह सुधार लीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- जब वे दूत बनकर गये थे, दुर्योधन ने उनको कैप्चर करने की कोशिश की तब उन्होंने दिखाया । आपकी आपत्ति सही है, मैंने स्वीकार कर लिया । माननीय, आप विद्वान हैं । आपने ऐसा कोई राज्य देखा है या सुना है तो मैं सीखना चाहूंगा कि मैं इस सदन में बार-बार बोलता हूं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि उसके विद्वान मंत्री जिसको मैंने बीरबल कहा । यदि ये छत्रपति हैं तो ये पेशवा हैं । समझे, वे कम पावरफुल नहीं हैं । (हंसी) माननीय अध्यक्ष महोदय, सुराजी गांव बजट पेपर में छपता है । गवर्नर एड्रेस में सुराजी गांव छपता है । विधानसभा में कान्सेप्ट पेपर रखने में क्या आपत्ति है ? आप बतायें तो क्या सुराजी गांव है ? क्या स्कूल की बिजली काटना सुराजी गांव है ? गांव की बिजली काटना सुराजी गांव है ? गांव के फंड को रोक देना, चीफ सेक्रेटरी को सौंप देना यही सुराजी गांव है ? यह सुराजी गांव क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख क्विंटल पैरा तोल दिया, ऐसा आश्चर्य ? कौन सा सिस्टम ? 15 लाख क्विंटल पैरा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तौलवा दिया तो क्या यही पैरा तौलना सुराजी गांव है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दूसरी बात । दूसरी फ्लैगशिप यदि ये नरवा-गरूआ, घुरवा-बाड़ी कहते हैं तो उसमें चर्चा क्यों नहीं करते ? बजटेड क्यों नहीं करते ? अभिसरण करते हैं । किसी भी पैसे को डालते हैं । रूरल इंडस्ट्रियल पार्क । यह रूरल इंडस्ट्रियल पार्क क्या है ? 2000 गौठान आत्मनिर्भर हो गये । मुझे किस गौठान को आत्मनिर्भर या 2500 गौठान आत्मनिर्भर हो गये उसकी परिभाषाएं क्याहैं ? उसका कान्सेप्ट क्या है ? शासन का पैसा जो मुख्यमंत्री जी बोलें उसमें लग जाये, क्या यही कान्सेप्ट है ? यह नियम है, यह राज है और इसके लिये हम विनियोग पारित कर दें । जिसका कहीं पर अता-पता नहीं है । न सिर है, न पूंछ है । ये झूम रहे हैं नरवा-गरूआ, घुरवा-बाड़ी ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- जरा धीरे से बोलिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके ज्ञान का ओवरफ्लो हो गया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा, मैं देखकर पढ़े ला बोल दूहूं जतका बेर मुख्यमंत्री दिही तेला ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हम लोगों को डराओ मत । जरा धीरे से बोलो ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बच्चा छोटा रहता है तब उसे पढ़ाया-लिखाया जाता है और तैयार किया जाता है । जब तक वह कमाने लायक नहीं होता है तब तक उसकी परवरिश की जाती है । जब वह कमाने लायक होता है तो वह आत्मनिर्भर हो जाता है । आज गौठानों की वही स्थिति है । गौठान आत्मनिर्भर हो गये हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसके लिये बजट दे दें कि ये करें । जो मुख्यमंत्री कहें उसमें व्यय कर दो । लोकधन का इससे बड़े दुरूपयोग का उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता । आप बताईए जो फ्लैगशिप योजना है, वह हवा-हवाई चल रही है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही छत्तीसगढ़ के तारणहार हैं। इसलिए है कि आप अन्यथा नहीं लेंगे। 51 हजार करोड़ के कर्जे को मैं हर साल पहले दिन प्रश्न लगाता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस दिन नहीं फंसते अतारांकित में कि इतना कर्जा है। अभी 51 हजार करोड़ तक है और लेंगे बोल रहे हैं। और लेंगे में अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कर्जा बढ़ेगा। मैं दोनों हाथ से सदन की ओर से आपकी स्तुति करता हूं कि इन्हें उन्नाव के डौंडियाखेड़ा की पता दे दीजिए, जहां आप खजाना खुदवा रहे थे। (हंसी) जो संस्कृति विभाग है, वह खाली

पड़ा है। उनको खुदाई का एक भी लाइसेंस नहीं मिला। सबके सब चल देंगे। हम लोग और डॉ. साहब भी चल देंगे। डौंडियाखेड़ा को पूरे 90 विधायक खोजेंगे कि कुछ खजाना मिल जाये तो भूपेश बघेल जी के नरवा, घुरवा, गरवा, बाड़ी और कोई भी हवा-हवाई योजना जो बोल दे। industrial पार्क, आत्मनिर्भर गोदाम, लेंटाना उन्मूलन, इन सबमें हमो मन भीड़ जाबो। इसमें क्या है ? तो अध्यक्ष महोदय, आप सबकी ओर से प्रार्थना कर रहा हूं कि डौंडियाखेड़ा के खजाने का पता बता दें। बाकी प्रक्रिया हम लोग करेंगे। आपका उल्लेख किया, यदि बुरा लगा होगा तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक किसान रहिसे तो ओखर लइका पूछथे, रात को सूते रहिसे दोनों बाप-बेटा तो कहथे कि बाबू अतेक कमाथस, तेला कहां रखे हस तैं। तो वो थोड़ा ऊंचा आवाज में बोलथे ताकि पड़ोसी सुन लै। बोलिस बेटा खेत में खजाना ला दबा के रखे हों। ओखर जेन पड़ोसी हे तेन हा पूरा गर्मी भर गेल्डी चलाये के काम करे अउ ओखर बाद जब बरसात लगिसे तो बहुत बढिया खुदाये रहिसे। फसल लगाये रहिसे, लालायित फसल। शानदार होइसे। तो उही खजाना हे। तो ते चिंता मत कर, ते खोजत रह, तोला नहीं मिले। खजाना इहींच हे। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- खजाना इहींच हे, तोर फुंकई मा बांचही त तो। (हंसी) सुनत हस कि नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय तुलना कुछ हे। राष्ट्रीय तुलना से हमारे मुख्यमंत्री जी ऊपर निकल चुके हैं, क्योंकि उसके सचिव लोग भी लिखकर देते हैं। पिछली बार विनियोग में बोल रहे थे। आप फूंके से कैसे बांचही तेला सुन ले।

श्री संतराम नेताम :- आप यह बताइए, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम नहीं करते तो वह पेपर में आप पढ़े या नहीं, सबसे प्रदेश में..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी पेपर में का का पढ़े हो तेला बताहूं न। अध्यक्ष महोदय, पिछले विनियोग में बोले जब आखिरी बार चर्चा हुई थी, सेस में आपने इतना पैसा कहां रखे हो भाई। तो बोलते थे कि घर के सियान ओ होथे असली जौन पैसा ला बचा के रखथे। 51 हजार करोड़ कर्जा लेथे तेला का कहथे, यह मैं जानना चाहथव। ओला कइसन सियान कहथे।

श्री भूपेश बघेल :- बाबू, जब आगे बढ़बे न तो कर्जा ले ला लागथे। समझ गये न। अउ ओखर बाद मोर भाषण ला सुनबे न तब सबो तोर हिसाब ला बता दूहूं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- गौठान विकास के लिए सेस लगाये। कोरोना के लिए सेस लगाये। अब मैंने उत्तर की कॉपी उस दिन पटल में एक विषय में रखा है। 280 करोड़ का घपला। ग्रामीण विकास जो होगा न सुराजी गांव के तहत है वह 280 करोड़ का घपला। वो पैसा वापस मंगवाये। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो कुछ नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय तुलना का मतलब ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री तो हमारे मसकट हैं। शुभंकर, ब्रांड एंबेस्डर, जिसे बोलते हैं न, दो ऐसा दिखाया। दो ही आया। (हंसी) अरे, जेस्चर-पोस्चर, ऐसा जेस्चर-पोस्चर मैंने देखा नहीं। आप जितना ऐसा घुमाएंगे, समझ लो उतना ही

आयेगा। यह विक्टरी नहीं है। वह ऐसा करे तो वो जितना दिखायेंगे उतना ही आयेगा, इतना परफेक्शन उनमें है। उनका जेस्चर-पोस्चर इतना परफेक्ट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज से मुख्यमंत्री को बहुत प्रेम है, एक शब्द से, वह है माफिया। माफिया से इसलिए प्रेम है कि वह इटली में पैदा हुआ। पहला माफिया जिसे कहा जाता है, वह इटली में पैदा हुआ। अब इटली से तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपका स्वाभाविक लगाव है। है न। पट्टाभि सीतारमैय्या के बाद कांग्रेस का यदि इतिहास लिखा जायेगा तो इटली तो उल्लेख होगा ही।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, विनियोग की शुरूआत इन्होंने द्वापर से की, फिर दुर्योधन तक पहुंचे, अब इटली पहुंच गए हैं । 30 मिनट बाद तो कह दीजिए कि विनियोग पर आ जाएं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आऊंगा, आऊंगा उसी में तो आ रहा हूं । माफिया से बड़ा प्रेम करते हैं । जिस तरह के माफिया यानी छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप, आगे मैं बोलूंगा इन्होंने सलाहकार रखे हैं, 13 करोड़ रूपए दिये हैं, स्टार्टअप के मेंटर लोगों को, जिसमें 8 बाहर के हैं, आप सुन लीजिए । चौथी पास और पांचवी पास पढ़ रहे हो, उसके लिए ताली बजाते हो और बोलने वाले हो । स्टार्टअप के लिए जो मेंटर रखे गए हैं उनकी तनख्वाह कितनी है और उनकी बैठक कितनी हुई है, उसको वे बताएंगे? अध्यक्ष महोदय, स्टार्टअप क्या है ? रिहन्द की रेत, आपके समीप बलरामपुर में रिहन्द नदी बहती है, नोएडा तक नाम फैला रहे हैं । रेत का माफिया, यह स्टार्टअप । मारो, लूटो, काटो बड़े इनोसेंटली बोलते हैं कि अब तो हमने अनुसूचित क्षेत्र में बंद कर दिया है । वाह, खा लेस अब बांचे नइ हे तब बंद कर देंव कहात हस । पंगत में कुछ परसे बर रही तब तो चालू रखबे तेहां, पंगत ला । नशा, जितने प्रकार का नशा, जितने प्रकार के अपराधी हैं वे सब छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप हैं । आप बताइए आपको ठगी ऑनलाईन करवाना है या ऑफलाईन करवाना है, मैं आदमी भेज देता हूं । पुलिस से संरक्षण प्राप्त आदमी भेज देता हूं जो ठगी करवाएगा । मैं माननीय रविन्द्र चौबे जी को, भईया मिश्रीलाल जी को हमेशा यह बोलता हूं कि कुरूद चलिए, जहां पर बोलेंगे वहां पर आपको दारू पिलवाऊंगा ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अजय भइया, आप कहत हो सब ठग ला भेज देथों तो सब ठग माफिया आप ही करा हे, लागथे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- घर में नाम देवता, भिंभोरा पूजा ले जाय कथे । गोदाम में मोबाइल रखाए हे, ते अउ मोबाइल ले थस । घर के मोबाइल का उपयोग नहीं करते, गोदाम में रखाए हे तेला ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वो तो तुम्हरे सरकार इकट्ठा कर ले हे ना ।

श्री रविन्द्र चौबे :- डॉ. रमन सिंह जी के जमाने में जो मोबाइल खरीदा गया था वह पूरा सड़हा निकल गया ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- मोबाइल लेकर छत्तीसगढ़ को कर्जा में झोंक दिया, टिफिन बांटकर कर्जा में झोंक दिया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूरे प्रदेश में क्या था, चिटफंड । एखर मंत्री मन चिटफंड कंपनी के उद्घाटन करे राहय अउ तोहफ लेत रेहेव वहां । तुमन काय करेव 15 साल, खाली चिटफंड कंपनी चलाय, दूसर कोई काम रिहिस हे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- डा. रमन सिंह जी के जमाना के मोबाइल सरहा निकल गे तो एकाध झन आपूर्ति करइया के खिलाफ कार्रवाई कर दे न भाई । कर एकाध झन के खिलाफ कार्रवाई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जमीन में कब्जा, रिकार्ड में हेराफेरी, चपक लेना नया स्टार्टअप और मैं तो हाथ जोड़कर बोला मेरे मुर्शिद, जिसका मैं मुरीद हूं माननीय अकबर जनाब को, कि साहब आप ही की छत्रछाया झलकती है, मुख्यमंत्री जी की छत्रछाया झलकती है कहते हैं लोग । अब मैं तो मुख्यमंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी को एक इंस्टीट्यूशन मानता हूं, मैं कमजोर वाक्य ज्यादा नहीं बोलता। लेकिन आरोप भी नहीं लगाता, मैं निजी आरोप तो जीवन में नहीं लगाऊंगा, चाहे आग लग जाएगी तो भी । लेकिन मुद्दा जहां पर है कि यदि गुढ़ियारी से बिजली ऑफिस हटेगा तो कौन खरीदेगा, यह रायपुर का प्रत्येक आदमी जानता है । अध्यक्ष महोदय, जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, इनके बाप दादाओं ने बनाया था, इस तरह। मैं हमेशा बोलता हूं सिटी मॉल को किसके बाप दादा ने बनाया था जिसकी प्राइज 250 करोड़ से 140 करोड़ और अब 110 करोड़ करने की तैयारी है । नूतन राईस मिल की जगह कितनी महत्वपूर्ण है, कौन खरीदेगा यह मैं अभी से बता दूंगा । अकबर साहब, आपको नक्शे के हेराफेरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह सब सेट है । समझ रहे हो ना, कौन खरीदेगा यह तय है । यह छत्तीसगढ़ का स्टार्टअप है । यह छत्तीसगढ़ का आपका ई-गवर्नेंस है । अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी को दिल से इंस्टीट्यूशन मानता हूं । मैं प्रदेश से बाहर जाउंगा तो बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है, निश्चित, आप सुन लीजिएगा । लेकिन जो हालात छत्तीसगढ़ के अंदर हैं, एम.ओ.यू. । इस सरकार ने किसी से एम.ओ.यू. क्यों किया ? 76 हजार करोड़ के आसपास के एम.ओ.यू. बताते हैं । उसमें 2 लोग बाहर से आए हैं । एक है मेसर्स ब्ल्यू कॉमर्शियल प्रायवेट लिमिटेड कोलकाता और एक है सूर्या एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई। यह पूरा चार्ट है। बाकी सब रायपुर के और रायपुर के व्यवसायियों से अब मुख्यमंत्री जी बार-बोर बोलते हैं कि मैं गवाही दूंगा, कार्रवाई करेंगे, मैं पैसा दिया हूं इसका कौन गवाही देगा। तो प्रति टन उसका रेट फिक्स है। एम.ओ.यू. का और एम.ओ.यू. खुला है। आप जहां चाहे कर सकते हैं। बेमेतरा में कौन खोलेगा इसका लिस्ट है और प्रति टन उसका रेट कितना है, उसको मैं आपको बता दूंगा या उससे मिलवा दूंगा, लेकिन विसिल बोअर की तरह है उसका उपयोग करोगे तब। तो यह छत्तीसगढ़ का जो धुंआ है, जो वातावरण को खराब कर रहा है। लगभग सारे स्पंज आयरन है। सारे के सारे एम.ओ.यू. और उसमें जमीन कितने लोगों को मिली है पढ़ूंगा, कितने लोग लेंगे यह बोलूंगा और आप देखियेगा जो बस्तर में भाई साहब ने नारंगी जमीन की है 32 हजार एकड़ को। अपना पीठ थपथपा रहे थे, मुख्यमंत्री जी अजानबाहु हैं, मैं उस दिन बोला था। ऐसे यहां तक वह जानते

हैं धार्मिक ग्रंथों को, अभी प्रश्न पूछा। तो जो अजानबहु होते हैं, वह आपका पीठ थपथपा लेते हैं। वह अपना पीठ थपथपा रहे हैं। इतना ही नहीं लोगों ने छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रोत्साहित किया नहीं। यदि ये रहे तो बस्तर का पूरा जंगल ऑरेंज एरिया हो जाएगा। जो आपका धन है, वह चला जाएगा। कहीं का नहीं रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वसनीयता होती है। कैसे होती है माननीय मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता? मैंने एक एम.ओ.यू. वाला बताया, अब आता हूं यूक्रेन में। थोड़ा इंटरनेशनल भाषण देना है। (हंसी) एकदम बयान आया जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा यूक्रेन से हम ऑपरेशन गंगा चलायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- विनियोग में यूक्रेन आयेगा क्या?

श्री अजय चंद्राकर :- हां।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष जी, बिना यूक्रेन के विनियोग नइ होय। कइसे होही।

अध्यक्ष महोदय :- ओइल तो पूछथव ग।

श्री अजय चंद्राकर :- तमाचा मारे हर के नइ मारे हस, तेला मैं जानथव।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बड़ होशियार आदमी हे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, क्या है कि अजय भाई बोल रहे हैं कि इसमें यूक्रेन भी आयेगा, इसमें शामिल है और यूक्रेन के साथ में पुराना जो पूरा देश भर से लेकर आए हैं, वह भी शामिल है।

श्री रामकुमार यादव :- सर, जेमन अपन किराया दस हजार रहीस, तुमन लाने ह तें हर डेढ़ लाख रहीस हावय।

श्री अजय चंद्राकर :- प्रधानमंत्री जी ने कहा आपरेशन गंगा चलेगा, 18 हजार किसानों को (व्यवधान)। मुख्यमंत्री जी का यहां बयान आ गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, ओहर पूरा देश भर के चर्चा करही। पूरा देश भर के चर्चा करही, छत्तीसगढ़ के चर्चा नइ कर सकय? 15 साल से छत्तीसगढ़ में काम करे हे। (व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- मजाक काहे बनाकर रखा गया है विधानसभा को।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मजदूर मन ल घर पहुंचाते ता जानतेन।

श्री शिवरतन शर्मा :- सबको लेकर आयेंगे। पूरा खर्चा वहन करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया। यह पहला राज्य है, जो शायद ये विद्वान अनुसूची को नहीं पढ़े हैं, वैदेशिक मामले केन्द्र की सूची के हैं, करेंट सूची के हैं या राज्य सूची के हैं। छत्तीसढ़ के लोगों को हम भी निकालेंगे । जो खर्चा आयेगा, छत्तीसगढ़ वहन करेगा। तो आप खर्चा तो किये हो, छत्तीसगढ़ भवन में फोटो खिंचाकर। तो फोटो का खर्चा बता देना कि कितना खर्चा आया या भारत सरकार को दो-चार लाईट का किराया दिये होंगे तो उसको मेरे को या सदन को बता

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

देना। अब उसके बाद मुख्यमंत्री जी खड़े हो गये। उन्होंने कहा था कि मैं भी फ्री वैक्सीनेशन लगाउंगा। पहले आप सेस का जो पैसा है उसको स्वास्थ्य विभाग को दे दो। जैसा प्रधानमंत्री बोले। उसके पहले जनवरी में देश में वैक्सीनेशन शुरू हो गया था। तो यह और इनके स्वास्थ्य मंत्री हमको सीधे वैक्सीन लेने दो, यह करो, वह करो, भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाना रोज का काम है। लेकिन जैसे फ्री वैक्सीनेशन कहा, सब कांग्रेस के मंत्री हाथ खोलकर खड़े हो गये थे कि खांसी इधर ना आ जाये। (हंसी) मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता है। उनको पैसा भारत सरकार को देना चाहिए न कि छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 75 लाख लोगों को वैक्सीनेशन और अभी बूस्टर डोज में इतना खर्चा हुआ है। मैं भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। वह शब्द नहीं निकलेगा। वह हमसे चाहते हैं कि हम किसी चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। जो अच्छा सिस्टम होगा, उसको हम जरूर करेंगे। आज अकबर साहब ने प्रस्ताव रखा, हम एक सेकेण्ड में तैयार हो गये, ठीक है कि विधायक जी का नाम नहीं आयेगा। अब मैं प्रशंसा करूं। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास में पैसा रखे, तीन साल से हमको एक पैसा नहीं, इस साल भी 80 करोड़ रखे हैं और कांग्रेस के कौन-कौन को दिये या मुख्यमंत्री जी ने किसको-किसको पैसा दिया, एक और उसके बाद जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास निगम बना है, कोरोना का पैसा उसमें दिया गया और कांग्रेस को बांटा गया और हम लोगों को मालूम भी नहीं कि अधोसंरचना में हम विधायक लोगों को पैसा दिया जायेगा। कोरोना का नहीं बांटे हैं, तो वह कौन सा बजट है? डी.एम.एफ. का बजट है या किसका बजट है? क्यों विपक्ष बड़े शान से बोलते तो हैं मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी मेरे तो सब विधायक। भाई यदि सदन का नेता इतने विशाल हद्य का है तो हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन कागज में देखते हैं तब तो फिर कांग्रेस के विधायकों के नेता दिखते हैं तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में अच्छा नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तो नेता सदन का मतलब सबका।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब ते प्रभारी मंत्री रहे हस, हम मन विधायक रहे हन तब तो हमर विधायक निधि ला तेहा नइ देत रहे हस। कहे कि भाई हमारी सरकार है हम अपने कार्यकर्ताओं को देंगे अउ आज बड़ा उल्टा भाषण देत हस। कब देत रहे हस, हमन ला एको बेर दे रहे हस?

श्री अजय चन्द्राकर :- ले बइठ अब। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कई बार बोलथो कि सिखाए पूत दरबार नइ चढ़य। ओ कतके कर लीही एकर के दू-तीन झन मन, तभो रविन्द्र चौबे नइ बन सके। लेजिस्लेटर बने बर बहुत मेहनत लगथे। ओ कोचके के काम देथे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कोचके के काम नइ हे। जो सही बात हे, ते दे रहे हस का 5 साल ? ते प्रभारी मंत्री रहे हस ता तेहा विधायक निधि के पइसा ला हमन ला दे रहे हस का ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जो मेनेंजमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर विश्वसनीयता का सवाल बता रहा हूं। मुख्यमंत्री जी एकदम मुद्रा बनाकर खड़े हो गये, जैसे दो ऐसा दिखाये थे न, वैसा। डॉ.

साहब, आपकी चुनौती मंजूर है। बोधघाट को हम बनाकर कर बताएंगे। बोधघाट को हम बनाकर बताएंगे। साढ़े 3 साल में बोधघाट का सर्वे का भी ठेका नहीं हो सका।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ए अंगली तो अइसे-अइसे दिखाथे, मैं बोला कहीं और मत कर ले। वह नहीं समझे-नहीं समझे, ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आथो। बोधघाट में ठेका भी नहीं हो सका। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सदन में बोल रहे हैं। अब मैं तो इतना सारा विशेषाधिकार लगाया हूं कि मैं खुद भूल गया।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका बी.पी. चेक करवा दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब पैसा क्यों दे ? कुछ लोग उधर बहुत खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता देता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दिन ऐसा ही एक आदमी पड़ोस में आया था। वह रात भर इतना तंग किया कि भूत पकड़ लिया है, मेरा भाई मर जाएगा। बचा लो। रात भर हम लोग परेशान रहे। मैं सुबह पता करवाया तो बोले कि नहीं ओ ज्यादा चढ़ गे रीहिस। (हंसी) मतलब, उसको क्या बोलियेगा, लोग रहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्ष 2018-19 में धान खरीदी की गई। वर्ष 2018-19 का 71,000 टन का निष्पादन अभी तक नहीं हुआ है। आपने कलेक्टरों को चिट्ठी लिखा है कि इसको निष्पादित किया जाए। आप जो धमकी बोल रहे थे न, आप भी वही भाषा बोलते हैं जो भाषा मैं बोल रहा था कि जो कलेक्टर बैठे हैं, वह कौन-सी विशेषज्ञता के साथ बैठे हैं, जो उस सड़े धान को निष्पादित करेंगे, हम उसको देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो गलत काम करेगा, वह जेल जाएगा। आपको कोटा जमा करने के लिए पहले साल कितनी बार चिट्ठी मिली ? उसके बाद वर्ष 2019-20 में भी आप सेंट्रल पुल में जमा नहीं कर पाये और वह तो जो सड़ने का घाटा हुआ उसके अतिरिक्त आपने क्या किया ? क्या खरीदने-बेचने का धंधा मार्फेड कर सकती है ? मैं अभी मण्डी कानून में बोलूंगा। जिस मण्डी कानून का आप विरोध करते थे, आपने उसी शैली को अपनाया। आपने धान बेचने के लिए पूरे देश भर में विज्ञापन किया। आपने 11 लाख-12 लाख टन जो भी बेचा, मेरे पास रिकॉर्ड है। आपने क्या प्राप्त किया ? उस सड़े धान को, आपने किया, मतलब यह आपके ऊपर आरोप नहीं है। यदि वह बात गलत है तो मैं उसको तुरंत वापस लूंगा। पाप इसलिए माना जाता है कि हम गलत का विरोध नहीं करते हैं या गलत का प्रश्रय करते हैं तो भी वह पाप माना जाएगा। अब आपको जितनी जरूरत है, सड़े धान को खपाने के लिए आपने नॉन का कोटा बढ़ा दिया। चावल बेचने के लिए आप नॉन का कोटा बढ़ाये थे कि जरूरत थी इसलिए आप कोटा बढ़ाये थे ? आपने 6 लाख टन चावल बेचा है और आपने किसको बेचा है ? और वह घुमकर, रिसाइकिल होकर आप ही के पास फिर आएगा। आप फिर बेचेंगे। वह सीधे तौर पर करप्शन है सीधे तौर पर और उसमें भी दोनों मिलाकर आप 1000 करोड़ रूपय का

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

घाटा खा रहे हो। प्रबंधन, दूसरे साल वर्ष 2019-20 में भी भारत सरकार ने 6 बार अवधि बढ़ाई। अब इस साल 61 लाख टन है। अच्छा है, बुरा है, वह आपके राजनीति विषय हो सकते हैं। आप अपनी तरह से बोलेंगे, मैं अपनी तरह से बोलूंगा लेकिन धान का जो काम है, यदि आपने यह सड़ने वालों को और इस तरह से कुचक्र करने वालों को नहीं रोका तो फिर मुझे वही कहना पड़ेगा जो मैं कभी नहीं कहूंगा लेकिन मैं यह कहूंगा कि आपकी मौन सहमति होगी करके। मैं institution का सम्मान करता हूं। मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपकी भागीदारी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, भइगे। आधा घण्टा होगे भाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- 5-10 मिनट मालिक, अभी तो। अच्छा 5-10 मिनट में पूरा कर देथो।

अध्यक्ष महोदय :- आधा घण्टा हो गया भाई।

समय :

2:00 बजे

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष जी, आज वे प्रश्नकाल में चुप थे, थोड़ा समय दे दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- हमारे पास समय नहीं है न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऊर्जा विभाग में आपको बता रहा हूं । अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है तो एक-दो विषय में बोलकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं । कोरबा ईस्ट की 250 मेगावाट को बंद करना है तो आपने उसको कबाड़ में 70 करोड़ में बेच दिया । 1 मेगावाट में 100 टन लोहा लगता है । 200 मेगावाट में कितना टन लोहा लगेगा, अभी लोहे का रेट कितना है ? आज के रेट में सिर्फ लोहे को निकालोगे तो उसमें 400 करोड़ रूपए का लोहा निकलेगा । माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन अधिकारियों ने ऐसा किया हुआ, उसमें आप संज्ञान लीजिए । सन् 2025 तक उसका मेंटनेंस था, उसके सारे मशीनरीज़ के गारंटी पीरिएड समाप्त नहीं हुए थे, 2025 तक उसकी गारंटी थी । आपने डिसमेंटल करने का निर्णय क्यों लिया या एन.जी.टी. ने हमको कह दिया । अगर एन.जी.टी. की बात मानोगे और एन.जी.टी. में अपना पक्ष नहीं रखोगे और एन.जी.टी. में आप कितने बार गए ? तब भी आपने निर्णय लिया, जबकि वह 65-70 प्रतिशत की क्षमता से चल रहा था । यदि सभी कबाड़ को जोड़ दिया जाये तो कम से कम 800 से 1 हजार करोड़ रूपए में जाएगा । आप 70 करोड़ रूपए का तर्क दोगे कि भारत सरकार की फलां कम्पनी ने मूल्यांकन किया तो उसके बाद उसको पास करने या आन्तरिक मूल्यांकन करने के आपके यहां सिस्टम है। मैं नहीं जानता कि यह आपकी जानकारी में है या नहीं है, पर यह सीधे तौर पर घोटाला है, उससे कम नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- बालको का निजीकरण कौन किया था, किसको दिया गया था, कितने का असेसमेंट किया गया था ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको एक प्रदर्शनी लगानी चाहिए । आजकल कोई कान्सेप्ट विधान सभा में नहीं आते, संसदीय परम्पराओं में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, कोई बयान नहीं आता । जैसे कोरोना में हमने मंत्री जी का आजतक बयान नहीं सुना । पहले साल विभाग में चर्चा हुई, यदि उसको बयान मानोगे तो अलग बात है । प्रदर्शनी ऐसे लगनी चाहिए । वर्धा बनेगा तो तरिया के तीर में वर्धा का फोटो आ गया कि ऐसा-ऐसा रहेगा । विनोबा जी रहे, महात्मा गांधी जी रहे, प्रभावती जी रहीं, जयप्रकाश नारायण की पत्नी वहां रहीं, इनके श्वसुर साहब रहे । वर्धा में एक से बढ़कर एक विभूतियां रहीं । यहां के वर्धा में क्या होगा ? गांधीवाद अपनाना है, अगर वर्धा की ओर बढ़ रहे हैं तो स्वघोषित करे न, पहले माल पीना बंद करेंगे, शराबबंदी करेंगे तो कितने लोग हैं, क्या सीखेंगे, क्या बनेगा, उसका कान्सेप्ट क्या है, यह नहीं मालूम है । चूंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं । साढ़े तीन साल में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को लाने का कोई सबब नहीं बना तो वर्धा ग्राम बनाएंगे, युद्ध स्मारक बनाएंगे । माननीय अध्यक्ष जी, आप इतिहास पढ़ते हैं । जब हैदराबाद में सेना घुसी तो उसको पुलिस की कार्यवाही मानी गई । हैदराबाद के इतिहास में जब निजाम के ऊपर आक्रमण हुआ । क्योंकि देश के अंदर पुलिस कार्यवाही की जाती है । आप पुलिस स्मारक बनाएंगे । बनाईए, यह नक्सली राज्य है, आप लड़ते हैं, शहीद होते हैं, पर अब युद्ध स्मारक बनाएंगे, शिलान्यास हो गया, उसकी भी ड्राईंग-डिजाईन कैसे रहेगी, उसको देख लेंगे । 12 फूड एण्ड ज्वेलरी पार्क है, उसकी भी डिजाईन आ गई और उसमें भी 357 दुकान बिक गए हैं । हमने टेनिस अकादमी का फोटो देख लिया है । उमेश जी नहीं हैं, इतनी सारी खेल अकादमी की घोषणा की गई है अरे बाप रे । पढूंगा तो बहुत देर हो जाएगा । जहां गए, वहां ये अकादमी बनेगी, वह अकादमी बनेगी, वह अकादमी बनेगी, वह अकादमी बनेगी । तो जो अकादमी बनेगी, हम लोगों को उसका फोटो दिखा दें, हम जानते हैं कि एक भी अकादमी नहीं बनेगी । सेवाग्राम का कान्सेप्ट बता देंगे, गांधीवाद में बहस करना है तो वह कर लेंगे। टेकाम जी, पढ़े-लिखे आदमी हो, उच्च शिक्षा मंत्री जी कितनी अकादमी बनाएंगे, उसको बताना, प्रदर्शनी में उसकी फोटो लगाना ।

माननीय अध्यक्ष जी, जो सी वोटर वाले हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। आप कहेंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा । देश में दो राज्य में कांग्रेस है और दो राज्य में पार्टनर है । यह परसेप्शन देश में बन रहा है कि कांग्रेस को वोट देना अपना वोट खराब करना है । यह उसके लंबे-चौड़े इंटरव्यू हैं और यह बात उत्तरप्रदेश में साबित हुई । मेहनत खूब की गई, किसी भी राजनीतिक पार्टी से ज्यादा मेहनत की गई, लेकिन यह धारणा बन गई और देश में यह फैल गई । यह परसेप्शन छत्तीसगढ़ में बन रहा है ।

श्री अमरजीत भगत :- कहां उत्तरप्रदेश की बात कर रहे हैं । आप छत्तीसगढ़ की बात करें । छत्तीसगढ़ विधान सभा में आप कहां इधर-उधर भटक रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, बस दो मिनट, मैं खुद ही बोल दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बताईये कि यदि आप मुझे कहे कि सरकार की सकल उपलब्धि की प्रशंसा करनी है तो मैं सिर्फ एक चीज का उल्लेख करूंगा। रविन्द्र चौबे जी की यूनिवर्सिटी और माननीय उमेश पटेल जी की यूनिवर्सिटी। लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। जो दूसरा यूनिवर्सिटी बनाये हैं, यूनिवर्सिटी के प्रतिवेदन पर चर्चा कर लेते हैं। मैंने 3 यूनिवर्सिटी बनाया था। उसको एक साल के अंदर यू.जी.सी. से मान्यता मिल गई थी, ग्रान्ट मिल गया था, बजट बन गया था, बिल्डिंग, जगह सब कर दिया था। बाकी कोई एक ऐसा काम नहीं है जो छत्तीसगढ़ के लिए माईलस्टोन हो। ये 12 खरीदते हैं, 14 खरीदते हैं, 4 हजार रूपया तय करते हैं, ढाई हजार रूपया तय करते हैं, यह राजनीतिक निर्णय है, जो बीच-बीच में अलग-अलग सरकारों द्वारा अलग-अलग तरीकों से निर्णय होते रहते हैं। यह कोई युगान्तरकारी घटना नहीं है, जिससे यह मान लिया जायेगा कि इससे छत्तीसगढ़ का स्वरूप बदल जायेगा। छत्तीसगढ़ का स्वरूप नहीं बदलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब नक्सली पर आता हूं। नक्सली हिंसा में चर्चा नहीं होना, हमारी उपलब्धि है। आप सन् 80 में विधायक बने, सन् 80 में आप (माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर कहते हुए) भी विधानसभा में थे और सन् 80 में ही नक्सलियों की आमद हुई थी। सन् 1980 से 2000 तक जो नक्सली फैले, इस प्रदेश में उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा ? जो खत्म करने की बात है, अचानक भूपेश बघेल जी ने शपथ लिया और नक्सली कम हो गये। अचानक भूपेश बघेल जी ने शपथ लिया, ग्रास इनरोलमेंट नंबर बढ़ गया। जो कुछ भी उद्घाटन हुआ, चाहे महादेव घाट में पुल का उद्घाटन करे, जो हुआ, उन्होंने शपथ लिया और इतनी तेजी से काम किया कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल गई। हम लोग कांदा कोड़ रहे थे, हम फिर उस बात को मानते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। लोकतन्त्र है, यदि उन्होंने मेहनत करके जीत दिलाई, ठीक है हमारी 14 सीट आई, लड़ाई तो बंद नहीं किए हैं न।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर दो-दो मिनट बोलकर बात खत्म करता हूं। मेरे मुर्शीद, 60 हाथी।

श्री अमरजीत भगत :- वैसे भी छत्तीसगढ़ के नक्सली के सन्दर्भ में आपको चर्चा करने का नैतिक अधिकार नहीं बनता है। आप लोग विफलता के स्मारक हो। उसमें हमारे इतने लोग मर गये, आप उसमें क्या बात करोगे ? नक्सली समस्या पर असफलता जो काला धब्बा आपके चेहरे पर पड़ा है, वह कभी जीवन भर नहीं धुलेगा, मालूम। मालूम है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिक से 60 हाथियों का मरना, मैं आपका मुरीद हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं कि करंट में मरे हैं। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भू-जल सरंक्षण, राजेन्द्र सिंह, जिसको जलपुरूष बोलते हैं, आज उसका

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इन्टरव्यू पढ़िये। कुछ नहीं कर रहे हैं। दांत काटने वाला कहां से तस्कर ले आये हैं, पोटा काटने वाला ले आये हैं, नहीं मालूम, लेकिन देश मे सबसे ज्यादा आपके यहां 60 हाथी मरे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लेमरू प्रोजेक्ट की बात है। ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, वह बैठे हैं, केन्द्र सरकार एक हिस्सा, वास्तव में जब लेमरू प्रोजेक्ट में विवाद हो रहा है तो सरकार को बयान क्यों नहीं देना चाहिए कि ये वस्तुस्थिति है, जब हाथी मानव द्वंद बढ़ रहा है तो सदन को क्यों विशवास में नहीं लेना चाहिए ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, नई राजधानी पर हमेशा आरोप लगता है। नई राजधानी में सिडको को सर्वे के लिए बुलाये थे। माननीय रविन्द चौबे जी शहरी विकास मंत्री थे, सोनिया जी को लाये, कांकेर से ढुलाकर पत्थर लाये, पत्थर आई.आई.एम. में चला गया तो धनेन्द्र साहू जी का खून खौल गया। नाम के लिए 15 साल तक खून नहीं खौला था। जैसे ही सरकार में आये, खून खौल गया, इस पत्थर को कौन किया, हम सस्पेण्ड करेंगे, मारेंगे-पीटेंगे, कहने लगे। तो सरकार संस्था होती है। मुख्यमंत्री संस्था है। सरकार ने गलत किया, वह हम बाहर बोलेंगे। लेकिन यह चिंता स्वाभाविक है कि उसको एक लाइव प्रोजेक्ट बनाया जाये। लाइव प्रोजेक्ट बनाया जाये, आरोप लगाने से लाइव प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। वह धीरे-धीरे बनेगा। ठीक है, उसमें कुछ लेकुना हो सकता है कि यहां पर ये बनना था, वह बन गया, कोई चीज महंगी बन गई होगी, किसी आदमी ने करप्शन किया होगा। लेकिन आपने घोषणा कर दी कि हम कुतुब मीनार से ऊंचा टावर बनायेंगे, लेकिन हमने टावर बनाये या नहीं बनाये ? आपने राजधानी का शिलान्यास किया था, आप उसको अपने दृष्टिकोण से विकसित करेंगे, हम अपने दृष्टिकोण से विकसित कर रहे थे। आपके नवाचार में सभी विभाग नरवा, गरवा, घुरवा और बारी कह रहे हैं । आपने गोबर पर जो नवाचार किया है, आपने जो गोबर में स्टार्ट अप किया है, वह सही है ।

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में खत्म करता हूँ ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अभी होली का त्यौहार था, एक आदमी मस्त होकर आया, कहा कि एक आदमी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, गाय से गोबर में आप ले आये । दिन भर गोबर-गोबर रटते रहते हैं । हंसी

श्री अजय चन्द्राकर :- वो तोल हांसे ल परही, मुख्यमंत्री हांसथे, अऊ तैं नई हांसबे त एक्सट्रोसिटी एक्ट लग जही । अभी हमर सब मन ऊपर एक्सट्रो सिटी लगथे। भले कुछ नई करन । अध्यक्ष महोदय, रमन सिंह जी के शासन काल में मदिरा के 700 काऊन्टर थे, वर्तमान में 1491 काऊन्टर है, छत्तीसगढ़ शराब बेचने में टॉप पर है । 35 परशेंट, यह मेरा रिपोर्ट नहीं है, छत्तीसगढ़ में महिलायें पुरूषों से ज्यादा शराब पीती है । इसलिए मैं पैसा दूंगा या सदन पैसा देगा कि आप शराब ज्यादा बेचिये । एकमात्र स्टार्ट अप कि होम डिलिवरी हम आपको देंगे, दो बोतल ले लो, दस बोतल ले लो, होम डिलिवरी हम देंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अवैध में बेच दो, सब चलेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जो मैं बता रहा था कि स्टार्ट अप के लिए अर्नेस्ट एण्ड यंग फर्म को रखा है । चिप्स के हिसाब से एक स्टार्ट अप दिल्ली या ऊपर तक नहीं पहुंचा है, इंटरनेशनल कंपनी उसको हैण्डओव्हर कर ले या इन्वेस्ट करे । बोलते हैं ना कि गई भैंस पानी चरने में, तो 13 करोड़ तो गया जीरो में । माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं अकादमी को नहीं पढ़ता ।

अध्यक्ष महोदय :- समाप्त करिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :-जी, जी । बस एक दो लाईन बाकी है । एक-दो लाईन । मैं यूक्रेन में एक राष्ट्र भूल गया था । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता की तुलना इमरान खान से करूंगा । इमरान यानी मजबूत होता है, आप जानते हैं कि मेरा उर्दू अच्छा है साहब, इतना बुरा नहीं है । अरबी, फारसी जो भी हो । कर्जा लेने में पूरा पाकिस्तान कंगाल हो गया है । वे अभी सत्ता बचाने में लगे हैं । इन्होंने छत्तीसगढ़ को कंगाल कर दिये हैं । दो चीजों में समानतायें हैं । जनसंपर्क विभाग के लोगों को कहूंगा, अन्तर्राष्ट्रीय छवि अब बनाई जाये, सीवीसी ने अध्यक्ष तय कर दिया है कि भूपेश बघेल जी अध्यक्ष होंगे । छत्तीसगढ़ का एक आदमी जैसा कि उन्होंने बताया ना कि दिया है करके, वैसे ही वो देंगे । इसलिए पैसा देंगे, छत्तीसगढ़ खराब क्यों हो रहा है, मुख्यमंत्री जी काम करना चाहते हैं, फिर दिसम्बर में हिमांचल प्रदेश और गुजरात राज्य का चुनाव है, मुख्यमंत्री एटीएम बन गये हैं । शासन एटीएम बन गया है, पैसा देना है । छत्तीसगढ़ उगाही में डिसेन्ट्रलाईज हो गयी है । जब ये कर रहा है तो यह भी करूंगा । अभी घटना क्या घटी । लॉ एण्ड आर्डर में तो बात करता नहीं हूँ । कृषि कानून को रद्द किया गया । सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा है कि यह सही है और 65 परशेंट लोग इसके पक्ष में है । 700 लोग मरे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस ने समर्थन किया, वह ले गयी क्या । 700 किसान मरे, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में आखिरी बात कहते हुये छत्तीसगढ़ी में अपनी बात समाप्त करूंगा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से संस्कृति की बांडिंग की है, दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति वह नहीं है । छत्तीसगढ़ में सांकल मारना, पुन्नी नहाना वर्षों से चलता है । छत्तीसगढ़ ने देश को दिया क्या है, छत्तीसगढ़ में निकला क्या है, छत्तीसगढ़ को हमने मजबूत कैसे किया, मैं जब 20 पुस्तक की चर्चा कर रहा था, भारतीय दर्शन को जब हम पढ़ें, वल्लभाचार्य यहीं पैदा हुये, विशिष्ट द्वैत का जो दर्शन है, वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ, वह पांच आचार्य जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की, उनमें से एक आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं, नागार्जुन धारा जो महायान है, वह दूसरी छत्तीसगढ़ से पैदा हुई है । कितने लोगों ने लिखा है कि छायावाद छत्तीसगढ़ से निकला । लोक गीत, लोक संगीत, फोक आर्ट कदम-कदम पर आप बस्तर में जायेंगे तो लोग पगड़ी से पहचान लेंगे कि ये इस तरह का आदिवासी है, ये इस क्षेत्र का आदिवासी है। गुरू घासीदास की भूमि हो, रायगढ़ हो यदि वह चारो किताब छप जाती तो जो संगीत की पूरे देश में संस्थागत शिक्षा शुरू हुई यदि उसका श्रेय जाता है तो छत्तीसगढ़ को जाता है। वह सब चीजें बिसरा दी गईं। बरदोली से पहले कंडेल का

आंदोलन है, यह बिसरा दी गई, उसको लिखवाया नहीं गया। उसको बताया नहीं गया। उसके लिए कोई कोशिश नहीं हुई। हमने जब कोशिश शुरू की, लोगों को एकत्र करने के लिए अकादमी बनाई तो अकादमी सड़ने लगी। उसकी ओर ध्यान नहीं है। अब एक राजनीतिक तौर पर उपयोग होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको उसी लाईन में बता देता हूं। हिन्दी से पहले छत्तीसगढ़ी का व्याकरण बना है। राजभाषा आयोग वह जानते भी नहीं कि भाषा बनाने के लिए, उस सूची में जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। हिन्दी अकादमी इसीलिए बनाई थी कि हमारा भी प्रकाशन है, हमारा भी साहित्य है, हमारी भी परंपरा है। ये उतनी समृद्ध है कि उसको भाषा का दर्जा दिया जाये, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस अकादमी को बंद कर दिया।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम बात कहना चाहता हूं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी, मैं राष्ट्रीय दल से आता हूं और मैं स्वीकारता हूं मैं प्रथम वर शिक्षित स्वयंसेवक हूं। मुझे उसमें कोई छिपाना नहीं है। जाप मात मेरे गले उतनी आसानी से नहीं उतरती। इसलिए भी नहीं उतरती खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां भी मूर्ति पूजा नहीं होती, बौद्ध धर्म ज्यादा माने जाते हैं। मैं भी उसमें ज्यादा पड़ता नहीं। लेकिन जब इसका राजनीतिक दुरूपयोग होने लगे जब जरूरी हो जाता है कि हम domicile नीति बनायें और आंकड़ों से, पैसों से, कृत्य से, क्रिया से यह साबित करें कि मैंने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा इस तरह से की है। उस सेवा में लूट निकलेगा, संस्कृति नहीं निकलेगी, परिभाषा नहीं निकलेगी, कार्य नहीं निकलेगा। उसके लिए इसको इतना बड़ा खजाना दिया जाये। अब आखिरी बात आपको समर्पित करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री जी समझ रहे हैं न, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्यादा नहीं कहूंगा। समझदार हैं, वह मैं जानता हूं और करना चाहते हैं यह भी जानता हूं। एक समस्या जो छत्तीसगढ़ में है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- जब इतना जानरकारी रहिस आम मन ला तो 15 साल में domicile नीति क्यों नहीं बनाये? domicile नीति बनाना रहिस हे। सबसे सस्ता काम हे सलाह देना।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी बात है। माननीय मंत्री जी, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप 07 बार जीते हैं, सीनियर हैं। मंत्री महोदय लोगों को बताईये कि आप छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, अपनी विधानसभा के मंत्री नहीं हैं। आपके बाजू में बैठे हैं। 80 करोड़ रुपया दिये हैं। जितना भी था, खाता बंद हो गया। इधर भी चुनकर आये हैं। माननीय ताम्रध्वज साहू जी जिनको उस दिन मैंने शेरशाह सूरी कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपकी रोड उतई से पाटन फोरलेन को, आप दृष्टिकोण देखिये दुर्ग से अंडा तक ले गये, उसको बालोद तक ले जाते तो क्या बुरा था ? मैं रक्षा मंत्रालय को लिखने वाला हूं या मध्य कमान को लिखूंगा कि इसके जेट

उतारने के लायक बनाया जाये क्योंकि एक मार्ग शेरशाह सूरी का है और एक मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी का है। तो यह उदाहरण है। मैं ईमानदारी से अपने बजट को पी.डब्ल्यू.डी. को वापिस करता हूं। उसको दुर्ग ग्रामीण में दीजिए। वह उत्तर देते हैं कि तुम्हारे यहां सब बन गया है तो मैंने कहा कि आप मेरे यहां चलकर घूम लीजिए मैं दिखा दूंगा कि क्या है, क्या नहीं है। मैं जो लिखा, जहां पर जरूरत है, 40-50 टन की ट्रकें चल रही हैं, आपने वह सड़क नहीं ली। आपने औपचारिकतायें निभाई हैं। मैं ऐसे दसों उदाहरण दे सकता हूं जब आपके मंत्री अपनी विधानसभा से, अपने जिले से या अपने तथाकथित समाज से ऊपर नहीं निकल पाये। यह छत्तीसगढ़ का एक बड़ा संकट है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इसको दूर करेंगे। लेकिन मुझे किसी भी क्षेत्र में सिवाय राजनीति को छोड़कर, आप समझ रहे हैं न, उसके अतिरिक्त, आपने टीका को मान्यता देने में देरी की, टीका में जो राजनीति की उसको शामिल करते हुए कोई भी काम नहीं किया जाए कि साढ़े तीन साल में जब छत्तीसगढ़ का कभी इतिहास लिखा जायेगा, गजेटियर कभी लिखा जायेगा तो यह साढ़े तीन याद नहीं किया जायेगा। आप डेढ़ साल में क्या कर लेते हैं, यह देखते हैं। आपने दौंदिया खेड़ा में, उन्नाव डिस्ट्रीक्ट में खोदाई करने की अनुमति दी, उसके लिये धन्यवाद देते हुये, हमको खजाना मिल जाये उसकी अपेक्षा करते हुये, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी को सद्भावना देता हूं कि कर्जा कम लेना पड़े, वह वसूली में मत फंसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और देश की सेवा करें। मैं उनकी इमरान खान से तुलना किया उसको बाद में वापस ले लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका अभी तक के होली का असर समाप्त नहीं हुआ है, अभी-अभी असर बाकी है।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ विनियोग क्रमांक-02, विधेयक 2022, इस सदन में प्रस्तुत की गयी है और इस विनियोग के माध्यम से इस सदन से 1 लाख 12 हजार 6 सौ 3 करोड़ 40 लाख 29 हजार रूपये की मांग की गयी है। मैं इसका समर्थन करते हुये अपनी बात कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के विकास के लिये छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिये, छत्तीसगढ़ के अधोसंरचना विकास के लिये इतनी राशि इस सदन से मांग की गयी है। छत्तीसगढ़ में, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार इन तीन वर्षों में एक नयी परिकल्पना के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, ''गढ़बो नवा छत्तीसगढ़''। जो भी राशि इस बजट के माध्यम से प्रदान की जाती है, यह सरकार और सरकार के मंत्रिमण्डल के सभी सम्माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के विकास के लिये काम कर रहे हैं। हमें आज लगता है हमारी सरकार, कांग्रेस की

सरकार लगातार काम कर रही है और नये सोपान, नयी ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रही है। जो विद्वान सदस्य, जो आदरणीय अजय चंद्राकर जी जो गीता की बातों का उल्लेख कर रहे थे, मैं उन बातों की ओर जाना चाहता हूं,

'' सर्वे भवतु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भागभवेत।

'' सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐ भगवान हमें ऐसा वरदान दो, हमारी सरकार और सरकार के मुखिया लगातार छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की भलाई के लिये, विकास के लिये काम कर रही है। विद्वान सदस्य, अजय चंद्राकर जी ने प्रदेश की, देश की, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी छेड़ने का प्रयास किया तो मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के उस वक्तव्य से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। उन्होंने अपनी पुस्तक ''नयी चुनौती नया अवसर'' में जो बातें कही है। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन के द्वारा 22 मार्च 2000 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किये जाने के अवसर पर, तात्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य है, मैंने आज से 45 वर्ष पहले लोकसभा सदस्य के रूप में पहली बार इस संसद में प्रवेश किया था, मैं विपक्ष की कुर्सियों पर बैठता था और अपनी महान लोकतंत्र के उन मूल्यों और परंपराओं का अवलोकन किया करता था, जो हमारे संस्थापकों के मार्गदर्शन में स्थापित किये जा रहे थे। हमारे संस्थापकों ने जिन परंपराओं की नींव रखी थी, उन्होंने इन 50 वर्षों में हमारा भली-भांति मार्गदर्शन किया है, जैसे-जैसे हमने प्रगति की है, वैसे-वैसे हमारा लोकतंत्र परिपक्व और मजबूत हुआ है। भारत, विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है लेकिन एक गणराज्य के रूप में नया है तथापित लोकतंत्र, कानूनी शासन, अनेकत्व तथा दूसरे के विचारों को आत्मसात करने की क्षमता ने अपनी जड़े इतनी गहरी और मजबूत कर ली है, उन्हें कोई नहीं हिला सकता और यह लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। इन 50 वर्षों में देश ने विकास और प्रगति की है। यह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्तव्य है। आज भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है ? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ माननीय मोदी साहब, अगर कांग्रेस नहीं होती तो आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो आप अंग्रेजों के तलवे चाटते, अंग्रेजों की गुलामी करते। आज इस सदन में जो भी सदस्य हैं यह कांग्रेस पार्टी की देन है। जिन स्कूलों में पढ़े हैं, जिन अस्पतालों में इनकी पैदाईश हुई है और आज यह बोलने लायक हुए हैं, यह आज कांग्रेस की सरकारों की देन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां कश्मीर फाईल्स की चर्चा होती है। इस फिल्म की जो तथाकथित जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं और इन्होंने जो कश्मीर फाईल्स फिल्म बनायी है उस समय किसकी सरकार थी ? उस समय वर्ष 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में व्ही.पी. सिंह जी की सरकार थी। देश के प्रधानमंत्री द्वारा निम्न स्तर का यह बयान आता है कि मैं हैरान हूँ कि अब तक कश्मीर के सत्य को दबाया गया। देश के प्रधानमंत्री का यह निम्न स्तर का बयान आता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि केन्द्र में 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जम्मू कश्मीर में पी.डी.पी. के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय आपने, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? मैं श्रद्धेय राजीव गांधी जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी ने कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न पर संसद का घेराव किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चुप बैठे थे। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए तात्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कई योजनाएं बनाईं, उनके लिए कई फ्लैट बनाये और आज भी उन फ्लैटों में कश्मीरी पंडितों निवास करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, फूट डालो और राज करो और इतिहास को दबाने, बदलने का प्रयास कर रही है। मगर देश की जनता देख रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो फूड डालो की नीति है, यह कभी नहीं चलेगी। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास के लिए हमारी सरकार द्वारा बजट में 24 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। चाहे शहर हो, चाहे गांवों हो, हमारी सरकार विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुझे लगता है कि पहली बार छत्तीसगढ़ के बजट में लगभग 24 हजार करोड़ रूपये की लागत से सड़कें, पुल पुलिया और अधोसंरचना विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि इन्हें प्रजा से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ की प्रजा की भलाई के लिए हमारी सरकार, हमारी सरकार के मुखिया लगातार काम कर रहे हैं। आज हमें लगता है कि अगर केन्द्र सरकार नीति आयोग, रिजर्व बैंक, अन्य सूबे की सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रही है। आज हमारी सरकार की नीतियां, योजनाएं हैं। यू.पी. के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी छुट्टे गायों की समस्या की ओर इंगित करते हैं। आज छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ में साढ़े 11 हजार पंचायतें हैं, उन पंचायतों में गौठान के माध्यम से छुट्टे गायों की समस्या का निदान करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी इंदौर में गोबर गैस प्लांट का भूमिपूजन करते हैं। आज हमारी सरकार गोबर गैस प्लांट की आधारशीला, गौठानों के माध्यम से सस्ता गोबर गैस लोगों को मिले। यह हमारी सरकार की योजना है, उसमें हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बार-बार सुराजी गांव की बात होती है। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत है, मानव संसाधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोगा हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल

रहा है। आज हमारी स्व सहायता समूह की बहनें काम कर रही है। आज देश की 74 प्रतिशत वनोपज की छत्तीसगढ़ में खरीदी हो रही है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसके साथ-साथ वनोपज का Value addition कैसे हो, चाहे महुआ हो, टौरा हो, चाहे अन्य वनोपज हो ? उनसे बनने वाले प्रोडक्ट, उत्पादन करके मार्केट में पहुंचाया जा रहा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे कोंडागांव हो, अन्य जगह की उत्पादित कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, अगर बड़े-बड़े शहरों में पहुंच रहा है तो यह हमारी सरकार की नीति, हमारी सरकार की योजना है। माननीय अध्यक्ष जी, हम लगातार देखते हैं कि नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी की बात होती है। आज हमारी सरकार की एक सोच है। अगर रायपुर और अन्य बड़े शहरों में पानी की समस्या है, आज गंगरेल बांध से हमारे रायपुर शहर के लिए पानी लाने की व्यवस्था इस बजट में प्रावधान किया गया है। यहां पानी की समस्या है। वैज्ञानिक ढंग से, नदी नालों का रिचार्ज, पानी का जल स्तर कैसे आगे बढ़े उसके लिए सरकार लगातार योजना बना रही है। नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी योजना है, उस बाड़ी से फल, फूल सब्जियां और अन्य सामग्रियों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमने वक्त है, बदलाव का नारा दिया था। आज हमारी सरकार उस बदलाव की ओर बढ़ रही है और ब्लाकों में कांग्रेस सरकार ने फूटपार्क योजना में तेजी से काम कर रही है। हमको उसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की डॉ. रमन सिंह जी की सरकार जो काम नहीं कर पाई, आज हमारी सरकार उस ओर काम कर रही है। डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में जहां जिलों में नक्सली गतिविधियां बढ़ गयी थी, यहां तक कि जिस विधानसभा क्षेत्र से जिस जिले से डॉ. रमन सिंह साहब आते हैं, राजनांदगांव जिलों में भी नक्सली गतिविधियां बढ़ गयी थी, यहां तक कि महासमुंद से लेकर रायपुर तक नक्सली गतिविधियां बढ़ गयी थी। हमारी सरकार ने उस ओर विशेष ध्यान दिया है। आज हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े देख रहा था, केन्द्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में 6 वर्ष और वर्तमान में 7 वर्ष कुल 13, 14 वर्षों के कार्यकाल में धान का समर्थन मूल्य में मात्र 460 रूपए की वृद्धि की थी, जबकि हमारी सरकार डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 10 वर्षों में 890 रूपए धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि की थी। यह हमारे आंकड़े हैं। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमें लगता है कि हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार में बिजली बिल हाफ योजना में 40 लाख 56 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को 2,100 करोड़ रूपए से अधिक की छूट मिली है। 15 सालों तक डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी, यह कहते थे, हम यहां के किसानों का दाना-दाना खरीदेंगे। मगर 15 सालों में एवरेज 60 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीद पाए। हमारी सरकार आने के बाद पहले साल में 80 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल में 92 लाख मीट्रिक टन और इस साल 95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। लगभग 20 हजार करोड़ रूपए का धान सीधा-सीधा अन्दाताओं से लिया है। मैं पुरानी पेंशन के बारे में माननीय डॉ. साहब से पूछना चाहता हूं, यह विरोध कर रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी, अधिकारी हैं, 3 लाख कर्मचारियों को पेंशन

मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं। अगर हमारी सरकार ने पेंशन की बहाली की है, हमारी सरकार द्वारा उन कर्मचारियों के हितों का विशेष ख्याल किया गया है । जो जीवन भर, 65 सालों तक सेवाएं देते उसके बाद अगर उनको पेंशन की बहुत कम राशि मिलेगी तो उन कर्मचारियों के साथ यह अन्याय होगा इसीलिये हमारी सरकार लगातार उसमें काम कर रही है और उनको पेंशन देने का निर्णय लिया है । इसके साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2003 में सिरहा, गुनिया, गायंता, माटी पुजारी को हर महीने 500 रूपये मानदेय देने का इनके मेनिफेस्टो में संकल्प था । 15 सालों तक इनकी सरकार रही लेकिन इन्होंने नहीं दिया । मैं हमारी सरकार के मुखिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो गांव में हमारे देवी-देवताओं की पूजा करते हैं । हमारे गायंता, माटी पूजारी, आठ पहरिया, मोहरिया उनको जो राजीव गांधी भूमिहीन कृषकों के समतुल्य लगभग 7000 रूपये सालाना देने का निर्णय लिया है यह ऐतिहासिक निर्णय है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका आदेश-निर्देश मिल गया है लेकिन मुझे तो इस विनियोग में बहुत सी बातें कहनी थी ।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी समाप्त कीजिये ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत सी बातें कहनी थी जो हमारी सरकार लगातार काम कर रही है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विनियोग का समर्थन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं । मैं सदन से सर्वसम्मति से इस विनियोग को पास करने का आग्रह करना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री नारायण चंदेल । पांच मिनट ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विनियोग का विरोध करता हूं और इसलिये विरोध करता हूं क्योंकि हमने बजट पारित किया । विभागवार चर्चा हुई । सारे विभागों की अनुदान मांगें पारित हुई । अब विनियोग विधेयक के माध्यम से हम सरकार को खर्च करने की अनुमति देते हैं । सरकार पहले अपने जन घोषणा-पत्र को एक-बार देख ले उसका आंकलन कर ले । प्रदेश की जनता से 3 साल पहले जो वायदा किया था उसको बिंदुवार देख ले कि उसमें से कितने वायदे उन्होंने पूरे किये हैं ? प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता से हम जो वायदा करते हैं किसी भी सरकार का यह पहला कर्तव्य होता है कि बिंदुवार समय रहते हुए वरीयता क्रम में उन वायदों को हम पूरा करें । शासन चल रहा है लेकिन उसको सुशासन के रूप में कैसे परिवर्तित करें । माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, सारे मंत्री यहां पर हैं और इसलिये इस सरकार को हम एक अच्छी सरकार के रूप में कैसे तब्दील करें ? लेकिन

दुर्भाग्य है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे जितने बेरोजगार नौजवान हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन घोषणा-पत्र में वायदा किया था, माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब जी यहां पर हैं । बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवान अर्जी लिये सड़कों पर घूम रहे हैं और उनकी संख्या बड़ी विराट है, विशाल है । माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब ने जन घोषणा-पत्र जारी किया । प्रमुखता से इस बात को लिखा गया था कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे । इस विनियोग के उत्तर में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहते हैं कितने बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराया और कितने को बेरोजगारी भत्ता दिया है ? हमको यह बताने का प्रयास करेंगे कि किन-किन जिलों में दिया है और कितना दिया है ? माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी चले गये हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 सालों में एक तीर्थ यात्रा योजना चली थी । डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्रवण कुमार का काम किया था । जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जो सत्तू भैया की उम्र से ऊपर के लोग हैं उन सब लोगों को...।

श्री अजय चंद्राकर :- भैया, अपमान मत करो और कम है । उनकी उम्र 50 साल है तो उसको फिर से सुधारो ।

श्री रामकुमार यादव :- उमर पचपन का और दिल बचपन का। (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस तीर्थ यात्रा योजना को इस सरकार ने बंद कर दिया।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- ननकीराम को तीर्थयात्रा में क्यों नहीं ले जाते हो ?

श्री नारायण चंदेल :- ले जायेंगे। उस तीर्थयात्रा योजना को बंद कर दिया। गांव-गांव में बड़े बुजुर्ग इस सरकार को श्राप दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- 5 मिनट हो गये।

श्री नारायण चंदेल :- उस समय हम किसी भी गांव में जाते थे। चौपाल में बैठते थे। गुड़ी में बैठते थे। बातचीत करते थे और जब बुजुर्गों से पूछते थे तो बड़े प्रफुल्लित मन से बताते थे कि हम जगन्नाथ पुरी हो आये, हम द्वारिकापुरी हो आये। हम बद्रीनाथ हो आये। ये सरकार की बहुत बड़ी योजना थी। महती योजना थी।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- ननकी को तीर्थ क्यों नहीं ले गये ?

श्री रामकुमार यादव :- अभी तो चर्चा ही हावय। राम मंदिर के ओ चंदा वाले घलो चर्चा हे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, समाप्त करिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में जो बुनियादी काम है, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल किसी का कहीं पर कोई पता नहीं है। स्कूल में मास्टर नहीं है। अस्पताल

में डॉक्टर नहीं है। यह इस सरकार का रवैया है। किसलिए इन्हें पैसा दें ? माननीय मोहन मरकाम जी अभी धान खरीदी की बात कर रहे थे।

समय :

2.41 बजे **(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति जी, आपके और हमारे जिले में जिस प्रकार से धान खरीदी हुई है, तालाब को खेत बताकर, खेल मैदान को खेत बताकर, उसका फर्जी नंबर देकर खसरा नंबर, रकबा नंबर देकर धान बेच दिया गया और अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिन लोगों ने यह घालमेल किया है, जिन लोगों ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, आज तक वे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। किसलिए सरकार को पैसा दें ? माननीय सभापति महोदय, अभी हम लोगों ने शून्यकाल में यह विषय उठाया था। उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि वर्ष 1975 में जो लोग 19 महीने तक मीसा में बंद रहे, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, उन जयप्रकाश नारायण जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अभी मीसाबंदियों को उनका पेंशन पुन: बहाल किया जाये, यह उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, लेकिन यह सरकार न्यायालय के फैसले को भी नहीं मान रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, वहां पर बड़ी संख्या में हमारे बुनकर भाई हैं और यह सरकार विज्ञापनों के माध्यम से कहती है कि हम ग्रामोद्योग को बढ़ावा देंगे। हम कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे, लेकिन माननीय सभापति जी, कोई टीम जाकर यहां से देख ले, मेरे क्षेत्र में चांपा में और गांव में बुनकर कितना मेहनतकश होता है, लेकिन उन बुनकरों को पिछले 3 साल से बुनाई के लिए धागा नहीं मिल रहा है। उनके सामने में रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गई है। (शेम-शेम की आवाज) उनका जो कर्जा माफ होना चाहिए, इसके लिए वे अनेकों बार मुख्यमंत्री से मिल चुके। ग्रामोद्योग मंत्री से मिल चुके, लेकिन यह सरकार उनका कर्जा माफ नहीं कर रही है। जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उनका कर्जा माफ किया था। बहुत बड़ी बात होती है कि हम पुलिस को सक्षम बनायेंगे। हम पुलिस के जो जवान हैं, उनकी समस्याओं का निदान करेंगे।

श्री ननकीराम कंवर :- एक मिनट। ये पुलिस को इतना सक्षम बना रहे हैं कि कम से कम रोज किसी न किसी थाने का कहीं 50 हजार, कहीं 20 हजार। रिपोर्ट करने वाले से 20 हजार रूपये लेने की कोशिश कर रहे हैं। सक्षम तो बना रहे हैं भाई। यानी आपको ताज्जुब होगा कि 30 हजार साधारण आदमी से लेते हैं। आदिवासी से शराब बना लिये कहकर 30-30 हजार रूपये ले रहे हैं। कैसे सक्षम बना रहे हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- ननकीराम जी, पुलिस थाने में तो अभी गन्ना रख दिया गया है । माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदेश के पुलिस कर्मियों की बात कर रहा था। वे दिन रात ड्यूटी करते हैं, सप्ताह

में एक दिन छुट्टी की बात हुई थी लेकिन कहीं कोई अता-पता नहीं । हमारे होमगार्ड के जवान हैं, उनको आदम-हव्वा के जमाने से, मोहन जोदड़ो हड़प्पा के जमाने से वेतन मिल रहा है, वही आज तक मिल रहा है। कम से कम उसी में बढ़ोतरी कर देते । जब यह सदन सरकार को खर्च करने की अनुमति दे रहा है तो हमारे पुलिस और होमगार्ड के जवानों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाय, मुख्यमंत्री जी इस बात की घोषणा करें ।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करें ।

श्री नारायण चंदेल :- समाप्ति की तरफ है । सभापति महोदय, ये किसानों की बड़ी-बड़ी बात करते हैं । सभी जिलों में, ब्लॉक हेड-क्वार्टर में रेस्ट हाउस है, विश्राम गृह है, सर्किट हाउस है लेकिन किसी जिले में, किसी ब्लॉक हेड-क्वार्टर में किसान सदन नहीं है । जो इस छत्तीसगढ़ का भूमिपुत्र, अन्नदाता किसान है, छत्तीसगढ़ की सारी अर्थव्यवस्था किसान और खेत पर आधारित है लेकिन जब वह रायपुर आता है, बिलासपुर जाता है, दुर्ग-भिलाई जाता है, कोरबा जाता है तो वह कहां रूकेगा ? इसलिए हमारी इस सरकार से मांग है कि हर जिले में और हर ब्लॉक हेड-क्वार्टर में किसान सदन का निर्माण किया जाए, जिससे कि किसान वहां पर रूक सकें । माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों विधान सभा के एक प्रश्न में आया था कि यदि सबसे ज्यादा प्रकरण बकाया हैं तो राजस्व विभाग के प्रकरण बकाया हैं । नामान्तरण के प्रकरण, सीमांकन के प्रकरण, लाखों की संख्या में बकाया है । आपका अमला आखिर करता क्या है ? पटवारी, बिना 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार लिए बिना सीमांकन करने नहीं जाता है । पर्ची नहीं बनाता और न कभी गांव में जाता, गांव में जाने की न तो कोई तिथि है और न ही उसका कोई समय है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- 50 मिलथे तो बरसात मा खड़े फसल मा हो जाथे।

श्री नारायण चंदेल :- किस बात के लिए सरकार को पैसा दिया जाए । सीमांकन, नामांतरण किसका होता है, जो गांव का आदमी है, किसान आदमी है, मध्यमवर्गीय है, वह बेचारा पटवारी के चक्कर काटता रहता है, आर.आई. के घर के चक्कर काटता रहता है । इस व्यवस्था में बदलाव लाने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त कीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, आज टी.एस. साहब बैठे हैं । वे कल बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कल उन्होंने 14-15 लोगों को ले-देकर यानी लटपट निलंबित किया है, निश्चित रूप से वे ठीक हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जांजगीर के सी.ई.ओ. हट गिस धुन काम करते हे।

श्री नारायण चंदेल :- वो तो तैं बोलेस तो हमन जान डारेन उही हे कहिके ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- जांजगीर ही नहीं, सब जगहों के सी.ई.ओ. की यही हालत है ।

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

सभापति महोदय :- श्री शैलेश पाण्डेय ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पाण्डेय जी, जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा ।

श्री नारायण चंदेल :- पंचायत मंत्री जी, समग्र की राशि कहां है ? 15 साल में तो समग्र की राशि सब विधायकों को मिलती थी । लेकिन माननीय पंचायत मंत्री जी इस पक्ष के विधायकों को इन 3 सालों में समग्र की राशि का दर्शन नहीं हुआ है ।

सभापति महोदय :- चलिए । अब समाप्त करियेगा ।

श्री नारायण चंदेल :- प्राधिकरण की राशि बंद हो गई है । चाहे वह एस.सी.प्राधिकरण हो, एस.टी.प्राधिकरण हो या ओ.बी.सी.प्राधिकरण हो । ओला धर-धर के करही का, मूसवा कोतर दिही ।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करिये ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- समग्र के साथ 2 करोड़ रूपए विधायक जी लोगों को अलग से मिल ही गया ना, बिना कटौती के ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सी.एस. बैठे हैं । एक व्यवस्था दे दीजिए, माननीय मंत्री जी सी.एस. साहब को लिखकर दे दें, दोनों बाहर निकलकर स्वीकृत कर दें।

श्री नारायण चंदेल :- अभी आज के मेरे प्रश्न के जवाब में आया है कि डी.एम.एफ. की राशि का किस प्रकार से दुरूपयोग हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। इसका सदुपयोग हो, एक तो आपके पास वैसे ही पैसे की कमी है, उसका प्रशिक्षण हो रहा है 17 करोड़ रूपए का प्रशिक्षण जांजगीर-चांपा जिले में कोरोनाकाल में हो गया ।

सभापति महोदय :- माननीय समाप्त करें 15 मिनट हो गया ।

श्री नारायण चंदेल :- आज बताया गया है कि 3 करोड़ का कुर्सी टेबल खरीद लिया गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोरोनाकाल में पोटाकेबिन से 100 परसेंट पैसे निकले हैं ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- सभापति जी, मैं तो खड़ा हूं ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी, आप बैठे हैं । यहां के पी.एम.आवास की राशि उसको दिलवा दीजिए । यह सदन आपको पैसा दे रहा है, खर्च करने की अनुमति दे रहा है लेकिन गांव में रहने वाले दुकालू, सुकालू, बैसाखू, समारू, पहारू, डहारू आज यह प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय चंदेल जी, इंहा के दुकालू, सुकालू, अइय्या, बइय्या मन के जो जी.एस.टी. के पैसा रूके हे, ओकर तो दिल्ली से दिलवा देवा।

सभापति महोदय :- चंदेल जी बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- यादव जी, चंदेल जी हर जितना तेज गति म एक साथ सबके नाम लीस, ओसने तहूं ले सकथस।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- हां।

श्री धर्मजीत सिंह :- ले तहूं नाम लेके बता।

सभापति महोदय :- माननीय आपकी बारी आएगी तो बोलियेगा। श्री शैलेष पाण्डेय जी।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, मेरा आग्रह यह है। मेरे क्षेत्र में एक मड़वा प्लांट है। अभी मुख्यमंत्री जी चले गये। 02 जनवरी को मड़वा प्लांट के सैकड़ों कर्मचारी, जो वहां के भू-विस्थापित हैं और जो वहां पर काम करते थे, उनकी जमीन पर वह प्लांट खड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जब उन्होंने सूचना देकर चरणबद्ध आंदोलन किया, प्रशासन को सूचना दी, प्रदेश के सरकार को सूचना दी, यहां के एम.डी. को सूचना दी, लेकिन सरकार ने उनसे कोई वार्ता नहीं किया और 02 जनवरी को पूरा आंदोलन हिंसक हो गया।

सभापति महोदय :- प्लीस, बैठिये। श्री शैलेष पाण्डेय जी।

श्री नारायण चंदेल :- आज 19 लोग जेल में हैं और करीब 400 लोगों के ऊपर में अपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है, जो वहीं के बच्चे हैं। वे कहीं के अपराधी नहीं हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिये चंद्रा जी। डिस्टर्ब न करें।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- भैया, हिंसा प्रशासन म रहीसे। लाठीचार्ज करतीस नहीं, मारतीस नहीं, अंदर म बुलाकर चर्चा नइ करतीस, जो अंदर म बइठे हे तेकरो ऊपर अपराध कायम करथे।

श्री नारायण चंदेल :- प्रशासन ने उनसे बलपूर्वक काम किया, इसलिए वह आंदोलन हिंसक हुआ।

सभापति महोदय :- चंदेल जी, प्लीस बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर जमना के सब करे हावा, ओला हमन अभी भुगता हन ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि मड़वा प्लांट के जिन निरपराध लोगों के ऊपर में जो धाराएं दर्ज की गई हैं, वह वापस लिया जाय और उनको नियमितीकरण किया जाए, यह हमारा आग्रह है। माननीय सभापति जी, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- Thank you.

श्री शैलेष पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें जो प्रदेश की जनता के हित में जो मांगें की गई हैं, उन मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण जो योजनाएं बनाये हैं ...।

श्री अजय चंद्राकर :- पाण्डेय जी, एक मिनट। आप छत्तीसगढ़ में बोलिये न। जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं उसको मुख्यमंत्री जी बहुत पसंद करते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शैलेष पाण्डेय :- जो योजनाएं बनाये हैं, वह सभी योजनाएं, जो हमारे आजाद भारत के स्वप्न दृष्टा थे, महात्मा गांधी जी, स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वीर्गीय इंदिरा गांधी जी, आधुनिक भारत के निर्माता स्वगीर्य राजीव गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता राजीव गांधी जी इन सभी के दिशा-निर्देश और परिकल्पना के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। माननीय सभापति महोदय, सभी सरकारें आती हैं, अपनी बातें रखती हैं, अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करती हैं, जो प्रदेश की जरूरत है, उस प्रदेश की जरूरत के हिसाब से अपने-अपने तरीके से सरकार चलाई जाती है। आपने 15 साल सरकार चलाई। आपने सरकार कैसी चलाई, आपने 15 वर्ष तक क्या किया, यह आपको जनता ने बता दिया है। यह आपको जनता ने तीन वर्ष पहले बता दिया कि आपने 15 वर्ष सरकार कैसी चलाई है। यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, यदि प्रदेश का भला चाहती है, गरीबों का भला चाहती है, किसानों का भला चाहती है, मजदूरों का भला चाहती है, तो क्या गलत कर रही हैं? यहां विधान सभा में तो ऐसा जिक्र ...।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पाण्डेय जी, आपके अलावा सरकार सबका भला चाहती है।

सभापति महोदय :- चंद्रा जी, बैठिये।

श्री शैलेष पाण्डेय :- यहां इस प्रकार से बड़े-बड़े हमारे वक्ता, वरिष्ठ नेता, मार्गदर्शक सदन में ऐसी बाते करते हैं, जैसे पता नहीं कि हम लोग तीन साल से क्या कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने विद्वान जब वे अपने मंत्रिमण्डल में थे, अपनी सरकार में थे, अपने 15 वर्ष की सरकार में थे, तब वह नैतिकता, ज्ञान, विचारधारा, वह सब कहां चला गया? आज जनता ने आपको वहां बैठा दिया है। तो आपके अंदर नैतिकता भी आ गई है, आपके अंदर ज्ञान भी आ गया है और आप लोग प्रदेश के बिल्कुल कर्ता धर्ता। बात यह नहीं है, बात यह है कि अभी भी उनमें जो 15 वर्षों का नशा है वह उतरा नहीं है। वह तामझाम का नशा, भ्रष्टचार का नशा, कमीशनखोरी का नशा, यह उतरा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, कल पूर्व मुख्यमंत्री आदरणी डॉ. रमन सिंह जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था अर्थी पर आ गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राम-राम सत्य हो गया है। यही मतलब है न? आपने राम-राम सत्य कर दिया है। यह कितना गंभीर आरोप है, यह कितनी गंभीर बात है जो व्यक्ति 15 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के मुखिया रहे, उनका यह वक्तव्य कहां तक उचित है? और क्या उनको शोभा देता है? सरकार वेंटिलेटर पर है। अर्थव्यवस्था अर्थी पर आ गई है। यह सब अच्छी बातें नहीं हैं। यह सब बातें बाहर जाती हैं। जनता पेपर में पढ़ती है। आज पेपर में बड़ा-बड़ा छपा है, आपने ही छपवाया होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं 15 वर्षों की बातें याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा कि अर्थव्यवस्था अर्थी पर आ गई है तो आप यह बताइये कि प्रदेश का किसान भले ही आत्महत्या करता रहे लेकिन हम मोबाइल जरूर बांटेंगे। इनके अंदर यह संवेदनशीलता थी। हमारे प्रदेश का गरीब भूखो मर जाए लेकिन हम स्काई वाक जरूर बनाएंगे। हमारा आदिवासी भाई,

जिसके पास खाने को कुछ न रहे लेकिन हम अपना फोटो लगाकर आदिवासियों को टिफिन जरूर बांटेंगे, खाना मिले चाहे न मिले। हम युवाओं को लैपटाप जरूर देंगे लेकिन हम उनको नौकरी नहीं देंगे। 23 लाख युवाओ को बेरोजगार करके रख दिया। यह तो पंजीकृत है और अपंजीकृत कितना होगा! हम बोनस तिहार जरूर मनाएंगे लेकिन 2100 रूपये समर्थन मूल्य और 300 रूपये बोनस केवल चुनाव के वर्ष में ही देंगे। भले ही जनता कुछ भी कहे। प्रदेश की जनता अर्थी पर लेट गई। 15 वर्षों में प्रदेश की जनता को अर्थी पर लेटा दिया लेकिन इन्होंने कमिशनखोरी और भ्रष्टाचार बंद नहीं किया।

श्री सौरभ सिंह :- अभी आप लोग बंद कर दो न महाराज। आपसे सादर निवेदन है। प्रदेश की जनता की तरफ से अब आप लोग बंद कर दो।

श्री रामकुमार यादव :- हमर हा बंदेच हे हो। तुहरेच हा अभी अउ चलतीस।

श्री शैलेष पाण्डेय :- क्या-क्या हुआ, हम लोग प्रदेश की स्थिति का अपने भाषण में गिनाएंगे।

श्री रामकुमार यादव :- बंद हे महाराज, बंद हे। ते चिंता मत कर।

श्री सौरभ सिंह :- अभी बंद कर दो न, आपने कहा है।

सभापति महोदय :- चलिये, मुख्य बात पर आइये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- 15 साल में...।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, बइठो न भाई। दस ही मिनट मिला है।

सभापति महोदय :- 5 ही मिनट में अपनी बात रखना है।

श्री रामकुमार यादव :- अउ कटवा देहो बोल के।

श्री शैलेष पाण्डेय :- लेव, बीच में 5 मिनट का 2 मिनट कट जाता है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार की सोच वैसी नहीं है, जैसी आपकी थी। हमारी सरकार गरीब आदमी की सरकार है। आम आदमी की सरकार है। मजदूर की सरकार है। किसान की सरकार है। आदिवासी की सरकार है और हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं जिसके कारण आज खुशहाली है। हम बजट की बात करते हैं। कल डॉ. रमन सिंह जी ने अपनी बातें रखीं। उस दिन भी बातें रखी थीं, कल भी बातें रखीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 वर्ष कोरोना काल के रहे, उस कोरोना काल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति की क्या स्थिति थी ? जी.एस.डी.पी. की क्या स्थिति थी ? आपने लॉकडाउन करके रख दिया। पूरा देश लॉकडाउन था। कहां से खाने का मिलेगा ? कहां कोई काम कर रहा था ? कहां कोई रोजगार चल रहा था ? कहां कोई उद्योग चल रहा था ? कहां कोई नौकरी कर रहा था ?

श्री सौरभ सिंह :- आपके ऊपर तो एफ.आई.आर. कर दिये। आप तो जनता की सेवा करने जा रहे थे, आपके खिलाफ एफ.आई.आर. कर दिये।

श्री रामकुमार यादव :- सुनो न अउ अइसे कर दे रहे हो...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- ओ बिजेगहा ला बजवावत रहे हव अउ थारी ला बजवावत रहे हव, लोटा ला बजवात रहे हव।

श्री शैलेष पाण्डेय :- हमारी सरकार ने। प्रमोद भाई, बैठिये न भाई।

सभापति महोदय :- प्रमोद जी, डिस्टर्ब न करें। पाण्डेय जी।

श्री शैलेष पाण्डेय :- सर, टाइम-टाइम। माननीय सभापति महोदय, हमारा जो अनुमानित बजट है आज अनुमानित जी.एस.डी.पी. क्या है ? आज हमारे प्रदेश की अनुमानित जी.एस.डी.पी. 11 परसेंट से ज्यादा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने 2 साल कोरोना काल के काटे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार काम कर रही है, जो जनता काम कर रही है, जिस प्रकार से उद्योग काम कर रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में काम हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में काम हो रहा है उससे हमारा जी.एस.डी.पी. जो है, वह बढ़ा है।

सभापति महोदय :- चलिये, बहुत बढ़िया। चलिये, बंद करिये।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट और लूंगा। आप कर्जे की बात करते हैं। आप भारत सरकार का कर्जा देख लीजिए। उनके जी.एस.डी.पी. का उनका भी 26 परसेंट है। हमारा जी.एस.डी.पी. का कर्जा 21-22 परसेंट के आस-पास है। हमारा कर्जा कम है और अगर हमने कर्जा लिया तो हमने प्रदेश की भलाई के लिए लिया। राजस्व में 85 परसेंट, पूंजीगत व्यय 15 परसेंट, केंद्र की अनुमानित अनुदान कर्ज पिछले 3 सालों से घटा है। इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा ? इसका प्रभाव प्रदेश की जनता पर पड़ेगा।

समय :

3:00 बजे

आप बार-बार लांछन लगाते हैं, आप बार-बार कहते हैं कि यह बजट नहीं दिया, वह बजट नहीं दिया । बजट तो हम लोग देने को तैयार हैं, मुख्यमंत्री जी दोनों हाथों से दे रहे हैं । प्रभु, ऊपर से कुछ पैसा तो लाओ। वहां से तो कुछ नहीं ला रहे हो और हमको ही बोले जा रहे हो । आपको चिन्ता नहीं है । आपको चिन्ता नहीं है कि प्रदेश की जनता से टैक्स वसूल कर जो पैसा दिल्ली जाता है, वह पैसा वापस आना चाहिए । वह पैसा वापस क्यों नहीं आता?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पांडे जी, ऊपर ले छप्पर फाड़ के दिही ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आपके कुर्सी में एक लाईट लगा दें, डिटेक्टिव मशीन लगा दें ।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, बैठिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- पांडे जी, थोड़ा प्रेम से बत्ती दो, इतने गुस्से में अच्छे नहीं लगते ।

श्री शैलेश पांडे :- जैसे लेते हैं, वैसे देते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन नहीं

श्री संतराम नेताम :- पांडे जी अजय चन्द्राकर जी की स्टाईल में बोल रहे हैं।

श्री अरूण वोरा :- धर्मजीत भैया, वैसे ही अजय चन्द्राकर जी से घायल हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- काहे को लगते हो । उनका मुकाबला आप नहीं कर पाओगे । प्रेम से बोलो, सभी सदस्य सुन रहे हैं ।

सभापति महोदय :- पांडे जी, समाप्त करें ।

श्री शैलेश पांडे :- मैं आपसे क्षमा चाहता हूं । सभापति जी, दो मिनट । यह बहुत जरूरी बात है क्योंकि इस विषय पर अभी तक अजय चन्द्राकर जी ने ही अपनी बात रखी है । इसमें दूसरी चर्चा हो ही नहीं पायी है । सभापति जी, आपने सूचना प्रौद्योगिकी की बात की । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेशनल ई गर्वनेंस प्लान के अंतर्गत जब डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब देश में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या ढॉंचा बनाया गया था ? आम जनता को सुविधा मिले, उसके लिए क्या बनाया गया था ? उसके लिए सबसे पहले हमारी केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एक लाख कामन सर्विस सेन्टर बनाने की घोषणा की थी । जो ग्राम पंचायत में यह सब ग्रामीण सूचना केन्द्र थे । उसके ऊपर हम लोगों ने स्वान प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट लाए और उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल किया और हमने स्टेट डाटा सेन्टर बनाया । एक लाख सर्विस सेन्टर खोले गए, छत्तीसगढ़ में 3500 ग्रामीण च्वाइस सेन्टर खोले गए, लेकिन आपने 15 वर्षों में बंद कर दिया क्योंकि वह केन्द्र सरकार की योजना थी, वह कांग्रेस सरकार की योजना थी । आप जनता के सुविधाओं की बात करते हैं । आपने खुद ऐसे च्वाईस सेन्टर बंद किये, जिसका खामियाजा प्रदेश की भोली-भाली जनता को, ग्रामीण जनता को होता है ।

माननीय सभापति महोदय, मेरी कुछ छोटी-छोटी मांगे हैं, उसको रख देता हूं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पांडे जी, अभी तो आप बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री दोनों हाथ फैलाकर देते हैं तो मांगने की क्या जरूरत है ?

श्री शैलेश पांडे :- मांगना तो पड़ेगा न ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- क्यों मांगना पड़ेगा ? देने के लिए दोनों हाथ फैला हुआ है ।

सभापति महोदय :- चंद्रा जी, आपका भी नाम है, बैठिए ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर में 229 करोड़ रूपए के फोर लेन ब्रीज के लिए विधान सभा से बजट पास किया । मैं चाहता हूं कि इसकी प्रशासकीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाये । बिलासपुर में वैकल्पिक मार्ग तिफरा, यदुनंदन नगर की 31 करोड़ रूपए की सड़क सेंशन की गयी है, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति अभी नहीं मिली है । अरपा नदी के दो नये ब्रीज दिए गए हैं, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री से चाहता हूं । 132 के.व्ही.ए. का सब स्टेशन जो 22 करोड़ का है, उसके लिए एक साल से जमीन नहीं मिल पा रही है। उसके लिए कलेक्टर को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निर्देशित करें, वहां सब स्टेशन का निर्माण जल्दी हो सके। मिनी बस्ती जो बिलासपुर में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनको राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टा दिया जाये । मैं फिर से मांग करता हूं कि मेरे बिलासपुर की नगर निगम को 50 करोड़ रूपये दिया जाये, ताकि बिलासपुर शहर के छोटे-छोटे काम हो सके । सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति जी, मैं विनियोग विधेयक का विरोध करने के लिए अपनी बात कहना चाहता हूं । पांडे जी, आपने भी मांगा तो केवल 50 करोड़ । उसमें न जाने दुनिया भर का, कहां-कहां का ईलाका जोड़ लिए हो। मांगना था तो 100-150 करोड़ रूपए मांगते । 50 करोड़ रूपए मांगे हो तो 5-10 करोड़ तो वैसे ही मिल जाता है तो उससे कुछ नहीं होगा । आप तकलीफ पाओगे, आप समझ नहीं रहे हो । आपके नगर निगम में कम पैसा जा रहा है, आप सब निपट जाएंगे इसलिए आप पैसा ठीक से मांगिए ।

माननीय सभापति महोदय, मैं बिना कोई भूमिका के सीधी बात कर रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में कई विभागों में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां पर कोई नियंत्रण करने की स्थिति बनी हुई है, पर नियंत्रण नहीं हो रहा है । आप इसको जरूर ख्याल कराईएगा । मुख्यमंत्री जी मंत्रिमण्डल के मुखिया हैं, मुखिया होने के नाते आपका यह दायित्व है कि मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण हो । मैं नहीं समझता कि यह उचित है कि किसी मंत्री के अधिकारों का आंशिक रूप से भी हनन हो । आपके द्वारा मंत्रियों के ऊपर मुख्य सचिव की जो समिति गठित की गई है, जो कि उनके द्वारा विवेकाधीन मद (डिस्क्रीप्सनरी फंड) के प्रस्तावों को अनुमोदित करेगी। मुख्य सचिव साहब का पूरा सम्मान है। वह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत पुरानी दोस्ती है। लेकिन प्रोटोकाल के हिसाब से मंत्री के प्रस्ताव को मुख्य सचिव मंजूर करेंगे या मुख्य सचिव के प्रस्ताव को मंत्री मंजूर करेंगे ? इसको सुधारने की जरूरत है। इससे थोड़ा पीड़ा भी पहुंचती है और यह अच्छी परम्परा भी नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे कर्मचारी भाईयों के लिए भी बोलना चाहता हूं। आपने अपने घोषणा-पत्र में कहा भी था कि आप कर्मचारियों का महंगाई भत्ता वगैरह देखेंगे। मैं इसमें कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। पांडे जी जरा सुनिये, वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, केन्द्र सरकार ने 3 प्रतिशत और महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए तैयारी कर ली है, जो उनको दो-तीन माह के अंदर दे दिया जायेगा। अभी राज्य में सिर्फ 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। केन्द्र और राज्य के बीच 14 प्रतिशत महंगाई भत्ते का अंतर है। वर्तमान में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और झारखण्ड सहित अन्य राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है। उल्लेखनीय है कि छोटे और नये राज्य, हमारे जैसे ही राज्य झारखण्ड में 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता लागू कर दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों में जो उदासीनता का माहौल है, उसको दूर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करने के लिए आप कृपा करे और उनका जरूर महंगाई भत्ता बढ़ाईये ताकि हमारे कर्मचारी हमारे गांव के गरीब लोगों की सेवा करते हैं, वे अच्छे माहौल में कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और मांग करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की पहल करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा के साथ ही यहां एक विधान परिषद् का भी गठन होना चाहिए। क्योंकि सरगुजा, अम्बिकापुर और रायगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, वहां उस समाज के लोग तथा दूसरे समाज के लोगों को भी जनता की सेवा करने का अवसर मिले। कई बार चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलता है या जनता की सेवा करने के लिए प्रतिनिधि बनने का अवसर नहीं मिलता है, तो जब यह संस्था बनेगी सभी समाज के उन लोगो को जो समाज की सेवा करने के लिए उपयुक्त हैं और उनकी समाज में मान्यता है, ऐसे लोगों को यहां अवसर प्राप्त होगा। तो विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए और यह पहल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को ही करना चाहिए। मैं जानता हूं कि यह निर्माण इनके हाथ में नहीं है, लेकिन वह प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। न्यूनतम 120 सीट का विधानसभा होना चाहिए। लेकिन कहीं पर कोई बहुत परिस्थिति होगी तो विशेष परिस्थिति में कम सीट में भी विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, इसको जरूर देखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं कानून व्यवस्था के बारे में बहुत जिक्र नहीं करूंगा। कल जब मैं विधानसभा से घर गया तो मुझे रात को खरोरा की एक उमा पुरैना, जो अनुसूचित जाति की महिला है, उसका एक फोन आया था। उन्होने इसमें तमाम लोगों को पत्र भेजने का लिखा हुआ है। श्री ताम्रध्वज साहू जी, रविन्द्र चौबे जी, पुलिस महानिरीक्षक जी, पुलिस महानिरीक्षक संभाग बिलासपुर, एस.पी., अजय चन्द्राकर जी को भी कापी दिए हैं। खरोरा के पास के 5-10 गांव में खुले आम शराब, सट्टा, जुआ हो रहा है, ढाबे में शराब बिक रही है। उसने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उसकी इस बात को विधानसभा में उठाऊ, तो मैं उस बात को उठा रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हालांकि अभी यहां मुख्यमंत्री जी नहीं हैं, गृहमंत्री जी नहीं हैं, निश्चित रूप से अधिकारी लोग हैं तो कार्रवाई कराईयेगा, आपके थानेदार, किसी टी.आई. एस.आई. के बारे में है, कौन है, जरा दिखवा दीजियेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं पर्यटन के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, अमरकंटक के पास जो राजमेड़गढ़ जगह है, वह हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत सुन्दर जगह है। मैं समझता हूं कि आपके कार्यकाल में पर्यटन विभाग में सिर्फ राम वनपथ गमन के अलावा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं दिखाई दे रही है। तो अमरकंटक के पास राजमेड़गढ़ में एक अमरकंटक धाम बसाने के लिए विधान सभा में बहुत पहले मैंने प्रस्ताव रखा था । अशासकीय संकल्प भी पास है, अमरकंटक धाम अगर आप बनायेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग वहां जायेंगे और हमारे छततीसगढ़ के लोग अमरकंटक ज्यादा जाते हैं और वहां रूकने की सुविधा नहीं है । वहां ठंड में बरसात में खड़े होने की भी जगह नहीं है । किसी दूसरे

के धर्मशाला या आश्रम के भरोसे में रहना पड़ता है । यह हमारा छत्तीसगढ़ का बहुत सुंदर जगह है, वह आबाद हो सकेगा । मेरे खुड़िया में भी पर्यटन विभाग ने कुछ नहीं किया है, मैं चाहता हूँ कि आप वहां पर कुछ करवा देंगे । वनों की रक्षा ठीक से नहीं हो रही है, वन्य प्राणी लगातार मर रहे हैं, जंगलों की अवैध कटाई हो रही है । अवैध शिकार हो रहे हैं, एक रजनी शेरनी थी, वह भी अब मर गई। अचानकमार टाईगर रिजर्व में घायल अवस्था में मिली थी । इसका देखरेख ठीक से होना चाहिये । वन्य हमारी संपदा है, सुरक्षा बहुत जरूरी है । जैसा कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में हुआ था, वन विभाग में 8 करोड़, 10 करोड़ लगे थे, वन विभाग वाले इतना लंबा खींच रहे हैं, उसका कोई इंतजाम ही नहीं है । जो वहां रेंजर है, वह वहां डी.एफ.ओ. भी बन जाता है, जो वहां पर फारेस्ट गार्ड है, वहां पर डी.एफ.ओ. बन जाता है । पता नहीं वहां पर वन विभाग में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, वन सचिव का नियम लगता है कि और किसी का वहां नियम चलता है । मेरे को समझ में नहीं आ रहा है । वहां तो बहुत ज्यादा विस्तृत देखरेख और जांच की जरूरत है । प्रभारीवाद की जो व्यवस्था चल रही है ना, वह भी भ्रष्ट्राचार का एक बहुत कारण है । उसको भी खत्म होना चाहिये । मैंने एक मांग की थी कि अचानकमार टाईगर रिजर्व के अंदर जो सड़क है, उसको बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को वन विभाग अनुमति दे, इसमें कहीं पर भी कानूनी व्यवधान नहीं है । अगर यह सड़क बन जायेगी, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का, मध्यप्रदेश के आखिरी छोर अमरकंटक तक पहुंच हो जायेगा । टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा । अचानकमार टाईगर रिजर्व भी घूमेंगे और वहां से अमरकंटक भी जायेंगे । टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा । यह कौन सा जिद्द है कि यह सड़क नहीं बनने देंगे । अंग्रेजों के जमाने का सड़क है, जब आपका ए.टी.आर. नहीं बना था, फारेस्ट का अमला नहीं था, तब से सड़क है । अभी कान्हा किसली में चिल्फी घाट से लेकर गढ़ी तक रोड देखा है, जो कि अचानकमार टाईगर रिजर्व से पुराना है, नेशनल पार्क है, वहां जब सड़क बन सकती है तो यहां क्यों नहीं बन सकती है । इसलिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप चाहिये । खुड़िया में भी जंगल सफारी खोलने के लिए विचार करने की कृपा करेंगे । मैंने अभी पिछले बजट भाषण में एक मांग की थी, एक लोरमी में परसवारा गांव है, गुनापुर गांव है, इन दोनों गांव में कृषि सहकारी साख समिति, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तब से है । इस साख समिति में जो किसान लोग हैं, पूरे और कृषि साख सहकारी समिति के लोगों को पट्टा मिल चुका है । इन गांव के लोगों का क्या दोष है कि इन लोगों को पट्टा नहीं मिल रहा है । इसको भी आपको देना चाहिये । हमारा लोरमी एक कोने में बसा हुआ विधान सभा है । यहां के कोर्ट में आने के लिए लमनी के आगे अतरिया गांव कम से कम 100 किलोमीटर दूर से लोग वहां पर कोर्ट में आते हैं, दो दिन लगता है, वहां पर एडीजे का एक कोर्ट खोलने के लिए पुरानी सरकार और आपने लिखा था, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नये तथ्यों के संग एक बार फिर से माननीय हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाये, यहां पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय खोला जाये, ताकि वहां के गरीबों

को न्याय मिल सके । व्यवहार न्यायालय लोरमी में भवन बनाने के लिए भी आप जरूर पैसे की व्यवस्था करायेंगे ।

सभापति महोदय :- समाप्त करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, 13 दिन का सत्र है, 11 वां दिन में आप ऊं श्री गणेशायन नम: समाप्त हो रहा है । थोड़ा सा बोल तो लेने दीजिए । थोड़ा बैठ लेंगे ना, दिक्कत नहीं है । हो जायेगा, हम पूरा सहयोग करेंगे । आप 9 बजे तक चलाते हैं, हम 9 बजे तक बैठते हैं । आप थोड़ा बोलने दीजिए । सभापति महोदय, पिछले बजट का पैसा खर्च नहीं हुआ है । दरवारा, कारीडोंगरी, लोरमी के पास पुल का बजट में प्रावधान था, अभी तक उसमें एक तिनका भी नहीं रखा गया है । मनियारी नदी में कटामी, बम्हनी वन ग्राम के बीच में एक फॉरेस्ट का पुलिया बना दीजिए ताकि वहां पर लोग आ जा सकें। बेलगहना के सिद्ध बाबा के नीचे एक रेस्ट हॉउस था, वह रेस्ट हॉउस टूट गया है। वहां एक नया रेस्ट हॉउस बनाईये। वह पुराने जमाने का रेस्ट हॉउस है। अभी बीच में चतुरगढ़ में जाने के लिए पाली-तानाखार में फोन किया था कि मेरे को चतुरगढ़ आना है। तो वहां के अधिकारी बोले कि आप पाली तक तक आ सकते हैं, चतुरगढ़ के मंदिर के नीचे तक, लेकिन वहां तक आपको पैदल जाना पड़ेगा और मोटर साइकिल में जाना पड़ेगा। अब आप बताईये कि मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, मैं वहां कहां मरने के लिए जा पाता। मैंने कारण पूछा तो बताया गया कि वह पूरी रोड़ बारिश के कारण गिर गई है। अब उसको बनाने की अनुमति मांग रहे हैं तो कहीं वन विभाग का, कहीं पुरात्तव विभाग का अड़ंगा लग रहा है। वह हजारों साल पुराना देवी का मंदिर है। छत्तीसगढ़ में कौन सा मंदिर है जिसके लिए इतनी बड़ी आपत्ति लग रही है। वहां आन्ध्रप्रदेश में बालाजी में, मैहर में सड़क बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। चतुरगढ़ में जबरदस्ती का अड़ंगा मार कर रखे हैं। काम बिगाड़ने वाली परंपरा को बंद कराईये। यह संस्कृति ठीक नहीं है, वहां पर उसके लिए पुरातत्व की अनुमति हो या फॉरेस्ट की अनुमति हो, यह सब तत्काल मिल जानी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। लोरमी में 11 करोड़ की पेयजल योजना थी, उसका बहुत टेंडर हुआ, टेंडर हुआ तो हम लोग खुश हुए, हम लोग कई बधाई का बयान भी दिये कि हमारे जल संसाधन मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री की कृपा से हमारे यहां हो रहा है। आखिरी में वह टॉय-टॉय फिस्स हो गया, वह केन्सिल हो गया। अगर केन्सिल ही होना था तो टेंडर क्यों कर दिये ? अभी आप फिर से लोरमी, मुंगेली और तखतपुर के लिए एक नया प्रोजेक्ट लांच किये हैं तो कृपा करके उसको ध्यान देकर के जरूर बनवा दीजियेगा, गरीबों को फायदा मिलेगा। बिलासपुर में नगरपालिका निगम की तरफ से बसें चलती थीं, पाण्डे जी, वह आपकी ए.सी. और नान ए.सी. बस कंडम हो रही हैं या नहीं ? यह तो आरोप नहीं है न ? मैं ठीक बोल रहा हूं न ? वह बसें सड़ रही हैं। आप उसको या तो कोई बेरोजगारों को दे दीजिए या रेलवे स्टेशन में चलवाओ या खिलाड़ियों को दो या सफाई कर्मचारियों को दो, उन बसों का कुछ तो करो। कुछ तो करना पड़ेगा। वह बसें कंडम हो रही हैं, खराब हो रही हैं, उससे

अच्छा है कि उन बसों का कुछ उपयोग करिये। बिलासपुर में बेहतराई के पास बी.जे.पी. के शासनकाल में 100 करोड़ से ऊपर का बी.आर. यादव स्पोटर्स कॉम्लेक्स बना हुआ है। माननीय खेल कूद मंत्री जी बैठे हैं। उस दिन मैं बोल रहा था, आप नहीं थे।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त करता हूं। मैं उसमें यह कहना चाहता हूं कि वहां पर कैसे खेल-कूद होगा, उसकी एक मीटिंग ले लीजिए। इतना बड़ा-बड़ा ग्राउण्ड बना हुआ है, एस्ट्रोटर्फ हाकी का, एथलेटिक्स का, इंडोर गेम्स का ग्राउण्ड बना हुआ है, वहां हॉस्टल है, सब कुछ है, पर वहां झाड़ू तक नहीं लग रही है, अभी पुताई तक नहीं हुई है। अभी मैं नवभारत के वूमेन्स हॉकी टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट बनकर गया था तो मैंने देखा कि हाकी के एस्ट्रोटर्फ के किनारे की जो छोटी सी 2 मीटर की दीवार थी, उसमें व्हाईट वॉश भी नहीं हुआ है तो यह ठीक नहीं लगता। इतनी बड़ी चीज है तो उसको ठीक करिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि बिलासपुर के हवाई अड्डे को भी फोर-सी लाईसेंस मिले और वहां से बड़े प्लेन की बड़े शहरों के लिए उड़ान हो। लेकिन फोर-सी का लाईसेंस जब तक नहीं मिलेगा तब तक 200 एकड़ जमीन रनवे बढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी। हमारे से यह हुआ है कि इसी सदन में हमारी ही सरकार ने एक हजार एकड जमीन आर्मी को दे दिया है। आर्मी ने वहां कुछ बनाने का प्लान किया था, वह कुछ बना तो नहीं रहे हैं, वहां तिनका भी नहीं डाले हैं, ईंट भी नहीं रखे हैं। तो उसमें से 200 एकड जमीन ले ली जाये। मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया। मैं मुख्यमंत्री जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने इसी सदन में मेरे अशासकीय संकल्प में 26 या 32 करोड़ रुपये दिया जिसके कारण बिलासपुर में aeroplane शुरू करने के लिए मूलभूत सुविधा मिली और वहां पर एक छोटे प्लेन की सर्विस दो रूट में चल रही है।

श्री शैलेश पाण्डे :- इसके अलावा हर फ्लाईट में डेली का 30 यात्रियों का किराया भी सरकार दे रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह ठीक है।

सभापति महोदय :- पाण्डे जी, डिस्टर्ब न करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी की विशेष मदद के कारण ही हुआ है।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। मैं तो धर्मजीत भैया को जानकारी बता रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह मांग आपकी भी है, मेरी भी है, हमारे पूरे बिलासपुर की है और यह मांग हमारा अधिकार है, हमारा हक है। क्योंकि रेलवे का सबसे बड़ा जोन बिलासपुर में है। कोयले का एस.ई.सी.एल. का मुख्यालय बिलासपुर में है। वहां पर दो-तीन पॉवर प्लाण्टस से हम बिजली देते हैं। जब

सब कुछ हम देते हैं तो सुविधा भी हमको पाने का अधिकार और हमारा यह हक है और जब तक यह हक नहीं मिलेगा, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैंने एक मांग की थी कि तहसील पंडरिया में एक कुंडा उप तहसील है, जो कवर्धा जिले में आता है। मैंने एक साल पहले मांग की थी कि आप उसको खोलिये। वहां पर 1993 से उप तहसील है, वहां पर ग्रामीण लोगों की मांग है कि अगर वह तहसील खोल देंगे तो बहुत बड़ा भला होगा और वे लोग आपका जिंदगी भर के लिये नाम लेंगे कि आपने खोला है और मैं उसमें कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि मैं बोला हूं इसलिये खोला जाये, मैंने बोला इसलिये न खोला जाये, उससे मतलब नहीं है। वह तो कुल मिलाकर आप खोलेंगे, आप ही नहीं खोलेंगे। नाम आपका होना है, मुझे न अभी वहां चुनाव लड़ने जाना है।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक मिनट, मेरे यहां लोरमी में एक कन्सरी गांव है। वहां का एनिकट बनने के बाद बाढ़ में वहां के शमशान घाट की लाशें बह रही है तो एक छोटा-सा 200 मीटर का रिटर्निंग वॉल बनवा दीजियेगा, वैसे ही तेलियापुरान गांव है, वहां पर आदिवासियों का गांव बह रहा है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, कि जिला-मुंगेली में, लोरमी तहसील में खुड़िया एक सिंचाई ग्राम है । आप उसको सिंचाई ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित करने की कृपा करें, अगर आप यह घोषित कर देंगे तो वहां के लोगों को कम से कम सुविधा मिल सकेगी।

श्री शैलेश पाण्डे :- आप 5 बार कुंडा तहसील की बात कर चुके हैं, थोड़ा-खुल के बताईये न। आप इशारे में बोले हैं।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये, पाण्डे जी डिस्टर्ब न करें। चलिये संतराम नेताम जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं इसको 5 बार नहीं..। नहीं, मैं इसको खुल के नहीं बताऊंगा। सर, मुझे 1 मिनट दे दीजिये, थोड़ा-सा प्लीज।

सभापति महोदय, वैसे ही पण्डरिया में एक सतीश नगर बसा है, वह नगर पंचायत में है, लेकिन वह जो 4-5 एकड़ में बसा हुआ है, वह कोटवार की जमीन में बसा है, तो आप कोटवार को उतनी सरकारी जमीन देकर उसको पटवारी से पट्टा दिलवा दीजिये, सब गरीब लोग हैं, आपके सतनामी समाज के गरीब लोग हैं। मुझसे बार-बार फरियाद करते हैं तो मैं उनकी बात यहां पर कह रहा हूं। हमारे नगर पंचायत लोरमी को नगर पालिका का दर्जा दे दीजियेगा, माननीय मंत्री जी आप हमारे मित्र है, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा। शराबबंदी की भी आपने व्यवस्था की नहीं है, बंद करने का इरादा भी नहीं है, आपका फुड पार्क कहीं दिखाई नहीं देता है, लोरमी में भी खोल दीजिये।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक मिनट, मैं आखिरी बात कह रहा हूं। इस प्रदेश में पिछले तीन साल से यहां पर कर्ज लेने की संस्कृति बढ़ गयी है। भ्रष्टाचारा कई विभागों में, कई जगहों पर खुलेआम हो

रहा है, जनप्रतिनिधियों के असम्मान की संसकृति पैदा हो रही है। रेत माफिया, खनिज माफिया, कोल माफिया, गोबर माफिया, जंगल माफिया, शराब माफिया, गांजा माफिया, खाद माफिया, स्थानांतरण माफिया, बीज माफिया और न जाने कहां-कहां से माफिया आ गये हैं, इसलिये मैं यह कह सकता हूं कि सरकार के बारे में मैं अगर सिर्फ चार लकीरों में बात करूं तो मैं यह पहली बार कहना चाह रहा हूं कि ''बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, फूंटता तिलस्म है, सच से भय खाता है, सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाता है''। आपका (व्यवधान) है, भय खा रहे हो और आप भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को संरक्षण दे रहे हो। इसलिये मैं विरोध करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये, श्री संतराम नेताम जी।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ''कई जलजले देखे हैं, कई जलजले देखे हैं हमने कार में और कब से बैठे थे हमारे आदरणीय इस प्रकार के शायर के इंतजार में''। थोड़ा उधारी नहीं रखना है।

श्री शिवरतन शर्मा :- वाह, वाह। लेकिन सुनने वाला तो काई नहीं है, दात देने वाला कोई नहीं है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं विनियोग का समर्थन करते हुये अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- क्या है संतराम जी, आपने अभी जो शेर सुनाया न, उसमें दात देने वाला कोई है ही नहीं और शिवकुमार जी बैठे हैं, उनको यह समझ आयेगा नहीं।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी, आपका भी नाम है, उस समय बात रखियेगा, प्लीज, डिस्टर्ब न करें। कम समय में ज्यादा बात रखना है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उनके टक्कर में एक शेर मैं भी बोल देता हूं। लूट सकै तो लूट, दू बछर बाचे है, फिर सत्ता जाही छूट।(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्रमोद शर्मा जी आपका भी नाम है, आप बोलेंगे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे विद्वान साथी अजय चंद्राकर जी, यहां नहीं है। वह एक आरोप लगा रहे थे कि सरकार इतना कर्जा क्यों ले रही है तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में आप भी और 2013 में मैं भी इधर बैठते थे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय संतराम जी, उनके आरोप में कहां जा रहे हो ? उनको तो आरोप लगाना है। आप अपनी सरकार की बात बताईये। वह तो आरोप लगायेंगे ही।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्रा जी, आपको भी बोलना है। आप बीच-बीच में न बोलें।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं यही बता रहा हूँ कि पिछले समय हमारे सभी साथियों ने प्रश्न लगाया था कि छत्तीसगढ़ में 80 प्रतिशत किसान लोग हैं।

समय :

3.25 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

मानननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर आत्महत्या क्यों करते हैं? तो वहां पर यह मोटी-मोटी बात आई थी कि हमारे प्रदेश में रहने वाले किसान जो कर्ज के बोझ में हैं, इसलिये वह आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी सरकार बनी और भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 2 घण्टे के अंदर में अपना वायदा निभाया और 18 लाख किसानों का 11 हजार करोड़ रूपये का कर्ज माफ किये। इसलिए कर्ज लेते हैं। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश है। किसान गरीब हैं वह काम करते हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि जो भूमिहीन किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है अगर उसको सरकार 7 हजार रूपये दे रही है तो मैं कहता हूँ कि इसमें विपक्ष को किसी प्रकार से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह पैसा दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके समय में आपने घटिया मोबाईल, टिफिन इस प्रकार से 500 करोड़ रूपये का समग्र का पैसा जो सड़कों के निर्माण में काम आता था, हमारी पंचायतों के विकास में काम आता था, इनकी सरकार ने उस पैसे का दुरूपयोग किया। मोबाईल बांटना अच्छी बात है, पर उस मोबाईल को अच्छी क्वालिटी का देना चाहिए ताकि हमारे जो नवयुवक, किसान, गरीब, मजदूर हैं उसको चला सकें। अगर आप घटिया किस्म का मोबाईल बांटेंगे, उस पैसे का दुरूपयोग करेंगे, उससे तो बेहतर हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों, मजदूरों, जनता के लिए पैसा दे रहे हैं तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं कहना यह चाहता हूँ कि अभी हमारे विद्वान सदस्य माननीय अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि यह सरकार बस्तर संभाग में जमीन को बंजर कर देगी। आपको किसानों, बस्तर के आदिवासियों, किसानों के प्रति सोच है तो आपने लोहंडीगुड़ा के किसानों की जमीन वापस क्यों नहीं की ? हम पिछले कार्यकाल में भी मांग करते थे कि उन किसानों को जमीन वापस दी जाए। वहां के हजारों आदिवासी किसानों ने इसलिए जमीन दी थी कि हमारे यहां उद्योग लगेगा तो हमारे बच्चे को रोजगार, नौकरी मिलेगी। क्यों आपने उद्योग नहीं लगाया, टाटा ने क्यों उद्योग नहीं लगाया ? हमारी मांग थी कि जब आप उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं, आपमें हिम्मत नहीं है...।

अध्यक्ष महोदय :- आप जल्दी समाप्त करें। हमें 5.00 बजे तक खत्म करना है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपमें हिम्मत नहीं है तो आपको वह जमीन वापस करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया और यह किसान, मजदूरों की बात करते हैं। हमारी सरकार लगातार हर साल किसान, बेरोजगारों, आदिवासियों और प्रदेश की जनता के हित में काम कर रही है। यह हमारी सरकार की सोच है। यह हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। ताकि हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़े ? हमारी सरकार को रात और दिन यह चिंता रहती है कि हम किसान को कैसे मजबूत करें ? यह नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना को मजाक में लेते हैं। मैं कहता हूँ कि पूरा देश इसकी तारीफ

कर रहा है। आज लोग गोबर खरीदकर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- आप समय का ख्याल रखिये। आपके नेता जी के आते ही मैं समाप्त कर दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

इस सदन में इस सत्र में सरकार ने ताड़मेटला की घटना और मदनवाड़ा की घटना की दो न्यायिक जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की, पटल पर रखी। बीच में एक रिपोर्ट सरकार को और प्रस्तुत हुई है। झीरम घाटी की घटना के जांच के लिए प्रशांत मिश्रा आयोग का गठन हुआ था और प्रशांत मिश्रा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल महोदया को प्रस्तुत की।

अध्यक्ष महोदय :- क्या, आप विनियोग विधेयक में इन बातों की चर्चा करेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय चर्चा में नहीं आये हैं, इसमें वह विषय आते हैं। विनियोग में नियम है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह न्यायालय के मामलों को, निर्णय को भी चर्चा करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुझे मालूम है कि विनियोग में क्या बोलना है ? आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आप जल्दी करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं-नहीं। जो आप जो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, वह अच्छी बात नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में विनियोग में वही विषय आते हैं, जो सत्र में बोले नहीं गये हैं। जो विषय आ चुके हैं, वह नियमत: नहीं आना चाहिए। लोग रिपिट करते हैं वह अलग बात है चल जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप जल्दी आईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, झीरम घाटी की घटना पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की और राज्यपाल ने वह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी। इस सदन में झीरम घाटी की घटना को लेकर कई बार चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब इधर बैठा करते थे तो मुख्यमंत्री जी हमेशा एक बात बोलते थे, झीरम की घटना का सत्य मेरी जेब में है। मेरे पास सारे प्रमाण हैं। एक राजनीतिक षड़यंत्र के तहत कांग्रेस के नेताओं की हत्या कराई गयी और जब हम लोग खड़े होकर बोलते थे, आपके पास प्रमाण है तो आप प्रमाण प्रस्तुत क्यों नहीं करते ? माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुख्यमंत्री जी का जवाब होता था, उनको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा। माननीय भूपेश बघेल जी सवा तीन साल से मुख्यमंत्री हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय शिवरतन शर्मा जी, आप इसको जोड़ लीजिए, हाईकोर्ट का भी फैसला आ गया है, गवर्नमेंट के एस.आई.टी. से जांच करा सकती है। गवर्नमेंट स्वयं जांच करा सकती है तो मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी इस्तीफा देकर जांच कराएंगे क्या ? एसआईटी गठित करने के बाद इस्तीफा देंगे क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय भूपेश बघेल जी सवा तीन साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तो हाईकोर्ट का फैसला आ गया है कि आप जांच करा सकते हो। आप उसकी जांच क्यों नहीं कराते ? जो प्रमाण आप पिछले पांच वर्षों से जेब में लिए घूम रहे हैं, उस प्रमाण को जनता के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करते ? जांच आयोग के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करते ? आपने जब दो न्यायिक जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तो प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट आखिर आपने प्रस्तुत क्यों नहीं की ? दूसरी बात, बार-बार जांच करने की बात आती है। इस जांच में सदन के एक सदस्य का जो आज एक मंत्री के रूप में है, उनके नाम का उल्लेख है। क्या कोई राज्य का अधिकारी किसी पदेन भारसाधक मंत्री के खिलाफ जांच कर सकता है ? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उस मंत्री से इस्तीफा ले करके जांच करायेंगे ? मुख्यमंत्री जी को भी इस्तीफा देकर उसकी जांच करानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2016-17 में सरकार ने शराब नीति में परिवर्तन किया और डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने यह तय किया कि हम शराब के व्यवसाय में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके, सरकार के माध्यम से शराब बेचने की व्यवस्था करेंगे। मुझे याद है, उस नीति में जब परिवर्तन हुआ था तो सत्ता पक्ष की ओर से पहला वक्ता मैं था और विपक्ष में बोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वह खड़े हुए थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का कथन था कि सरकार का काम शराब बेचना नहीं है, सरकार गलत निर्णय कर रही है। यह काम बंद होना चाहिए। यह निर्णय नहीं होना चाहिए। दूसरा विषय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, क्या ठेकेदारी प्रथा में शराब बिक रही है ? जब किसी व्यक्ति को शराब थोक में लेनी होती है, वह एक टेलीफोन करता है तो 35 से 40 प्रतिशत और जरूरत पड़ने पर 50 प्रतिशत पर उसकी कीमतों में छूट दी जाती है। अगर सरकार शराब खरीदेगी तो वह सब्सिडी जो खरीददार को मिलती है, वह सब्सिडी किसके जेब में जाएगी ? माननीय भूपेश बघेल जी अब सवा तीन साल से मुख्यमंत्री हैं। डॉ. रमन सिंह ने जब नीति में परिवर्तन किया तो वह नीति गलत थी और सवा तीन साल से उसी नीति को चला रहे हैं तो वह नीति अच्छी है। माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ यही नहीं, मैं तो आज आपसे पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय बोलते थे कि सब्सिडी की राशि किसके जेब में जाएगी ? अब यह राशि किसके जेब में जा रही है ? माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो स्थिति यह हो गयी है कि शराब की

दुकानों में जो शराब बिकती है, उसमें 50 प्रतिशत शराब अवैध बिकती है। शराब की दुकान में दो काऊंटर रखे जाते हैं। 1 काऊंटर को पी.सी.एफ कहा जाता है जिसका हिसाब-किताब सीधा ऊपर ही ऊपर हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- उसको क्या कहते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- पी.सी.एफ.। वह इस सरकार का स्टार्टअप है।

अध्यक्ष महोदय :- पी.सी.एफ.।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, बिना स्कैनिंग वाला रहता है। स्कैन नहीं होता।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी बताएंगे, भैया उसमें क्या रहता है ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उसमें स्कैन नहीं होता।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, वह बिना स्कैनिंग की शराब रहती है। उसका हिसाब-किताब अलग रखा जाता है। एक परमिट कटती है और एक परमिट में चार-चार बार शराब आती है और शराब के व्यवसाय में 45 प्रतिशत एक्साईज ड्यूटी है। सीधा-सीधा उस एक्साईज ड्यूटी की चोरी यह सरकार कराती है।

माननीय अध्यक्ष जी, 4 नये जिलों का गठन हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने भी जिलों का गठन किया है। डॉ. रमन सिंह के पीरेड में भी जिलों का गठन हुआ। आदरणीय अजीत जोगी जी के पीरेड में भी जिलों का गठन हुआ। पर पहला अवसर है, जिला गठन होने के पश्चात, जिला जिन क्षेत्रों में बन रहा है, उन जिलों से ही विरोध हो रहा है। बिलाईगढ़, सारंगढ़ जिला बनाया गया। सारंगढ़ जिले में सरिया शामिल नहीं होना चाहता । सरिया जिले के 14,000 लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी आपत्ति प्रस्तुत की है कि हम सारंगढ़ जिले में नहीं जाना चाहते । सारंगढ़ ब्लॉक के ही लोगों ने हाईकोर्ट में रिट दायर किया है कि सारंगढ़ जिला नहीं बनना चाहिए । सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला घोषित किया गया है । बिलाईगढ़ के लोगों ने विरोध व्यक्त किया है, हाईकोर्ट गये हैं कि हमको बलौदाबाजार जिले में रखा जाये, हम सारंगढ़ जिले में नहीं जाना चाहते । मनेन्द्रगढ़ नया जिला बना, मनेन्द्रगढ़ जिला बनने के पश्चात् बैकुंठपुर जिले में इसका विरोध हो रहा है । इसके पहले इतने जिले बने उसकी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी बनायी गयी, राजनीतिक निर्णय ऐसे हुए कि कहीं कोई विरोध नहीं हुआ लेकिन आपको जिला बनाना है इसलिए जिले बना रहे हैं और जब जिला बनाने की बात आती है तो चुनाव के पूर्व जो घोषणा करके आये थे उनको घोषणाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गये हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, माननीय मोहम्मद अकबर जी, स्वर्गीय नंदकुमार पटेल जी ने भाटापारा को जिला बनाने की बात की थी । मेरा अशासकीय संकल्प इस सदन में इसी सत्र में आया था और जो बोलकर आये, उससे मुकर गये । संख्या के आधार पर मेरा अशासकीय संकल्प निरस्त हो गया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कर्मचारियों के हितों की बात करते हैं । छत्तीसगढ़ ऐसा प्रांत है जहां कर्मचारियों को 14 परसेंट डी.ए. मिलना चाहिए लेकिन वह डी.ए. नहीं मिल रहा है । आप इनका जन घोषणा-पत्र उठाकर देख लीजिये । जन घोषणा-पत्र में इन्होंने लिखा है कि केंद्र जितना डी.ए. देगा, उतना डी.ए. हम यहां के कर्मचारियों को देंगे । बजट सत्र चल रहा है, आपने बजट में 14 परसेंट डी.ए. देने की घोषणा क्यों नहीं की ? माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार एक विषय आता है छत्तीसगढ़ मॉडल । माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचार करने के लिये असम गये, बोले अब गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, अब छत्तीसगढ़ मॉडल चलेगा । यू.पी. प्रचार करने के लिये गये तो बोले कि अब गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, अब लोग छत्तीसगढ़ मॉडल देख रहे हैं । अब छत्तीसगढ़ मॉडल को असम की जनता ने, उत्तरप्रदेश की जनता ने कितना स्वीकार किया यह बताने की जरूरत नहीं है । वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ मॉडल प्रस्तुत क्या कर रहे हैं ? गौठान, गोबर खरीदी । मैंने इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी से दो बार कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया ।

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी हा ओकरे बर सर्वे मा भेजत हे गोठान बा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि अगर 8000 गौठान बन गये हैं तो आप लॉट निकालिये और सदन के सारे सदस्यों को 5 गौठान दिखाने ले जाईये । यह बात बार-बार आती है न कि अन्य प्रांतों की टीम हमारे गौठान को देखने के लिये आ रही हैं । आपने केवल 5-7 मॉडल बना लिये हैं उसी को दिखाते हैं । आप लॉट निकालो न और लॉट निकालकर लोगों को दिखाने चलो कि कैसे गौठान हैं और कैसे काम कर रहे हैं ? अरबों रूपये की बर्बादी गौठान के नाम पर इस सरकार ने की है । गोबर खरीदी के नाम पर छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम इस सरकार ने किया है । ये बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि हमने 127 करोड़ का गोबर खरीद लिया । मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां गौधन कितना है ? गौधन जितना है उसके मुकाबले आपने गोबर खरीदी कितनी की है ? गौधन के नाम पर, गोबर खरीदी के नाम पर केवल किसानों को चूना लगाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी किसानों के सामने यह शर्त रख दी गयी कि किसान सोसायटी से खाद लेगा तो किसान को यह आवश्यक होगा कि वह दो बोरी वर्मी कम्पोस्ट ले । अब वह वर्मी कम्पोस्ट नहीं है, सूखे छेने को पीसा गया है और पीसकर-भरकर सोसायटी में भेज दिया गया है और उसे आपने 2 रूपये किलो में खरीदा और किसान को 10 रूपये किलो में बेचने का काम इन्होंने किया है । क्या यही छत्तीसगढ़ मॉडल है ? एन.आर.डी.ए. दिवालिया घोषित हो गया। यूनियन बैंक ने 317.79 करोड़ रूपये की वसूली की कार्यवाही की है । सरकार किस्त पटाने की स्थिति में नहीं है । स्मार्ट टॉवर के लिये वर्ष 2020 में 27 करोड़ रूपये आये हैं और केवल 3 स्थान चुनने पर...।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐला तो एक घंटा हो गे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राशि को खर्च कर दिया और आज छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या बन गयी है ? 3 साल में छत्तीसगढ़ में 19,667 लोगों ने आत्महत्या की है और इस आत्महत्या करने वालों में 570 किसान हैं यह सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है । पुलिस विभाग के 1246 लोगों ने आत्महत्या की है और हत्या की 2802 घटना घटित हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- अब आपका समय समाप्त हो गया। प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, 5 मिनट ही हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, ज्यादा हो गया। कुल मिलाकर 10 मिनट 17 सेकण्ड हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार जो कहती है, उसे करने में पूरी तरह से विफल है और जो सरकार अपनी कही हुई बात को न कर सके, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आत्मानंद स्कूल को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। आत्मानंद स्कूल खोलने से हमारा किसी प्रकार का विरोध भी नहीं है। स्वामी आत्मानंद जी के प्रति सबके मन में श्रद्धा है, सबके मन में सम्मान का भाव है। पर अगर वे स्वामी आत्मानंद के नाम पर स्कूल खोल रहे हैं तो उसके लिए बजट प्रावधान क्यों नहीं करते? उसके लिए जो स्कूल चालू हैं, उन स्कूलों को बंद क्यों कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही जोरदार ढंग से कहा कि 15 साल में आप लोग एक भी ऐसा स्कूल बना पाये हैं क्या, जिसमें कोई आई.ए.एस., आई.पी.एस. पैदा हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिभा नैसर्गिक होती है। अच्छा वातावरण मिले तो प्रतिभा में निखार आता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपको धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा :- बहुत से शासकीय स्कूल से आई.ए.एस. और आई.पी.एस. निकले हैं और छत्तीसगढ़ के सी.एस. उसका एक उदाहरण हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वह करते नहीं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार से खर्च करने के लिए राशि नहीं देनी चाहिए, इस विरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव प्रसाद चन्द्रा 5 मिनट में अपनी बात कहें। शर्मा जी धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो विनियोग विधेयक लाया गया है, उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और विरोध किसलिए? विरोध इसलिए कि सरकार को जो राशि दे रहे हैं, सरकार उसका सदुपयोग नहीं कर रही है। केवल दुरूपयोग कर रही है। भ्रष्टाचार की वह बलि चढ़ रही है। सरकार बनने के बाद किसानों का कर्जा माफ किया। अब उदाहरण ले लिये कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। 2500 रूपये में धान खरीदे,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक उदाहरण बना लिये कि हमने 2500 रूपये में धान खरीदा और कोई उदाहरण आ गया, विपक्ष के साथी और कुछ बोल दिये तो एक उदाहरण और जोड़ देते हैं कि 15 साल तक आपने क्या किया? 15 साल तक आपकी सरकार ने ऐसा किया। तो 15 साल इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तब तो आपको इतने बहुमत के साथ लोगों ने चुना। आप क्यों अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? चलिए, हम विपक्ष के लोग हैं, हम आरोप लगाते हैं, लेकिन इस सत्र में तमाम सत्ता पक्ष के विधायक साथियों ने जो प्रश्न किया, सभी में सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। कहीं भी लोकतंत्र और जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं है। जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब तक देना उचित नहीं समझते, यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, हाथी जो है वह महुआ और चावल को खाता है, अब हाथी यहां नोट खा रहा है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलने दीजिए न। उनका समय कम है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- 5 मिनट का समय मिला है। आपको आधा घंटा मिलता है। महोदय, इन्हें 40 मिनट दे दीजिए, ये बोलेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आरोप लगाने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत आना चाहिए। इस प्रकार से वेग में भी कोई बात मत कीजिए। मैं आरोप लगाता हूं। आप क्या आरोप लगा रहे हैं ? आपके पास क्या प्रमाण है जो आपने आरोप लगाया ? किस पर आरोप लगाया ? तो यदि आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो तथ्यात्मक बात करिएगा। इस प्रकार से वेग में कोई बात मत करिए। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- जी, अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल। अगर किसी विशेष चीज पर मैं आरोप लगाउं तो तथ्य लगाकर लगा सकता हूं, लेकिन ऐसी किसी चीज का तो मैंने आरोप नहीं लगाया।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें काहे का प्वाइंट ऑफ ऑर्डर ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सुन लीजिए। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर तो प्रश्नकाल छोड़कर कभी भी सुन सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सुन सकता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही..।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि आरोप लगाने की प्रक्रिया है। हम यहां तक सहमत हैं, लेकिन निजी आरोप लगाने के लिए आपसे अनुमति की सदन की जरूरत है, सामान्य चर्चा में हमें किसी तरह की permission की जरूरत नहीं है। यदि मैं माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई निजी आरोप लगाता हूं तो भी आपको लिखकर दूंगा, आप अनुमति देंगे । यदि उसको लगाने लायक उचित समझेंगे तभी लगाने की अनुमति देंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- यदि सरकार के खिलाफ भी लगाना है, किसी सदस्य के खिलाफ निजी आरोप लगाना है तो भी आप देख लें । यदि सरकार के खिलाफ भी लगाना है तब भी आरोप पत्र देना होगा, तब आप आरोप लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कौल एण्ड शकधर देख लें । आप नियम प्रक्रिया देख लीजिए ।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल देख लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- निजी आरोप में ही आपकी अनुमति लेनी पड़ती है, यदि आप चाहेंगे तो । एक बात आपको ध्यान में है, पिछले सत्र में हमने एक माननीय मंत्री जी के खिलाफ निजी आरोप लगाने के लिए आपको कागज दिया । आपने कहा रहने दीजिए, आपको अनुमति नहीं देता । तो हर जगह वही होता है, नियम प्रक्रिया में भी वही बात है । लेकिन विधान सभा के अंदर राजनीतिक आरोप लगाने के लिए किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, न मैं इस स्थिति में आरोप लगाऊं और न ही विपक्ष के ऊपर । जो सही चीज है, उसको बोल रहा हूं । मैं जिस चीज को बोल रहा हूं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को अनुभव भी कर रही है कि बिना लेन-देन के, बिना पैसे के एक गरीब मजदूर, किसान का भी कहीं काम नहीं हो रहा है, यह सत्य है । आपने 2500 रूपया दिया है, मैंने उसकी प्रशंसा की है । लेकिन 2500 रूपए देकर पूरे प्रदेश को, आज रेत के नाम से क्या हो रहा है 5 पर्ची और 500 गाड़ी । 5 गाड़ी की रायल्टी और 50 गाड़ियों की खुली छूट । पकड़ किसको रहे हैं, कोई गरीब आदमी जो प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए एक ट्रैक्टर लेकर जा रहा है, उसको माइनिंग विभाग वाले पकड़कर यहां उपलब्धि गिना रहे हैं कि हमने इतने प्रकरण बनाए । माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यह आपके प्रशासन की वास्तविकता है । आप इसको मानें या न मानें । आपका एक बजट और आएगा । हम इसलिए आपका विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपने बजट में जिस काम की स्वीकृति की, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए भी वित्त विभाग ने मना कर रखा है कि चयन प्रक्रिया में अंतिम सूची जारी हो गई है उसे भी वित्त विभाग ने मना कर दिया है । गांव के आंगनबाड़ी में, कार्यकर्ता और सहायिका आ जाते तो गांव के लोगों को लाभ नहीं मिलता क्या ? लेकिन उसे भी वित्त विभाग ने मना कर दिया है । हमारी जितनी सड़कें हैं, पुल-पुलिया हैं एक की भी प्रशासकीय स्वीकृति न मिले तो फिर बजट का औचित्य क्या है, यह बजट किस चीज के लिए है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोध इस बात का है कि आपने जो संकल्प पत्र लाया, आप हमेशा अपनी दो उपलब्धियां गिनाते हैं, कर्जा माफ किया और किसानों को 2500 रूपया दिया । आप यह उपलब्धि क्यों नहीं गिना रहे हैं कि हम बेरोजगारों को को बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, यह उपलब्धि क्यों गिना रहे हैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आप कि जो लाचार, बेबस, दिव्यांग, विधवा, वृद्धा के पेंशन में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं ? ऐसे गरीब आदमियों के लिए आपकी सहानुभूति क्यों नहीं है । आप ने ही कहा था कि उनका पेंशन बढ़ाएंगे, अनियमित, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आश्वासन दिया था, आपने उन्हें सपना दिखाया । आप उनको नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं । पंचायत सचिव को आपने सपना दिखाया था, मनरेगा के कर्मचारियों को आपने नियमित करने का सपना दिखाया था । आपने मितानिनों से भी कहा था कि 5 हजार रूपए मासिक भत्ता देंगे, मितानिन जिसके कारण आज स्वास्थ्य विभाग अपनी उपलब्धि गिना रहा है । स्वास्थ्य विभाग की जो भी उपलब्धि है, इस प्रदेश में किसी डॉक्टर की बदौलत नहीं है, अगर उपलब्धि है तो गांव में काम करने वाली गरीब मितानिन के कारण है, आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? कोरोनाकाल में आपने संविदा पर कर्मचारी रखा और जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ, आपने उनको निकाल दिया । जनभागीदारी शिक्षकों को भी आपने सपना दिखाया है । प्रेरक जैसे लोगों को सपना दिखाया, गौ-सेवकों को सपना दिखाया । आप अपने जन घोषणा पत्र के माध्यम से सपना दिखाया । माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक बजट और आएगा । आप अपने कितने वायदों को पूराकरने वाले हैं पता चल जाएगा । यदि आप पूरा कर देते हैं तो अच्छी बात है, जनता आपको आशीर्वाद भी देगी । यदि सपने की बात पूरी नहीं हुई तो जनता का रूख किधर जाएगा । मुख्यमंत्री जी, आप इतना उत्तेजित होकर मुझे बोल रहे थे, मैं आपके विरोध में कोई बात नहीं बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, उत्तेजित नहीं हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मैं आपकी सरकार के हित में बोल रहा हूं । सरकार की भाषा बदल जाती है । इधर बैठते हैं तो अलग भाषा, उधर बैठते हैं तो अलग भाषा। वही 5 साल जब मुख्यमंत्री जी इधर बैठे थे तो हमने उनका भाषा सुना था और जब इधर से उधर चले गये, उस कुर्सी में बैठे, तो कुर्सी भाषा बदल देता है। यह बड़ी दिक्कत है।

श्री अजय चंद्राकर :- वह कुर्सी विक्रमादित्य का है भैय्या।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी, समाप्ति करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- जैसे ही वह कुर्सी में बैठते हैं, वैसे ही वह सम्राट विक्रमादित्य जैसे हो जाते हैं। पूरा 32 कुसी न्याय करथे।

एक माननीय सदस्य :- सबसे मजा केशव भैया और अधिकारी मन के हे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विनियोग का विरोध इसलिए किया कि जिला जांजगीर-चांपा के जैजैपुर में अनुविभागीय राजस्व कार्यालय खोलने के लिये राजपत्र में प्रकाशन हुआ, दावा आपत्ति हुआ, दावा आपत्ति का निराकरण हुआ, लेकिन बजट में जैजैपुर अनुविभाग कार्यालय नहीं आया। वह राजनीतिक भेंट चढ़ गई। छाप वाला हूं साहब, इसलिए वहां नहीं खुला। यह दुर्भावना की राजनीति जो यहां हो रही है। हमको समग्र में पैसा नहीं मिलेगा, प्राधिकरण में हमको पैसा नहीं मिलेगा

और आरोप, डी.एम.एफ. का देख लीजिये, यदि आरोप है। हमने तो मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप जांच करा दीजिये। आरोप गलत है वह सिद्ध हो जायेगा। आरोप सही है, वह सिद्ध हो जायेगा। कितने पैसे का दुरूपयोग हुआ, कहां-कहां उसका उपयोग, कहां-कहां उसका उपयोग नहीं हुआ, यह तो सिद्ध हो जायेगा। कोई गलत आरोप हमने नहीं लगाया है और हम आपका इस विनियोग का विरोध करते हैं। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। दो मिनट, माननीय प्रमोद कुमार शर्मा जी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2022 पर मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- सीधे-सीधे बात कहिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय चंद्रा जी ने एक आरोप लगाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि ...।

अध्यक्ष महोदय :- आप उस आरोप में मत जाओ। सीधा-सीधा बात करिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्य लेकर आया हूं। यह देख लीजिये, यह दो डिब्बा है। मैं पूरा सदन के पटन पर रख दूंगा। यह ढाई सौ में इसी चौक में मिल जायेगा और यह लोहा का फ्रेम है। यह ज्यादा से ज्यादा पांच सौ का होगा। यह 15-15 हजार का बिल बना-बना कर 90-90 हजार रूपये ग्राम पंचायत से निकाला जा रहा है, यह जिला पंचायत बलौदाबाजार में हो रहा है। इतना हमारा स्तर गिर गया। मेरे ख्याल से 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया होगा। एकदम स्तर गिर गया है। यह बिल है, प्रूफ है। 15 वित्त का पैसा। ये ऐसा खुलेआम भ्रष्टाचारी का काम कर रहे हैं। आप बोलेंगे तो मैं पटल पर रख देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देता हूं। लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूं कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको पूरा संरक्षण प्राप्त है। यह हो गई भ्रष्टाचार की बात। होगा ज्यादा कुछ नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट कुछ बात विनियोग विधेयक पर रखना चाहता हूं। प्रदेश भर में सहायक शिक्षकों को समानुपातिक वेतन नहीं मिल रहा है। मैं शासन से निवेदन करूंगा कि इनके वेतन में जो विसंगतियां हैं, इसको दूर करके अपने बजट में पालन करें। एक और समस्या थी, डी.एम.एफ. की दुरूपयोग की बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं बस एक बात और कहना चाहूंगा कि जिला पंचायत बलौदाबाजार में छः महीने में 500 सचिवों का ट्रांसफर इधर से उधर किया जा रहा है और रेट है 50 हजार रूपये। एक-एक सचिव को दो-दो जगह का प्रभार दिया जा रहा है। यदि ऐसा होगा तो पूरा काम प्रभावित हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

से निवेदन कर रहा हूं। मैं फिर सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने निवेदन कर रहा हूं। बहुत सारे आपके जानकारी के बिना आपके इर्द-गिर्द जो नवग्रह वाले हैं, आपके नाम से फोन कर-करके, पता नहीं वहां क्या बोलते हैं, ऊपर से फोन आया। अधिकारी तो हमको बस यही बोलते हैं कि फोन आया। अब ऐसे कर-करके न जाने कितने काम हो रहे हैं। उसको देखकर रोकवाने का कृपा करेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की चौथीं बजट प्रस्तुत हो गई है और इस सरकार की लगभग सवा तीन साल के कार्यकाल निकल गये हैं। आज विनियोग विधेयक पर हम सब बोल रहे हैं कि आखिर इस सरकार को पैसा क्यों दी जाय। लेकिन हम यदि पूरे तीन साल का कार्यकाल देखेंगे कि प्रदेश को जिस दिशा में लेकर जा रहे हैं। यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं, लेकिन आज हमारा प्रदेश कहां पर खड़ा हुआ है। इसलिए उसका हम विरोध करते हैं कि पैसा विकास के होनी चाहिए, बर्बादी के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से यहां राशि का दुरूपयोग हो रहा है, वह हम सबके सामने में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश विकास की दिशा में नहीं जा रहा है, विनाश की दिशा में जा रहा है। सृजन की ओर नहीं, गर्त की ओर जा रहा है। हर मां-बाप की इच्छा होती है कि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई-लिखाई करे। उसको अच्छा संस्कार मिले और संस्कार के साथ में उसका जो जीवन है, उसका जो भविष्य है, वह उज्जवल हो। लेकिन हमारे प्रदेश के यह मुख्यमंत्री ऐसे पालक बैठे हुए हैं कि जिन्होंने विकास के बजाय में विनाश, मैंने इसलिए कहा कि आज जो प्रदेश की स्थिति क्या है कि लगभग नशे की ओर अग्रसर है। इस प्रदेश में, अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि मेरे यहां जाओगे तो मैं आपको आप जहां बोलोगे, मैं आपको वहां दिलवा दूंगा। केवल शराब की बात नहीं है इस प्रदेश में जो अवैध नशा का कारोबार और उसमें हीरोइन, कोकीन, डीनट, कोटामाइन, एच-8, गांजा, अफीम, चरस जैसे जो नशा दुनिया में होगा, ऐसा कोई नशा नहीं है जो यहां पर छत्तीसगढ़ में सहजता के साथ में न मिल सके और जिस प्रकार से यहां की खासकर जो युवा पीढ़ी है जो नशे की चपेट में आ रहे हैं। आप किसी भी रास्ते में जाएंगे तो आपको दूर से दिखाई देगा कि यहां पर हम कौन-से मंदिर में पहुंच गये हैं। आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस लत में छत्तीसगढ़ के लोग उस दिशा में आगे जा रहे हैं और ऑनलाइन करने के बाद में आसानी के साथ में बच्चे को भी उपलब्ध हो रहा है। पढ़ने-लिखने के बजाय यदि बच्चे नशे की लत में आ जाए तो छत्तीसगढ़ का भविष्य क्या होगा? और छत्तीसगढ़ लगभग उसी दिशा में जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं। 80 परसेंट घटनाएं तो केवल नशे के कारण से हो रही हैं और नशे के बाद में वह घटनाएं घटित हो रही हैं और जो दूसरी घटना हो रही है या तो उसको पैसा उपलबध नहीं हो रहा है तो पैसा उपलब्ध नहीं होने के कारण वे घटनाएं घट रही हैं। यदि प्रदेश का वातावरण इस प्रकार से हो जाए कि सकारात्मक दिशा में जाने की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बजाय यदि नकारात्मक दिशा में ढकलने का प्रयास करे और नकारात्मक दिशा में जाने के बाद में यहां का जो वातावरण छत्तीसगढ़ का बन रहा है उससे छत्तीसगढ़ का भला होने वाला नहीं है। आज शराब के लत में इतने हैं कि अपने रिश्तेदारी को भी भूल गये हैं। मैं आपको दो-तीन बात बताना चाहूंगा कि 24.02.2022 को महासमुंद में रात को कोतवाली थाना क्षेत्र के नया पारा में नशे में चूर शराबी पती ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी पद्मा मिरी को मौत के घाट उतार दिया। 26.12.2021 को रायगढ़ के चक्रधर नगर का मामला है जहां पर नशा करने के लिए घर में पैसा मांगने पर पैसा नहीं मिलने पर बेटे ने अपनी माता को नीला खड़िया से मार-पीट करने के बाद में अपने पिता धरमसिंह खड़िया को तावा से मार कर के हत्या कर दिया। समाचार पत्र में ऐसा कोई दिन नहीं है जहां शराब के कारण में दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं। आज समाचार पत्रों में छपा है कि एक नशेड़ी ने ऐसा गाड़ी चलाया कि कई लोगों को कूचलते हुए, रौंदते हुए और उसके बाद में जो बाहर से यहां पर आये, वह जो गुपचुप बेचने वाले हैं, उसकी भी हत्या कर दी। आखिर हम इस प्रदेश में क्या बताना चाहते हैं और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं? तो माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, इसमें एक समाचार पत्र ने लिखा है कि इसको दुर्घटना माना जाए। एक समाचार पत्र ने लिखा है कि इसको हत्या माना जाए। मुख्यमंत्री जी, आप इस विषय में जरूर घोषणा कीजिए कि वह नशे में चला रहा था यह स्थापित है कि वह हत्या है कि वह दुर्घटना है?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- धरम भैय्या।

अध्यक्ष महोदय :- समाचार पत्रों के आधार पर घोषणा नहीं होती है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार सदन में एक बात रखा था और आज भी कह रहा हूं कि भांग खाने वाले व्यक्ति ने कभी मर्डर नहीं किया है, यह रिकॉर्ड है।

श्री शिवरतन शर्मा :- और न गांजा पीने वाले ने।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- हां, गांजा पीने वाले ने। कभी एक ठोक मर्डर हुआ होगा तो उदाहरण बता दीजिए और भांग खाने वाला हत्या, चोरी, डकैती, अपराध की श्रेणी नहीं है और इसलिए अगर आप भांग, दारू बंद नहीं कर सक रहे हैं तो कम से कम भांग की दुकान खोलवाने के लिए उसमें तासीर और प्रवृत्ति बन गयी। जिस प्रवृत्ति को अध्यक्ष जी कह रहे हैं जिस प्रवृत्ति के कारण अपराध का बन रहा है उस प्रवृत्ति का आज भांग करवा दिये।

समय :
4:00 बजे

श्री भूपेश बघेल :- यह सुझाव भारत सरकार को भेज दें तो अच्छा है (हंसी)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मेरे यहां से प्रयोग करने की बात कर रहा हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- वे डॉक्टर हैं और अनुभव के आधार पर बता रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इसमें तासीर की बात है तो कई ब्रहम ज्ञानी हैं, उन लोगों से और कुछ ज्ञान मिल जाएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शराब पीने से उत्तेजना आती है तो गांजा पीयेगा और भांग खाएगा तो दार्शनिक हो जाएगा, उसका भाव बदल जाएगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तै डॉक्टर है, तै अच्छा से परीक्षण कराए हस ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- हम लोग खोज कर रहे हैं ।

श्री अजय चनद्राकर :- बांधी कहाथे कि महूं ला छोटे-मोटे खिलाड़ी मत समझ। सदन के सदस्य अईसने नहीं बने हे ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मेरे विधान सभा क्षेत्र से प्रयोग कर लीजिए, मेरे यहां दुकान खुलवा दीजिए, उसके लिए मैं तैयार हूं । कम से कम उस दूषित प्रवृति से, शराब की प्रवृत्ति से बच जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ख्याल से आज रंग पंचमी है । आज आप कहो तो दिलवा देते हैं । (हंसी)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी की तीन फ्लेगशिप योजना है, जिसके बारे में लगभग सभी सदस्यों ने कहा है । मैं भी इस बात को बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने गोबर खरीदी को लेकर जितना प्रचार-प्रसार किया और गोबर के बारे में बातचीत की । आपने कुल कितने लाख रूपए का गोबर खरीदा ? जब से योजना शुरू हुई है, तब से लेकर अभी तक 129 करोड़ रूपए की गोबर खरीदी हुई है । 129 करोड़ रूपए का गोबर खरीदी करने के बाद में आपने गौठान में स्वसहायता समूह का भुगतान किया । 50 करोड़ रूपए का भुगतान स्वसहायता समूह को किया गया है । अब लगभग 10 हजार से अधिक गौठान की बात आ रही है । यदि उसको हम मिला लें तो उस समूह में लगभग 1 लाख महिला सदस्य हैं । यदि आप उसका भुगतान करेंगे तो अभी तक प्रति महिला लगभग 5 हजार रूपए का भुगतान हुआ है । इस योजना को 20 माह हो चुके हैं तो एक दिन में एक महिला को 20 रूपए मिल रही है । अब इस योजना में एक दिन में एक महिला को 20 रूपए मिल रहा है तो इस योजना के बारे में आप बता सकते हैं कि इस योजना की कितनी लोकप्रियता है और इस योजना में उनकी कितनी आय हो रही है ? मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं । मैं बताना चाहूंगा कि जब डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और उस समय उन्होंने जो कार्य किया। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के समय में रेडी टू ईट को तीन ठेकदारों के द्वारा चलाया जा रहा था और तीन ठेकेदारों से निकालकर डॉ. रमन सिंह जी के द्वारा उस योजना को महिला स्वसहायता समूहों के हाथों में सौंपा गया । जब महिला स्व सहायता समूह के हाथों में सौंपा गया तो 1605 समूह थे, जिसमें लगभग 16 हजार महिलाएं काम कर रही थीं । उस समय वह योजना 500 करोड़ की थी और आज वह लगभग 1 हजार करोड़ की योजना है । यदि आप उसमें 15 प्रतिशत मार्जिन निकालते हैं तो उस योजना के अंतर्गत में डेढ़ करोड़ रूपए निकलते हैं, जो महिला स्व सहायता समूह के खाते में जा रहा

है । उस योजना के अंतर्गत गिरी सी गिरी स्थिति में एक महिला स्व सहायता समूह 9 हजार रूपए कमा रही थी । 9 हजार रूपए कमाने के बाद में उनको मशीन की सुविधाएं दी गई, उनको प्रशिक्षित किया गया, उनको अपने पैरों में खड़े होने का अवसर दिया गया और आज वे प्रशिक्षित होने के बाद जिस प्रकार से निर्भर रहकर उनके द्वारा काम किया जा रहा है । लेकिन जब हम गोबर की बात करते हैं, आपने गोबर में सशक्तिकरण की बात की तो आपने गोबर में कितना दिया ? मैंने आपको बताया कि गोबर में कितना पैसा आ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की एक और योजना है-राजीव मितान योजना। अब राजीव मितान योजना में लगभग 13 सौ से ज्यादा समूह का गठन कर रहे हैं। उस समूह को एक वर्ष में 132 करोड़ रूपए देने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें अभी 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । यदि हम पूरे सदस्यों की संख्या मिलाएंगे तो उनकी संख्या लगभग 2 लाख सदस्यों की है । उसमें 2 लाख सदस्य कौन बनेंगे, सदस्य बनाने के क्या नियम हैं, उसमें क्या प्रावधान रखे गए हैं ? जब गौठान समिति की बात आई और यह कहा गया कि जो पंचायत प्रस्ताव पारित करेगा, प्रस्ताव पारित करने के बाद में उन सदस्यों का नाम वहां लिखा जाएगा, लेकिन बाद में पंचायत के प्रस्ताव में किनारे में फेंक दिया गया और किनारे में फेंकने के बाद में प्रभारी मंत्री को नियुक्ति का अधिकार दिया गया, उसमें प्रभारी मंत्री नियुक्ति करेंगे। प्रभारी मंत्री ने किनको नियुक्त किया ? अंधा बांटे रेवड़ी छांट-छांट के दे। वही हाल इस राजीव गांधी मितान योजना में होने वाला है। मैं यह बोल रहा हूं कि जो महिलाएं गोबर बीन रही हैं, जो महिलाएं जा रही हैं, आप उनको महीने में 5 हजार रूपये देने की स्थिति में नहीं हैं और इनको कितना मिलेगा ? इसमें एक सदस्य को 6500 रूपया सालाना प्राप्त होगा, मतलब 25-25 हजार रूपये उनके खाते में डालेंगे। उनका काम क्या है ? वह खुद काम तय करेंगे, उनकी स्वेच्छारिता रहेगी। आखिर आप उनको 123 करोड़ रूपये क्यों देना चाहते हैं ? इस छत्तीसगढ़ की मेहनतकश गरीबों, किसानों के पसीने का पैसा है। हम एक तरफ बात करते हैं कि एक-एक पैसे का कैसे उपयोग किया जाये और दूसरी तरफ इसको बनाने का मतलब भ्रष्टाचार को पनपाना है। अध्यक्ष महोदय, केवल भ्रष्टाचार नहीं, मैं अभी से बोल रहा हूं कि आप इस योजना को बनने दीजिये, योजना बनने के बाद इसमें कौन लोग आयेंगे ? इसको बनाने के पीछे क्या उदेद्श्य है ? मैं तो यह कह सकता हूं कि वामपंथी सोच के साथ इसका निर्माण किया जा रहा है। एक ऐसा टीम तैयार कर रहे हैं जो गांव में गुण्डागर्दी करेंगे, गुण्डागर्दी के अलावा जितने प्रकार के अवैध काम हो रहे हैं, उनको संरक्षण देने का अंत में इन्हीं के जिम्मे होगा। शासन के पैसे का दुरूपयोग है, उस योजना के माध्यम से राशि देना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इस योजना इसलिए इसको लागू करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की बड़ी-बड़ी बातें हो रही है। बिजली बनाने के लिए 3 जगह को चयनित किया गया है, 3 जगह चयनित करने के बाद बिजली बनायेंगे। पाटन क्षेत्र का सिकोला गांव

है, जिस दिन उसका उद्घाटन किये थे तो उस मंच में एक बिजली जलाया गया था। वह बिजली 10 मिनट जला, 15 मिनट जला या आधा घंटा जला, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद से बिजली बंद है। हमारे कृषि मंत्री जी भी बड़ा-बड़ा हांकते हैं कि हम वहां पर तेलघानी लगा रहे हैं, आटा चक्की लगा रहे हैं। आपने जो एम.ओ.यू. किया है, आपने एम.ओ.यू. करने के बाद वहां झांककर देखा ? वहां देखा कि वहां बिजली जल रही है या नहीं जल रही है ? गोबर से जो गैस निकलती है, बड़ी मुश्किल से 3-4 घरों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पता नहीं वह कितने दिन तक चलेगी। क्योंकि हम लोग तो इसका वर्षों से उसका उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन बिजली बनाने की बात थी, आपने एम.आ.यू. तो किया, लेकिन उससे बिजली जल रही है या नहीं जल रही है, कृषि मंत्री जी, आप जरा उसकी समीक्षा भी कर ले कि उसमें कितने प्रतिशत सफल हैं। मैंने 3 जगह में से एक जगह का हाल बता दिया है और दो जगह की आप जानकारी ले लेंगे। आपको पता चल जायेगा कि आपके छत्तीसगढ़ में आपके फ्लेगशिप योजना की क्या स्थिति बन रही है। यह तो केवल मुख्यमंत्री जी की जिद है कि मुझे इस योजना को लांच करना है, मुझे यह योजना चलानी है। चाहे आने वाले समय में उस योजना का जो भी हश्र हो, लेकिन उसका जो हश्र होगा, हम सबके सामने दिखाई दे रहा है कि उस योजना का क्या हश्र होने वाला है।

मानलीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्व बढ़ाने की बात करते हैं, कहते हैं कि मैंने राजस्व बढ़ाने का काम किया है, मैं राजस्व बढ़ा रहा हूं। डॉ. रमन सिंह भी 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कैसे राजस्व बढ़ाया जाता है, मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं। वर्ष 2004-05 में राज्य का राजस्व लगभग 4 हजार करोड़ था। जब वर्ष 2004 में डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बजट पेश किया तो उसमें उस समय राज्य का राजस्व 4 हजार करोड़ रूपया था। डॉ. साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 साल काम किये और जब सत्ता सौंपे उस समय राज्य के राजस्व की प्राप्ति 29 हजार करोड़ से अधिक की गई। यदि आप 4 हजार करोड़ और 29 हजार करोड़ के राजस्व की राशि को देखेंगे तो 15 साल में कितना प्रतिशत राजस्व बढ़ा ? 700 सौ प्रतिशत राजस्व बढ़ाने का काम डॉ. रमन सिंह जी के द्वारा किया गया था। आज जब हम इनके राजस्व की बात करते हैं तो विगत 3 वर्षों में प्रदेश का जो राजस्व है, विगत 3 वर्षों में जो राजस्व बढ़ा है तो वह लगभग 8-10-11 प्रतिशत ही रहा है। इस साल का जो जी.एस.टी. और मायनिंग से जो राशि मिली है, उसको मिला लें जो माईनिंग से बाकी जीएसटी मिला है, तीन साल के बाद में 30 प्रतिशत राजस्व की वृद्धि हुई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की देनदारी की जब बात करते हैं, उसके कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा । वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ सरकार की देनदारी 55 हजार 49 करोड़ की थी, आज आर्थिक कुप्रबन्धन के कारण वर्ष 2019 में 69 हजार करोड़ रूपये, वर्ष 2020 में 86 हजार करोड़ रूपया, वर्ष 2021 में 1 लाख करोड और वर्ष 2022 में बजट अनुमान अनुसार 1 लाख 14 हजार करोड़ रूपये हो गई । तीन सालों में प्रदेश की देनदारी दोगुनी हो गई है । मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेशों का उदाहरण देते

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं । यह कहते हैं कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हम सबसे अच्छी स्थिति में है । मैं कुछ बातें उनके सामने रखना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, हिमांचल प्रदेश की जो देनदारी है, वह 74 हजार करोड़ रूपया है, उत्तराखंड में 84 हजार करोड़ रूपया है, दिल्ली में 21 हजार करोड़ रूपया है, गोवा की 28 हजार करोड़ रूपया है, आसाम की 1 लाख करोड़ की है । बाकी सभी प्रदेशों की स्थिति छत्तीसगढ़ से बेहतर है । माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यदि हम देनदारी देखेंगे, छत्तीसगढ राजय के सकल घरेलू उत्पाद की 30 प्रतिशत देनदारी है । गुजरात की मात्र 21 प्रतिशत, कर्नाटक की 25 प्रतिशत, महाराष्ट्र की 20 प्रतिशत, उड़ीसा की 26 प्रतिशत, तेलंगाना की 27 प्रतिशत, मध्यप्रदेश 29 प्रतिशत के साथ हमसे बेहतर स्थिति में है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह आंकड़ा अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, यह जो आंकडा है, पीआरएस सर्वे एजेंसी है, उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है, तथ्यों के साथ समीक्षा करने के बाद में उसका प्रकाशन किया जाता है । उनके द्वारा प्रकाशन किया जाता है, उसके रिपोर्ट के आधार पर यह बातें मैं रख रहा हूँ । मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कहां से खोजकर लाये । इसलिए खोजने की बात है तो पहले मैं इस बात को रख देता हूँ । पी.आर.एस. का जो सर्वे है, उस सर्वे ने जो प्रकाशित किया है, यह आंकड़ा पूरे देश के तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद प्रकाशित किया गया है, उसके आधार पर सदन को जानकारी दी जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. को लेकर बात की जाती है, 10 हजार करोड़ रूपये हमको लेना है, 20 हजार करोड़ रूपया हमको लेना है, प्रधान मंत्री आवास नहीं मिल रहा है तो केन्द्र सरकार ने जी.एस.टी. का पैसा नहीं दिया । यदि यहां पर निर्माण कार्य की बात आती है तो जी.एस.टी. का पैसा नहीं दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि 2 वर्षों में जी.एस.टी. का है, जी.एस.टी. की जो राशि है, आपको जो राशि मिलनी थी, वह 7873 करोड़ है, आपको 5733 करोड़ रूपये मिले हैं, यह वर्ष 2019-2020 का है । इसमें आपने 2139.38 करोड़ शेष बचा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, हम जब वर्ष 2020-2021 की बात करेंगे, वर्ष 2020-2021 में 8112 करोड़ इनको मिलना था और इनको 6088 करोड़ मिला है, शेष राशि जो मिलनी है वह 2043.76 करोड़ है । यह विधान सभा क्वेश्चन में है,आप जी.एस.टी. में 10 हजार करोड़ की बात करते हैं, आपने इसका जवाब दिया है। जवाब में इनको केवल 2 साल का 4 हजार करोड़ राशि शेष मिलनी है, लेकिन कोई भी कार्य हो तो केवल आरोप मुख्यमंत्री जी लगा देते हैं कि हम क्या करें, यदि केन्द्र हमको राशि देती तो हम उसका उपयोग करते । आप उस राशि का कितना उपयोग करते हैं ? आपका कुल मिला करके 02 साल में 4 हजार करोड़ रुपये की राशि शेष बची हुई है, बाकी राशि केन्द्र सरकार के द्वारा दे दी गई है।

श्री अमरजीत भगत :- 4 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा से ऊपर की राशि केवल खाद्य विभाग को लेना है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न लगाया है उसका जवाब आया

है। यह परिशिष्ट में लगा हुआ है। आप इसको देख लेना, पढ़ लेना। अब जब बात करते हैं तो यहां पर बडी-बड़ी बात आती है। पूरे देश के कर्मचारियों को अगर सबसे कम डी.ए. कहीं पर है तो वह छत्तीसगढ़ में है। मध्यप्रदेश ने भी 01 अप्रैल 2022 से 31 प्रतिशत D.A. कर दिया है। बाकी लगभग 15-20 राज्यों ने राशि बढ़ा दी है। जब केन्द्र सरकार ने 31 प्रतिशत D.A. दे दिया, बाकी राज्यों ने 31 प्रतिशत D.A. दे दिया तो यहां के कर्मचारी, अधिकारी भी इस बात को देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश से तुलना की जाती है कि यदि मध्यप्रदेश यह करेंगे तो हम करेंगे। कई बातों में तुलना आती है। मध्यप्रदेश ने 01 अप्रैल 2022 से 31 प्रतिशत D.A. दिये जाने की घोषणा कर दी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि यहां के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए थोड़ा सा बड़ा ह्रदय दिखाना चाहिए और उनके लिए जो अभी 14 प्रतिशत D.A. की कमी है, 31 प्रतिशत D.A. बढ़ाने की घोषणा आज मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। जिससे कर्मचारियों को भी लगेगा कि यदि ये बजट प्रस्तुत किया है तो हमारे लिए कोई प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनियमित कर्मचारियों के लिए तो कोई प्रावधान नहीं है। हमने पूरे बजट में देख लिया। आखिर जिस काम को आप नहीं कर सकते, उसके बाद में आपने अंगीकृत किया तो आपके अंगीकृत करने के बाद उनको लाभ क्या मिला ? मतलब विशुद्ध रूप से आपने धोखा देने का काम किया है और उनको धोखा देने के बाद में आज सब लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। यह स्थिति हमारे मुख्यमंत्री जी बनाकर के रखे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम धान खरीदी की बात करते हैं। अब मंत्री जी को मैं क्या बोलूं, उनका बजट पारित हो गया। उनको तो आसंदी के निर्देश का पालन करते हुए एक लाईन में खेद प्रकट कर देना था। किसी को मजा नहीं आता कि मेरे बजट में कोई न बोले। हर मंत्री चाहते हैं कि मेरे विभाग की बजट मांगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलना चाहिए और उनको अच्छा लगता है। चाहे आप उनको सकारात्मक सुझाव दें, उसकी नकारात्मक आलोचना करें, उनकी कमियों को गिनाओ लेकिन उनको अच्छा लगता है कि मेरे विभाग में बोलें। लेकिन अब मंत्री जी के बारे में मैं क्या बोलूंगा। लेकिन एक बात को कह सकता हूं कि जिस बात को करते हैं, आपने भी धान खरीदी शुरू किया और धान खरीदी शुरू करने के बाद में आज स्थिति यह बन गई है कि 02 साल के जो लेखा का हिसाब आना चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आप लोग डबल स्टैण्डर्ड वाली बात करते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- तोर पौनी-पसारी बंद हे।

श्री अमरजीत भगत :- एक झन ला बोलथौ माफी मांगे और एक झन ला खुला छूट। होही तो दोनों जन बर होईही।

श्री धरमलाल कौशिक :- आज भी खेद व्यक्त करबे तो हमन अभी झोप लेबो। अभी भी खेद व्यक्त कर देही तो ओका झोप लेबो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका 02 साल के लेखे का हिसाब नहीं

आ रहा है कि उसमें कितना घाटा हुआ, कितना धान का कस्टम मिलिंग हुआ, उसमें कितना सड़ गया। आखिर अभी तक ये बता क्यों नहीं पा रहे हैं कि हमको इतना घाटा हुआ है और कब तक इस बात को छिपायेंगे। प्रश्नकाल में भी जो जवाब में आया तो बोले कि हम तैयार कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 03 साल धान खरीदी हो गई, 2018 से खरीदना शुरू किये हैं, 2018 से 2022 चल रहा है। आपका उसके बाद में आज तक इनका हिसाब नहीं आया कि आखिर उसमें धान है तो है कहां ? मैं एक जगह का अभी आपको बताना चाह रहा हूं। महासमुन्द जिले में सांकरा है, सहकारी समिति परसवानी में 4 हजार क्विंटल धान बोगस खरीदी का मामला सामने आया है। वहां पर धान खरीदी में 2021-22 में 14 करोड़ 59 लाख 72 हजार 500 रुपये की कुल 58 हजार 389 क्विंटल धान की खरीदी बताई गई है। उसके बाद में जब वहां से धान उठाने की बात आई जो वहां पर केवल 800 क्विंटल धान पड़ा हुआ है। चूहा खा गये।

श्री अमरजीत भगत :- जब पूछना रहिस तो आप मन पूछौ नहीं। अब सब निकल गईस तब अभी पूछत हौ तो ओमा का बतावं।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, चूहे उस धान को खा गये, सफेद चूहे धान को खा गये, खरीदी नहीं हुई, उसमें वैसे ही भर दिया गया। बोगस की खरीदी कर लिया और खरीदी करने के बाद में भुगतान भी कर दिया। इसलिये हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह जो अभी तक का आपका धान खरीदी का मामला है। एक साल के अंतराल के बाद तो लेखा आ जाना चाहिये, इस साल के इस साल मत आये, लेकिन एक साल के अंतराल के बाद में तो लेखा आ जाना चाहिये। लेकिन अभी-भी 2019-20, 2020-21 में जो धान खरीदी हुई है, उसका लेखा आज तक क्यों नहीं आ रहा है? इसका महत्वपूर्ण कारण यही है कि जिस प्रकार से यहां छत्तीसगढ़ में पैसे की बर्बादी हो रही है, धान की जो बर्बादी हो रही है और इस बर्बादी का यह नमूना है। लेकिन कब तक छुपा कर के रखेंगे, आज नहीं तो कल असलीयत सामने आयेगी और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। कितनो को बचायेंगे और कैसे बचायेंगे ? क्या हम इसके लिये बजट को पारित करें कि आप किसानों के नाम से धान खरीदी करें और उसके बाद में जो धान के लिये पैसे दिये हैं, जो जनता के हित में लगनी चाहिये, आप उसकी बर्बादी करें, उसको आप भ्रष्टाचार में शामिल करें और यदि इसी प्रकार से इस सरकार की जो भ्रष्टाचार की प्रणाली चल रही है। एक विभाग नहीं अनेको विभाग की जो बातें आयी है, क्या हम लोग इसके लिये बजट को पारित करेंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो भी योजना है, आप उन योजनाओं को, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग में जोड़ देते हैं, आप उन योजनाओं को DMF के ऊपर जोड़ देते है। जब से चुनाव हुये हैं और चुनाव होने के बाद में पंचायतों के अधिकारों का लगातार अतिक्रमण हुआ है। चुनाव जीतने के बाद में यहां पर राशि आयी और राशि आने के बाद में वह राशि

आज तक वापस नहीं पहुंची है। यदि आज वहां पर पंचायत जिंदा है और यदि वहां सरपंच का सम्मान हो रहा है तो आपको उसके लिये मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिये। चाहे वह 14वें वित्त आयोग की राशि से काम चल रहा हो, DMF की राशि से हो, या मनरेगा की राशि से हो लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में एक नये पैसे की राशि यहां से नहीं गयी है और पता नहीं मुझे नहीं मालूम की राजा साहब पंचायत मंत्री है इसीलिये पैसे नहीं दे रहे हैं कि और क्या कारण हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो राशि यहां से जाना चाहिये और पहले जो राशि जाती थी चाहे वह समग्र योजना की राशि हो, अन्य योजना की राशि हो जिसके माध्यम से पंचायत में जो कार्य होते थे, विकास के कार्य चलते थे लेकिन आज सारे पंचायतों के विकास कार्य ठप्प है, यह छत्तीसगढ़ की सरकार, पंचायत को प्रोत्साहन के बजाय, उसको हतोत्साहित करने का काम कर रही है, उनके अधिकारों में कटौती कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रेत उत्खनन की बात आयी। कल मुझे रात में बलरामपुर से फोन आया और बलरामपुर में सारे NGT के नियमों को ताक पर रख करके।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- नेता जी, 29 जिलों में सपने में कार्रवाई हो जायेगी, लेकिन बलरामपुर में सपने में भी कार्रवाई नहीं हो सकती, किसी के हिम्मत नहीं है कि बलरामपुर में, वह रिहन्द से नोयडा तक फेमस है।

अध्यक्ष महोदय :- आप और कितना समय लेंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आप लोगों के शासन काल में भी वहीं से बालू निकलता था, पुलिया धसक गया था। क्यों बृहस्पत सिंह जी ? पुलिया डेमेज हो गया था।

श्री रविन्द्र चौबे :- वहीं से तो रेत 15 साल तक उत्तरप्रदेश जाती थी भैया।

श्री अजय चंद्राकर :- 15 साल में लेजाथस, ते झन देखा थस।(व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- 15 साल विश्वास ला भुलागे हे एहा ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी-भी उत्तरप्रदेश जाथे, एक व्यक्ति ला प्रश्न करे हव।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, उत्तरप्रदेश तो जाथे, लेकिन ओला ले जाने वाला कौन है, सरगना, मुखिया ?(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी-भी (व्यवधान) उत्तरप्रदेश जाथे वहीं ले।

श्री बृहस्पत सिंह :- वहां का दो पुलिया बह गया है रेत ले जाने में और वह आप ही के कार्यकाल का है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, चार बार हो गे, उसी को उत्तरप्रदेश के ..(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी, आप और कितना समय लेंगे ?

श्री धरम लाल कौशिक :- लेथो न, थोड़ा समय लेथो, आप हो के आ जाओ, चाय पी के।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह NGT के सारे नियम को ताक पर रखे हुये हैं और ताक पर रख कर के, वहां पर परसो एक महिला डूब करके खत्म हो गयी। आप पूरे प्रदेश में देखेंगे, आप उत्तरप्रदेश की बात कर रहे हैं। वहां उत्तरप्रदेश में किसको खुश करने के लिये रेत ले जा रहे है, आप थोड़ी-सी जांच करवा लीजिये, कि योगी जी तो रेत नहीं बुलवा रहे हैं। कौन वहां सप्लाई कर रहे हैं, उसको थोड़ा-सा दिखवा लीजिये ? आपको पता लग जायेगा। यह तो जितने ठेकेदार है वह केवल नाम के हैं, वे काम के नहीं है। उनको तो एक लाईन में बता दिया गया है कि आपको करना है, आप केवल दस्तखत करेंगे और जो चलाने वाले हैं आपके पीछे खड़े हुये हैं। वह जो चलाने वाले पीछे खड़े हुए हैं, उनको खुश करने के लिए आपने रेत के घाट का ठेका दिया है। रेत के घाट का ठेका देने के बाद, राजस्व नहीं है। उसमें राजस्व कैसे आ रहा है, यह सबको मालूम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी बैंक, यदि सबसे ज्यादा किसानों के लेनदेन का मामला है तो सहकारी बैंक में है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कुछ नहीं। आपका समय हो चुका है। आपको 45 मिनट हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिये तो कहा कि आप चाय पीकर आ जाईये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी बैंक में किसानों का सबसे ज्यादा मामला है। मैं पिछले 2-3 सालों से बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से स्थिति निर्मित हुई है..।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, पूरे सत्र में काफी चर्चा हुई है। विनियोग की एक सीमाएं होती हैं। वह बहुत सारी जो बातें आ गईं हैं उनको मत दोहराईये। क्या है कि अभी आपके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर देना है फिर पारित करने का वक्त होता है तो अगर आसंदी थोड़ा संक्षित करने के लिए कह रहे हैं। हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। आप बहुत लम्बा भाषण दे रहे हैं हमें कोई खराबी नहीं लग रही है, लेकिन एक सीमाएं हैं इसलिए आपसे आग्रह है और कोई बात नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय चौबे जी, मैं लम्बा भाषण कहां देता हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आपके बाजू में पौने 3 घण्टे का रिकॉर्ड है। सिर्फ 2 घण्टे 45 मिनट।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपको उस रिकॉर्ड को तोड़ना है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर आपकी अनुमति होगी, आसंदी की अनुमति होगी तो..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता और माननीय उप नेता, व्यवस्था में हम लोग आते हैं। यह लोग मुख्य लोग हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने आग्रह किया। आप क्यों नाराज हो रहे हैं ?मैंने अध्यक्ष जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से आग्रह किया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौबे जी, आपने आग्रह किया तो मैंने बताया।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उससे आगे कुछ नहीं बोला हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये सदन के नेता है, यह है, वह है उसके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं चलती है। हम लोगों के लिए व्यवस्था चलती है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- इसके पहले माननीय अजय चन्द्राकर जी 1 घण्टा 20 मिनट भाषण अकेले दिये हैं।

श्री नारायण चंदेल :- भाषण बनाने के चक्कर में रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारी बैंक की बात कर रहा था और मैंने पहले भी आग्रह किया था कि वहां ए.टी.एम. मशीन लगानी चाहिए। वहां ए.टी.एम. मशीन नहीं होने के कारण किसानों का जो शोषण हो रहा है। मैं अभी आपको उसका एक उदाहरण बता रहा हूँ। बलोद में निपानी जो केन्द्र है, यहां 7-8 करोड़ रूपये की राशि निकाल ली गई है। वहां पर सारे लोग धरने में बैठे हुए हैं। वे धरने में बैठकर कार्यवाही की बात कर रहे हैं। आखिर वहां पर इन किसानों की राशि किसने निकाली ? वहां राशि निकालने के बाद, कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है ? एफ.आई.आर. क्यों नहीं हो रहा है ? दो दिनों से किसान धरने में बैठे हुए हैं। यदि वहां ए.टी.एम. मशीन लगा दिये होते तो मुझे नहीं लगता कि वहां ए.टी.एम. मशीन लगने के बाद धोखाधड़ी होती। लेकिन पता नहीं क्यों वहां ए.टी.एम. मशीन नहीं लगाना चाहते। हमारे बिलासपुर के 6 जिले में 04 ए.टी.एम. मशीन लगी है। मैं बात कर रहा था कि उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। यदि संख्या बढ़ायेंगे तो संख्या बढ़ाने के बाद में आज जो किसान जाकर लाईन लगाकर बैठे हुए हैं और उनकी बिना दिये कुछ पैसे, राशि नहीं निकल रही है। किसान तकलीफ पा रहे हैं उस विषय में विचार क्यों नहीं करना चाहिए ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ऊर्जा की बात कर रहे थे कि कौन सी लाईन, कौन सी वेटिंग। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर 30 जनवरी, 2021 को सब लोग जो डिमांड नोट कटाये हैं और राशि जमा कर दिये हैं। लेकिन उनका टेण्डर बंद हो गया है। आपका अभी 36 करोड़, 36 हजार का काम चल रहा है। वह पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें राज्य सरकार के ऊपर बेन लगाया गया है कि अभी उसका कोई टेण्डर नहीं होगा। जब टेण्डर नहीं होगा तो आखिर किसान उनका कब तक इंतजार करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि लगभग-लगभग ये जितना लगाने की बात कर रहे हैं अभी उतने ही किसान वेटिंग में बैठे हुए हैं। यदि आप उसको जारी करेंगे तो यदि आप जारी करेंगे तो किसानों को प्राथमिकता के अनुसार मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो, यह हमारे किसान पैसा पटाने के बाद में आकर पूछते हैं कि साहब, हमारा नंबर कब आएगा?15 सालों तक डॉ. रमन सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे। हमने जिस बात को कहा कि लगातार उनको कनेक्शन देते रहे। लेकिन आज कनेक्शन देने के बाद में, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए, जैसे पिछली

बार घोषणा किये थे। अभी जो पेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो पेंडेंसी न हो, एक बार आप उसकी घोषणा कर दीजिए कि पैसा पटाने के बाद में किसानों को पम्प मिल जाए, वह पैसे देने को तैयार हैं। किसानों को 15 सालों में बिल नहीं भेजा गया। लेकिन यहां बिल भेजने की बात हो रही है कि उनको नोटिस दिया जा रहा है, बिल भेजा रहा है कि आप इसे पटाईये नहीं तो आपके पंप का कनेक्शन कांट दिया जाएगा। हमारे किसान बरसात में नहीं के बराबर चलाते हैं...।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, आपके भाषण से चंद्राकर जी, क्षुब्ध होकर सो रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- सोने दीजिए न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- अब समाप्त करिए, समाप्त नहीं कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब उनके खुद अध्यक्ष थे। जब बनाए तो उन्होंने बड़ी-बड़ी घोषणा की और लोग आ करके मुझे अपना दस्तखत दिखाते हैं कि उन्होंने स्वीकृति दी है। मितानिनों को तनख्वाह बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी है, डॉक्टरों की नियुक्ति की बात की है। मैं यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में आ जाता हूं। मुख्यमंत्री जी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम कहां पर है, आपके साथ जाकर देखना पड़ेगा। क्योंकि बाकी प्रदेश में तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है और बाबा साहब बताने की स्थिति में भी नहीं हैं। पता नहीं, उसमें क्या-क्या जोड़कर बताते हैं कि यह है। लेकिन उसमें जो 20 लाख रूपए ईलाज होने की बात कही गयी थी, 5 लाख नहीं हम उसमें 15 लाख, 20 लाख रूपए का ईलाज कराएंगे लेकिन 20 लाख का ईलाज किसके भरोसा होगा ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- समय निकालकर देखिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो समय निकालने को तैयार हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैंने उस दिन चर्चा की थी। आज हमारा सिम्स सबसे बड़ा अस्पताल है। सबसे बड़ा अस्पताल होने के बाद भी उसमें नर्स स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है। आपके ऐसे अनेक जगह हैं, जहां मशीन खरीद लिए और मशीन खरीदने के बाद आपरेटर के अभाव में उसको चालू नहीं कर पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। हम लोगों ने देख लिया। केन्द्र सरकार ने तीन मेडिकल कॉलेज दिया, उसमें आप एक को भी चालू नहीं कर पाए हैं। केवल कांकेर की बात आ रही है। दो मेडिकल कॉलेज का कहीं पर कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- अब समाप्त करिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं समाप्त कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छा काम हो रहा है। महिला बाल विकास में बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन उसके बाद 25 हजार लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है ? वहां पर एक हजार महिला की मृत्यु क्यों हो जाती है ? आखिर इतना पोषण आहार देने के बाद मृत्यु क्यों हो रही है ? इस विषय में केवल बात करने से नहीं होगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

काम करने की आवश्यकता पड़ेगी । यह रिकार्ड मेरा नहीं है, आपका रिकार्ड है। रिकार्ड में जो सारी बातें आ रही हैं। आप इतना अच्छा लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, आप इतना अच्छा सरकार चलाने की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां की जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को देख करके हम सबके सामने में है कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोल रहे हैं कि जल्दी खत्म करिए, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- कितनी जल्दी ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, सतत् विकास लक्ष्य, अभी जो प्रकाशित हुआ है, मैं आपको कुछ लाईन बता देता हूं कि हम कहां पर खड़े हैं। सतत् विकास लक्ष्य जो छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट आई है, पूरे देश में हम लोगों का 19वां स्थान है। 61 अंक प्राप्त किए हैं, राष्ट्रीय औसत 66 हैं और हमारे छत्तीसगढ़ का 61 प्रतिशत है। गरीबी में 23 वां स्थान है, असम, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, हम सबसे अच्छी स्थिति में है। भुखमरी में छत्तीसगढ़ का 25वां स्थान है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में हम लोग राशि खर्च कर रहे हैं और हम लोग कहां पर खड़े हुए हैं । स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का देश में 26वां स्थान है, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड हमसे अच्छी स्थिति में है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह जो सतत् विकास लक्ष्य जारी किया है, उसके अनुसार है। मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 2019 में 141, वर्ष 2020 में 159 है, मतलब उसमें भी हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ 24वें स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का 15वां स्थान है। कक्षा पहली से 8वीं तक जो छात्र पंजीयन हुआ है, वर्ष 2019 में 93 प्रतिशत और वर्ष 2020 में 83 है, उसमें भी 10 प्रतिशत की कमी आई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब बाकी चीजों को गिनाऊंगा तो हम लगातार देख रहे हैं कि हमारी उद्योग अधोसरंचना विकास क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का 21वां स्थान है। वर्ष 2019 में 38 वें अंक में थे और वर्ष 2020 में 36 अंक में हैं। दो अंक में कमी आई है। हम यदि इस पूरे बात को देखेंगे तो वास्तविक में 51,000 करोड़ रूपए का कर्ज लिया। कर्ज लेने के बाद में लगातार गिरावट क्यों आ रही है ? जो लगातार गिरावट आ रही है उसके पीछे का कारण है राशि का दुरूपयोग होना । भ्रष्टाचार की बलि-बेदी पर चढ़ना तो यहां के गरीब, यहां के किसान, यहां के मजदूर, यहां के नौजवान जो राशि परिश्रम करके, अपना पसीना बहाकर कमा रहे हैं हमें उस राशि को बर्बाद करने के लिये नहीं देना है । हमें सिंचाई के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ना चाहिए हम आज उतना आगे नहीं बढ़ रहे हैं, न तो हम अपराध को कंट्रोल कर पा रहे हैं । आज योगी जी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अब तो यह हो गया है कि एक समय जो अपराधियों के बारे में बिहार और उत्तरप्रदेश के बारे में कहा जाता था लेकिन आज वहां स्थिति यह बन गयी है कि उनकी इच्छाशक्ति के कारण आज उत्तरप्रदेश अपराध से मुक्त हो रहा है और छत्तीसगढ़ शरणस्थली बन रहा है । यह इच्छाशक्ति यहां के मुख्यमंत्री की है । अभी भी यहां जो चाकूबाजी की घटना हुई । उन लोगों ने भी बाहर से आकर इस घटना को अंजाम दिया है, आज

छत्तीसगढ़ शरणस्थली बन रहा है । इससे छत्तीसगढ़ के लोगों का कल्याण नहीं हो सकता । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं । कल विश्व कविता दिवस था इसलिये मैं उन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि -

वक्त बदलेगा, वक्त यही ।
एक उम्मीदों भरा सवाल है ।
हर तरफ एक ही फिजा, तुम कहते हो सब-कुछ जुदा है ।
मेरा शहर बिकने को, कब्र को भी जगह नहीं ।
हम जहां खड़े हैं, वहां मयखाने की तैयारी है ।
तुम सारे शहर को कहते हो, मैं हूं तो भरोसा है । यही सबसे बड़ा धोखा है ।
किसानों को नहीं मिल रहा है किस्त और आप तो केवल सत्ता के आनंद में हैं मस्त ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको कौन लिखकर भैजा है ?

अध्यक्ष महोदय :- बताईये, मैं पूछ रहा हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह मेरा लिखा हुआ नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो पढ़ते हैं उनका भी लिखा हुआ नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिये मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद । माननीय मुख्यमंत्री जी ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 पर चर्चा में भाग लेने वाले माननीय अजय चंद्राकर जी, माननीय मोहन मरकाम जी, माननीय नारायण चंदेल जी, भाई शैलेश पांडे जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, भाई संतराम नेताम जी, आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, आदरणीय केशव प्रसाद चंद्रा जी, आदरणीय प्रमोद कुमार शर्मा जी और अंत में हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय धरमलाल कौशिक जी ने अपनी बात कही ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अजय चंद्राकर जी द्वापर युग चले गये। महाभारत के किस्से और उसके बाद वे इटली भी गये, यूक्रेन भी आये लेकिन विनियोग में नहीं आ पाये । वे पाकिस्तान भी चले गये । उन्होंने दुर्योधन पर भी बात की । आप उसके आगे और मत जाईयेगा । वैसे आज अजय जी का स्वर अच्छा था । चेहरे में एकाध-दो बार तमतमाहट आयी, मुस्कान बिखेर रहे थे । धर्मजीत भैया आप देख नहीं पाये लेकिन हम लोग उनको देख रहे थे लेकिन उसका असर बगल वाले में चंद्रा जी में ज्यादा पड़ गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- चंद्रा जी नहीं हाथी छाप ।

श्री भूपेश बघेल :- आज हाथी बिना पानी के थोड़ा सा क्रुद्ध हो गया था ।

श्री अजय चंद्राकर :- हाथी को 10 दिनों तक झेलना बहुत कठिन काम है । मैं एक-दिन अकबर जी को सौंपने जाउंगा । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- भई ऐसा है कि आप लोग लखनऊ भेजकर ही साधे थे और लखनऊ में तो साध लिये ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अकबर जी तो संरक्षण दे ही रहे हैं । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- लखनऊ में साध लिये यहां भी सदा सुधाया है । यह दिख रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज डॉ. रमन सिंह जी नहीं बोले और कल ही उन्होंने अपनी बात कही । मेरे विभाग की चर्चा में उन्होंने भाग लिया और वे जो बातें कह रहे थे कि उत्तराखण्ड की स्थिति, मध्यप्रदेश की स्थिति आज हमारे नेता प्रतिपक्ष जी कर्नाटक और कहां-कहां की और बातें बता रहे थे। पता नहीं वे कौन सा रिकॉर्ड निकालकर लाये थे और उसमें बात कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रमन सिंह जी ने तो अर्थी तक की बात कर दी। आपने अर्थव्यवस्था की अर्थी निकाल दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि कोविड 19 की दूसरी लहर के कारण से प्रथम तिमाही में राज्य के राजस्व में कमी तथा जनहित कार्यों एवं पूंजीगत व्यय के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम छ:माही में 4 हजार करोड़ का बाजार से ऋण लिया गया। दूसरी तिमाही के अंत में अप्रैल से सितंबर तक का पूंजीगत व्यय 4 हजार 624 करोड़ था, जोकि लिये गये ऋण से अधिक है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि लिया गया ऋण पूंजीगत व्यय हेतु ही था। अध्यक्ष महोदय, जनवरी 2022 तक पूंजीगत व्यय 7 हजार 629 करोड़ है तथा राजस्व आधिक्य 1 हजार 103 करोड़ है, जो वित्तीय घाटा 6 हजार 591 करोड़ है जो कि जी.एस.डी.पी. का 1.65 प्रतिशत है। मतलब जो जी.एस.डी.पी. की बात हमेशा कहते थे, इस सत्र में इन्होंने नहीं कही। पिछले सत्रों में बहुत बात हुई कि 3.5 से जो बी.एम.एफ.आर. के जो एक्ट हैं, उसका उल्लंघन हुआ और बहुत बढ़ गया था, लेकिन अब वे बातें नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अब वह आया गया है जी.एस.डी.पी. का 1.65 प्रतिशत। अध्यक्ष महोदय, आप कल कह रहे थे कि 701 करोड़ का जो आधिक्य का बजट है 3 हजार करोड़ रूपया घाटा होगा, वह तो अनुमान है। मैं अभी वर्तमान का बता रहा हूं। इस चालू वर्ष में शुद्ध बाजार का ऋण हमने 1 हजार करोड़ रूपये लिया और विगत वर्षों में आप देखेंगे, आप जो ऋण लेने की बात कहते हैं न, ऋण लगातार ले रहे हैं, ले रहे हैं। तो जो ऋण लिये हैं, वह वर्ष 2012-13 के बाद से सबसे कम ऋण इस साल हमने लिया। वर्ष 2012-13 में आपने लिया था 1 हजार 18 करोड़ और उसके बाद वर्ष 2012-13 में 3 हजार 242 करोड़, वर्ष 2014-15 में 5 हजार 102 करोड़, वर्ष 2015-16 में 6 हजार करोड़, फिर वर्ष 2016-17 में 4 हजार करोड़ से अधिक की राशि, वर्ष 2017-18 में आपने 8 हजार 652 करोड़ और निश्चित रूप से

वर्ष 2018-19 में आप देखेंगे तो 13 हजार करोड़ का था। चुनावी वर्ष आपका भी था, हमने भी लिया। वर्ष 2019-20 में 10 हजार करोड़ का लोन लिया। वर्ष 2020-21 में आप जो कह रहे हैं कि आप लोन बहाते जा रहे हैं, उसके बारे में कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार खुद कहती है कि आप हमारे जी.एस.टी. के against में लोन ले लो और वर्ष 2019-20 में हमने लोन लिया 3 हजार 109 करोड़। भारत सरकार को जो हमको देना था, वे हमें देते, वह मिला नहीं। भारत सरकार कहती है कि आप लोन ले लो। उसके against में हमने 3 हजार 109 करोड़ का कर्ज पिछले साल लिया और सेन्ट्रल से जो 286 करोड़ का लोन मिला और वर्ष 2021-22 में अभी तक हम लोगों ने 8 हजार 71 करोड़ का जो लोन है, उसमें से भी जो जी.एस.टी. लोन है, वह 4 हजार 965 करोड़ है और सेन्ट्रल का जो लोन है, वह 282 करोड़ है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आप देखेंगे तो वर्ष 2021-22 के जी.एस.टी. एवं पूंजीगत व्यय हेतु ऋण को कम करने पर शुद्ध ऋण 10 हजार 166 करोड़ और वर्ष 2021-22 में जी.एस.टी. एवं पूंजीगत व्यय हेतु ऋण को कम करने पर शुद्ध ऋण केवल 2 हजार 824 करोड़ है। मैं समझता हूं कि वर्ष 2012-13 के बाद से अब तक के छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे कम ऋण लिया है। ये हमारी अर्थव्यवस्था है। (मेजों की थपथपाहट) जो आप अर्थी निकालने की बात कह रहे थे, उसके बारे में है। दूसरी बात, आपने जो कही, आज नेता प्रतिपक्ष भी कहीं से आंकड़ा लाये थे। कल डॉ. रमन सिंह जी बात कह रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में जितना हमारा बजट है, उसका 80 प्रतिशत हमने लोन लिया है, यह बात बिल्कुल सही है और ये आंकड़े आप वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। आप सी.ए.जी की वेबसाइट में जाकर भी निकाल सकते हैं। ये उसी के आंकड़े हैं, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, झारखंड में 89 परसेंट है, छत्तीसगढ़ में 80 परसेंट, झारखंड में 89 परसेंट जो कि हमारे साथ ही राज्य बना । आप उत्तराखंड की बात कह रहे थे वहां 104 परसेंट है, यानी जितनी उसकी आय नहीं है उससे ज्यादा तो उन्होंने लोन लिया हुआ है । मेरे पास सारे आंकड़े हैं, मैं सब पढ़ दूंगा । उत्तर प्रदेश में 92 परसेंट है, जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात में 146 परसेंट, मध्यप्रदेश जिससे हम लोग अलग हुए वहां 125 परसेंट, यानी जितनी आय नहीं, उससे सवा गुना । हरियाणा में 180 परसेंट और कर्नाटक 126 परसेंट । अर्थव्यवस्था हमारी ठीक है या जो पहले से स्थापित राज्य हैं या जो हमारे साथ जो नये राज्य बने उसकी तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही है (मेजो की थपथपाहट) । आपने अर्थव्यवस्था की अर्थी की बात कह रहे हैं, वह किस फ्रस्टेशन में कह रहे हैं यह मैं नहीं जानता । लेकिन आपने जो बातें कही वे बिल्कुल असत्य हैं । छत्तीसगढ़ में अभी से हम आधिक्य के बजट में पहुंच चुके हैं। अनुमानित 2022-23 से पहले ही, पिछले साल हमने जो अनुमान लगाया था कि 3 हजार करोड़ का घाटा लगेगा, उससे हम उबर चुके हैं और इस साल भी हम सरप्लस की स्थिति में हैं । अध्यक्ष महोदय, अजय जी ऋण के बारे में कह रहे थे । उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा । 2021-22 में मुख्य बजट में राजस्व घाटा 3702 करोड़ अनुमानित

था, जनवरी माह तक महालेखाकर के लेखे के अनुसार 1103 करोड़ का राजस्व आधिक्य हो गया है । यह बताते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है इस पवित्र सदन के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मैं बताना चाहता हूं । पिछले साल 3702 करोड़ अनुमानित था, अब महालेखाकार ने कहा है कि इस साल हम सरप्लस बजट में हैं, यह हमारे लिए सबसे संतोष का विषय है (मेजो की थपथपाहट) । यह हमारी उपलब्धि है । यह हमारे वित्तीय प्रबंधन के कारण संभव हो पाया है । अध्यक्ष महोदय, ऋण के बारे में कहा गया । हमारा शुद्ध ऋण 43 हजार 236 करोड़ है जिसमें जी.एस.टी. के बारे में बताया कि भारत सरकार के कहने से हमने जो लोन लिया है, यदि उसको करें तो 8 हजार 71 करोड़ है । पूंजीगत् व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा जो दिया गया ऋण है 568 करोड़ शामिल है । इस प्रकार शुद्ध लिया गया ऋण केवल 3400 करोड़ है, यदि भारत सरकार हमें जी.एस.टी. का पैसा दे देती है हम उसके विरूद्ध लोन नहीं लेते तो हमारा लोन केवल 34597 करोड़ होता । इस चिंता से आप मुक्त होइए कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की अर्थी निकल रही है, इस भाषा को बोलना बंद करिये। हम सरप्लस स्टेट में हैं । 2010-11 में जो आपकी स्थिति थी उस स्थिति में हम लोन भी कम ले रहे हैं और सरप्लस स्टेट में अभी से आ गए हैं, जो अनुमान आप लगा रहे थे । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सुझाव तो दिये लेकिन ऐसी कोई बहुत ज्यादा गंभीर बात नहीं आई जिसका मैं जवाब दूं लेकिन विनियोग विधेयक के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं । विनियोग 2022-23 का आकार है, 1 लाख 12 हजार 603 करोड़, बजट 2022-23 का शुद्ध व्यय 1 लाख, 4 हजार करोड़ । राजस्व व्यय 88 हजार 371 करोड़, पूंजीगत व्यय 15241 करोड़, कुल प्राप्तियां 1 लाख 4 हजार करोड़, राजस्व प्राप्तियां 89 हजार 73 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 14 हजार 927 करोड़, वित्तीय संकेतक-राजस्व आधिक्य 702 करोड़, वित्तीय घाटा 4 हजार 600 करोड़, 2022-23 के लिए अनुमानित जी.एस.डी.पी. ,38,478 करोड़ और जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में यदि वित्तीय घाटा को देखे तो साढ़े तीन प्रतिशत है। भारत सरकार ने कोरोना के कारण से इसको आधा प्रतिशत और बढ़ा दिया था। फिर आप कुछ और संशोधन करेंगे तो 0.25, इसमें बिजली भी मिलेगा, पी.डी.एस. भी मिलेगा, वह भी उपयोग नहीं किया बल्कि अब जो वित्तीय घाटा है, वह 3.3 प्रतिशत करने में हम सफल रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 33 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्र के लिए 37 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत और कृषि बजट का आकार 20,405 करोड़ है। राज्य की आर्थिक स्थिति वर्ष 2021-22 के प्रावधिक अनुमान अनुसार स्थिर भावों पर राज्य की जी.एस.डी.पी. में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। जो राष्ट्रीय स्तर पर 9.2 प्रतिशत कमी की तुलना में अधिक है। वर्ष 2021-22 के स्थिर भावों पर कृषि क्षेत्र में 3.88 प्रतिशत है। इसके बारे में हमारे साथी लोग कहे कि केवल 3.88 प्रतिशत। पिछले साल जो भारत सरकार का जो कृषि में था वह तो निगेटिव पहुंच गया था। उसके तुलना में हमारा बहुत अधिक था। तो पिछली साल की तुलना में 3.88 प्रतिशत की वृद्धि तो

औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र 8.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। कृषि, आद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में राज्य के अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर क्षेत्र पर अनुमानित वृद्धि दर में क्रमशः 3.9 एवं 11.8 प्रतिशत तथा 8.2 की तुलना में बेहतर है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए हमने जो बजट रखा था, उसे हमने इस साल रखा ही है। पिछले ही वित्तीय वर्ष में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में जो 6 हजार राशि रखी थी, उसके बारे में आदरणी चौबे जी ने कहा कि आप जो केन्द्र में किसानों को दे रहे हैं, हम उससे अधिक देंगे। इस साल चौबे जी ने जो बात कही थी, उस बात को ध्यान में रखते हुए, पिछले समय हमारे नेता जी भी आए थे, उन्होंने भी बढ़ाने की बात कही, तो इस उसे बढ़ाकर 7 हजार कर दिया गया। (मजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से हमारे बस्तर में जो संस्कृति की बात अजय चंद्राकर जी बहुत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनकी चिंता से मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। वे ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के जो पहचान रही है, जिन महापुरूषों ने जो योगदान दिया है, इस संस्कृति की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उसे संजोने की आवश्यकता है, संवारने की आवश्यकता है। हमारे आदिवासियों की जो संस्कृति है, उसको बनाये रखने के लिये हमारे जो बैगा, गुनिया, पुजारी, देव स्थल में पूजा करने मांझी इनके सबके आदिवासी संस्कृति और जीवन में विशेष स्थान है एवं संस्कारों का उनका विशेष महत्व है। उसी के साथ-साथ हाट पाहरिया एवं बाजा मोहरिया को भी राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के समान ही लाभ देने का फैसला किया है। इससे उस क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे हजारों साथी हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से पी.एस.सी. है। हमारे छात्रों के लिए पी.एस.सी. और व्यापम की परीक्षा में जो शुल्क लगता था, उसमें भी हमने छूट की व्यवस्था की है। हमारे शासकीय कर्मचारियों की चिंता इनको है। यह लोग बहुत सारी बात बात-बात में हमारे जनघोषणा-पत्र को लेकर, मैं समझता हूं कि महाराज साहब को भी उतना याद नहीं है जो बनाये हैं, लेकिन यह लोग तो बिल्कुल रोज रट्टा मार कर पढ़ते हैं। आप चिंता मत करिये। हम लोग कोरोना काल के बावजूद भी उस समय हम लोगों को नहीं पता था कि कोरोना भी आयेगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को केवल संभाला ही नहीं बल्कि उन लोगों को लाभान्वित करने का, चाहे किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला हो, सबके लिए हमने योजनाएं लागू की और हम लगातार उसे पूरा करते जा रहे हैं। आने वाले डेढ़ साल और भी हैं, उनमें भी हम लोग इसको पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हम जो कहते हैं वह करते हैं। हम आपकी तरह नहीं कि 15 लाख विदेश से काला धन लायेंगे और सबके खाता में डालेंगे। इस प्रकार से बात हम लोग नहीं कहते। अब महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं। चुनाव बीता और आज ही पेट्रोल और डीजल में अब प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया। कितना भाव बढ़ेगा। (शेम-शेम की आवाज) 75

पैसा, 85 पैसा और रसाईगैस में आज ही 50 रूपये की वृद्धि। आज ही मुख्यमंत्री लोग शपथ ले रहे हैं और आज ही भाव बढ़ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो महंगाई कहां पहुंच रही है? इसके बारे में कोई चिंता नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो न।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की बराबर, शासकीय कर्मचारियों की जो पुरानी मांग थी उसका तो आप समर्थन नहीं सकते हैं क्योंकि आप ही तो बंद कराये थे और इसीलिए जो एन.पी.एस. योजना है उसके स्थान पर हम लोग पुरानी पेंशन योजना को शीघ्र बहाल करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि और इसी के साथ-साथ हम आप सब सदस्यों के क्षेत्र में दौरा करते हैं। कोरोना काल में दौर कुछ कम हुआ था लेकिन अब बहुत तेजी से हमारे सब जनप्रतिनिधि आएंगे और इसलिए आपके क्षेत्र विकास निधि के लिए 2 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रूपये किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद पंचायत अध्यक्षों के मानदेय को 6000 रूपये से बढ़ाकर 10,000 रूपये, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों के मानदेय को 4000 रूपये से बढ़ाकर 6000 रूपये और जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय 1,500 रूपये से बढ़ाकर 5000 रूपये प्रतिमाह किया। हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो पंचायती राज से चुनकर आये हैं और हम उनके मानदेय में वृद्धि किये। आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो बोल रहे हैं बजट भाषण में आप ये सारी बातें बोल चुके हैं। उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। कोई नई बात हो तो बताइये न।

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 158 (2) के अनुसार विनियोग विधेयक को 05 बजे तक पारित किया जाना है। चूंकि अभी विनियोग विधेयक पर चर्चा पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए मैं नियम को शिथिल करते हुए विनियोग विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने के बाद विनियोग विधेयक के पारण का समय निर्धारित करता हूं तथा आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए, मैं मानता हूं, सभा सहमत है।

सभा द्वारा सहमति दी गई।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था माननीय श्री टी.एस.सिंहदेव द्वारा लॉबी में स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार ग्रहण करें। चिलये, माननीय मुख्यमंत्री जी।

<u>विनियोग विधेयक (क्रमश:)</u>

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस प्रशासन के बारे में बड़ी चर्चा हुई और ये भी चिंता जाहिर की गई कि नशा बहुत बढ़ रहा है। यह बिल्कुल सही बात है लेकिन हमारी सरकार और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमारी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इनके शासनकाल में भी उड़ीसा से गांजा आता था। कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब तो क्विंटल-क्विंटल गांजा पकड़े जा रहे हैं। यहां हुक्का-बार और दुनिया भर के सब संचालित, भिलाई में तो यह स्थिति थी कि स्कूल के बगल में जो पान ठेला है वहां सबकुछ मिलता था, जिसका आपने उल्लेख किया। उन सबको रोकने की कार्रवाई हो रही है और इसी कारण से आज वह माता-पिता छत्तीसगढ़ सरकार को दुवाएं दे रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत बढ़िया का कर रही है। (मेजों की थपथपाहट) जितने भी नशा के कारोबारी हैं उन्हें पकड़ भी रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अब डॉ. बांधी जी तो कह रहे हैं कि भांग और गांजा को छूट दे देना चाहिए क्योंकि उससे कोई...।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में अपराध की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ बच जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- वह अपने अनुभव को बता रहे हैं। अनुभव बता रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नशा चाहिए। नशा किसी से ड्रग से चाहिए, अफीम से चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- आप गांजा और भांग के लिए भारत सरकार को लिख दीजिए भाई।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कुछ भी करे।

श्री भूपेश बघेल :- कुछ भी करे मतलब ? भाई, भारत सरकार ने ही रोक लगाया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- प्रस्ताव भेजे, प्रस्ताव भेजे। माननीय मुख्यमंत्री जी, भांग के लिए तो कर सकते हैं भांग के लिए। अपराध की प्रवृत्ति खत्म होगी।

श्री भूपेश बघेल :- विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प ले आइये। हां, उसको करिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बिल्कुल। मैं उसका समर्थन तो करूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- हां, अभी तो नवरात्रि तो आ रहा है। अभी तो चलेगा ही।

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले ट्रायल कर ले, तैयार कर लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- अभी होली में भांग चला है अब नवरात्रि आ रहा है सेवक लोगों को फिर प्रसाद चलता है।

श्री कवासी लखमा :- बांधी जी, आपको होली में मिला था कि नहीं मिला था? व्यवस्था हुआ था कि नहीं हुआ था ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कम मिला था। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए बस्तर संभाग में कार्यरत सहायक आरक्षकों के वेतन-भत्तों तथा पदोन्नित का लाभ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के नाम से नवीन कैडर का गठन किया जाएगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

5:00 बजे

आप लोगों ने जो शुरूआत की थी, उसको हम लीगलाईज़ कर रहे हैं । आपने जो भर्ती की थी, उसमें कभी प्रमोशन नहीं हो पाता । वे लगातार आन्दोलन कर रहे थे, इसके कारण से हमने यह नया कैडर शुरू किया है । पुलिस प्रशासन को चुस्त-दूरूस्त करने के लिए मारो-जिला बेमेतरा, जेवरा सिरसा-जिला दुर्ग, नैला-जिला जांजगीर-चांपा, खरसिया-जिला रायगढ़, वाड्रफनगर-जिला बलरामपुर में थाने के उन्नयन हेतु 226 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा । उसी प्रकार से पुलिस चौकी क्रमश: भैंसा, जिला रायपुर, जतमई-घटरानी-जिला गरियाबंद, राहोद- जिला जांजगीर में चौकी की स्थापना हेतु 99 पद का सृजन किया जाएगा । बिलासपुर और जगदलपुर के एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 114 नवीन पद सृजित किए जाएंगे । 9 जिलों में 50-50 बंदी क्षमता के बंदी बैरक निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए 16 करोड़ रूपए का भी प्रावधान किया गया है। शहीदों के सम्मान में रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक स्थापना, पुलिस मेमोरियल टावर व अन्य निर्माण के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राजस्व विभाग के बारे में हम लोगों का मानना है कि ईकाई जितनी छोटी होगी, चाहे जिला हो, चाहे तहसील हो तो निश्चित रूप से उसका लाभ आम जनता को मिलता है इसलिए नवगठित जिला मानपुर मोहला चौकी, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ एवं मनेन्द्रगढ़ के लिए 1100 नवीन पदों का सृजन किया गया है । 11 नवीन अनुभाग कार्यालय की स्थापना जिसमें मालखरौदा, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर, राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, धमधा-जिला दुर्ग, भोपालपट्टनम एवं भैरमगढ़, जिला बीजापुर, बागबाहरा जिला महासमुंद, भरतपुर एवं खड़गवां चिरमिरी जिला कोरिया, तिल्दा-नेवरा जिला रायपुर तथा सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम में की जाएगी । इसके लिए 77 पदों के सेट-अप का प्रावधान किया गया है । नवीन तहसील के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें देवकर, भिंभौरी जिला बेमेतरा, जरहागांव जिला मुंगेली, दीपका एवं भैंसमा, जिला कोरबा, कोटाडोल जिला कोरिया में स्थापित की जाएगा, इसके लिए 84 पदों का सेट-अप किया जाएगा । पिछली चर्चा में हमारे माननीय सदस्यों ने नई तहसील की मांग की थी, जिसमें कबीरधाम जिले के पिपरिया और कुंडा, कोरिया में बचरापोड़ी, बलरामपुर में चलगली, जांजगीर-चांपा में हसौद, मुंगेली में सरगांव उपतहसील की मांग हमारे साथियों ने की थी। मैं उसको घोषणा करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने सिर्री और बड़ी करेली में उपतहसील की मांग की थी ।

श्री भूपेश बघेल :- वहां परीक्षण करा लेंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा कर दे ना भैया ।

श्री भूपेश बघेल :- परीक्षण हो जाएगा, करवा देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- परीक्षण काए करबे, अच्छा से घोषणा कर दे न ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं आपकी बात को कब इंकार करता हूं । कभी मना किया क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ले ना, अभी घोषणा कर दे न ।

श्री भूपेश बघेल :- मैंने कभी मना किया है ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, आपने पिछले समय हार्टीकल्चर कॉलेज के लिए कहा था तो मैंने अपने क्षेत्र में बता दिया कि मुख्यमंत्री जी ने विधान सभा में घोषणा कर दिया है । वह बात आपके भाषण में नहीं आयी है, आपको फिर उसकी घोषणा करनी पड़ेगी । आपने उसकी घोषणा कर दी है ।

श्री भूपेश बघेल :- अगले समय में देख लेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं । स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के साथ-साथ हिन्दी माध्यम की भी मांग उठी । बहुत सारे सदस्य कह रहे थे कि हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आर.डी. तिवारी स्कूल में, शहीद स्मारक स्कूल में । आखिर वहां कितने बच्चे पढ़ते थे ? इसी कारण तो हमने वहां अंग्रेजी माध्यम शुरू किया । पुजारी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते थे ? ये तो पढ़ने वाले हैं और उसका क्षेत्र है, उसका घर उसके बगल में है । वहां मुश्किल से 50-60 बच्चे पढ़ते थे । हमारे पूर्वजों ने शहर के बीचों बीच बड़ी बिल्डिंग बनाई, वहां हमने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की शुरूआत की । जहां कहीं भी परेशानी में विधायकों की चिन्ता थी, बिल्कुल, मैं उससे सहमत हूं कि जहां इस प्रकार की परेशानी हो रही है, पुरानी बिल्डिंग के कारण या फिर दो पाली में स्कूल चलाने के कारण से परेशानी हो रही है तो उसे दूर करेंगे क्योंकि यह नई व्यवस्था है, उसमें काम करने जाते हैं तो अड़चनें आती हैं । सदन के माध्यम से, माननीय सदस्यों से माध्यम से जानकारी होती है, उसे निश्चित रूप से दूर करेंगे । उसी प्रकार से हिन्दी माध्यम के स्कूल भी पूरे 32 जिले में हम प्रत्येक जिले में एक-एक स्कूल शुरू करेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित भवन विहीन छात्रावास, आश्रमों हेतु 106 भवनों के निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद, माकड़ी जिला कोण्डागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महादय, जो भवनविहीन महाविद्यालय हैं, हम लोग लगातार उसके भी निर्माण का कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां हुई हैं। मैं पिछली बार भी बोला था और अभी भी कहूंगा कि पिछले 2 वर्षों में 1,329 चिकित्सा अधिकारी, 282 बहुउद्देशीय पुरूष स्वास्थ कायकर्ता, 328 बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ कार्यकर्ता, 278 लैब टेक्नीशियन तथा 192

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। जहां आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग निश्चित रूप से भर्ती करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस के बारे में महाराजा साहब ने अपने विभाग की चर्चा में बहुत विस्तार बात कर ली है। उसमें और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- लोरमी में बाढ़ नियंत्रण के लिए दो रिटर्निंग वाल बनवा दीजिये, वह गांव डूबने वाला है, साहब। थोड़ा बोल दीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- आपने अपने भाषण में बात कही, हमारे अधिकारी उसको नोट कर लिए हैं, दो गांव की बात है।

श्री धर्मजीत सिंह :- बजट में पैसा है।

श्री भूपेश बघेल :- बजट में पैसा है तो निश्चित रूप से होगा, धर्मजीत जी उसकी बिलकुल चिंता मत करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डूबने नहीं दिया जायेगा।

श्री भूपेश बघेल :- उन गांवों को भी डूबने नहीं दिया जायेगा, आप भी सुरक्षित हैं, हमारी दुआ है कि आप सौ साल जीयें, स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जगरगुण्डा जिला सुकमा में 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अहिवारा जिला दुर्ग में 10 बिस्तर, एन.आर.सी. की स्थापना हेतु 45 नवीन पदो के सृजन एवं खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल भवन निर्माण हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, कांकेर चिकित्सीय उपकरण हेतु 35 करोड़ एवं 150 पदों का सृजन किया जायेगा। तो हमारी लगातार कोशिश है कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक हो और हमारे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा भी ज्यादा से ज्यादा हो और यहां ज्यादा से ज्यादा डाक्टर मिले, इसके लिए हमारी तैयारी है।

अध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास विभाग में हमारे साथियों ने लगातार चिंता व्यक्त की है। कुपोषण के खिलाफ हमारी सरकार लड़ाई लड़ रही है, जिसमे पिछले 3 वर्षों के दौरान 8.7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है और राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय 32.1 से कम है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चल रहा है, जिसका लाभ हमारे बच्चों को मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ पेयजल के लिए बड़ी चिंता है। हम लोगों ने उसके लिए 1 हजार करोड़ रूपये की राशि की व्यवस्था की है ताकि घर-घर स्वच्छ जल पहुंचा सके। केवल केन्द्र सरकार की योजना नहीं है। 50 प्रतिशत राशि हमारी है। आधा उनका है तो आधा हमारा है। आज तक सारी योजना 90:10 के रेशियों से चलती थी। मैं खुद पी.एच.ई. मंत्री था, भारत सरकार से शत-प्रतिशत ग्रान्ट मिलता था। अब तो भूल जाईये। 90:10 रेशियो वाला भी खत्म, 75:25 रेशियो वाला खत्म, 60:40 रेशियो वाला खत्म

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अब तो 50:50 रेशियो है। अब तो ऐसा लगता है कि हमको धीरे से 60 प्रतिशत राशि देना पड़ेगा और ये 40 प्रतिशत देंगे। ऐसी योजनाएं बना रहे हैं। लगातार कटौती के बावजूद काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2 साल कोरोना के कारण वित्तीय व्यवस्था प्रभावित रही। लेकिन अब हमारे पास राशि की कोई कमी नहीं है। हमने इसमें 1 हजार करोड़ की व्यवस्था की है। हम उसमें तेजी से काम करेंगे। हमने नगरीय क्षेत्र में भी जल प्रदाय योजना के लिए व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय, वानिकी के मामले में कैम्पा मद से, वानिकी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त वनों की सुरक्षा, वन्य प्राणियों के रहवास और सुधार के लिए 1,950 नालों को उपचारित करने के लिए 3 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। आप नरवा योजना के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो यह नरवा योजना उसी प्रकार की है। जंगल में भी जितने नाले हैं, यदि वहां पानी रोकने की व्यवस्था करते हैं तो जंगल को भी लाभ मिलेगा, वहां के बायो डावर्सिटी को भी लाभ मिलेगा। साथ ही वहां जो वनवासी निवास करते हैं, वे भी लाभान्वित होंगे और भू-जल स्तर ऊंचा उठेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पेयजल, सिंचाई की समस्या नहीं रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 65 लघु वनोपज खरीदी करने की व्यवस्था की है। आपके समय में केवल 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी की जाती थी। उसमें वेल्यू एडिशन है । कल ही लखमा जी से मेरी बात हो रही थी । महुआ के समर्थन मूल्य में 30 रूपये, पिछले कोरोना काल में हम लोगों ने खरीदी शुरू किये तो व्यापारी लोग 40 रूपये में खरीद रहे थे। इससाल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है, व्यापारी खुद 45 रूपये में खरीद रहे हैं । आपके समय में महुआ को 2 रूपया में पूछने वाला नहीं था, आदिवासियों ने सड़कों में महुआ फेंका था । मेजों की थपथपाहट माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से लघु वनोपज संघ द्वारा कोदो, कुटकी की भी खरीदी 3000 रूपये प्रति क्विंटल, रागी का 3370 रूपये क्विंटल खरीदने का फैसला पहली बार हुआ है, जिसका लाभ निश्चित रूप से हमारे कोदो, कुटकी, रागी उत्पादक हैं, उसको मिलेगा, उसके साथ-साथ, उसको 10 हजार रूपये प्रति एकड़, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी उनसे लाभ मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, राजीव युवा मितान क्लब के बारे में आप कह रहे थे, इसमें 11664 समितियां बनेगी और शहरी क्षेत्र में 1605 समिति बनेगी । कुल मिलाकर 13 हजार के आसपास समितियां बनेगी । इन समितियों के माध्यम से जहां हमारी संस्कृति है, उसे बचाने के लिए और उसके साथ-साथ हमारी शासकीय योजनायें हैं, उसका लाभ निचले स्तर तक आम जनता तक पहुंचे, यह हमारी कोशिश है । हमारे अंतागढ़ के घोटूल के बहुत सारे साथी आये थे । वे घोटूल निर्माण के लिए धन्यवाद देने आये थे । मैंने कहा कि आप वहां करते क्या हैं, हम अपनी संस्कृति जो नृत्य है, संगीत है, हमारे जो पर्व है, उसमें काम करते हैं । इसके साथ ही नये-नये शैली खोजने का काम, इसी घोटूल से होता है । उसके साथ ही नये-नये खोज पैदा करते हैं, जिससे रोजगार पैदा हो । बस्तर में जो कार्य हमारे आदिवासी सैकड़ों, हजारों साल से करते रहे हैं, यही काम हमारे गांव-गांव में युवा साथी अब

करेंगे । यहां की संस्कृति को बचाने के लिए, संवर्धन करने के लिए, नई-नई योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके, इसके लिए युवा मितान क्लब का गठन किया गया है । नेताजी यह संस्कृति को बचाने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सामने आयेंगे तो पता चल जायेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- आप लोगों का तो काम ही था, राम राम जपना, पराया माल अपना । अध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में बहुत लंबी चर्चा हो गयी । कृषि मंत्री जी इसका समुचित जवाब दे चुके हैं । उनके बारे में और ज्यादा नहीं कहूंगा । सिंचाई के मामले में भी जो बातें हैं, वह सारी बातें आ चुकी है । अंत में अध्यक्ष महोदय, जो अधोसंरचना विकास नवीन निर्माणाधीन सड़कें तथा भवन कार्यों के लोक निर्माण विभाग के बजट में कुल 6638 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है । राज्य बजट के अतिरिक्त अन्य संसाधनों से भी वित्त व्यवस्था करते हुये 16 हजार करोड़ रूपये से अधिक लागत की सड़क एवं पुल निर्माणाधीन है । अध्यक्ष महोदय, राज्य मार्गों के लिए 228 करोड़, मुख्य जिला सड़क निर्माण हेतु 458 करोड़ और ग्रामीण मार्गों के लिए 810 करोड़, वृहद एवं मध्यम पुल निर्माण के लिए 315 करोड़, रेल्वे ओव्हर ब्रिज के लिए 90 करोड़ का प्रावधान है । शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के नवीन निर्माण के लिए भी 659 करोड़ रूपया, इसमें 502 करोड़ सड़क के लिए, 365 करोड़ वृहद एवं मध्यम पुल निर्माण के लिए रखा गया है । मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए भी 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है । एशियन विकास बैंक की सहायता से निर्माणाधीन सड़क विकास परियोजना के लिए 884 करोड़, नाबार्ड सहायता से ग्रामीण मार्ग में मध्यम पुल निर्माण हेतु 236 करोड़ का प्रावधान है । रेशम एवं शिल्प गतिविधियों के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है । अभी मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरूवात की जायेगी । रेशम विभाग के द्वारा रेली, कुक्कुम का क्रय भी करेंगे, उसका कुक्कुम बेन भी बनायेंगे । उसको 200 स्व सहायता समूहों को धागाकरण के लिए वितरण भी किया जायेगा । इस प्रकार पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। मिशन के माध्यम से 200 स्व-सहायता समूहों की हजारों महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। वित्तीय प्रबंधन के बारे में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा राज्य पर कर्ज की स्थिति और उसके पुर्नभुगतान एवं बढ़ते हुए ब्याज पर चिंता व्यक्त की गई है। इसके माध्यम से मैं फिर से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य पर 31 जनवरी 2022 की स्थिति में कुल ऋण भार 84,232 करोड़ रुपये है। 17 दिसंबर 2018 की स्थिति में हमें 41,695 करोड़ रुपये का ऋण भार विरासत में मिला था। हमारी सरकार बनने के बाद शुद्ध ऋण में वृद्धि 42,528 करोड़ रुपये है। 2020-21 एवं 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त जी.एस.टी. ऋण 8074 करोड़ रुपये तथा विशेष केन्द्रीय सहायता 568 करोड़ रुपये की राशि, कुल 8642 करोड़ रुपये शामिल है। इसे कम करने पर सरकार द्वारा लिया गया शुद्ध ऋण केवल 33,886 करोड़ रुपये है। इसे मैं फिर से आपके सामने रखा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत व्यय के बारे में भी अजय चन्द्राकर जी और अन्य सदस्य बड़ी चिंता कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2021-22 में मुख्य बजट में पूंजीगत व्यय हेतु 13,839 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो पुनरीक्षित अनुमान में बढ़ाकर 14,191 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2022-23 के बजट में 15,241 करोड़ रुपये रखा गया है। इस प्रकार पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय घाटा के बारे में यही कहना चाहूंगा कि हमारे वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन के कारण से हम लोग लगातार इसमें कमी ला रहे हैं। अब 2022-23 के लिए राज्य में जी.एस.डी.पी. का केवल 2.55 प्रतिशत होगा। यह एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंतर्गत निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा से काफी कम है एवं वित्तीय घाटा भी लगातार कम किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने 2022-23 के प्रस्तुत विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लिया तथा अपनी ओर से महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इस बीच में चिटफंड कंपनी की चर्चा हमारे साथियों ने नहीं की। चिटफंड कंपनी चूंकि आपके ही शासनकाल में शुरू हुआ था और लगातार हमारी कोशिशों के बाद उसमें अभी तक के 3 लाख 75 हजार ...। राज्य के सक्रिय 195 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध 436 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उक्त प्रकरणों में कुल 577 डॉयरेक्टर, पदाधिकारी की गिरफ्तारी की गई । अब तक अनियमित वित्तीय कंपनियों की कुल 18 करोड़ 1 लाख 97 हजार 179 रुपये की संपत्ति की नीलामी की जा चुकी है एवं 17,409 निवेशकों को कुल 11 करोड़ 32 लाख 72 हजार 679 रुपये की राशि वापस लौटाई गई है। शेष राशि की कार्यवाही प्रकियाधीन है। हमारी कोशिश है कि वह जो निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा वहां लगाये थे, उसको हम उनको वापिस कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान अधिमान्यता पत्रकार साथियों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा। वर्तमान अधिमान्यता नियम के तहत अधिमान्य पत्रकारों को प्रतिवर्ष अधिमान्यता नवीनीकरण कराना पड़ता है और इसके कारण से बहुत सारी सुविधाओं से वह लोग वंचित होते हैं। मैं संक्षिप्त में इतना कहना चाहूंगा कि पत्रकारों की इस व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए अगले केलेण्डर वर्ष से अधिमान्यता का नवीनीकरण 02 वर्ष के लिए किये जाने की मैं घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह आश्वस्त करता हूं कि "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" की भावना के साथ राज्य के सभी लोगों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे तथा इसके लिए राज्य संसाधनों में आवश्यक वृद्धि के साथ-साथ यथा संभव मितव्वयिता को अपनाकर अनुत्पादक खर्चों में कमी भी करेंगे। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट के विनियोग विधेयक, राशि 1 लाख 12 हजार 603 करोड़ 40 लाख को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2 विधेयक), 2022, (क्रमांक 4 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको पहले तो बधाई हो। हम पूरा ध्यान से सुने, लेकिन हम लोगों के लिये कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला एक लाईन भी। आप बोलते हो कि मैं सदन का मुख्यमंत्री हूं, कुछ नहीं एक लाईन। भरोसा रखिये, मैं (व्यवधान) दिया हूं। मैंने अपना बजट सरेंडर किया है, उसको जयसिंह अग्रवाल जी को दे दीजिये। PWD का बजट नहीं चाहिये। उसको जयसिंह जी को दे दीजिये, दो उप तहसील की घोषणा कर देंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपका कहां का बजट है ?

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2022, (क्रमांक 4 सन् 2022) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(2) छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) विधेयक 2022, (क्रमांक 1, सन् 2022)

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन विधेयक 2022, क्रमांक 1, सन् 2022 पर विचार किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले नियमितीकरण संशोधन अधिनियम 2016 में अवैध भवनों के नियमितीकरण के लिये 44 हजार आवेदन प्राप्त हुये थे, उसमें से 32 हजार आवेदनों का निराकरण किया गया और 12 हजार आवेदन ऐसे थे जिसमें नियमानुसार पार्किंग का, भूमि उपयोग के संबंध में और मार्ग की चौड़ाई को लेकर नियमितीकरण नहीं किया जा सका था। वर्तमान में नियमितीकरण संशोधन विधेयक 2022 में, मूल अधिनियम 2002 के प्रावधानों में छूट का दायरा बढ़ाया गया है और इसके बाद जिन धाराओं में संशोधन है, मैं वह बहुत संक्षिप्त में आपको बता देना चाहता हूं कि धारा 4, 6, 7 और 9। धारा 6 में जो निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है, यदि भूमि उपयोग में परिवर्तन। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने पर कलेक्टर गाडलाईन का 5 प्रतिशत अतिरिक्त सम्मंस शुल्क अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनािधिकृत विकास के प्रकरण में यदि नियमानुसार पार्किंग उपलब्ध नहीं है।

समय :
5.24 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुये)**

तो पार्किंग हेतु अतिरिक्त शासकीय राशि जमा करने पर नियमितीकरण किया जा सकेगा। इसके अलावा गैर लाभ अर्जन करने वाली संस्थाओं को शास्ती में 50 प्रतिशत की छूट दी गयी है और अनाधिकृत विकास के प्रकरणों में यदि स्थल पर नियमानुसार मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध नहीं है तथा स्थल पर विद्‌यमान गतिविधियों में से किसी प्रकार का लोफी प्रभावित नहीं होता है, तो नियमितीकरण किया जा सकेगा और मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि इसमें अपनी अनुमति प्रदान करें और इसको पारित कराये।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अकबर जी, मैं शहरी क्षेत्र में तो काम नहीं किया हूं, मैं सोशल सेक्टर का आदमी हूं। यह निर्माण वाला काम मुझे ज्यादा पसंद नहीं आते, सोशल सेक्टर वाले क्षेत्र थोड़ा ठीक लगते हैं। लेकिन मैं इसको जितना पढ़ा ..।

श्री मोहन मरकाम :- चंद्राकर साहब, आज अच्छा लग रहा है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही मुस्कुराते रहा करिये, अच्छा लगता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है, माननीय मोहन मरकाम जी, पूरे छत्तीसगढ़ बनने के बाद, अब हमारे बीच में दुर्ग वाले यादव जी नहीं हैं। आप उससे भी गये बीते अध्यक्ष हो। जो पाकेट में दुर्ग वाले थे, छत्तीसगढ़ बनने के बाद, जो पहले अध्यक्ष बने। अध्यक्ष का एक जलवा होता है, वह सरकार का भोंपू नहीं होता है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही आपत्तिजनक बात हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वापस ले लेता हूँ। मैं माफी मांग लेता हूँ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आपके जो अध्यक्ष रहे। वह कार्यालय में दस्तख्त के लिए पेपर पड़ा रहता था उसी में जारी कर देते थे। मुझे तो पता ही नहीं। आपके अध्यक्ष की यह स्थिति थी। हमारे अध्यक्ष की स्थिति वैसी नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है, आप जो है ..।

श्री भूपेश बघेल:- अच्छा, वह बाद में फिर गृहमंत्री बन गये। वह क्या बोलते थे समझ में ही नहीं आता था। हम लोग तो जब तक वह गृहमंत्री रहे, कोई सवाल ही नहीं पूछते थे। वे खुद बोलते थे और खुद सुनते थे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इनकी अध्यक्षता में तीन उप चुनाव जीते हैं और चौथा भी जीतेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर आप इनकी अध्यक्षता में कुछ नहीं बनेंगे। आप कुछ नहीं बनोगे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बना हुआ हूँ। आप बनेंगे या नहीं, आप उस पर विचार करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कुछ और नहीं बनेंगे। मैं तो चालू किया था।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बना हुआ हूँ। ऐसा आपत्तिजनक बयान नहीं देना चाहिए। प्रदेश के कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप कैसी बात करते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तो अब खेद व्यक्त कर दिया। मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ माननीय मोहन भईया के लिए जो कहा, मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अरूण जी, आप बैठिए।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा हूँ कि आप उनके लिए कह रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा बोल दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बहुत अच्छे हैं। वह गुरू जी रहे हैं और हमको पढ़ाये हैं। उसका बहुत सम्मान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मुरशिद इसमें दो-तीन विषय है, उसको आप बताईयेगा तो। मैं पिछली बार भी इसमें बहस किया था। मतलब उस समय मेरी भूमिका दूसरी थी। रायपुर में मोटे तौर पर जो बिल्डर्स हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तार है आपके उद्देश्य और कथन में भी पढ़ा हूँ उस समय उद्देश्य में यह नहीं था कि राजस्व बढ़ेगा। अभी आपने उसको नया जोड़ा है। राजस्व बढ़ेगा। उस समय जो मेरी आपत्ति थी, वह अभी भी है कि पार्किंग की जगह को जो कॉम्पलेक्स, विवाह घर, या वह लोग बेच दिये हैं । राजस्व पैदा कर लिये हैं उसके बारे में आपका विधेयक मौन है। जो रायपुर की बड़ी समस्या है। आप कौन-कौन बिल्डर्स के प्रभाव में हो, तो मैं अकेले में बता दूंगा कि इन-इन लोगों ने अपनी पार्किंग की जगह और सारी जगह बेची है। उसके लिए क्या करोगे ? एक तो आप अपने आखिरी भाषण में बताईयेगा ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए किसी से गलती हो जाती है, ठीक है यह राजनीतिक तो नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपके ऊपर ऐसे छत्रछाया है। ये रायपुर एक-दो नजदीक में घूमते हैं। हम आरंग में भी अवैध कॉलोनी देखने गये थे। तो यह जो जानबूझकर कब्जा कर रहे हैं, यह साबित हो गया कि नगर निगम के नक्शे से बाहर महत्वपूर्ण जगह में जानबूझकर, रोड और अन्य जन उपयोगी चीजों को बढ़ाया है। आम रास्ते को भी बंद कर दिया है। अब वह भी समझौता चाहेगा। भई, रायपुर में उस समय बोल रहा था कि यदि गुढ़ियारी का ऑफिस बिकेगा तो यह कौन लेगा ? यह रायपुर वालों को मालूम है। नूतन राईस मिल बिकेगा तो कौन लेगा, यह रायपुर वालों को मालूम है। रायपुर में जो जमीन के मामले होते हैं, वह मालूम है। तो इसमें एक बात स्पष्ट कीजिए कि इरादतन जो ऐसा करते हैं, आप उसके लिए क्या करेंगे ? जो साबित हो गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वन टाईम होना चाहिए, इसमें कोई टाईम लिमिट होना चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता नहीं होना चाहिए कि आपने वर्ष 2016 के बाद फिर से इस बिल को लाया तो इस बिल में यह संशोधन करिये कि यह दो साल, एक साल, डेढ़ साल तक प्रभावी रहेगा। इसकी सूचना आपके 10 जोन, जितने नगर निगम, छत्तीसगढ़ प्रभाव क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में इस बात की सूचना होनी चाहिए कि यह कानून दो साल तक प्रभावशील रहेगा। तीसरी बात जो आपने जो सुनने की एथॉरिटी बनायी है, यह सुनेगा, वह सुनेगा, वह एथारिटी की मीटिंग बैठक नहीं होती इसलिए लेट होता है। आप एक आदमी 1/1 अधिकृत कीजिए, यह सदस्य रहेंगे, वह सदस्य रहेंगे, कितने प्रकार के सदस्य रहेंगे तो वह सदस्य एकत्र नहीं होंगे, मंत्री का दौरा है, विभाग की मीटिंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर में बुलाया है, यदि दो साल वन टाईम है तो वह उद्देश्य खत्म हो गया। इसलिए इसको सरल कीजिए। पहले कलेक्टर के पास सिंगल विंडो अहमद नगर प्रणाली थी। सिंगल विंडो में हम आवेदन देंगे और 60 दिन, 80 दिन में सही आदमी का काम, सही तरीके से बिना लेनदेन के हो जाएगा। इस बिल में यह तीन चार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चीजें महत्वपूर्ण है। इस बिल को लेकर शंका यह है जो मैंने बताई वह इरादतन और गैर इरादतन है। दूसरा, जिन्होंने अपनी पार्किंग को बेच खाया है। क्या उसको खाली करवाएंगे जो पार्किंग की जगह ग्राम निवेश विभाग से या बिल्डिंग विभाग से स्वीकृत थी, जिसमें पार्किंग लिखा था, जिसको बेचा है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे ? मैं चाहता हूं कि इन तीन चार चीजों में आप बता देते, सरलीकरण कर देते तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब तक लोकहित प्रभावित न हो, बीच सड़क में कब्जा कर लिया उसमें नियमित करना है तो लोकहित प्रभावित मत हो। इस भाव के साथ हम इसका समर्थन कर देंगे। कोई विरोध को विषय नहीं है। यह तीन चार चीजों में कमिटमेंट आना चाहिए। यह मेरी अपेक्षा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, श्री मोहम्मद अकबर साहब द्वारा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 की धारा 4 की उपधारा 2 के खंड 5 में संशोधन हेतु सदन में प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी की जो सोच है। यहां पर सभी विधायक बैठे हुए हैं। मैं बिलासपुर के क्षेत्र से आता हूं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर स्थान का शहर माना जाता है। मुझे याद है कि पहले के समय में शहर में छोटी-छोटी गलियां होती थी, जैसे कल धर्मजीत भैया ने एक उदाहरण दिया था, कचौड़ी वाली गली, कौन सी गली का नाम कुछ बता दिया था। पहले के समय में सबसे ज्यादा परेशानियां आती थी, प्राईवेट सेक्टर में छोटे-छोटे अस्पताल बन जाते थे। शहरों में अस्पताल बना दिए गए, ईलाज की समस्या थी, लोग डॉक्टर बन जाते थे। छोटा सा हास्पिटल खोल लिए, नर्सिंग होम खोल लिए, नर्सिंग होम खोलकर बहुत सारी मरीज भर्ती हो जाते थे। बाद में, नर्सिंग होम एक्ट आ गया और उस एक्ट के अंतर्गत जो बहुत सारी बिल्डिगें थी, जो बहुत सारे अस्पताल थे, उनको बार-बार नगर निगम को नोटिस मिलता थे, उनको अन्य संस्थाओं का बार-बार नोटिस मिलता था कि आप अस्पताल बड़ा बनाईए या अस्पताल को शिफ्ट करिए या इसको नियमितिकरण करिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके अंदर बहुत सारा भय रहता था। इस अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, इसमें माननीय मंत्री जी की जो भावना है, जो सरकार की भावना है, वह भावना बहुत अच्छी है और उससे छत्तीसगढ़ का भला होगा। मैं समझता हूं कि अगर सर्वाधिक लाभ किसी को मिलेगा तो वह जो पुराने अस्पताल शहरों में बने हुए हैं, उनको ही मिलेगा। उनका नियमितिकरण हो जाएगा। क्योंकि उनके ऊपर बार-बार तलवार लटकी रहती है। उनके ऊपर बार-बार समस्या आती है। इस प्रकार की बिल्डिंग है, इस प्रकार की परेशानी आती है। इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी पुरानी संस्थाएं बनी हुई है, पुराने भवन बने हुए हैं जो कि वास्तव में बहुत सही है लेकिन उनका निराकरण वर्षों से नहीं हो पाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है और उसके साथ ही साथ जो पावर डेलिगेशन नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के जिले का प्रभारी अधिकारी, सहायक

संचालक, उप संचालक, संयुक्त संचालक, इन प्रकरणों का निराकरण करेंगे। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही जनहित का लोकहित का छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और खास तौर से छत्तीसगढ़ की जो धरोहर है, उनको संजाने के लिए इस भावना से लाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी के इस संशोधन विधेयक का बहुत-बहुत समर्थन करता हूं और सदन के सभी सदस्यों से विनती करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो नियमितिकरण विधेयक लाया है, यह विधेयक इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें दिख रहा है । आवास पर्यावरण विभाग के 3 नियम होते हैं । आप एफ.ए.आर. बनाते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो कि इतने स्केवयर फुट के प्लॉट में इतना कंस्ट्रक्शन होगा फिर आप लेण्ड यूज का प्रोविजन करते हैं और उसके बाद आप मास्टर प्लान बनाते हैं, मास्टर प्लान से लेण्ड यूज आता है । इन सारी चीजों को दरकिनार कर आप पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं और पार्किंग की व्यवस्था कैसी होगी । जिस व्यक्ति ने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की, उसको नियमों के तहत् पार्किंग की व्यवस्था करनी थी चाहे वह रेसिडेंशियल था चाहे कमर्शियल था । उसने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की उसको आप पैनाल्टी मारकर कि वह पैनाल्टी जमा कर देगा और फिर उसको पार्किंग की व्यवस्था मिल जायेगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति जिसने पूरे नियमों का पालन किया उसका क्या होगा ? उसके लिये क्या जवाबदेही होगी ? फिर तो ऐसी प्रक्रिया बन जायेगी, यह सिद्धांत बन जायेगा । माननीय अजय चंद्राकर जी ने इसीलिये कहा कि इसके लिये एक टाईम लिमिटेशन होना चाहिए । फिर तो यह एक पद्धति बन जायेगी कि मैंने कमर्शियल प्लॉट पर बना लिया, उसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी और फिर उसके बाद मैंने पैसा पटा दिया और पार्किंग मिल गयी तो जो आदमी कानून के साथ चल रहा है उसका क्या होगा ? उसके मनोबल का क्या होगा ? क्या हम इस ढंग से गलत काम की पद्धति को बढावा दे रहे हैं ? इसके साथ-साथ जब पार्किंग होगी तो आप एक परिकल्पना करिये कि कॉलोनी के अंदर गाड़ियां खड़ी होती हैं । पहले छोटे घर बने, एक गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है । परिवार बढ़ गया, आपने 3 गाड़ियां खरीद लीं और बाकी गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी हो रही हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है । जब रोड पर गाड़ी खड़ी हो रही है, 40 फुट की सड़क बनी है और उस 40 फुट की सड़क में यदि और 2 गाड़ियां रोड में खड़ी हो जायेंगी तो कितनी सड़क बच जायेगी ? भविष्य के प्रावधान के लिये ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर और आने वाले 30-40 सालों बाद यह बहुत घातक साबित होगा । यह व्यवस्था घातक साबित होगी, सारा नियमितिकरण हो जायेगा । सारे रोड पर, सारी कॉलोनियों पर लोग 50,000 रूपये देकर जो स्वामित्व की सड़क है, जो 40 फुट की सड़क छूटी हुई है उस पर कब्जा कर लेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप परिकल्पना करिये कि एक कॉलोनी में अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं । कोई समृद्ध आदमी है वह 50,000 रूपये देकर ले सकता है और जो समृद्ध व्यक्ति नहीं है, जो उस कॉलोनी के अंदर रह रहा है । आप उसकी भावना की परिकल्पना करिये कि यदि वह 50,000 रूपये नहीं दे सकता तो उसके घर के सामने किसी और की गाड़ी खड़ी होगी । यह किस तरह का नियम है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोड की चौड़ाई का भी प्रावधान है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इस बात को बतायेंगे कि रोड की चौड़ाई अगर उपलब्धता हो तो क्या हम रोड की चौड़ाई के ऊपर कम्प्रोमाईज करेंगे ? क्या आप 80 फुट की सड़क को पार्किंग बनाने के लिये 60 फुट की सड़क बनायेंगे, इस पर क्या व्यवस्था की जायेगी ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं और बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स की लॉबी है जो लगातार इस बात का प्रस्ताव देते आ रही है, विशेषकर क्रेडई करके जो एजेंसी है । वह बार-बार इस चीज को कह रही है कि इसका नियमितिकरण करना चाहिए, नियमितिकरण होना चाहिए और नियमितिकरण के ऐसे बहुत सारे मामले पेण्डिंग हैं । जिसमें कॉलोनी के नक्शे पास नहीं हुए, जिसमें सही सड़क नहीं दी गयी है, सड़क की चौड़ाई प्रॉपर नहीं है और सड़क की प्रॉपर चौड़ाई न होने के कारण बहुत सारे रेशिडेंसियल कॉलोनी के प्रस्ताव, बहुत सारे कमर्शियल के प्रस्ताव पेण्डिंग पड़े हुए हैं उनको अनुग्रहित करने के लिये कहीं यह कानून तो नहीं लाया जा रहा है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात और बोलूंगा कि आपके विभाग ने सभी से अभिमत लिया । आप अपने जवाब में कृपापूर्वक जवाब देंगे । हाऊसिंग बोर्ड से भी अभिमत लिया गया है कि नहीं लिया गया है ? उसके साथ-साथ गृह निर्माण की जो समितियां हैं । रायपुर और अन्य बड़े शहरों में गृह निर्माण की भी समितियां हैं, क्या उन गृह निर्माण की समितियों से और हाऊसिंग बोर्ड से इस बिल को लाने के पहले अभिमत लिया गया है कि नहीं लिया गया है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रदेश में गैर आवासीय प्रकरणों के नियमितीकरण के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण विधेयक, 2022 की धारा 6 की उपधारा 1 के खण्ड 3 के पश्चात् खण्ड 4 जोड़ा जाना जनहित में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनहित में इसलिए है, क्योंकि ये सारी जो प्रक्रिया है, वह कलेक्टर के गाइडलाइन में है और सारे नियमों को माननीय कलेक्टर महोदय जानते हैं और जनहित को देखते हुए वे काम करेंगे। दूसरी बात, पार्किंग उपलब्ध नहीं है तो पार्किंग हेतु अतिरिक्त शास्ति राशि जमा किया जाकर नियमितीकरण कराया जा सकेगा। आज जनता के पास गाडियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो गई है और हर घर में पार्किंग होना भी जरूरी है। इस व्यवस्था को भी ध्यान में रखकर जिस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अधिकारी को यह प्रभार दिया गया है, निश्चित तौर से जनहित को ध्यान में रखते हुए वे कार्य को संपादित करेंगे और गैर लाभ अर्जन करने वाली जो संस्था है, जिसके पास कोई लाभ ही नहीं है, उसे भी सुविधा दी गई है और 50 प्रतिशत की छूट दी गई है और चौड़ाई उपलब्ध नहीं है तथा स्थल पर विद्यमान गतिविधियों से किसी भी प्रकार का लोक हित प्रभावित नहीं होने पर नियमितीकरण किया जा सकता है। ये बात इस अधिनियिम में कही गयी है। तो निश्चित तौर से ये जो अधिनियम है, उसमें लोक हित को ध्यान में रखकर अगर चौड़ाई से किसी को प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो निश्चित तौर से ये कार्य नियमितीकरण के द्वारा किया जा सकता है और मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण विधेयक, 2022 का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री रामकुमार यादव ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा माननीय हमर सरकार के द्वारा जो नया अधिनियम लागू करत हे तेखर समर्थन में मेहा खड़े हो। चूंकि हमन शहर आथन साहब, गांव के गरीब आदमी गाड़ी किराया करके आ जाथे शहर नगर में अउ शहर नगर में खड़ा करथे, कहूं में जगह नहीं रहे अउ जैसे ही खड़ा करथे तो पुलिस हा पीछू ले आके कहथे कि यहां पर चलो। उधर हटाओ। अउ जम्मो के व्यवस्था बिगड़ जाथे। गाड़ी ला ए मेर खड़ा करिहौ तो पूरा लाइन लग जाथे। कई प्रकार के व्यवस्था रहथे। आज जिस प्रकार से नया अधिनियम बनाये के लिए करथे लोक हित के लिए, ए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के जम्मो के हित के बात हे, एखर लिए मैं बहुत-बहुत मोर सरकार ला बधाई भी देथो कि अइसे कानून अधिनियम लानथे अउ एला बढिया से पारित करना चाहिए। एहा पूरा प्रदेश के हित के बात हे।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं, उसके बारे में मैं जरा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले के जो कानून विद्यमान थे, उसमें कुल आवेदनों की संख्या 44 हजार थी। केवल 32 हजार का नियमितीकरण हो पाया था और 12 हजार ऐसे आवेदन थे, जिसमें मार्ग की चौड़ाई के कारण और पार्किंग के कारण उसका नियमितीकरण नहीं हो पाया था। माननीय सदस्य ने जो अपनी बात कही कि क्या पुराने भवन ऐसे हैं, जिन्हें नियमितीकरण करने के लिए कानून बना है तो बिल्कुल यह सत्य है। सारे लोगों को नियमितीकरण करना है, क्योंकि 12 हजार ऐसे आवेदन थे जो लंबित हैं। जिनके भूमि स्वामी खुद हक की जमीन में उनका निर्माण कार्य हुआ है और पार्किंग के नाम पर नियमितीकरण हो नहीं पा रहा है। वर्तमान स्थिति में तोड़ने की स्थिति भी नहीं है कि आप सारे निर्माण को तोड़ सकते हैं। तो जहां पार्किंग नहीं है, उन्हीं भवनों को नियमितीकरण के हिसाब से माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि यदि पार्किंग के स्थान को बेच दिया गया तो क्या होगा ? तो वह स्थान जितना पार्किंग के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिए होना चाहिए था, उसके एक कार के पीछे का निर्धारित करते हुए उतनी राशि उनसे ली जायेगी। हाउसिंग बोर्ड से अभिमत लेने का कोई प्रावधान नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी से जो सहकारी समितियां हैं, जिनके मकान हैं, उनसे भी अभिमत लेने का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। एक बात आती है कि मार्ग की चौड़ाई पर ये क्या किया जा सकेगा तो निजी भूमि स्वामी हक की जमीन पर जिनका निर्माण है, उन्हीं का नियमितीकरण होगा। अवैध कब्जे की भूमि का नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। मार्ग के चौड़ीकरण में भी नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है और यह आमजनों की सुविधा के लिए है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022) पारित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

5.48 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

(3) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 3 सन् 2022) पर विचार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ए अतका बड़ विधेयक आए हे, अदतका मोटा ता ये विधेयक हे । एदतका मोटा । छत्तीसगढ़ राजस्व संशोधन विधेयक आए हे अउ ए हर हमर छत्तीसगढ़ के जमीन अउ जमीन के व्यवस्था के सबसे बहुमूल्य चीज हे । अध्यक्ष महोदय, एमा अतका मन संशोधन आए हे अउ मोर निवेदन हे कि अतका कन संशोधन ला थोड़ा आसानी से करना चाहिए । राजस्व विधेयक मा थोड़ भी संशोधन होथे तो ओखर अब्बड़कन मजा नीचे के अधिकारी मन मारथे । मोर निवेदन हे कि आधा ला हमन पढ़े नइ सकत हन, आधा ला जाने नइ सकत हन, आधा ला समझे नइ सकत हन । अउ 10 साल बाद, 15 साल बाद ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- जब ले सदन चालू होए हे तब के देवाय हे, अब पढ़े नइ हे तेला कइसे करबे ।

श्री सौरभ सिंह :- तुहू नइ पढ़े हो मंत्री जी, 15 साल बाद समझ मा आही, अधिकारी मन का लिख दे हे अउ ओकर का भूतगामी परिणाम हो जाही । माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़कन संशोधन के अब्बड़कन खतरनाक प्रयोग का का होथे नीचे के तहसीलदार, पटवारी मन करथे तेला कोई नइ समझे सकन अतका देर मा । अध्यक्ष महोदय, मूलत: एमा आबादी पट्टा, आबादी क्षेत्र मा आबादी पट्टा बनाना हे । बंदोबस्त के व्यवस्था और बंदोबस्त के व्यवस्था मा अभिलेख मन के नवीनीकरण अउ राजस्व के पुनर्वासन माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदोबस्त सबसे खतरनाक चीज है। बंदोबस्त म अधिकरी हर कोन खसरा ल आघू करही अउ कौन खसरा ल पीछू करही, कोन ल रट्ट करही और कौन ल राइट करही, एहर पता नइ चले। यही भू-माफिया का अधिकार है तो बंदोबस्त किये जाही तो बंदोबस्त कइसे किये जाही और बंदोबस्त के साथ-साथ आबादी पट्टा। वो आबादी पट्टा कइसे दिये जाही अउ आबादी पट्टा के का प्रक्रिया होही, कतेक दिन म दिये जाही, कौन हिसाब से दिये जाही। एकर साथ-साथ मोर जो मूल अवमानना है, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करे बर संशोधन करने की जरूरत हे। सरकार एक ठन नया नीति लाथे। मैं माननीय मंत्री जी के जवाब चाहूं। वृक्षारोपण करे बर ओमा संशोधन के का आवश्यकता हे? आप एक नया कानून लाथा कि खेत म पेड़ लगना चाहिये। बहुत अच्छा बात हे। पेड़ लगय खेत म, पर ओकर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बर राजस्व संहिता म संशोधन के का आवश्यकता हे? ओमेर काबा छेड़ा-छाड़ी करथा। ये पूरा विधेयक ल पढ़े म एक शब्द बार-बार आथे, समयावधि। कई दिन ले शब्द आथे समयावधि। फौती म समयावधि, नामांतरण म समयावधि, अन्य कार्य के लिए समयावधि, पर एको ठिन चीज कोई जगह नइ लिखे हे कि कोई राजस्व के अधिकारी अगर समयाविध म काम नइ करही तो ओकर ऊपर का कार्रवाई किये जाही। समयावधि का होथे? समयावधि त दू साल होथे, समयावधि तो तीन साल होथे। फौती नइ कटत हे, फौती नइ मिलत हे, त ये समयावधि का हे? माननीय मंत्री जी से मोर निवेदन हे अपन जवाब म दिही कि समयावधि स्पेसिफिक होना चाहिये कि दू महीना म होही, एक महीना म होही, तीन महीना म होही, चार महीना म होही। एमा एक अउ बात लिखे हे, औद्योगिक नीति वर्ष 2019, 2024 में प्रोत्साहन छूट प्रदान करने का प्रावधान। मैं माननीय मंत्री से अपन जवाब म जानना चाहत हव कि औद्योगि नीति म का छूट के प्रावधान किये गये हे? कौन-कौन तरह के उद्योपति मन ला, कोन कती के उद्योग मन ल अनुग्रहित करे बर का-का छूट प्रदान किये गये हे? ओहर तो नइ हे। एमा पढ़े म समझ नइ आथे कि का-का छूट हे, कइसे-कइसे छूट होही अउ कइसे-कइसे ओकर फायदा होही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 243 में संशोधन प्रस्तावित हे अउ ओ संशोधन म एक शब्द लिखे हे 170 (ख) में भी संशोधन प्रस्तावित हे। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहत हव कि धारा 243 के 170 (ख) म का संशोधन हे, यही चीज के मोर जो परिकल्पना रहीसे, कि 170 (ख) के कुछ संशोधन लिखे गये हे अउ 15 साल, 10 साल बाद पता चलही कि कुछ संशोधन होकर निकल गय। धारा 243 के 170 (ख) में संशोधन प्रस्तावित है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहत हव कि 170 (ख) म का संशोधन प्रस्तावित हे और 170 (ख) संशोधन के का दुरूपयोग किये जाही? माननीय अध्यक्ष महोदय, एमा एक अउ बात हे। बहुत पुराना शब्द, आप ये शब्द ल बहुत दिन ले जानत हौ। मालिक मजूबा अउ मयारसू कृषक। यह बहुत जुन्ना शब्द हे, ऐला तुमन जानत हौ। यह शब्द के जिक्र किये गये हे कि का अधिकार हटाया जाएगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी से जानना चाहत हव। लखमा जी भी बइठे हावय, लखमा जी भी एकर बारे में कुछ बता सकत हे। ये हटाया जाही अउ ओकर भूमि स्वामी बनाया जाही त ओकर प्रक्रिया का हे, कइसे म भूमि स्वामी बनही, का प्रक्रिया म होही, ओकर कतका कन अधिकार हर सुरक्षित रही अउ कतका कन अधिकार हर खत्म होही? माननीय अध्यक्ष महोदय, एमा कइ फित जिक्र आथे, आबादी पट्टा। आबादी पट्टा बनही, ओकर ड्रोन से सेलेक्ट किया जाही, आबादी पट्टा बनाया जाही, आबादी पट्टा के व्यवस्था किये जाही, ई-नामांतरण किये जाही। ई-नामांतरण के प्रक्रिया ल सुने अउ देखे म अच्छा लागथे। ई-नामांतरण के प्रक्रिया अउ ओकर साथ ओकर समयावधि के का निराकरण होही। ई के नाम से बहुत अकन खेल होथे। ई-नामांतरण के प्रक्रिया ल माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक बताही कि ई-नामांतरण का हे। धारा 243, 234 निस्तार पत्रक अउ धारा 242 वाजे बुल अर्ज। एहर भू-राजस्व संहिता के सबसे खतरनाक चीज हे। पूरा जो हमर व्यवस्था हे, भू-राजस्व के पूरा

व्यवस्था हर, ये निस्तारी हे, ये गैर-निस्तारी हे, ये सुरक्षित आबादी हे, ये हर गैर सुरक्षित आबादी हे, ये घास हे, ये हर गउचर हे, ये हर सुरक्षित गउचर हे, ये निस्तारी तालाब हे, ये निस्तारी तालाब नइ हे। ये सारा चीज निस्तार पत्रक के ऊपर डिपेंड करथे। तो का माननीय मंत्री जी हर निस्तार पत्रक म भी संशोधन चाहत हे, वाजे बुल अर्ज में संशोधन चाहथे? निस्तार पत्रक अउ वाजे बूल अर्ज, यह दू अइसा चीज हे, जो वर्ष 1927 म बने रहीसे। ये दुनों जो शब्द हावय, ते शब्द ल एहर टोडरमल के बनाये हुए शब्द अउ राजस्व संहिता हे। अउ ये राजस्व संहिता अकेला अइसनहा चीज रहीसे। जरीब, चांदा मुनारा अउ चेन जेला टोडरमल बनाय रहीसे तेला अंग्रेज मन बदल नइ सकीस। उहू ल अंग्रेज नइ बदल सकीस। ये ओ व्यवस्था का हे। ए व्यवस्था ला हमन बदलना चाहत हन। एमा का व्यवस्था बदलाही अउ एखर साथ-साथ का एमन उपलब्ध हे? हर गांव मा का ए हर उपलबध हे? अगर हम संशोधन करना चाहत हन तो का सारा गांव मा उपलब्ध हे? निस्तार पत्रक हर गांव में उपलब्ध हे? वाजिब उल अर्ज हर पत्रक उपलबध हे? अउ एखर प्रकाशन होही कि नइ होही? एखर प्रकाशन उपलब्ध हे कि नइ हे? काबर कि जतका अकन भू-माफिया के खेल होही, ए खेल इही मा होही कि निस्तारी तालाब ला गैर निस्तारी बना दिये गीस, ओखर बाद ओला पाट लिये गीस। ओखर बाद ओमा कालोनी बन गे। ओखर बाद होगे। ये तरह के चीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मे दू मिनट, मैं बात ला बोलत हो अउ एहा बहुत important विषय हे। सारे सदस्य मन ला एला जानना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा-124 मा सीमा चिन्हांकित किये जाही अउ सीमा चिन्हांकित करे के बाद स्थाई चिन्हा। आप ला भी पता हे कि आज तक जे राजस्व व्यवस्था हे, तेन व्यवस्था के तहत गांव के जो सीमा होथे, ओहा चांदा-मुनारा से तय होथे तो का चांदा-मुनारा ला बदले जाही? मैं माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहत हो कि अगर नया सीमा के निर्धारण होही तो का चांदा-मुनारा ला हटाए जाही? अगर चांदा-मुनारा हा 100 फुट खसकीस, तहान जमीन के खेल चालू होगे। तो का चांदा-मुनारा ला हटाए जाही? अगर ड्रोन के हिसाब से नया सीमा बढ़ाए जाही तो का पुराना चांदा-मुनारा ला हटाए जाही? अउ ओखर बाद गांव मा जो जमीन के विवाद होही तो चांदा मुनारा के का व्यवस्था किये जाही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ठीन अउ चीज कहहु, नगरीय सीमा तय होगे, आज के परिस्थिति मा 15-15 ठीक, 10-10 ठीक गांव के राजस्व के जमीन ला मिलाकर एक गांव बनत हे। एक नगरीय सीमा बनत हे तो का नगरीय सीमा के अगर व्यवस्था किये जाही तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहत हो कि अगर नगरीय सीमा के व्यवस्था किये जाही, उदाहरण के तौर पर बिलासपुर ता 6 ठीक, 8 ठीक, 10 ठीक वाले बिलासपुर शहर बने हे तो का पूरा विलोपित करके एक बनाये जाही? अउ फेर से बंदोबस्त कये जाही? तो ए हर ए बात के सारा चीज के माननीय मंत्री जी जवाब आये, आपसे ए निवेदन हे। आप बोले बर समय देव, तेखर बर आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार यादव।

श्री रामकुमार यादव :- मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा जो विधेयक ला हे, ओखर समर्थन मा खड़े हो। चूंकि अभी भैय्या हा बोलत रीहिस हे, मैं सुनत रहे हव। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देखे हन बहुत सारे अइसे कानून हें, जे कानून हर गांव के गरीब मन ला बहुत सारा चीज ला ओला लाभ देला अड़चन आ देथे। कई ठन गांव मा देखथन अउ शहर में तो गांव के मन ला पूछथन कि अधिकारी ला पूछथन कि ए काबर नइ होवत हे तो ए फलाना धारा के कारण से अइसे होवत हे, वइसे होवत हे। आज हमर सरकार हर अइसे जो कई एक ठन नियम जो शिथिलता लाथे, जेमा आम आदमी ला, गांव के गरीब आदमी ला एमा सुविधा मिलत हे, एमा किंतु-परंतु नइ होना चाहिए। आज अइसे जो अधिनियम लानत हो, ए सबके हित के बात ए। तो मैं मोर सरकार ला निवेदन करत हो कि इसी प्रकार के कानून लानो, जेमा पूरा प्रदेश हर आम आदमी घलो खुश होवे। ओ मन के योजना ला लागू के लिए ओमन ला सरलता जावे। अइसे योजना ला मैं समर्थन करत हो अउ ए बहुत अच्छा योजना हे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा वक्तव्य इस प्रकार है कि भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत व्यक्तियों को भू-स्वामी हक प्रदान करने हेतु केंद्रीय, क्षेत्रीय स्वामित्व योजना, 2020 प्रारंभ की गई है। स्वामित्व योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ देने, संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति बनाते हुए वित्तीय स्थिरता मिलेगी। संपत्ति कर के निर्धारण से सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त कर से पंचायत सशक्त होंगे। सर्वेक्षण की अवसंरचना और जी.आई.एस. नक्शे का निर्माण अन्य विभागों के लिए उपयोगी बनाने के साथ एकरूपता होगी। जी.आई.एस. मानचित्रों का उपयोग करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने में मददगार बनाया जा सकेगा तथा संपत्ति विवादों और कानूनी मामलों को कम किया जा सकेगा। स्वामित्व योजना अंतर्गत आबादी भूमि के गृह स्वामी को अधिकार अभिलेख प्रदान करने हेतु उक्त अभिलेख को विधिक रूप दिया जाना आवश्यक है। जिस हेतु मुख्य रूपसे अध्याय-7 नगरेत्तर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त एवं अध्याय-8 नगरीय क्षेत्रों में भूमि का निर्धारण तथा पुनर्निधारण में उपबंधित प्रावधानों में भू-सर्वेक्षण एवं भू-राजस्व निर्धारण के लिए आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किया गया है। भू-सर्वेक्षण एवं भू-राजस्व निर्धारण के पश्चात भूमि के अभिलेखों के निर्माण, संधारण, त्रुटि-सुधार, नामांतरण, सीमांकन, अतिक्रमण एवं बंटवारा की संक्रियाओं के लिए तथा कम्प्यूटराईजेशन तथा डिजिटाईजेशन के गर्वनेंस की दिशा में ई-नामांतरण पोर्टल, ई-राजस्व न्यायालय में संचालित की जाने वाली प्रक्रियाओं को विधिक स्वरूप प्रदान करने के लिए आवश्यक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।

समय :

6:00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की औद्योगिक नीति 2019-2024 के तहत औद्योगिक क्षेत्रों एवं पार्कों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन हेतु धारा 59 के तहत पुनर्निधारण से छूट प्रदान करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है । मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, 2021 के क्रियान्वयन हेतु धारा 241 में संशोधित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तारतम्य में धारा 135, 170 (ख) एवं धारा 243 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है । वर्तमान में राज्य में भू धारियों को केवल एक ही वर्ग भूमि स्वामी के अंतर्गत रखा गया है । वर्तमान में भू धारियों को भूमि स्वामी अधिकार दिए जाने से राज्य में मौरूसी कृषक की व्यवस्था नहीं रह गई है । अत: संहिता के अध्याय 14 मौरूसी कृषक धारा 185 से धारा 210 (2) तक के प्रावधान को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है । इस तरह संहिता की कुल 93 धाराओं में संशोधन प्रस्तावित किया गया है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत् व्यक्तियों को भू स्वामी हक के साथ-साथ वृक्षारोपण को प्रोत्साहन मिल सकेगा, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और राजस्व न्यायालय की प्रक्रियाओं में आम जनता को सहूलियत मिलेगी । माननीय सदस्य ने पूछा है, इसमें निस्तार पत्रक के प्रावधान धारा 236 और 237 में है, उसे नहीं बदला जा रहा है । वाजिब उल अर्ज धारा 242 में है, उसे भी नहीं बदला जा रहा है। माननीय सौरभ सिंह जी ने पूछा है, उसमें चांदा-मुनारा को हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि चांदा-मुनारा का आधुनिक तकनीक से अक्षांश और देशांश तय कर नोट किया जाएगा, जिससे ऑन लाईन भी नक्शा देखा जा सकेगा । जैसे गूगल मैप से देख सकते हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी, ई नामांतरण के बारे में आपने जानकारी मांगी है । ई नामांतरण की डिजीटल प्रक्रिया है, प्रकरणों के प्रतिदिन की सुनवाई के आदेश ऑनलाईन किए जाएंगे । इसे कहीं से भी देखा जा सकेगा और आदेश डाऊनलोड किया जा सकेगा । इससे पारदर्शिता बढ़ेगी । मैंने धारा 170 (ख) के बारे में आपको पहले ही बता दिया है । कई विषय होने के कारण संशोधन बड़ा हो गया है और बंदोबस्त और सर्वेक्षण अब डोम से हो रहे हैं । किसी एक गांव का सर्वेक्षण पहले या बाद में नहीं होगा, पूरे गांव का सर्वेक्षण एक साथ होगा । समयावधि पर कार्य नहीं करने पर सिविल सेवा नियम बने हुए हैं । समय-सीमा को भी नियम में भी स्पष्ट किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, आबादी भूमि का पट्टा स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि स्वामी का हक देना भारत सरकार की योजना है । मैंने लोक सेवा गारंटी के बारे में आपको पहले ही बता दिया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किये जाने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 3 सन् 2022) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 77 तक इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 से 77 तक इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 3 सन् 2022) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 3 सन् 2022) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(मेजों की थपथपाहट)

समय :
6.05 बजे

<u>प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव</u>

सभापति, विशेषाधिकार समिति (श्री मोहन मरकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के उप नियम (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार माननीय श्री धर्मजीत सिंह सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के विरूद्ध समिति को सन्दर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019 एवं माननीय श्री धनेन्द्र साहू सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा श्री कुंभन दास

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आड़िया एवं श्री अंबरीश आडिया के विरूद्ध समिति को सन्दर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 10.11.2020 पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि श्री धर्मजीत सिंह सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के विरूद्ध समिति को सन्दर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019 एवं माननीय श्री धनेन्द्र साहू सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा श्री कुंभन दास आड़िया एवं श्री अंबरीश आड़िया के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 10.11.2020 को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु सन्दर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :
6.07 बजे

नियम 167(1) के अन्तर्गत अग्राह्यता की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- .

1. माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री ताम्रध्वज साहू लोक निर्माण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 23/2020 दिनांक 23.10.2020

2. माननीय सदस्य सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल एवं शिवरतन शर्मा द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 30/2022 दिनांक 07.03.2022

3. माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 31/2022 दिनांक 14.03.2022

को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था सर्वमान्य है। यह कोई विषय नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि विशेषाधिकार भंग की सूचना करने से लोग लेजिसलेशन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सीखते और उससे मनमानी रूकती है। जिस तरह का काम नहीं करना चाहिए, जब उस तरह का काम होता है, हम तभी लगाते हैं।

समय :
6.08 बजे **नियम 239 के अन्तर्गत विचाराधीन सूचनाएं**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020 मेरे समक्ष विचाराधीन है।

समय :
6.09 बजे **उत्कृष्ट विधायक एवं संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्ट की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2021 के उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एव उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर के रूप में निम्नांकित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों का चयन किया गया है।

1. **उत्कृष्ट विधायक**

सत्ता पक्ष से	--	माननीय श्री संतराम नेताम
प्रतिपक्ष से	---	माननीय श्री अजय चन्द्राकर

2. **उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार**

प्रिंट मीडिया	श्री यशवंत धोटे	दैनिक नव प्रदेश
इलेक्ट्रानिक मीडिया	श्री जुल्फीकार अली	हिन्दी खबर
कैमरामेन	श्री शशिकांत वर्मा	हिन्दी खबर

मेरी ओर से एवं सदन की ओर से चयनित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारां को बेहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय

6.11 बजे **जांच समिति की घोषणा**

1. **"शैक्षणिक संस्थाओं में हाजिरी एवं बायो मैट्रिक टेबलेट की खरीदी"**, विषयक श्री बघेल लखेश्वर द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3, क्रमांक-978 दिनांक 14 मार्च 2022 पर चर्चा के दौरान मेरे द्वारा उक्त प्रकरण से संबद्ध विषयों पर अनियमितता की जांच सदन की जांच समिति से कराने की घोषणा की गई थी ।

इस हेतु जांच समिति के सदस्य के रूप में निम्नानुसार हैं-

1. श्री संतराम नेताम
2. श्री दलेश्वर साहू
3. श्री गुलाब कमरो
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री रजनीश कुमार सिंह

श्री संतराम नेताम इस समिति के सभापति होंगे ।

समिति आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

समय :

6.12 बजे **जांच समिति की घोषणा**

2. कृषि विभाग में सामग्री प्रदायकर्ता कम्पनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड/डीबार/प्रतिबंधित किया जाना विषयक श्री धरमलाल कौशिक द्वारा पूछेगए तारांकित प्रश्न संख्या-13 क्रमांक-1419 दिनांक 22 मार्च, 2022 पर चर्चा के दौरान मेरे द्वारा उक्त प्रकरण से संबद्ध विषयों की जांच सदन की जांच समिति से कराने की घोषणा की गई थी ।

इस हेतु सदन की जांच समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं :-

1. श्री धनेन्द्र साहू
2. श्री लखेश्वर बघेल
3. श्रीमती संगीता सिन्हा
4. श्री नारायण चंदेल
5. श्री सौरभ सिंह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य इस समिति की सभापति होंगे । समिति आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

समय :

6.13 बजे **<u>लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकास एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन</u>**

अध्यक्ष महोदय :- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये क्रमश: नौ-नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुये हैं । चूंकि चारों समितियों के लिए क्रमश: नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित किये जाना है । अत: मैं निम्नानुसार सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि हेतु इन समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समिति क सभापति को नियुक्त करता हूँ :-

<u>लोक लेखा समिति</u>

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री मोहन मरकाम
4. श्री शैलेश पाण्डेय
5. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
6. ज़ी भुवनेश्वर शोभाराम बघेल
7. डॉ.लक्ष्मी ध्रुव
8. श्री अजय चन्द्राकर
9. श्री शिवरतन शर्मा

मैं श्री अजय चन्द्राकर सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूँ ।

<u>प्राक्कलन समिति</u>

1. श्री मोहन मरकाम
2. डॉ.विनय जायसवाल
3. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
4. श्री विक्रम मंडावी
5. श्रीमती संगीता सिन्हा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

6. श्री गुलाब कमरो
7. श्री शैलेश पाण्डेय
8. श्री पुन्नूलाल मोहले
9. श्री रजनीश कुमार सिंह

मैं श्री मोहन मरकाम, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूँ ।

<u>सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति</u>

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री मोहन मरकाम
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री कुलदीप जुनेजा
6. श्री राजमन वेंजाम
7. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
8. श्री बृजमोहन अग्रवाल
9. श्री नारायण चंदेल

मैं श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूँ ।

<u>स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति</u>

1. श्री लखेश्वर बघेल
2. श्री बृहस्पत सिंह
3. श्रीमती देवती कर्मा
4. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
5. श्री पुरूषोत्तम कंवर
6. श्री रामकुमार यादव
7. श्रीमती संगीता सिन्हा
8. श्री सौरभ सिंह
9. श्री डमरूधर पुजारी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मैं श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

<u>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये नौ- सदस्यों का निर्वाचन</u>

अध्यक्ष महोदय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए नौ सदस्य ही निर्वाचित किए जाना हैं, अत: मैं, निम्नानुसार सदस्यों को वर्ष 2022-23 की अवधि हेतु इस समिति के लिए निर्विरोध घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं :-

1. श्री मोहन मरकाम
2. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
3. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
4. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
5. श्री मोहित राम
6. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
7. श्री रामकुमार यादव
8. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
9. श्री डमरूधर पुजारी

मैं श्री मोहन मरकाम, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

<u>नाम-निर्देशित समितियों का गठन</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के प्रावधान अनुसार मैं निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2022-2023 की अवधि में सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूं :-

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कार्य मंत्रणा समिति

1. श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
2. श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
3. श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री
4. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री
5. श्री मोहम्मद अकबर, विधि मंत्री
6. डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री
7. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा
8. डॉ. रमन सिंह

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. श्री मनोज सिंह मंडावी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्री धनेन्द्र साहू
4. श्री बृजमोहन अग्रवाल
5. श्री धर्मजीत सिंह

अध्यक्ष, विधानसभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री धनेन्द्र साहू
2. श्री बृहस्पत सिंह
3. श्रीमती संगीता सिन्हा
4. श्री विक्रम मंडावी
5. डॉ. विनय जायसवाल
6. श्री नारायण चंदेल
7. श्री विद्यारतन भसीन

मैं श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

याचिका समिति

1. श्री अरूण वोरा
2. श्री कुलदीप जुनेजा
3. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
4. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
5. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
6. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
7. श्री सौरभ सिंह

मैं श्री अरूण वोरा, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
2. श्री राम पुकार सिंह ठाकुर
3. श्री संतराम नेताम
4. श्रीमती अनीता योगेन्द्र शर्मा
5. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
6. श्री पुन्नूलाल मोहले
7. श्री रजनीश कुमार सिंह

मैं श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री कुलदीप जुनेजा
2. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
3. श्री लालजीत सिंह राठिया
4. श्री पुरूषोत्तम कंवर
5. श्री शैलेश पाण्डे
6. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
7. श्री डमरूधर पुजारी

मैं श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विशेषाधिकार समिति

1. श्री मोहन मरकाम
2. श्री अमितेश शुक्ल
3. श्री अरूण वोरा
4. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
5. श्री राजमन वेंजाम
6. डॉ. रमन सिंह
7. श्री बृजमोहन अग्रवाल

मैं श्री मोहन मरकाम, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

नियम समिति

1. श्री खेलसाय सिंह
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्री धनेन्द्र साहू
4. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा
5. श्री ननकीराम कंवर

अध्यक्ष विधानसभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री, इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
2. श्री बघेल लखेश्वर
3. श्री लालजीत सिंह राठिया
4. डॉ. के.के. ध्रुव
5. श्री देवेन्द्र यादव
6. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
7. श्री अजय चन्द्राकर
8. श्री शिवरतन शर्मा
9. श्री धर्मजीत सिंह

मैं श्री रामपुकार सिंह ठाकुर, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पुस्तकालय समिति

1. श्री खेलसाय सिंह
2. श्री देवेन्द्र यादव
3. श्री शैलेश पाण्डे
4. श्रीमती ममता चन्द्राकर
5. श्री रामकुमार यादव
6. श्री रजनीश कुमार सिंह
7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
8. श्रीमती इंदू बंजारे

मैं श्री खेलसाय सिंह, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
2. श्री चक्रधर सिंह सिदार
3. श्री विक्रम मण्डावी
4. श्री विनय कुमार भगत
5. श्री मोहित राम
6. श्री ननकीराम कंवर
7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

मैं श्री आशीष कुमार छाबड़ा, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री दलेश्वर साहू
2. श्री कुलदीप जुनेजा
3. श्री अनूप नाग
4. श्री गुलाब कमरो
5. श्री अजय चंद्राकर
6. श्री शिवरतन शर्मा
7. श्री धर्मजीत सिंह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मैं श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

आचरण समिति

1. श्री किस्मत लाल नंद
2. श्री अनूप नाग
3. श्री राजमन वेंजाम
4. श्रीमती छन्नी चन्दू साहू
5. श्री चंदन कश्यप
6. डॉ. रमन सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के प्रावधान अनुसार मैं निम्नानुसार सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिये वर्ष 2022-23 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूं :-

1. श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
2. श्री मनोज सिंह मंडावी, उपाध्यक्ष, विधान सभा
3. श्री धरम लाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
4. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री
5. श्री सत्यनारायण शर्मा
6. श्री मोहन मरकाम
7. श्री अजय चंद्राकर
8. श्री धनेन्द्र साहू
9. श्री लखेश्वर बघेल
10. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
11. श्री कुलदीप जुनेजा
12. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
13. श्री खेलसाय सिंह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

14. श्री अरूण वोरा
15. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
16. श्री दलेश्वर साहू
17. श्री शिवरतन शर्मा
18. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
19. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
20. श्री धर्मजीत सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा के तेरहवें सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह सत्र 7 मार्च 2022 से 25 मार्च 2022 तक आहूत था, किंतु आज सत्र का समापन हो रहा है। विगत 5 से 6 सत्र कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव से प्रभावित रहा परंतु यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारा यह बजट सत्र कोविड संक्रमण प्रभाव से लगभग मुक्त रहा। ईश्वर से कामना है कि इस स्थिति में और भी सुधार आये। हमारा प्रदेश और देश स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बना रहे।

इस बजट सत्र की अवधि अपेक्षाकृत छोटी रही, परन्तु सभी माननीय सदस्यों ने उपलब्ध सीमित समय का अधिकाधिक सदुपयोग किया और राज्य की समग्र उन्नति से सम्बद्ध प्रत्येक विषयों पर व्यापक और विस्तृत चर्चा हुई।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में सम्पादित कार्यों के बारे में संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र की कुल 10 बैठकों में लगभग 72 घंटे 30 मिनट चर्चा हुई। 109 प्रश्नों पर विधान सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गये। इस प्रकार प्रति दिन प्रश्नों का औसत लगभग 12 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 854 एवं अतारांकित प्रश्नों की 828, इस प्रकार कुल 1682 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 439 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 145 सूचनाएं ग्राहय हुई और 69 सूचनायें शून्यकाल में परिवर्तित की गई। इस सत्र में स्थगन की कुल 94 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिसमें से एक विषय से संबंधित 15 सूचनाओं को सदन में पढ़ने एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् अग्राहय किया गया तथा एक विषय से संबंधित 2 सूचनायें शून्यकाल में परिवर्तित की गई। शून्यकाल की 126 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें 80 सूचनाएं ग्राहय और 46 सूचनाएं अग्राहय रही तथा वर्तमान सत्र में 144 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 66 ग्राहय व 78 अग्राहय रही। 11 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये,

जिनमें 6 संकल्प ग्राह्य हुए तथा 4 संकल्प पर चर्चा हुई एवं 2 व्यपगत हुई। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 4 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और चारों विधेयकों पर चर्चा हुई तथा पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 36 मिनट चर्चा हुई। वर्ष 2022-23 के बजट की अनुदान मांगों पर 8 घंटे 2 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 3 घंटे 52 मिनट चर्चा हुई।

जैसा कि आप सभी को विदित है इस सत्र से विधान सभा सचिवालय ने प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाईन लेने, उनके उत्तर ऑनलाईन ही प्राप्त करने तथा प्रश्नोत्तरी मुद्रण के लिए शासकीय मुद्रणालय भेजने की व्यवस्था भी ऑनलाइन प्रारम्भ की है। इस व्यवस्था से न केवल समय एवं ईंधन की बचत होगी बल्कि हजारों घंटे मानवीय श्रम की भी बचत होगी। आप सभी माननीय सदस्यों ने इस व्यवस्था में सहयोग किया और रूचि ली, उसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन जमा करने में शासन के सभी विभागों ने भी सहयोग दिया। इस प्रक्रिया में मुख्य सचिव सहित संसदीय कार्य विभाग एवं एन.आई.सी. के अधिकारियों का जो सहयोग रहा उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। साथ ही विधान सभा सचिवालय के जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस ऑनलाईन प्रक्रिया का सॉफ्टवेयर तैयार करने में सहयोग दिया उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ।

आज इस सभा में वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में पक्ष से माननीय श्री संतराम नेताम एवं प्रतिपक्ष से माननीय श्री अजय चन्द्राकर तथा उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार के लिए श्री यशवंत धोटे, दैनिक नव प्रदेश एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संसदीय पत्रकार के लिये श्री जुल्फीकार अली, हिन्दी खबर कैमरामेन श्री शशिकांत वर्मा, हिन्दी खबर चयनित हुए हैं, की घोषणा हुई है। मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

सत्र समापन के इस अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी विधायक दल के नेता माननीय श्री केशव चन्द्रा जी सहित पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यगणों के प्रति हृदय से धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ। आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया।

इस अवसर पर मैं उपाध्यक्ष जी सहित सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया।

मैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्माननीय पत्रकार साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में संपादित कार्यवाही से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया प्रतिनिधियों

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का तथा प्रश्नकाल का जीवंत प्रसारण किया।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है। आगामी सत्र जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में संभावित है।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ। धन्यवाद जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र की शुरूआत राज्यपाल महोदया के अभिभाषण से प्रारंभ हुआ और 10 बैठकें हुई जिसमें प्रश्न भी आए, ध्यानाकर्षण भी हुए, स्थगन भी आए, शून्यकाल की सूचनाएं, याचिकाओं के माध्यम से प्रदेश के विकास और उन्नति की बात हमारे माननीय सदस्यों ने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया को भी धन्यवाद देता हूं और आपके नेतृत्व में यह सदन संचालित हुआ। अनेक बार ऐसे अवसर आए जिसमें तनाव का माहौल भी बना, नोक-झोक भी हुई, हंसी मजाक के भी अवसर आए और जैसा कि हमेशा आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको मिला है। उसमें सभा संचालन में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी हमेशा की तरह बहुत ही सहज, सरल और बड़ी से बड़ी बात बहुत सहजता से सरलता से वह कर लेते हैं। कभी उत्तेजना में नहीं आते और हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। उनका भी अनेक सुझाव प्रदेश के विकास और उन्नति में हमेशा रहा है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। माननीय डॉ. रमन सिंह जी का लंबा अनुभव और वित्तीय प्रबंधन में वे हमेशा अपनी बात रखते हैं। निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ इस सदन को मिला है। बृजमोहन जी, अजय जी और शिवरतन जी, उधर के ओपनिंग बैट्समैन भी हैं और मध्यम क्रम को भी संभालते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। धर्मजीत भैया हमेशा वह ऑलराउंडर की तरह...। (हंसी)

(श्री कवासी लखमा द्वारा कुछ कहने पर)

हालांकि वे कोरोना से भी प्रभावित हुए और बीच में बायपास सर्जरी भी हुआ। लेकिन उनका विधानसभा के प्रति जो लगाव है, प्रजातंत्र के प्रति समर्पण, उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम है। हमारे नये सदस्यों में से बहुत सारे सदस्य अब नये नहीं रहे। मंजे हुए खिलाड़ी की तरह और इधर के बड़े से बड़े धुरंधरों का सामना करने के लिए हमारे सब साथी तैयार रहते हैं। हमारे कुछ वरिष्ठ साथी का

मार्गदर्शन मिलता है जिसमें सत्तू भैया, धनेन्द्र भैया का तो मिलता ही है, उनके साथ-साथ अरूण वोरा जी का बीच में, अजय चंद्राकर जी कितना जोर से भी आक्रमण करे, अरूण वोरा जी धाक की तरह खड़े हो जाते हैं। भाई बृहस्पत जी और नये तो नहीं कहूंगा, भाई संत नेताम जी दूसरी बार चुनकर आए हैं जिनको उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह आपकी पारखी नजर जो है, उसको पहचाना भी और आज सदन उसे उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित किया। मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अजय जी उत्कृष्ट विधायक बने लेकिन वे उसमें भी असंतुष्ट थे कि चार बार तो बन गया, आप कभी तो संतुष्ट रहा करिये । आज तक हम लोग इतने साल हो गये, आपसे एक-बार पहले ही विधानसभा में आया हूं लेकिन आज तक हम उत्कृष्ट विधायक नहीं बन पाये । आपको यह तीसरी-चौथी बार मिल रहा है लेकिन फिर भी आप असंतुष्ट हैं लेकिन यह असंतोष बना रहना चाहिए, अच्छी बात है । महिला सदस्यों ने भी विभागों में चर्चा, प्रश्नों के माध्यम से बात कही । भाई मोहन मरकाम जी हमेशा ओपनिंग बेट्समेन के रूप में आते रहे हैं । लखेश्वर भैया ने इस समय खूब प्रश्न किया और आसंदी में भी, सभापति तालिका में भी उनका निश्चित रूप से बहुत ही संतुलित व्यवहार रहा । सभापति तालिका में सत्तू भैया, धनेन्द्र भैया, लखेश्वर जी और साथ ही शिवरतन शर्मा जी और अभी शायद देवेन्द्र बहादुर जी नहीं हैं, देवेन्द्र बहादुर जी सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा संचालन किया । आपके संचालन में सहयोग किया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में जब पिछले समय कोरोना हो गया था और पूरा सत्र कैसे संचालित होगा लेकिन उस समय भी उपाध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छे से संचालन किया और अब भी आपके एक विश्वस्त साथी के रूप में वे विधानसभा संचालन में सहयोग करते हैं । मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा । मंत्रिमण्डल के हमारे सभी साथी चाहे प्रश्न हो, ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो सबकी तैयारी करके आते हैं और यथसंभव सदस्यों के सवालों के जवाब देने की उनकी कोशिश होती है, सबको संतुष्ट करना तो संभव नहीं होता लेकिन भरसक प्रयास यही रहता है कि प्रदेश के हित में जो भी निर्णय ले सकें वह लेते हैं और कितना भी आक्रमण हो हमारे साथी उसको झेलते भी हैं और माहौल भी बनाकर रखते हैं । जिसमें भाई शिव डहरिया जी, अमरजीत जी अब नये प्लेयर कहां हैं ? उमेश पटेल जी और फिर हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर भाई कवासी लखमा जी ये हमेशा खुशनुमा वातावरण बनाने के लिये लगे रहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर यदि मैं संसदीय कार्यमंत्री की प्रशंसा न करूं तो गलत होगा । चौबे जी रहते हैं तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं । उधर से कितना भी आक्रमण हो इसलिये अजय चंद्राकर जी ने उनका नाम ही रख दिया है । आपने क्या नाम रखा है ?

अध्यक्ष महोदय :- मिश्री भैया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे एकमात्र आदमी हैं । सीनियर लोगों में कई बार डर लगता है कि नये लोग कहीं बुरा मत मान जायें करके इसलिये हम सारी चीजें इन्हीं के ऊपर उतारते रहते हैं ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- एक-बार आप लोगों को रातभर जगाये थे ।

श्री अजय चंद्राकर :- वे संसदीय कार्यमंत्री हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमंत्री के रूप में उनकी जितनी प्रशंसा की जाये कम है । उसी प्रकार से सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुए विधानसभा सचिवालय ने भी लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया । विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित सभी हमारे विधानसभा सचिवालय के सचिव और अधिकारी-कर्मचारियों को भी धन्यवाद । हमारे मुख्य सचिव के साथ-साथ सभी प्रमुख सचिव और सचिवगण, हमारे सभी अधिकारी । मंत्रालय के सभी अधिकारी-कर्मचारी दिन-रात लगकर विधानसभा की जितनी भी सूचनाएं हैं, जानकारी है उनको देने का काम करते हैं तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और जितनी बातें हम लोग विधानसभा में चाहे शासन के जवाब के रूप में हो चाहे विधायकों के प्रश्न-ध्यानाकर्षण के माध्यम से जितनी बातें यहां आती हैं उसे हमारे प्रिंट मीडिया के, ईलेक्ट्रानिक मीडिया के, वेब पोर्टल के सब साथी आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और भाई यशवंत धोटे, जो उत्कृष्ट पत्रकार चुने गये हैं, वे हमारे दुर्ग जिले के ही हैं और हम लोग जब युवा कांग्रेस में थे तब से उनकी पत्रकारिता देखते रहे हैं तो बहुत सजग प्रहरी, उन्हें भी बधाई। जुल्फीकार भाई को भी बहुत बधाई और वर्मा जी कैमरामैन को भी आपने चयनित किया, उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। हमारे जो मार्शल हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम लोगों को लगातार, मंत्रियों को कुछ-कुछ जानकारी चाहिए होती है तो वे दौड़कर लाते हैं और इस समय तो नयी ही घटना हुई। जब अजय जी भाषण दे रहे थे और भाषण देते-देते वे जिस तेवर में थे, उसी तेवर में उन्हें बुलाये, जाओ ये मंत्री को दे दो। (हंसी) उसे भी उन्होंने बिना हीला-हवाली किये वहां दौड़कर आये और मंत्री जी तक उस कागज को पहुंचाये। तो जितने भी यहां मार्शल हैं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, अंत में यही कहना चाहूंगा कि यह बजट सत्र समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी आपने जो समितियों का गठन किया और समिति के सभापति बनाये हैं, उसके माध्यम से हमारा सदन विधान सभा निरंतर चलता रहेगा। विधान सभा कभी बंद नहीं होता। सत्रावसान नहीं होता। इस सत्र का भले ही अवसान हुआ, लेकिन निरंतर इन समितियों के माध्यम से विधान सभा जीवित रहता है। तो सभी सदस्य उसे गंभीरता से लेंगे। जो जिम्मेदारी आपको मिली है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विधान सभा में हम लोग जो बातें नहीं कर पाते, नहीं पूछ पाते, वे सारी जानकारियों उन समितियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। उनका दौरा भी निकालिए। कोरोनाकाल आ गया। होली बीता, लेकिन होली के एक दिन पहले विधान सभा में होली का भी आयोजन होता था। कोरोना के कारण से अभी तक रूका हुआ है, लेकिन

हम अगले सत्र में उम्मीद करेंगे कि जब यह होगा तो कोरोना पूरी दुनिया से समाप्त हो जायेगा और फिर से त्यौहार वगैरह भी मनाने का काम होगा। हमारे कई कार्यक्रम जो विधायक लोग भी देते हैं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। ये सारे कार्यक्रम विधानसभा में होते थे। यह पिछले 2-3 साल से अवरूद्ध हुआ है। मैं समझता हूं कि यह त्रासदी हटेगी और फिर से हमारा सामान्य जनजीवन चलेगा। विधान सभा की जो गतिविधियां हैं, वे भी सामान्य गतिविधि से संचालित हो और ये जो पर्दा लगा है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह हटेगा। हालांकि अभी सुनने में यह आ रहा है कि जहां से चीन से पैदा हुआ था, वहां फिर से शुरू हो गया। कुछ शहरों में लॉकडाउन है। कोरिया और हांगकांग तक आ चुका है। तो यह मत आये, वहीं तक रूका रहे और इधर न पहुंचे और अगले सत्र में जब आयें तो ये जो पिंजरा बनवाये हैं, वह हट जाये। (हंसी)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- यहां बुलकर लगवा दें न। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- यहां सब साथी आते हैं, वे बात भी नहीं कर पाते और खड़े रहते हैं। अच्छा भी नहीं लगता। बहुत सीनियर लोग भी आ जाते हैं तब भी ऐसी व्यवस्था है कि किसी को बैठा भी नहीं सकते। उनसे बात भी नहीं कर सकते। बिल्कुल पिंजरे जैसा लगता है। नहीं तो सामान्यत: कोई काम हो तो विधायक लोग मंत्री के पास आ जाते हैं। कई बार मंत्री लोग विधायकों के पास जाकर बैठकर बात कर लेते हैं। वह सब जो हमारी सामान्य गतिविधि थी, उसमें रोक लग गई है। थोड़ा सा बंदिश है। तो यह कोरोना समाप्त हो तो ये बंदिशें हटें तो सामान्य स्थिति बने। इस अपेक्षा के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, पुन: आपको धन्यवाद देते हुए कि आपके सफल संचालन से विधान सभा निर्बाध गति से चलता रहा और इतने सारे ध्यानाकर्षण और प्रश्न सभी आये। मध्यप्रदेश में हमारे साथ ही विधान सभा शुरू हुआ, लेकिन होली के पहले ही वह समाप्त हो गया, लेकिन आपके नेतृत्व में विधान सभा में बजट भी पारित हुआ, सारे विभागों में चर्चाएं भी हुईं हालांकि सीमित हुआ। यह बात सही है कि हम इसे लंबा कर सकते हैं, लेकिन जब समय निर्धारण का समय था तो उस समय कोरोना की तीसरी लहर पीक में थी, इसलिए इसे छोटा करना पड़ा, अन्यथा ईश्वर से यही कामना है कि कोरोना समाप्त हो। विधान सभा का जैसे सत्र चलता है, चाहे बजट सत्र है, पावस सत्र है और शीतकालीन सत्र है, वह निर्बाध गति से चले। इन्हीं शब्दों के साथ पुन: आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए पूरे मंत्रियों, माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सचिवालय के साथियों और हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारी कर्मचारी के प्रति और मीडिया के सभी साथी और मार्शल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के संचालन में आपकी महत्पूर्ण भूमिका और साथ ही आपके दीर्घ अनुभव का लाभ हम सबको मिलता है । सदन के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कुशल संचालन में इस बार सत्र की अवधि खत्म हो गई लेकिन पता नहीं लगा कि हम सत्र में बैठे हुए हैं । आपके अनुभव का पूरा लाभ हम सबको मिल रहा है । जिस प्रकार से आप संचालन कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद् ज्ञापित करता हूं । साथ ही सत्र में कुछ न कुछ नई बातें होती है । इस सत्र में आपने प्रश्न लगाने की ऑनलाईन व्यवस्था दी । यह लग रहा था कि हमारे सदस्य कितना लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे । आपने दोनों व्यवस्था जारी रखी । लेकिन हमारे अधिकांश सदस्यों ने यह प्रयास किया कि यदि अध्यक्ष जी का निर्देश है तो उसका पालन होना चाहिए और समय की भी बचत हुई अन्यथा प्रश्न लगाने के लिए यहां आना पड़ता था । अब जहां वे बैठे हुए हैं, वहीं से ऑनलाईन कर सकते हैं, इसका लाभ हमारे सभी सदस्यों को मिला, इसलिए प्रश्नों की संख्या में कहीं कमी नहीं आई । बल्कि हमने यह देखा है कि पहले और दूसरे दिन के प्रश्न कम ही लग पाते थे लेकिन ऑनलाईन होने के कारण पहले दिन से ही सब लोगों ने लगाना शुरू किया । आपने प्रारंभ किया और मैं समझता हूं कि अब यह परम्परा बन गई कि आने वाले समय में ऑनलाईन माध्यम से हम प्रश्नों को लगा सकें और साथ ही साथ हमारे विविध कार्यों में भी हम उस ओर जा सकते हैं । इससे समय की बचत, डीजल पेट्रोल की बचत के साथ अनुभव का लाभ । मैं इसके लिए कि इस छत्तीसगढ़ विधान सभा में आपने एक नया कार्य प्रारंभ किया उसके लिए आपको धन्यवाद् देना चाहता हूं । मैं इस अवसर पर राज्यपाल महोदया को भी बधाई देना चाहता हूं । साथ ही हमारे इस सदन के नेता मुख्यमंत्री जी, जिनके बिना यह संभव नहीं है कि सदन की कार्यवाही पूर्ण हो, उनकी गरिमामयी उपस्थिति रही । चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो सभी को सहयोग मिला । इसके साथ ही हमने अनुभव किया है कि उनमें सहजता आई है । पहले जवाब देते समय असहज महसूस करते थे, लेकिन 2-3 साल बीतने के बाद मैंने अनुभव किया है कि मुख्यमंत्री जी हंसते-हंसते जवाब देते हैं । अब मेरा तो शुरू से ही ऐसा स्वभाव है, इसलिए मैं कभी टेंशन में नहीं आता और टेंशन में आने से कुछ होगा भी नहीं । लेकिन आपको देखकर मुझे अच्छा लगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय चंद्राकर जी ला थोड़कन सिखो दे ना।

श्री धरमलाल कौशिक :- डहरिया जी, वे आपके मित्र हैं । आपसे उनका अटूट संबंध है । मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सत्र के लिए और सारे कार्यों के संचालन में जिस प्रकार से उनकी भूमिका रही है । उनको भी बधाई देता हूं। साथ ही उपाध्यक्ष जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आसंदी पर विराजमान होकर हम सबको सहयोग करते रहे और उनका अनुभव भी दिखा है । जिस प्रकार से कोविडकाल में और उसके बाद भी जिस सदन को चलाने में उनकी भूमिका रही । वे लगातार आसंदी को सहयोग करते रहे और हम लोगों को भी सहयोग करते रहे, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । साथ ही हमारी सभापति तालिका के सभी सम्मानित सदस्य समय-समय पर आसंदी पर बैठकर इस सदन को चलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मैं उसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से संसदीय कार्यमंत्री जी को, जो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के बीच में जो कड़ी के रूप में हैं, उनकी जो

भूमिका है कि कभी गतिरोध उत्पन्न हो गया तो उस गतिरोध को समाप्त करना और उसके लिए सहजता के साथ जाकर मिलना और मिलकर सदन की कार्यवाही ठीक तरह से कैसे चल सके, उसके लिए समय-समय पर उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। तो मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे इस सभी मंत्रियों को कि सभी सम्माननीय सदस्यों के प्रति उनका जो भाव रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो और मुझे लगता है कि हमारा छत्तीसगढ़ का छोटा-सा विधानसभा, छोटा-सा प्रदेश, जिसमें जो एक समन्वय स्थापति होती है, उस प्रकार की भी हमारी मंत्रियों की भूमिका रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी का विशेष रूप से हम सबको मार्गदर्शन मिलता है, उनके जो अनुभव का लाभ, चाहे वह केन्द्र मंत्री के रूप में हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में हो, यह हम सबको प्राप्त होता है। उसके साथ में हमारे भाई धर्मजीत सिंह जी, जो हमेशा सारे विषयों में उनकी रूचि रहती है। किसी भी विषय में प्रखरता के साथ में अपनी बात को रखना, समसामयिक विषयों को रखना और सबसे बड़ी बात यह है कि वे सबेरे से शाम तक हाऊस जब तक समाप्त न हो जाये यहां पर बैठे रहना, हमारे नये सदस्यों को उनका लाभ मिलता है। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे केशव चंद्रा जी को कि समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी बात रखना कि कहां विरोध करना है, कहां पक्ष लेना है, प्रखरता के साथ में आलोचना भी करना, समर्थन भी करना और अपनी बात को रखना, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। साथी ही हमारे वरिष्ठ ननकी राम कंवर जी, फायर ब्रिगेड अजय चंद्राकर जी,..।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- वे आग लगाने वाले हैं, बुझाने वाले थोड़ी है। (हंसी)

श्री धरम लाल कौशिक :- शिवरतन शर्मा जी, नारायण चंदेल जी, सौरभ जी, मोहले जी और साथ ही हमारे जो नये सदस्यों के रूप में चुनकर आए हैं। इस बार रंजना जी, बांधी जी और रजनीश जी ने जो प्रारंभ किया, उन्होंने बहुत अच्छा अपने विषयों को रखा, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे महिला सदस्य जो इस सदन में हैं, चाहे इंदू बंजारे जी हो, हमारे सामने सत्ता पक्ष के बैठे हुए महिला सदस्य हैं, उन विषयों में प्रखरता के साथ में अपनी बात को रखना और कहने का सब लोगों ने प्रयास किया है, बहुत अच्छी बातें रखें हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही आज इस सभा के संचालन में हमारे जो मुख्य धुरी हैं, विधानसभा के हमारे प्रमुख सचिव, श्री चंद्रशेखर गंगराड़े जी को, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार से हम सबको विशेष रूप से उनका अनुभव का लाभ मिलता है। साथ ही हमारे दिनेश शर्मा जी और हमारे विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी को, जिनके सहयोग के बिना संभव ही नहीं है कि इस विधान सभा के सत्र को हम चला सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, डी.जे. साहब और साथ ही बैठे हुए अधिकारी दीर्घा के सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनका सहयोग मिलता है। विशेष रूप से पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए हमारे साथी हैं कि हमारी बातों को जनता के बीच में पहुंचाना और उनके बिना यह

संभव नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, वह बातें पहुंच सकें। मैं प्रेस दीर्घा के सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, जिन बातों को हम यहां रखते हैं, इनके माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाने का कार्य करते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो स्पेस देना चाहिये, जिन बातों को जनता के बीच में जानी चाहिये, उसको जनता के बीच में पहुंचाने का पूरा प्रयास होता है। तो मैं सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे जो सुरक्षा में लगे हुए हमारे सभी अधिकारीगण हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो यहां शांतिपूर्ण, यहां विधानसभा की कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। वह सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। हमारे मार्शल हैं और साथ ही इस सत्रावधि में विनियोग विधेयक सहित जो 4 बिल आये और उसको पारित किये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि जब से हमारा विधानसभा प्रारंभ हुआ है परंपरानुसार सत्र की अवधि के पूर्व सत्रावसान होना, शायद यह नियति बन गई है और हम लगातार देख रहे हैं कि दो दिन, तीन दिन के पहले सत्रावसान हो जाता है। इस समय मुझे लग रहा था कि एक अनुकूल वातावरण और चलाई जा सकती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले सत्र में इसकी भरपाई होनी चाहिए। साथ ही हमारे सभी मंत्रियों को तो मैंने धन्यवाद दिया है। भाई अमरजीत भगत यहां पर बैठे हुए हैं जिनका जो निर्णय हुआ कि जो भी कारण से पौनी-पसारी बंद कर दिये, लेकिन आज सत्र का आखिरी दिन है। हम लोग उस पौनी-पसारी को बंद किये थे, उसको हम लोग खोल दिये हैं। (हंसी) आगे सत्र में मैं समझता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- चलिये। आदरणीय, धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- आगे सत्र में जैसे सभी मंत्रियों से हम लोग प्रश्न पूछते रहते हैं और आप से भी विशेष रूप से पूछते रहेंगे। बाकी संसदीय कार्य मंत्री जी के तीन मंत्री तो हैं ही। गांधी जी के तीन बंदर, कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन संसदीय कार्यमंत्री जी को सहयोग देते रहते हैं। आज के इस अवसर पर मैं हमारे सत्यनारायण भैय्या को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि चाहे आसंदी पर हो और यहां हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- और पुराने स्वरूप में आये, यह निवेदन भी करो।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप पुराने स्वरूप में आये, आपसे यह आग्रह भी करते हैं। सत्तू भैय्या, वह दिखाई नहीं दे रहा है जो पहले दिखाई देता था और जब आप...।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कहां गये वह लोग?

श्री धरमलाल कौशिक :- हां, कहां गये वह लोग, ऐसा हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो समिति बनाई जाती है न...।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, वह गलत जगह में बैठे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- गलत जगह में बैठे हैं। यह जो समिति बनाई जाती है तो मुझे लगता है कि विशेषाधिकार समिति की, एक-दो समिति की तो बैठक हो जाती है लेकिन पता नहीं बाकी सदस्यों

को पता नहीं लगता है कि हम समिति हैं करके। ऐसा ही है न? तो कम से कम पता लग जाए कि वह भी समिति के सदस्य हैं तो अच्छा लगेगा। इसलिए समिति की बैठक कभी ऐसी औपचारिक-अनौपचारिक बैठक हो जाए तो उनको यह पता तो लगेगा कि हम समिति में हैं। आज हमारे उत्कृष्ट विधायक, भाई संतराम नेताम जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने सारे विषयों को प्रखरता के साथ में आपने उठाया है (मेजों की थपथपाहट) और आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, प्रश्न के माध्यम से हो या बाकी विभागों में जो बोलने का हो, निश्चित रूप से आपका बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। भाई अजय चन्द्राकर जी, तो हमारे फाइटर हैं ही और उनको उत्कृष्ट विधायक के रूप में जो दिया गया है मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। वास्तविक में पूरे सदन में अजय जी जो अपनी बात रखते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों की जानकारी में नहीं होती हैं। जब वह बात रखते हैं तो सब नये कार्यकर्ताओं को, नये विधायकों को, हमारे माननीय सदस्यों को यह जानने का और सुनने का भी अवसर प्राप्त होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो अजय जी बोल रहे थे कि हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है उसको सीखने के लिए कुछ और चीजों में जाने की आवश्यकता है। इसके लिए कभी उस पर चर्चा करा ले और कभी जो विशेषाधिकार दिये हैं तो वास्तविक में किसी को भी नहीं मालूम है कि विशेषाधिकार दिये, ग्राह्य, अग्राह्य हो गया, लोगों को इतने तक मालूम है। तो आगे कभी जो लंबित है उसमें देखेंगे कि या आगे अभी बहुत सारे आते रहेंगे, आते रहेंगे। वह तो स्वाभाविक रूप सेहै तो ऐसे कुछ-कुछ नये विषय भी उसमें आए तो बाकी सब लोगों को भी उसमें एक सुनने का, भाग लेने का अवसर उसमें प्राप्त होगा। मोहन मरकाम जी भी बहुत अच्छा विषय रखे हैं। बहुत अच्छा बोले हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमारे शैलेष पाण्डेय जी का नाम लिये हैं कि नहीं लिये हैं, पता नहीं। मुझे लगता है कि उनका नाम भूल गये। वह सारे विषयों में बोलते रहते हैं

श्री कवासी लखमा :- लिये हैं भाई।

श्री धरमलाल कौशिक :- लिये हैं न। हां, वह कई बार भूल जाते हैं इसलिए मैं बोला कि लिये हैं कि नहीं लिये हैं? तो विषयों को रखते रहते हैं। साथ ही हमारे यशवंत घोटे जी का नव प्रदेश के उत्कृष्ट पत्रकार के रूप में उनका चयन हुआ है।

समय :
7:00 बजे

मैं घोटे जी को बहुत बधाई देता हूं, पत्रकारिता में लंबे समय से आपका अनुभव रहा है । विधान सभा की कार्यवाही पर लिखना और आम जनता के बीच में पहुंचाने का काम आपने किया है । उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया संसदीय पत्रकार के लिए जुल्फीकार अली, हिन्दी खबर के हैं, उनको भी उत्कृष्ट पत्रकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मैं आपको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं । कैमरामेन शशिकांत वर्मा जी हिन्दी खबर के हैं, उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके कार्यों का मूल्यांकन हुआ, आपकी

मेहनत का मूल्यांकन हुआ और उसके आधार पर आपको उत्कृष्ट पत्रकार का पुरस्कार दिया गया है । मैं इसलिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं ।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं पुन: एक बार आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सत्र ज्यादा दिनों का होगा तो शायद इसकी भरपाई हो, यदि सत्ता पक्ष राजी हो जाये तो बहुत अच्छा होगा । मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारा बजट सत्र आज समाप्त हो रहा है । सत्र छोटा जरूर है, लेकिन इस सत्र का समापन बहुत ही प्रभावी रूप से हुआ । मैं आशा करता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में, जब कोरोना की समस्या से हम बाहर निकल रहे हैं, अगला सत्र थोड़ा बड़ा होगा, ऐसी मैं आशा करते हुए इस सत्र की सफलता की बधाई आपको देता हूं क्योंकि आपके कुशल नेतृत्व में पक्ष और विपक्ष, सभी ने प्रजातंत्र के सर्वोच्च मंदिर में जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जनता की भावनाओं के सम्मान के लिए जन कल्याण के कार्यक्रमों पर मोहर लगाने के लिए इस प्रजातंत्र के सर्वोच्च मंदिर में पिछले 10 दिनों से पूजा, अर्चना के रूप में हमने इस सदन के विधि, विधायी और संसदीय कार्यों में भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी मुस्कुराहट लगातार दिखती रही है और आपकी यह मुस्कुराहट ने हम लोगों को बहुत ही सुकुन दिया, मैंने पहले भी यह बात कही थी । यह बहुत ही परिपक्व नेता की सबसे बड़ी पहचान है कि चाहे वह कितने भी तनाव में रहे, चाहे कितने भी बड़े जिम्मेदारी में रहे, आपकी एक मुस्कुराहट से सबको बहुत राहत मिल जाती है । आपके मुस्कुराने और मुस्कुराकर भाग लेने के लिए आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । हमारे संसदीय कार्यमंत्री, हमारे गुरूजी चौबे जी भीष्म पितामह सरीके हैं । (हंसी) मैं आपको शैय्या में सोया हुआ भीष्म पितामह नहीं बोल रहा हूं । भीष्म पितामह बोल रहा हूं, वह बहादुर भीष्म पितामह जिसके कंधे पर धनुष बाण रखा हुआ था और वे रक्षा कर रहे थे । तो आप पक्ष, विपक्ष सबकी रक्षा करते हैं । अगर हमें कोई तकलीफ है तो आपके पास ही जाते हैं, आप ही तो सेतु का काम करते हैं। अगर सेतु ही न रहे तो एक तरफ आप रहेंगे, एक तरफ हम रहेंगे और बीच में कोई सम्पर्क नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र में संवादहीनता सबसे बुरी बात होती है ।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी मंत्रिगण बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, सभी मंत्रियों ने अच्छा परफारमेंस दिखाया । सत्ता पक्ष के सभी विधायकों ने बहुत अच्छा परफारमेंस दिखाया । माननीय अध्यक्ष जी, आपने सत्ता पक्ष से उत्कृष्ट विधायक के लिए संतराम नेताम जी का चयन किया, वह चयन बिल्कुल अच्छा हुआ है क्योंकि वे हर विषय में बोलते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वे सिर्फ बोलते नहीं हैं, बल्कि दिन भर बैठकर सबकी बात सुनते भी हैं । जो प्रजातंत्र के इस मंदिर में दिन भर बैठेगा और सबकी बात सुनेगा, वही अनुभवी होता है । मैं यहां भाषण ठोकूं और उसके बाद बाहर निकल जाऊं, बाकी सदस्य क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

फिर वह ज्यादा विद्वान आदमी की श्रेणी में आ जाता है और यहां जो भी रहता है, उससे सीखना चाहिए, हम सब सीखते हैं चाहे आप एक बात जीते हों, दो बार जीतें हों, तीन बार जीतें हो, चार बार जीतें हों या सात बार, आठ बार जीते हों या नौ बार जीते हों । सब यहां सीखते हैं । सीखने की न कोई उम्र का बंधन है, न समय की सीमा है । अध्यक्ष महोदय, आपने, मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्यमंत्री, आप सब ने संतराम जी के रूप में उत्कृष्ट विधायक के लिए बहुत अच्छा चयन किया । हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी पूरा समय दिया और मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे गुस्से में आकर बाय काट नहीं किये । नहीं तो सब मांग एक घंटे के अंदर हां, हां, हां, हां हो जाता । (हंसी) तो कम से कम उससे तो आपने बचाया। अच्छा है, चलने दीजिए । थोड़ी बहुत चर्चा हो जाये । आप गुस्से में जाते तो ये तैयार बैठे थे, एक साथ 11 विभागों की मांग हां-हां,हां, पास हुआ, पास हुआ, पास हुआ, फिर खत्म। पिछली बार ऐसा ही कुछ बुरा अनुभव था। इस समय का अनुभव ठीक था। हम सब डॉ. रमन सिंह साहब का अनुभव, उनका ज्ञान, उनकी शालीनता, उनकी शैली से प्रभावित हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अजय चन्द्राकर जी के बारे में समझता हूं कि वे सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति हैं। आप अजय चन्द्राकर जी की लहजे में मत जाईये, सिर्फ उनके शब्दों को ग्रहण कीजिये। एक कड़वे वचन वाले जैन मुनि तरूण सागर महाराज भी आये थे। उनका लजहा भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन वह बहुत परफेक्ट बात बोलते हैं, वह शाश्वत बात बोलते थे। आज ही चन्द्राकर जी बोल रहे थे मुकुटधर पांडे, और कुछ-कुछ बोल रहे थे। हम लोगों को जो चीज ठीक से नहीं मालूम, आप उसके बारे में इतना विस्तृत रूप से जानते हैं, सुनने से ज्ञान बढ़ता है। आपको सुनना चाहिए। सीखने के लिए ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। हम सबको यहां सीखने का अवसर मिला। बृजमोहन जी ने भी अपना तेवर दिखाया, ननकीराम कंवर जी इतने वरिष्ठ विधायक हैं, हम दूर से देखते थे, आप संसदीय सचिव हुआ करते थे। सन् 77-78 में ये संसदीय सचिव थे, बताईये। आज भी वह इस सदन में बैठकर जनहित का मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे भाई नारायण चंदेल जी, सौरभ सिंह विद्वतापूर्ण भाई, भाई शिवरतन जी, हमारे आदरणीय मोहले साहब, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, हमारे प्रमोद जी, श्रीमतीरंजना डीपेन्द्र साहू, उनका भी भाषण बहुत ही मार्वलस, जोरदार, जबर्दस्त स्पीच था। मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूं। हमारे इस तरफ के विधायकों ने भी अपना अनुभव दिया। मरकाम साहब तो हर बात के ओपनर बैट्समेन हैं, रोहित शर्मा सरीखे ओपनिंग करते हैं। मैं आपकी भी बहुत सराहना करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, ये लोग आपसे कोई दुर्भावना से पौनी पसारी बंद नहीं किये थे। हम लोग तो दिल से बंद कर ही नहीं सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप से था, उसको बुरा मत मानियेगा। पर क्या है कि आप भी थोड़ा सा पौनी पसारी चलते रहे, उस टाईप का थोड़ा ख्याल रखा कीजियेगा।

मंत्रियों ने पूरे समय सदन का ख्याल भी रखा है। सबके यहां लिफाफा वगैरह आया है। बढ़िया है, आप सबको उसके लिए भी धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके उपाध्यक्ष महोदय ने भी बहुत समय दिया। लखेश्वर बघेल साहब ने भी टाइम दिया। हमारे राजा साहब, आपको आसंदी में देखकर बहुत अच्छा लगा। आप तो पुराने नेता हैं। परन्तु जब आप आसंदी में बैठे तो बड़ा अच्छा लगा। वहां सत्यनारायण भैय्या भी बैठे थे। पूरे आसंदी के प्रति आभार, उपाध्यक्ष महोदय के प्रति आभार। आपके प्रति आभार, क्योंकि आपका चेम्बर भी अच्छा बन गया है साहब। वहां बैठने की अच्छी जगह भी है, कुछ-कुछ खाने का भी अच्छा इंतजाम है, वह भी हम ले लिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा के प्रमुख श्री गंगराडे साहब, सचिव महोदय और जितने हमारे अधिकारी हैं, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ना केवल हम लोगों कई बार बात बताते हैं, समझाते हैं, बल्कि हम लोगों को जो भी चीज चाहिए, आप उसकी पूर्ति भी करते हैं। मैं यहां के कर्मचारियों को भी धन्यवाद दूंगा, यहां पर पूरा सचिवालय दिन-रात लिखा पढ़ी करके हमारे विधानसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उत्कृष्ट विधायकों को अजय जी और आपको, उत्कृष्ट पत्रकार साथियों और कैमरामेन को भी बधाई। बड़ी मेहनत से पुरस्कार मिलता है साहब। यह कोई छोटा-मोटा पुरस्कार नहीं है। आप छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज बनकर काम करते हैं। जहां से छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज निकलती है, उस आवाज के माध्यम से आपको यह पुरस्कार दिया गया है, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सुरक्षा कर्मी, जो बाहर धूप में खड़े रहते हैं, कोविड के कारण ठीक से अंदर-बाहर भी नहीं हो पा रहे हैं। वहां दिन भर धूप में बैठे रहते हैं, उनके प्रति भी बहुत आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सत्र के समय अधिकारी दीर्घा को नोटिस कर रहा था कि मुख्य सचिव, वित्त सचिव, डी.जी.पी. और अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में अधिकारी, अधिकारी दीर्घा में आकर बैठे। ना केवल बैठे, बल्कि नोटिंग भी की, ना केवल नोटिंग की, बल्कि वहां से बहुत सी जानकारियां भी माननीय मंत्रियों को दी। यह पहली बार हुआ है कि हमको यह नहीं कहना पड़ा कि अधिकारी दीर्घा खाली है, बुलाया जाये, कौन नोट करेगा, यह परिवर्तन इस बात का घोतक है कि प्रजातन्त्र के इस मन्दिर में जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जो महसूस कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष और सभी मंत्री तथा विधायक कर रहे हैं, वही जिम्मेदारी का एहसास अधिकारी दीर्घा के लोगों ने भी किया है । पत्रकार साथी हमारे बाहर में खड़े होकर लोगों का बयान लेते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद । एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत छोटे से दल के हैं । पांच में से तीन ही बच गये हैं । मैं, प्रमोद और भाभी रेणू जोगी और दो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं । दो और थे, हम लोग सात थे । मैं यहां बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बोलना पड़ रहा है । अगर अवैधानिक हो तो निकाल भी दीजिएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है । मैंने आपके चेम्बर में आपके समक्ष आग्रह किया था, जो यह कमेटियां बनती है, हमारे पांच आदमी में सें एक को भी अगर ले लेंगे तो कौन से कमेटी का निर्णय बदल जाता । कौन से सरकार के ऊपर आफत आ जाती । हम लोगों का भी थोड़ा सम्मान कर लीजिए । हम लोग भी तो पूरा टाईम देते हैं । यहां सदन में बैठे हुये किसी भी व्यक्ति से ज्यादा समय श्री केशव चन्द्रा, प्रमोद शर्मा जी और तीनों हम लोग देते हैं । हमको भी इस प्रजातंत्रीय समिति में आने की इच्छा होती है । मेरे से अगर तकलीफ है तो मुझे मत बनाईये, रेणू जोगी जी को बना दो, प्रमोद को बना दो । उनको उससे भी तकलीफ है । केशव चन्द्रा को बना दो, किसान के बेटे को । हमने प्रार्थना की है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है । हर बजट सत्र में बोलते हैं । एक बार फिर से बोल रहा हूँ । इस बार सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ । इस पर जरूर विचार करियेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय संसदीय मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे । हमारे किसी साथियों को भी जरूर मौका देंगे । अध्यक्ष जी, आपका आदेश सर आंखों पर है । आपका हम सब सम्मान करते हैं । पूरा सदन सम्मान करता है । मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान करते हैं । आपने तो दो-दो जांच कमेटी बना दी है । इस सत्र में यही अध्यक्ष की कुर्सी की ताकत भी दिखाई दी है । उसके लिए मंत्री जी ने सहमति भी दी है । सरकार की भी इच्छाशक्ति उसमें दिखाई दी है । विपक्ष के लोगों ने मांग की है, इनका भी आपने सम्मान किया है । अध्यक्ष महोदय, कुलमिलाकर हम यहां पर किसी के दुश्मन नहीं है । यहां पर जो भी बातें की जाती है, वह जनता के हित में है, एक गिलास में पानी भरा है, वह आधा पानी खाली है, आधा भरा है । अध्यक्ष महोदय, आप बोलेंगे कि आधा गिलास पानी भरा है । हम बोलेंगे कि आधा गिलास पानी खाली है । बोलने का तरीका, कहने का तरीका, सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो सत्य है, वह यही है कि उसमें आधा पानी भरा है और आधा खाली है । अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण इधर मिलता रहा है, आगे भी देते रहियेगा, यही आपसे कामना है । सब के प्रति आभार, किसी से कोई जाने अनजाने गलती हो गयी हो, उसको बुरा मत मानियेगा, क्षमा करियेगा, सब अच्छे मन से यहां से जायें और जनता की सेवा करें । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्रा जी, संक्षेप में ।

श्री केशव चन्द्रा (जैजैपुर) :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, जनता कांग्रेस के सदन के नेता जी, सभी मंत्रीगण, सभी विधायक साथीगण । माननीय अध्यक्ष महोदय, भले ही सत्र छोटा था, समय के पूर्व समाप्त होने जा रहा है, फिर भी इस पूरे सत्र में एक-एक मिनट का सदुपयोग हुआ, सभी

विषय आये, खासकर पंचवर्षीय में पहली बार चुनकर आये थे, जिनको हम नये विधायक बोलते हैं, उनका जो परफार्मेंस है, यहां प्रस्तुति चाहे प्रश्न लगाये हों, प्रश्न पूछने का, पूरी तरह से परिपक्वता आ गई है । उसका कारण एक ही है । सभी सदस्य लोग बैठकर यहां सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मैं भी ज्यादा पुराना नहीं हूँ । भले ही दूसरा कार्यकाल है, जब सीनियर लोगों को सुनते हैं, चन्द्राकर जी हो, शर्मा जी हो, तो हम लोगों को लगता है कि हम के.जी.1 और के.जी. 2 में है । प्रयास करते हैं कि सीखें । आपने सफल संचालन किया, सबको बराबर मौका दिया, सबको पहले आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, सभापति तालिका के सभी सभापतिगणों को धन्यवाद देता हूं। हमारे सचिवालय के प्रमुख सचिव और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। हम लोग जाते हैं, उसके 2-3 घंटे बाद जाते हैं। 9-10 बजे रात को हम ही लोग जाते थे, उसके बाद उन लोग जाते थे। सत्र के संचालन में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश के पूरे अधिकारीगण, केवल इस दीर्घा में बैठे हैं, वही नहीं बल्कि इस विधानसभा में पूरे प्रदेश के अधिकारीगण जो इस सत्र के संचालन में सम्मिलित रहे, उन सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे मीडिया के साथी चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रानिक मीडिया हो, जो संदेश हम लोगों की बातों को प्रदेश में पहुंचाये, उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। सभी कर्मचारी साथीगणों को धन्यवाद देता हूं। जो उत्कृष्ट विधायक चुने गये हैं, हमारे साथ ही चुनकरे आये थे, भाई संतराम नेताम जी और हमारे बहुत ही सीनियर लंबे समय से जो इस सदन में हैं, लंबे समय तक मंत्री भी रहे, आदरणीय अजय चन्द्राकर जी को बधाई देते हुए मैं आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सत्र में जो कमी रही, बजट सत्र लगभग 20 से 25 बैठकों का होता था, एक महीने चलता था। आने वाले समय में उस सत्र को बढ़ा करके, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी यही एक अवसर रहता है। चाहे हम पक्ष में या विपक्ष में बोलें, हम चाहें प्रश्न, ध्यानाकर्षण, स्थगन लगायें, यही एक अवसर रहता है कि हम क्षेत्र की जनता की भावना और क्षेत्र के लोगों की समस्या को इस सदन में रखें और केवल रखे ही नहीं बल्कि सत्तापक्ष भी उससे अवगत हो, प्रशासन के अधिकारी भी उससे अवगत हों और उस पर आवश्यक पहल करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब अगला सत्र होगा तो सत्र के समय में वृद्धि की जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पुन: एक बार सफल संचालन के लिए बधाई देता हूं। हम लोगों के तो आप संरक्षक भी हैं आपका जो संरक्षण मिलता है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में पूरे सदन में सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. रमन सिंह जी, हमारे विशेष तौर पर संसदीय कार्य मंत्री जी, सभी दलों के नेता आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, केशव प्रसाद चन्द्रा जी। आपने जो सम्मान से नवाजा, इस सदन ने नवाजा है, हो सके तो उन अपेक्षाओं पर और आगे खरे उतरने की कोशिश करेंगे कि इस सदन की कार्यप्रणाली

और अच्छी हो, बहस का स्तर और अच्छा हो। उसके लिए मैं सबका ह्दय से बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। दूसरा एक बहुत छोटा सा विषय है, भूल भी गये। मोहन मरकाम जी आ रहे हैं, शुरू से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वह मुझसे जूनियर भले रहे। मैंने उनके प्रति कुछ शब्द कहे। मैं उनसे दो-तीन बार माफी मांगी। फिर भी सार्वजनिक रूप से किसी बात को कहना और यदि हम क्षमा करते हैं, यदि हम घोषणा करते हैं, यदि हम कोई कार्यवाही करते हैं तो उससे सदन की हाईट ही बढ़ती है। मैं मोहन मरकाम जी से ह्दय से क्षमा चाहता हूं। वह जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं और जिस ऊंचाई पर वह पहुंचे हैं, वह हमारे जैसे सबके लिए अनुकरणीय हो सकता है। वह जिंजीविषा उनके अंदर है कि वह नेतृत्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वह सार्वजनिक जीवन की ऊंचाईयों को छुएं और उसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जो जरूर करेंगे।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी एक छोटी सी बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को कहूंगा। जब मैं संसदीय विषय में बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि रविन्द्र चौबे जी, बृजमोहन अग्रवाल जी 7-8 बार के विधायक हैं, 8 बार के विधायक रामपुकार सिंह जी हैं और चुनाव लड़ने में सबसे पुराने कहें तो इस सदन में भाटो हैं। वह 1971 से चुनाव लड़ रहे हैं। वह 1977 से जीत रहे हैं। 8 बार वाले एक ही बार भर बाहर हुए हैं। जो परंपराएं छत्तीसगढ़ विधानसभा में हैं, वह अमूमन देश की किसी भी विधान सभा में नहीं है। कई पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस बात को रखा हूं। कुछ परंपराएं टूटी है, किन्हीं परिस्थितियों में टूट गयी, कोरोना के कारण टूट गयी, समय आभाव के कारण टूट गयी, चुनाव के कारण टूट गयी, कोई भी परिस्थितियां बनी। संसदीय प्रणाली में यही कहा जाता है कि नियम से ज्यादा परंपराओं से चलती है तो रविन्द्र चौबे जी के नेतृत्व में यदि कोई भी परंपरा प्रभावित हुई है टूटी हुई है तो उसको आगे उदाहरण न माना जाये और हम ऐसे और क्षेत्रों को ढूंढे जिससे यह विधान सभा और छत्तीसगढ़ मजबूत हो और यहां की चर्चाएं एक नजीर बने। अभी-भी छत्तीसगढ़ की विधान सभा नजीर है देश के लिये, यह हम कह सकते हैं और इसका श्रेय यहां के सभी सदस्यों को जाता है और मैं जब भी बोलता हूं, विधान सभा में बहस कैसे करता हूं, बात कैसे रखता हूं, यह नहीं जानता पर कवासी लखमा जी की in built की मैं हमेशा प्रशंसा करता हूं। जिस क्षेत्र से , जिस तरह से वह चुनकर आते हैं, निरक्षर होना कोई अभिशाप नहीं है वह परिस्थितयां थी लेकिन बाकी जिन चीजों में वह देखने और समझने और सीखने लायक है, यह गौरव हो सकते हैं जिसका हम बार-बार उल्लेख करते हैं, सशक्तिकरण का। अकबर जी का सुनना, धैर्य बड़ा अद्भूत चीजें है, इस विधान सभा की यह सब प्रॉपर्टी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जैसी भूमिका निभाई, आपके सुदीर्घ संसदीय जीवन का लाभ मिला, आपको सबने आभार कहा, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपके नेतृत्व में हम और ऊंचाईयों को स्पर्श करें । सचिवालय में गंगराडे साहब कितने दिन तक रहेंगे, जितने भी दिन तक रहे, आपकी कृपा में

विधान सभा स्वस्थ, प्रसन्न और इसी तरह से संचालित होती रहे । हमारे अधिकारी दीर्घा में बैठे हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, तीनों को जानता हूं और मैं सोचता हूं कि बहुत गरिमापूर्ण ढंग से बिना विवाद के, बिना किसी परेशानी के यह सत्र निपटा । सबको धन्यवाद देने के बाद भी यह नेता के बिना अधूरा है। जिस माननीय भूपेश बघेल को, २५ साल पहले जानते हैं और आज जानते हैं, उसमें जमीन-आसमान का अंतर है और करने की इच्छा ने ही उनको नेतृत्व दिया, उनकी जो कुछ करने की लड़ाई है और कुछ करें, यह अपेक्षा है और इससे छत्तीसगढ़ का लाभ ही होगा । असहमति लोकतंत्र की आत्मा है, दुश्मन नहीं है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि जो असहमति है, वह दुश्मन है, वह क्षणिक है । तो छत्तीसगढ़ की इस विधान सभा में यह असहमति भी जिंदा रहे और प्रखरता के साथ में जिंदा रहे और परम्परा के तौर पर स्थापित हो, शायद ट्रेजरी बैंच से ज्यादा इसको सम्मान देते हैं । तो सुरक्षा व्यवस्था, पत्रकार और यह साथी जिन लोगों ने इस कठिन विषय को जीवंत बनाया, लेजिस्लेशन रोज सीखने का, प्रतिपल सीखने का विषय है । किसी न किसी घटनाक्रम से कोई न कोई सीख मिलती है । आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला । फिर से मैं आभार व्यक्त करते हुए, अपने मित्रों के प्रति, अपने साथियों के प्रति, जिनके बीच में काम करते हुए आज आपने मुझे कुछ चीजों से नवाज़ा । मुख्यमंत्री जी, वह मेरी असंतुष्टी नहीं थी, अब चौथी बार में नयी पीढ़ी के जो लोग हैं, वह उत्कृष्ट विधायक बनें, लिखना-पढ़ना सीखें, लाईब्रेरी जाना सीखें, यह सीखें, इन कारणों से कहा । मैंने कहा कि अब क्या है, चलता है । आपको बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम ।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण में, चाहे वह प्रश्नकाल हो, ध्यानाकर्षण हो, अनुदान मांग की चर्चा हो या और भी कोई कार्यवाही में आपने मुझे मौका दिया और आपने मेरी प्रस्तुतीकरण को देख कर मुझे उत्कृष्ट विधायक के लिये चयनित किया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं, हमारे माननीय सदन के नेता, हमारे बहुत ही आदरणीय बघेल साहब जी को, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कौशिक साहब को, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय चौबे साहब को, हमारे दूसरे दल के आदरणीय धर्मजीत भैया को, हमारे केशव चंद्रा जी, हमारे मंत्रीगण और सभी हमारे विधायक साथी और खासकर हमारे सचिवालय के सचिव साहब और पूरे हमारे सचिवालय के साथीगणों ने मुझे सहयोग किया। आज सभी के आर्शीवाद से मुझे उत्कृष्ट विधायक बनने का मौका मिला। मैं आप सब को धन्यवाद् देना चाहता हूँ। हमारे मीडिया के जो भी उत्कृष्ट साथी हैं, हम जिनका प्रखर मार्गदर्शन लेते रहे हैं आदरणीय चन्द्राकर साहब को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। हमारे मीडिया के साथी जिनका उत्कृष्ट के रूप में चयन किया, मैं उनको भी बहुत-बहुत बधाई देते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं और भी कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद्। अब राष्ट्रगान होगा।

राष्ट्रगान

"जन-गण-मन"

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई।)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित।

(सायं 7 बजकर 27 मिनट पर विधान सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छ.ग.) **प्रमुख सचिव**

दिनांक 22 मार्च, 2022 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं